

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2020-21

हाई-टेक बैंकिंग
बहु-आयामी उत्कृष्टता

*High-tech banking.
Multi-dimensional excellence.*



केनरा बैंक

भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री एल.वी. प्रभाकर

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Shri L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



श्री देवाशीष मुखर्जी

कार्यपालक निदेशक

Shri DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR



सुश्री ए. मणिमेखलै

कार्यपालक निदेशक

Ms. A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री के. सत्यनारायण राजु

कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से)

Shri K. SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR (from 10.03.2021)



श्री बृज मोहन शर्मा

कार्यपालक निदेशक (19.05.2021 से)

Shri BRIJ MOHAN SHARMA
EXECUTIVE DIRECTOR (from 19.05.2021)



श्री सुचीन्द्र मिश्रा

प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार

Shri SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR REPRESENTING
GOVERNMENT OF INDIA



श्री आर. केशवन

प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक

Shri R. KESAVAN
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA



श्री बिमल प्रसाद शर्मा

शेयरधारक निदेशक

Shri BIMAL PRASAD SHARMA
SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर

शेयरधारक निदेशक

**Shri VENKATACHALAM
RAMAKRISHNA IYER**
SHAREHOLDER DIRECTOR

निदेशक जो अवधि के दौरान कार्य मुक्त हुए Directors Demitted Office during the period



श्री टी.एन. मनोहरन

अध्यक्ष (13.08.2020 को)

Shri T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN (on 13.08.2020)



श्री एम.वी. राव

कार्यपालक निदेशक (28.02.2021 को)

Shri M.V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR (on 28.02.2021)



श्री कृष्णन एस.

कार्यपालक निदेशक (03.09.2020 को)

Shri KRISHNAN S.
EXECUTIVE DIRECTOR (on 03.09.2020)



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

इस वर्ष आपका बैंक अपनी सार्थक सेवा के 116वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपके निरंतर समर्थन के लिए, विशेष रूप से इस महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आपके विश्वास के प्रति, आप सभी का

आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना करता हूँ।

वित्त वर्ष 2020-21 इस मायने में विशिष्ट रहा कि यह हमारे सामने कोविड-19 महामारी की ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ लेकर आया, जिसकी अनुभूति अपने जीवनकाल में एक बार ही होती है।

दुनिया ने गहरी मंदी देखी, जिसने दुनिया भर के देशों को अपनी चपेट में ले लिया क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन उपायों के बाद आर्थिक गतिविधियाँ लगभग ठप हो गईं। वर्ष 2020 में, दूसरे देशों की तुलना में कुछ देशों के काफी खराब प्रदर्शन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.3% की गिरावट आई। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपनी पूर्व-महामारी के स्तर पर लौटने लगी है। लेकिन महामारी के असमान प्रभाव की तरह ही, आर्थिक सुधार की गति भी अलग-अलग देशों में व्यापक रूप से भिन्न है।

कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 21 की प्रथम छमाही की लगातार दो तिमाहियों में कमी आई। हालाँकि, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के त्वरित नीतिगत समर्थन और वित्तवर्ष 21 की दूसरी तिमाही के बाद से लॉकडाउन मानदंडों में ढील से, आर्थिक गतिविधियों में तेज वापसी हुई और आर्थिक विकास का मार्ग वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में सकारात्मक क्षेत्र में लौट आया। भारत में, गरीबों को नकद और राहत की सीधे सहायता प्रदान करने के साथ प्रोत्साहन के रूप में एक अंश-अंकित (कैलिब्रेटेड) नीति की शुरुआत की गई और इसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाते हुए व्यापक पैकेज (आत्मनिर्भर भारत) के रूप में विस्तारित किया गया।

रिजर्व बैंक ने भी घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तीव्र मंदी को रोकने, वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए और विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता और भुगतान एवं निपटान प्रणाली की सुदृढ़ता और अखंडता को संरक्षित रखने और इसे बनाए रखने के साथ-साथ वित्तीय बाजारों और मध्यस्थों के सामान्य कामकाज को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत और साथ-साथ कई क्षेत्र-विशिष्ट उपाय किए। कुल मिलाकर, रिजर्व बैंक द्वारा 6 फरवरी 2020 (5 मई, 2021 तक) से अर्थव्यवस्था के लिए घोषित कुल सहयोग राशि ₹15.7 लाख करोड़ थी।

MD & CEO'S STATEMENT

Dear Shareholders,

Your Bank steps into its 116th fruitful year of service and at the outset, I extend my gratitude to each one of you for your continued support, particularly through the challenging time of the pandemic. I wish each one of you good health and spirit.

The FY 2020-21 was unique in the sense that it posed before us the unprecedented circumstances and challenges of the COVID-19 pandemic, which is once in a lifetime experience.

The world witnessed the deep recession that engulfed countries across the globe as economic activities came to a near standstill following lockdown measures to contain the spread of the virus. In 2020, the global economy contracted by 4.3%, with some countries doing considerably worse than others. National economies are beginning to return to their pre-pandemic levels. But like the uneven impact of the pandemic itself, the pace of economic recovery is massively divergent across countries.

COVID-19 has had a serious impact on Indian economy. Indian economy contracted in two consecutive quarters of H1FY21. However, with the prompt policy support from Government of India and Reserve Bank of India (RBI) and with easing of lockdown norms since Q2FY21, there was a sharp rebound in economic activities and economic growth trajectory returned to positive zone in second half of FY 2020-21. In India, a calibrated policy stimulus began with direct assistance in cash and kind to the poor and progressively broadened into a comprehensive package (Aatma Nirbhar Bharat) to provide support to the various sectors of the economy.

The Reserve Bank too undertook several measures, system-wide as well as sector-specific, to arrest the precipitous downturn in domestic economic activity, to ease financial conditions and in particular, to ensure the normal functioning of financial markets and intermediaries while preserving and maintaining financial stability and the soundness and integrity of payment and settlement systems. Overall, the total support announced by the Reserve Bank for the economy since February 6, 2020 (up to May 5, 2021) amounted to ₹15.7 lakh crore.

रिजर्व बैंक ने दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ), लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ), विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित ऑन-टैप टीएलटीआरओ, म्यूचुअल फंड के लिए तरलता (लिव्विड) विंडो, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) की तरलता की स्थिति में सुधार करने के लिए एक विशेष तरलता योजना (एसएलएस), राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और ट्विस्ट संचालन सहित खुले बाजार के परिचालन के साथ-साथ विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बाजार का संचालन किया। इसके अतिरिक्त, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 बीपीएस (4.0% से 3.0% तक) से घटा दिया गया था। इसके अलावा, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत बैंकों के लिए उनके सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में गिरावट करके उधार लेने की सीमा को पहले के 2% से बढ़ाकर एनडीटीएल का 3% कर दिया गया था। उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए ऋण चुकौती पर अधिस्थगन और इसके बाद कोविड-19 से प्रभावित व्यवहार्य खातों के समाधान को सक्षम करने के लिए एक व्यापक रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के रूप में पूर्वकृत नियामक उपायों की घोषणा की गई।

महामारी की दूसरी लहर ने वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही की शुरुआत से ही आर्थिक सुधार प्रक्रिया को धीमा कर दिया है, जिसने निकट अवधि में विकास के परिप्रेक्ष्य में विकास की गति को कुंटित कर दिया है। हालांकि, स्थानीय लॉकडाउन मानदंडों के साथ पिछले साल की तुलना में कम गंभीर प्रभाव होने की उम्मीद है और व्यवसायों तथा लोगों ने महामारी संबंधी प्रतिबंधों के साथ संचालन करते हुए नए सामान्य को अपना लिया है। जून 2021 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में, आरबीआई ने महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन करने के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं।

आपके बैंक द्वारा बढ़ रही महामारी की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और कर्मचारी और ग्राहक दोनों को कोविड-19 से बचाने के लिए समय-समय पर सुरक्षा दिशानिर्देश / उपाय जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में, प्र.का. / अं.का. / क्षेत्र.का. स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया टीमों और हेल्प डेस्क को स्थापित किया गया है, कारोबार निरंतरता योजना के एक भाग के रूप में परिवर्तित काम के घंटे / रोटेशन / वर्क फ्रम होम (घर से कार्य) को अपनाया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा और उचित चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न होटलों के साथ टाईअप कर टीकाकरण शिविर और संगरोध (क्वार्टीन) सुविधाओं की भी व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा, महामारी संकट की गंभीरता को देखते हुए, बैंक ने कारोबार परिचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। बैंक की एक डिजास्टर रिकवरी साइट है जो डेटा सेंटर में किसी भी व्यवधान के मामले में सीबीएस और बैंक के अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम है।

The Reserve Bank conducted market operations through a variety of instruments, including long-term repo operations (LTROs), targeted long-term repo operations (TLTROs), on-tap TLTROs aimed at specific sectors, a liquidity window for mutual funds, a special liquidity scheme (SLS) to improve the liquidity position of non-banking financial companies (NBFCs) and housing finance companies (HFCs), open market operations including in state development loans (SDLs) and twist operations. Additionally, cash reserve ratio (CRR) was reduced by 100 bps (from 4.0% to 3.0%). Further, the borrowing limit for banks under the marginal standing facility (MSF), by dipping into their statutory liquidity ratio (SLR), was enhanced to 3% of NDTL from 2% earlier. Pre-emptive regulatory measures were announced to provide relief to the borrowers in the form of moratorium on loan repayments, followed by a comprehensive Resolution Framework 1.0 to enable resolution of viable accounts impacted by the COVID-19.

The second wave of the pandemic has slowed down the economic recovery process since the start of Q1 FY22 which has subdued the growth outlook in the near term. However, the impact is expected to be less severe as compared to last year with localized lockdown norms and businesses and people adjusting to the new normal while operating with pandemic related restrictions. In June 2021 meeting of the Monetary Policy Committee (MPC) meeting, RBI has projected the real GDP growth to be 9.5% for FY 2021-22 after assessing the impact of the second wave of the pandemic and has taken many measures to keep supporting economy.

The developing pandemic situation is regularly monitored by your Bank and safety guidelines / measures are being issued from time to time to protect both employees and customers from COVID-19. In this regard, quick response teams and help desks have been setup at HO / CO / RO level, staggered working hours / rotation / work from home is being practiced as a part of Business continuity plan. Bank is also arranging vaccination camps and quarantine facilities in tie-up with various hotels for the safety and proper medical care of the employees. Further, foreseeing the depth of pandemic crisis, the Bank has taken all precautionary initiatives to ensure continuity in operations. The Bank has a Disaster Recovery site which is capable of handling the CBS and other functions of the Bank in case of any disruption at Data Centre.

हमने अपने ग्राहकों को उन्नत सुविधाओं से युक्त डिजिटल उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वे अपने घरों से आराम और सुरक्षा के साथ बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकें और महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अन्य ओमनी चैनलों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। हम सामान्य समय में भी इस रणनीति को जारी रखेंगे। बैंक ने जनता की सेवा के लिए 9 सितंबर 2020 को 100 केंद्रों पर 1410 नामित शाखाओं के माध्यम से डोरस्टेप (द्वारस्थ) बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। इसके तहत फिलहाल 11 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

आर्थिक गतिविधियों पर महामारी के प्रभाव के कारण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) एक साल पहले के 6.4% की तुलना में मार्च 2021 में घटकर 5.6% रह गई है, और कुल जमा वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) एक साल पहले के 9.5% की तुलना में मार्च 2021 में बढ़कर 12.3% हो गई।

लेकिन, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान चुनौतियों के बावजूद, बैंक ने समामेलित इकाई के सामंजस्य (साइनर्जी) लाभों का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए मजबूत मूल सिद्धांतों के साथ बेहतर वित्तीय प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2020-21 पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक के समामेलन के बाद समामेलित इकाई का पहला वर्ष था। समामेलन प्रक्रिया सुचारू रूप से की गई है और हमारे ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग सेवाओं के लिए तकनीकी और मानव संसाधन दोनों का एकीकरण समय पर पूरा किया गया।

परिचालन दक्षता के लिए नई पहल

पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक 1 अप्रैल 2020 से केनरा बैंक में समामेलित हो गया और समामेलित इकाई यानी केनरा बैंक ने यूनिफाइड ऑपरेशंस का एक साल पूरा कर लिया है। पिछले एक साल में, बैंक ने 'बेस्ट ऑफ टू' (दोनों में से सर्वोत्तम) सिद्धांत के आधार पर सभी नीतियों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के सामंजस्य को पूरा किया और ग्राहकों के लिए इष्टतम उत्पाद सूट बनाया। बैंक ने किसी भी शाखा में ग्राहकों द्वारा सभी लेनदेनों के लिए सीबीएस में पहले दिन (01.04.2020) से ही इंटरऑपरेबल विकल्प प्रदान किए हैं। बैंक ने हमेशा की तरह कारोबार सुनिश्चित करने पर ध्यान बनाए रखा है।

समामेलित बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों को पुनर्गठित किया और प्रधान कार्यालय में विभिन्न विभाग बनाए गए। परिचालन दक्षता और कारोबार के संवर्द्धन के लिए बनाए गए विभिन्न विभागों (वर्टिकल) में समाधान विभाग, एलबी और आरआरबी विभाग, विपणन और सरकारी संबंध विभाग,

We have encouraged usage of digital products by our customers with enhanced features, so that they can do banking from the comfort and safety of their homes and tried to popularize other omni channels to serve our customers better during the pandemic. We will continue with this strategy even during normal times. Bank has initiated Doorstep Banking Services on 9th September 2020 through 1410 designated branches at 100 centers to serve the public. At present 11 services are being offered under this.

Due to the impact of the pandemic on economic activities, the Scheduled Commercial Banks (SCBs) credit growth (y-o-y) has decelerated to 5.6% in March 2021 as compared to 6.4% a year earlier, and aggregate deposits growth (y-o-y) accelerated to 12.3% in March 2021 from 9.5% a year ago.

But, I am happy to announce that despite the challenges during the previous financial year, the Bank has achieved better financial performance with strengthened core fundamentals while successfully leveraging the synergy benefits of the amalgamated entity. FY 2020-21 was the first year of the amalgamated entity after merger of erstwhile Syndicate Bank and Canara Bank. The amalgamation process has been smoothly carried out and integration of both technology and human resources have been completed well in time, for seamless banking services to our customers.

NEW INITIATIVES FOR OPERATIONAL EFFICIENCY

Erstwhile Syndicate Bank amalgamated into Canara Bank with effect from April 1, 2020 and the amalgamated entity, i.e. Canara Bank has completed one year of unified operations. Over the past year, the Bank completed harmonisation of all policies, products and processes based on the 'Best of Two' principle and created the optimum product suite for customers. Bank has provided Interoperable options from the First day (01.04.2020) for all frequent transactions in CBS for Customers to make in any Branch. Bank has focused on ensuring business as usual.

Reorganized the Regional Offices, Circle Offices and created various Verticals at Head Office to meet the requirement of Amalgamated Bank. The various verticals created for operational efficiency and augmentation of more business are Reconciliation Wing, LB & RRB Wing, Marketing and Government Relations Wing, MIS Wing, Compliance &

एमआईएस विभाग, अनुपालन और आरबीएस विभाग, सहयोगी एवं अनुषंगियां विभाग, स्वर्ण ऋण विभाग, केंद्रीय प्रसंस्करण विभाग और नकद प्रबंधन एवं लेखन-सामग्री विभाग शामिल हैं।

बैंक ने परिचालन दक्षता के लिए कई पहलें भी की हैं जैसे-कारोबार प्रक्रिया गतिविधियों को केंद्रीकृत और डिजिटल करना जैसे-विशेष रूप से केंद्रीय प्रसंस्करण विभाग की निगरानी में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों के माध्यम से खाता खोलना, आरएच के माध्यम से खुदरा ऋण प्रसंस्करण, सीकेवाईसी ऐप के माध्यम से केवाईसी अपडेशन, सीपीसीएफटी के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन, वसूली कॉल सेंटर (आरईसीसी), एनालिटिक्स आधारित रिटेल क्रेडिट ऑफर, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और पेपर-लाइट बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु लीड जनरेशन और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली के लिए फिन-टेक और ई-कॉमर्स के साथ टाई-अप व्यवस्था।

सीबीएस का अपग्रेडेड वर्जन 11.8 और पेरिफेरल एप्लीकेशंस (इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, सीटीएस, गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल आदि) का संपूर्ण माइग्रेशन जनवरी 2021 में पूरा कर लिया गया। संपूर्ण समामेलन प्रक्रिया 'ग्राहक केंद्रित' रही है। ग्राहकों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अत्यधिक सावधानी बरती है। लगातार ग्राहक संचार से सुनिश्चित किया गया कि एकीकरण से संबंधित कोई बड़ी ग्राहक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हम एक प्रगतिशील बैंक हैं और इन पहलों को लाने से बैंक का प्रदर्शन और बेहतर होगा।

संयुक्त इकाई ने न केवल बेहतर परिचालन लाभ दर्ज किया है, बल्कि वित्त वर्ष 2020-2021 में सकारात्मक लाभ की तरफ भी लौटी है। मैं आपके सामने वित्त वर्ष 2021 के लिए आपके बैंक के प्रदर्शन के मुख्य बिन्दु प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका विस्तृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

बैंक के मुख्य कार्यनिष्पादन

कारोबार

वित्त वर्ष 2021-21 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार बढ़कर ₹1686030 करोड़ हो गया, जिसमें वैश्विक जमा ₹1010875 करोड़ और वैश्विक अग्रिम बढ़कर ₹675155 करोड़ हो गया। ₹963306 करोड़ के घरेलू जमा और ₹652558 करोड़ के घरेलू अग्रिम के साथ घरेलू कारोबार बढ़कर ₹1615864 करोड़ हो गया।

केनरा गैलेक्सी, केनरा प्रिविलेज, एसबी पेरोल, एसबी पॉवरप्लस, केनरा जीवनधारा और एनआरआई खातों जैसे प्रमुख कासा उत्पादों पर जोर दिया गया ताकि कासा के तहत औसत शेष में सुधार किया जा सके।

नतीजतन, यथा मार्च 2020-21 तक कासा का हिस्सा बढ़कर 34.33% हो गया, जिसमें बचत जमा ₹281525 करोड़ और चालू जमा ₹49131 करोड़ रहा। मार्च 2021 तक खुदरा मीयादी जमा ठोस रूप से बढ़कर

RBS Wing, Associates and Subsidiaries Wing, Gold Loan Wing, Central Processing Wing and Cash Management & Stationery Wing.

Bank has also undertaken several initiatives for operational efficiency like centralizing and digitalizing the business process activities such as account opening through Central Processing Hubs monitored exclusively by Central Processing Wing, retail loan processing through RAH, KYC updation through CKYC app, forex transactions through CPCFT, Recovery Call Centre (RECC), analytics based Retail credit offers, tie-up arrangements with Fin-Tech & E-Commerce for lead generation and Document Management System to automate processes and promote paper-light banking.

Entire Migration of CBS to upgraded version 11.8 and Peripheral Applications (Internet Banking, Mobile Banking, UPI, CTS, Government Business Modules etc) completed in January 2021. The entire amalgamation exercise is 'customer centric'. Bank has taken extreme care to ensure minimum customer inconvenience. Constant customer communication ensured that no major customer grievances related to integration were reported. We are a progressive Bank and leveraging on these initiatives will further aid the performance of the Bank.

The combined entity has not only reported a much higher operating profit, but also returned to positive profit in FY 2020-21. I am placing before you the highlights of your Bank's performance for the year FY 2020-21, details of which have been given in the Annual Report.

KEY PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

During FY 2020-21, the global business of the Bank increased to ₹1686030 crore, with global deposits at ₹1010875 crore and global advances growing to ₹675155 crore. Domestic business increased to ₹1615864 crore with domestic deposits at ₹963306 crore and domestic advances at ₹652558 crore.

The thrust on premier CASA products, like Canara Galaxy, Canara Privilege, SB Payroll, SB Powerplus, Canara Jeevandhara and NRI accounts were given to improve the average balances under CASA.

Consequently, the CASA share improved to 34.33% as on March 2021 with savings deposits at ₹281525 crore and current deposits at ₹49131 crore. Retail Term deposit

₹420333 करोड़ हो गया। बैंक के पास लगभग 10.41 करोड़ का मजबूत जमा ग्राहक आधार है।

बैंक हमेशा एक संतुलित परिसंपत्ति मिश्रण बनाए रखता है जिसमें कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित अन्य खुदरा संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उल्लेखनीय है कि, इस वर्ष आपके बैंक का मुख्य खुदरा पोर्टफोलियो बढ़कर ₹115312 करोड़ हो गया, जिसमें आवास ऋण बढ़कर ₹64326 करोड़, वाहन ऋण बढ़कर ₹13713 करोड़ और शिक्षा ऋण बढ़कर ₹12439 करोड़ हो गया। मार्च 2021 तक उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या 1.01 करोड़ है।

यथा मार्च 2021 तक एमएसएमई को अग्रिम ₹108334 करोड़ रहा जिसमें एमएसई अग्रिम ₹94822 करोड़ था। इस खंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ने विशिष्ट क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न आवश्यकता आधारित योजनाएं और उत्पाद लॉन्च किए हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, बैंक की कुल आय बढ़कर ₹84525 करोड़ हो गई और गैर-ब्याज आय बढ़कर ₹15285 करोड़ हो गई। बैंक की जमा लागत घटकर 4.52% हो गई। निवल ब्याज आय यानी, बैंक द्वारा भुगतान किए गए ब्याज और अर्जित ब्याज के बीच का अंतर मार्च 2021 तक ₹24062 करोड़ था। इस वर्ष सकल एनपीए अनुपात 8.93% और निवल एनपीए 3.82% है। मार्च 2021 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) सुधरकर 79.68% हो गया।

महामारी वर्ष की चुनौतियों के बावजूद, बैंक ने ₹2558 करोड़ के निवल लाभ के साथ वित्त वर्ष 2020-21 में ₹20009 करोड़ का रिकॉर्ड परिचालन लाभ हासिल किया है। एनआईएम 2.75% और अग्रिम पर यील्ड 7.73% पर रहा। आपके बैंक के पास मार्च 2021 तक 10.875% की नियामक आवश्यकता के मुकाबले बेसल III के तहत 13.18% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ अनुकूल कैपिटल कुशनिंग है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने बेसल III के अनुपालन के साथ अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से ₹2936.10 करोड़ की पूंजी और क्यूआईपी के माध्यम से ₹2000 करोड़ की इक्विटी जुटाई है और इस तरह 31.03.2021 तक बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 69.33% है।

प्राथमिकता क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

आपका बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत, आपके बैंक ने निम्नानुसार अनिवार्य लक्ष्यों को विश्वसनीय रूप से प्राप्त किया है:

- ✓ कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 40% के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 44.14%

increased to robust ₹420333 crore as at March 2021. The Bank has a strong deposits clientele base of about 10.41 crore.

The Bank is always keen on maintaining a well-balanced asset mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on other retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans. Notable, this year your Bank's core retail portfolio increased to ₹115312 crore with Housing loans increasing to ₹64326 crore, vehicle loans increasing to ₹13713 crore and education loan growing to ₹12439 crore. The number of borrowal clientele is at 1.01 crore as at March 2021.

Advances to MSME stood at ₹108334 Crore with MSE advances of ₹94822 crore as at March 2021. In order to increase credit flow to this segment, in FY 2020-21 the Bank has launched various need-based schemes and products catering to the needs of specific segments.

FINANCIAL PERFORMANCE

For FY 2020-21, the total income of the Bank increased to ₹84525 crore and non-interest income increased to ₹15285 crore. The Bank's cost of deposits decreased to 4.52%. The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, stood at ₹24062 crore as at March 2021. The Gross NPA ratio is at 8.93% this year and Net NPA at 3.82%. Provision Coverage Ratio (PCR) improved to 79.68% as at March 2021.

Bank has achieved a record operating profit of ₹20009 crore in FY 2020-21 with net profit of ₹2558 crore, despite the challenges of a pandemic year. NIM stood at 2.75% and Yield on Advances at 7.73%. Your Bank has a comfortable capital cushioning with Capital Adequacy Ratio, under Basel III at 13.18% as at March 2021 against the regulatory requirement of 10.875%.

During the Financial Year 2020-21, Bank has raised capital via Basel III compliant additional Tier 1 Bond amounting to ₹2936.10 crore and equity through QIP of ₹2000 crore and thereby Government of India shareholding in the bank is 69.33% as on 31.03.2021.

PRIORITY SECTOR AND FINANCIAL INCLUSION

Your Bank is committed to reorienting its strategies to meet various goals under national priorities. Under various national priorities, your Bank has credibly achieved the mandated targets as follows:

- ✓ 44.14% of the adjusted net bank credit against 40% norm in total priority

- ✓ कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में 18% के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 18.56%
- ✓ छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने के 8% के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 11.23%
- ✓ कमजोर वर्ग को ऋण के 10% के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 17.66%

बैंक ने 19200 इकाइयों के साथ वित्त वर्ष 2020-21 में ₹48000 करोड़ की पीएसएलसी की बिक्री की है।

ये उपलब्धियां वास्तव में समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए आपके बैंक की प्रतिबद्धता और महामारी के कहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पुनरुद्धार में समर्थन को दर्शाती हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

संस्थापना सिद्धांतों और सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए, बैंक विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इस महामारी के समय में, बैंक कई स्थानों पर भोजन के पैकेट, किराने का सामान, चिकित्सा किट, कंबल और एम्बुलेंस वैन उपलब्ध करा रहा है। बैंक की सीएसआर पहल बहुविध हैं। अन्य केंद्रित गतिविधियाँ में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, मेधावी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति, दिव्यांगों की मदद, जरूरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, पेयजल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और समाज को गरीबी और संकट से ऊपर उठाने के लिए कई अन्य सामाजिक पहल शामिल हैं।

भविष्य की दिशा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों के व्यापक आधार पर सामान्यीकरण और केंद्र सरकार और आरबीआई से निरंतर नीतिगत समर्थन के साथ आर्थिक सुधार की उम्मीद के साथ आगे का दृष्टिकोण सकारात्मक है। बैंक ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और सभी नीतिगत पहल में सक्रिय रूप से भाग लेकर अर्थव्यवस्था के आर्थिक पुनरुद्धार में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक का प्रबंधन वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद मजबूत पूंजी आधार के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सभी कारोबार क्षेत्रों में संवर्धित विकास प्राप्त करने की दिशा में पूरी तरह आश्वस्त है। बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी संरक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों को हमारे प्रयासों में उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और प्रबंधन में उनके निर्देशों के लिए धन्यवाद देता हूँ।

- ✓ 18.56% of the adjusted net bank credit against 18% norm in lending to agriculture
- ✓ 11.23% of the adjusted net bank credit against 8% norm in lending to small and marginal farmers.
- ✓ 17.66% of the adjusted net bank credit against 10% norm in lending to weaker section.

The Bank has sold PSLC to the tune of ₹48000 crore in FY 2020-21 encompassing 19200 units.

These achievements indeed speak of your Bank's commitment to the inclusive nation building and supporting the revival of the critical sectors of the economy from the ravages of the pandemic.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Following the founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. In this pandemic time, Bank is providing food packets, groceries, medical kits, blankets and ambulance van at many places. CSR initiatives of the Bank are multifarious. Other focused activities are like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, help to differently-abled, providing of infrastructural facilities to needy educational institutes, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women, financial support for the welfare of Ex-servicemen and many other social initiatives to uplift the society from poverty and distress.

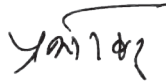
WAY FORWARD

The outlook for financial year 2021-22 is positive with expectation of economic recovery gaining momentum, particularly in the second half of the year, with broad based normalization of economic activity and continued policy support from the Central Government and the RBI. The Bank is committed to champion in meeting all financial needs of the customers and contribute to economic revival of the economy by proactively participating in all policy initiatives.

The Bank's management is highly confident about achieving augmented growth across all business segments by leveraging the digital technology with robust capital base in financial year 2021-22 and beyond. Bank will continue its focus on asset quality and capital conservation.

I would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and

मैं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी समय-समय पर उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हम आपके निरंतर सहयोग, समर्थन और सद्भावना की आशा करते हैं।



एल.वी. प्रभाकर

दिनांक: 28.06.2021 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

inputs to the management in our endeavors. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment. We look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead for scaling newer heights.



L.V. Prabhakar

Managing Director & CEO

Date: 28.06.2021

केनरा बैंक Canara Bank 

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

 सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021

विषयवस्तु

1. नोटिस	3
2. प्रगति की एक झलक	27
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2020-2021	28
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	30
• कारोबार निष्पादन	35
• वित्तीय निष्पादन	36
• वित्तीय समावेशन	50
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	77
• सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	79
4. कारोबार दायित्व रिपोर्ट	85
5. कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	112
• निदेशकों की गैर-अनर्हता का प्रमाण पत्र	150
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र	153
7. मुख्य पदों, कार्यपालक प्रमुखों और महाप्रबंधकों / मुख्य महाप्रबंधकों की सूची - यथा 31.03.2021	154
8. एकल वित्तीय विवरण	
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	162
• असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	177
• सीईओ / सीएफओ प्रमाणन-सेबी सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यक (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17 (8)	178
• तुलन पत्र	180
• लाभ व हानि लेखा	181
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	182
• लाभ व हानि लेखा का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	190
• लेखांकन नीतियाँ	192
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	203
• स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन	272
• नकद प्रवाह विवरण	274
9. समेकित वित्तीय विवरण	
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	279
• असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	291
• सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 का विनियम 17 (8)	292
• समेकित तुलन पत्र	294
• समेकित लाभ व हानि लेखा	295
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	296
• समेकित लाभ व हानि लेखा का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	303
• लेखांकन नीतियाँ	305
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	319
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	341
10. लाभांश वितरण नीति	344
11. हरित पहल - शेयरधारकों से अपील	349

ANNUAL REPORT 2020-2021

CONTENTS

1. NOTICE	3
2. PROGRESS AT A GLANCE	27
3. DIRECTORS' REPORT 2020-2021	28
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	30
• BUSINESS PERFORMANCE	35
• FINANCIAL PERFORMANCE	36
• FINANCIAL INCLUSION	50
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	77
• SECRETARIAL AUDIT REPORT	79
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	85
5. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE	112
• CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS	151
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	153
7. LIST OF KEY POSITIONS, FUNCTIONAL HEADS & CHIEF GENERAL MANAGER / GENERAL MANAGER AS ON 31.03.2021	155
8. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	162
• DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION	177
• CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015	178
• BALANCE SHEET	180
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	181
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	182
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	190
• ACCOUNTING POLICIES	192
• NOTES ON ACCOUNTS	203
• PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES	273
• CASH FLOW STATEMENT	274
9. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	279
• DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION	291
• CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015	292
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	294
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	295
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	296
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	303
• ACCOUNTING POLICIES	305
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	320
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	341
10. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY	344
11. GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS	350

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक, **वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा मंगलवार, 3 अगस्त 2021 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वर्ष समापन 31 मार्च, 2021 हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन-पत्र व लेखा पर लेखा व ऑडिटर की रिपोर्ट द्वारा प्रावर्तित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना।

2. बैंक की इक्विटी पूंजी जुटाना

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि" बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("**आरबीआई**"), भारत सरकार ("**जीओआई**"), भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड ("**सेबी**") और / या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 यथा तारीख तक अद्यतन (आई सी डी आर विनियमावली), दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीबद्धता करार के अधीन, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद

NOTICE

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Tuesday, the 3rd August, 2021 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing / Audio Visual Means**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2021, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. Raising of Equity Capital of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed

"निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या इसके आगे गठित की जाने वाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का आबंटन और / या प्रतिस्पर्धी आधार पर और कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियां जो ईक्विटी में परिवर्तित होने में सक्षम हैं या नहीं, जिनकी कुल राशि ₹2500.00 करोड़ से अधिक न हो (रुपये दो हजार पांच सौ करोड़ मात्र), ऐसे प्रीमियम को सम्मिलित करने सहित, जो ईक्विटी शेयरों पर ऐसे अवसर या समय पर तय किए जा सकते हैं, जैसे कि कीमत या कीमतों में, छूट पर या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता ईक्विटी पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक शेयरधारक, ईएसपीएस के माध्यम से बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा यथा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधारण इश्यू, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीके के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)

to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and/or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, for an aggregate amount not exceeding ₹2500.00 Crore (Rupees Two Thousand Five Hundred Crore only), inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank by way of ESPS, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity /preference shares / securities of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer

अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2018 (“आईसीडीआर विनियमावली”) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और यथा लागू अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवसर या समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू कानून, नियम, विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान शेयरधारक हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जो आई सी डी आर नियमावली के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार यथा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं इस संबंध में यथा अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों (वारंटों) को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन

of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and / or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital

के अनुसरण में (जैसा कि आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय VI में परिभाषित है) स्थान **नियोजन दस्तावेज और / या ऐसे अन्य दस्तावेजों / प्रलेखों / परिपत्रों / ज्ञापनों के माध्यम से** और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय प्रचलित आईसीडीआर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईपी) (जैसा कि आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय VI में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूँजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय VI के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय VI के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

ख) बैंक आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से अधिक न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि आईसीडीआर विनियमावली के अनुसार होगी।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा यथा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी संस्थागत निवेशकों और / या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जैसा कि लागू हो, किंतु अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए इक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों

of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, **through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda** and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and / or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares

के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूतियों को आबंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु बोर्ड एतद्वारा प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों का वर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, शेयरधारकों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, अग्रणी प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा यथा नियुक्त अग्रणी प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (प्रीमियम यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण / अधिपत्रों का प्रयोग / प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की किश्त दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा / प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की

of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue / conversion of Securities/ exercise of warrants / redemption of Securities, rate of

दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख का नियतन या बही समापन तथा संबंधित या प्रसंगिक मामले, ईक्विटी शेयरों / अधिमानी शेयरों की संख्या या प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन या मोचन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, प्रतिभूतियों को जारी संपरिवर्तनों के संबंध में मूल्य, प्रीमियम या छूट, भारत में और या विदेश में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा यथा अनुमत है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों का निर्वाह करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों का निर्वाह करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन मांगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / कों या निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

3. बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से **₹18495.30 करोड़ (रुपये अठारह हजार चार सौ पचास करोड़ और तीस लाख मात्र)** की संचित हानियों का विनियोग।

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3(2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2) के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना), साथ ही कोई भी वैधानिक संशोधन या उसके

interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue / conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director / (s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

3. Appropriation of accumulated losses of **₹18495.30 Crore (Rupees Eighteen Thousand Four Hundred Ninety-Five Crore and Thirty Lakh only)** from Share Premium Account of the Bank.

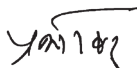
To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme), including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of

बाद पुनः अधिनियमन और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकरणों के अनुमोदन के अधीन, जो इस संबंध में आवश्यक हो, बैंक के शेयरधारकों की सहमति समंजन (सेट ऑफ) की तिथि को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा शेष राशि का उपयोग करके यथा 31.03.2021 को बैंक के ₹18495.30 करोड़ (रुपये अठारह हजार चार सौ पचास करोड़ और तीस लाख मात्र) के संचित नुकसान को समंजन (सेट ऑफ) करने और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त को खाते में दर्ज करने के लिए प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड या बोर्ड की समिति उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए एतद्वारा अधिकृत है जो वह अपने पूर्ण विवेक पर संकल्प को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या शंकाओं का समाधान करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



एल वी प्रभाकर

स्थान : बेंगलूरु

तिथि : 28.06.2021

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of ₹18495.30 Crore (Rupees Eighteen Thousand Four Hundred Ninety Five Crore and Thirty Lakh only) as at 31.03.2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2021-22.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

By Order of the Board of Directors



L V PRABHAKAR

MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru

Date : 28.06.2021

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 और 3 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिए गए हैं।

2. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉक डाउन स्थिति तथा सामाजिक दूरी के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंध को देखते हुए, एमसीए (वाणिज्यिक मामले मंत्रालय) ने परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के माध्यम से कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए अपनी सामान्य वार्षिक बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग/ ओवीएम के माध्यम से करने की अनुमति दी है इसके अलावा, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से, एमसीए ने इन छूटों को वर्ष 2021 (यानी, 31 दिसंबर, 2021 तक) में देय कंपनियों की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) तक बढ़ा दिया है। सेबी ने एमसीए द्वारा जारी पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुरूप, सूचीबद्ध संस्थाओं को अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 के माध्यम से छूट प्रदान की और छूट को अपने परिपत्र, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक "ई-एजीएम" कहे जाने के बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी 19वीं एजीएम आयोजित कर रहा है।

बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा ई-वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन के लिए प्रतिभागियों को सक्षम करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है। बैंक का प्रधान कार्यालय, बैठक का स्थान माना जाएगा।

3. वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / ऑडियो विजुअल माध्यम (एवीएम) के द्वारा ई-वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए अनुदेश

क) वीसी / एवीएम पहले आओ पहले पाओ (फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व) के आधार पर कम से कम 1000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देगा।

ख) बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक की शेयरधारिता), प्रायोजकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 and 3 of the Notice is given separately.

2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the prevailing lock down situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide Circular Nos. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, permitted companies to hold their AGM through VC/OVAM for the calendar year 2020. Further, vide General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, MCA extended these relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies due in the year 2021 (i.e., till December 31, 2021). SEBI also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and extended the relaxations till December 31, 2021 vide its circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021. Pursuant to the said guidelines, Bank is conducting its 19th AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM. The Head Office of the Bank shall be the deemed venue for the meeting.

3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/AUDIO VISUAL MEANS (AVM)

a) The VC/AVM would allow participation of at least 1000 shareholders on first come first serve basis.

b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors,

कार्मिकों तथा लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों के संबंध में ई-वार्षिक सामान्य बैठक में फीफो के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- ग) बैठक के कोरम की संख्या का पता लगाने के लिए ई-वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।
- घ) सदस्य बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तथा बाद ई-वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं।
- ङ) शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग विवरण का उपयोग करके शेयरधारकों के लॉगिन के तहत <https://evoting.kfintech.com/> पर वीसी अभिगम सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारकों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां घटना और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- च) हितधारक किसी भी सहायता के लिए evoting@kfintech.com पर आरटीए / तकनीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मर्दानों पर पूछताछ:

बैठक के दौरान जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे <https://evoting.kfintech.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं और "अपनी प्रश्न पोस्ट करें" पर क्लिक कर और नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उल्लेख करके प्रदान की गई विंडो में अपने प्रश्न/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" विंडो 30 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे आईएसटी से 2 अगस्त 2021 को शाम 5 बजे आईएसटी तक सक्रिय होगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक के प्रश्नों / विचारों / प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब शेयरधारक निर्धारित तिथि, अर्थात् 27 जुलाई 2021 तक शेयरों को धारण करेंगे।

बैठक में जो शेयरधारक बोलना चाहते हैं, उन्हें कैमरे की अनुमति देनी होगी और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सुगम गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी पोर्टल में दिए गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पूर्व रूप से रिकॉर्ड और अपलोड भी कर सकते हैं।

Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

- c) The attendance of shareholders attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the Meeting.
- d) The shareholders can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.
- e) The shareholders may access the VC at <https://evoting.kfintech.com/> under shareholders login by using the remote evoting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholders login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- f) The stakeholders may contact RTA / Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS:

The shareholders who would like to express their views / ask questions during the meeting may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Post your Queries" and post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from 10 a.m. IST on 30th July 2021 till 5 p.m. IST on 2nd August 2021.

Please note that, shareholder's queries / views / questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 27th July 2021.

Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration".

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरण या टैबलेट से या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो कमी का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थायी वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और सवाल उठाने के इच्छुक शेयरधारक, <https://evoting.kfintech.com/> में लॉग-इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। स्क्रीन पर संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान वापस बुलाने के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वे केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए लॉग-इन करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे।

जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रश्न हैं, वे अपने प्रश्न 29 जुलाई, 2021 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) के पहले भेज सकते हैं, जिसमें उनका नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर hosecretarial@canarabank.com पर उल्लेख किया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा ईमेल के माध्यम से उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

5. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

प्रतिनिधि को एक शेयरधारक जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, की ओर से सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को बंद किया गया है, इसलिए प्रतिनिधि की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा इस बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक संकल्प की एक प्रति उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करती, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति प्रमाणित किया जाना है, जिस पर यह पारित किया गया था कि उसे बैंक के प्रधान कार्यालय को वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि के कम से

Please note that Participants Connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at <https://evoting.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.

The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance on or before 29th July, 2021 (5.00 p.m. IST) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at hosecretarial@canarabank.com. These queries will be replied by the Bank suitably by email.

5. APPOINTMENT OF PROXY:

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC/AVM, where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for this meeting.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the

कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को शाम 5:00 बजे तक बैंक के बंद होने के समय पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

7. शेयर अंतरणकर्ता एजेंट के साथ संपर्क:

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32

गचीबौली, वित्तीय जिला, नानकुरामगुडा

हैदराबाद-500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।
विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन / ईमेल आईडी सूचित करें।

8. लाभांश का भुगतान / बही खाता को बंद करना:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक ने कोई लाभांश का भुगतान नहीं दिया है।

केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक के संबंध में, शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बुधवार, 28 जुलाई, 2021 से मंगलवार 3 अगस्त, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

9. फोलियो का समेकन:

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधि का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2013-14 से 2014-15 और 2016-17 तक, उनसे अनुरोध

Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 28th July, 2021 by 5:00 p.m.

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Private Limited

Unit : Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD - 500 032

Further, the shareholders are advised to inform / register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. PAYMENT OF DIVIDEND / CLOSURE OF BOOKS:

Bank has not paid any dividend for the Financial Year 2020-21.

Pursuant to Regulation 12 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Wednesday, the 28th July, 2021 to Tuesday, the 3rd August, 2021 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIO:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate KFin Technologies Private Limited, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2013-14, 2014-15 &

है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

hosecretarial@canarabank.com पर शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक से संपर्क करके दावा करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए बैंक ने अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण अपनी वेबसाइट www.canarabank.com पर पोस्ट किया है।

केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के समायोजन की योजना 2020 का अनुसरण करते हुए बैंक ने अनुमोदित शेयर विनिमय अनुपात (सिंडिकेट बैंक के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयर के लिए केनरा बैंक के 158 इक्विटी शेयर) के अनुसार 01.04.2020 को सिंडिकेट बैंक के पात्र शेयरधारकों को 42,32,68,155 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। किसी शेयरधारक ने समामेलन से पूर्व सिंडिकेट बैंक द्वारा घोषित अपने लाभांश के लिए दावा नहीं किया है तो, हमारे शेयर अंतरण एजेंट / या hosecretarial@canarabank.com पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी / 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। बैंक वर्ष 2013-14 के लिए समामेलित बैंक की अदावाकृत / अप्रदत्त अंतिम लाभांश राशि को लागू प्रावधानों के अनुसार उक्त निधि में अंतरित करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, आईईपीएफ को वर्ष 2013-14 के लिए अवैतनिक अंतिम लाभांश राशि का हस्तांतरण निम्नलिखित तिथियों पर होता है:

- ई-सिंडिकेट बैंक के लिए : 27.07.2021
(अब केनरा बैंक)
- केनरा बैंक के लिए : 21.08.2021

11. वार्षिक रिपोर्ट:

बैंक के शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि प्रचलित कोविड-19 महामारी को देखते हुए और एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों 02/2021, 20/2020, 17/2020 और 14/2020 सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 और सेबी/एचओ/सीएफडी सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 के अनुपालन में बैंक, शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति को बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड किया गया है।

2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants, updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site, i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Pursuant to Scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank Scheme, 2020, the Bank allotted 42,32,68,155 equity shares to the eligible shareholders of Syndicate Bank on 01.04.2020, as per the approved share exchange ratio (158 equity shares of Canara Bank for every 1000 equity shares of Syndicate Bank). Any shareholder who has not claimed their dividend declared by E-Syndicate Bank, pre-amalgamation may also contact our Share Transfer Agent / or Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed/ Unpaid Final Dividend amount of amalgamated Bank for the year 2013-14 to the said fund as per applicable provisions. Accordingly, the transfer of unpaid final dividend amount for the year 2013-14 to IEPF falls due on following dates:

- For E-Syndicate Bank : 27.07.2021
(Now Canara Bank)
- For Canara Bank : 21.08.2021

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders of the Bank may please note that in view of Prevailing Covid-19 Pandemic and in compliance with the Circulars 02/2021, 20/2020, 17/2020, 14/2020, SEBI Circulars SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download

शेयरधारक, वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड व ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com, <https://evoting.kfintech.com/> में भी देखा जा सकता है।

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

13. ई-वोटिंग {सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में एस. एन. अनंतसुब्रमनियन व कंपनी, कंपनी सचिवालय की नियुक्ति की है।

शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों को उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए अंतिम तारीख मंगलवार, 27 जुलाई 2021 तक इक्विटी शेयरों पर रखा जाएगा। भौतिक या विमुद्रित रूप में शेयर धारित करने वाले बैंक के शेयरधारक, अंतिम तारीख को, नोटिस की कार्यसूची मद पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-मतदान के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

क. ई-मतदान के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करता <https://evoting.kfintech.com>

ख. लॉगिन विवरण प्रविष्ट करें

आपका फोलियो न. / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपका प्रयोक्ता आईडी होगा। पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ग. जिनका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है उनके लिए लॉगिन विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:

शेयरधारक जिन्होंने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम

the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Private Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com, and <https://evoting.kfintech.com/> respectively.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to the shareholders of the Bank through KFin Technologies Private Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

The Bank has appointed S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-Voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Tuesday, the 27th July, 2021 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

The instructions for e-Voting are as under:

a. To use the following URL for e-voting: <https://evoting.kfintech.com>

b. Enter the login credentials

Your Folio No./DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered email ID.

c. Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose email addresses are not registered:

Shareholders who have not registered their email address and in consequence the Annual Report,

और ई-वोटिंग नोटिस की सूचना सेवित नहीं की जा सकी है, उसे भेजने के लिए अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नम्बर लिंक : <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक करते हुए केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी रजिस्ट्रार/ शेयर अंतरण एजेंट को प्रदान किए गए को प्राप्त करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोटिस और ई-मतदान निर्देशों के साथ-साथ प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भेजने के लिए ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर लिखें।

वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम का नोटिस तथा ई-मतदान अनुदेश प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रूप से शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, स्व-सत्यापित पैन प्रति तथा ग्राहक मास्टर प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रतिलिपि तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

- घ. उचित रूप से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- ड. आप पासवर्ड बदलने के मेनू तक पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिसमें एक बड़ा अक्षर (ए-जेड), एक छोटा अक्षर (ए-जेड), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष अक्षर शामिल होगा। पहले लॉगिन पर सिस्टम आपसे पासवर्ड बदलने तथा संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ईमेल आदि अद्यतन करने के लिए निर्देश देगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का गुप्त प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। दृढ़ता से यह अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- च. आपको नए विवरण के साथ दोबारा लॉगिन करना आवश्यक है।
- छ. सफल लॉगिन पर सिस्टम आपको आयोजन का चयन करने का निर्देश देगा, जैसे, केनरा बैंक।
- ज. कार्यसूची मद 1, 2 व 3 के लिए: मतदान पृष्ठ पर अंतिम तिथि (27 जुलाई 2021) तक शेयरधारक द्वारा धारित अनुसार शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मद के प्रस्तावों के लिए सभी मतों को असहमति / असहमति देने की इच्छा रखते हैं, तो सभी शेयरों में प्रविष्ट करें और मामले के अनुसार

Notice of e-AGM and e-voting notice could not be served. may temporarily get their email address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively shareholder may send an e-mail request at the email ID einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., Canara Bank.
- h. **FOR THE AGENDA ITEMS 1, 2 & 3 :** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (27th July, 2021) will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the

"के लिए" / "के विरुद्ध" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरह से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी भी संख्या में आंशिक रूप से "के लिए" में और आंशिक रूप से "के विरुद्ध" प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन "के लिए / के विरुद्ध" दोनों की साथ में ली गई कुल संख्या आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि यहां उल्लेखित है। यदि आप मतदान से बचना चाहते हैं तो आप "बचना" विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "के लिए" या "के विरुद्ध" इंगित नहीं करते हैं, तो इसे "बचना" के रूप में माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। पुष्टि करने के लिए ओके और संशोधन के लिए "रद्द करें" पर क्लिक करें। पुष्टि करने के बाद आपको मत में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक इन प्रस्तावों पर मतदान करने तक जितना बार चाहें लॉगिन कर सकते हैं।

झ. कई फोलियो / डीमैट अकाउंट रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

तथापि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (2ई) (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में, भारत सरकार के अलावा किसी भी हिस्सेदार को बैंक के कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

ज. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को ई-मेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से समीक्षक को वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ताओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है।

ट. एक बार जब आप एक संकल्प पर अपना मत देते हैं, तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

ठ. रिमोट ई-मतदान अवधि:

मतदान के लिए पोर्टल **शुक्रवार, 30 जुलाई 2021 को प्रातः 09:00 बजे से सोमवार, 2 अगस्त 2021 को शाम 5:00 बजे तक** (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) खुला रहेगा तथा आरटीए उसके बाद ई-मतदान प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

ड. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या 1800 309 4001 (टोल फ्री नं.) पर केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में श्री एस वी राजु से संपर्क करें।

ढ. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR/AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.

However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

j. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net

k. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

l. Remote e-Voting Period:

The Portal will remain open for voting from: **09.00 a.m. IST Friday, the 30th July, 2021 to 5.00 p.m. IST on Monday, the 2nd August, 2021 (both days inclusive)** and RTA will disable the e-voting platform thereafter.

m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S V Raju of KFin Technologies Private Limited at 1800 309 4001 (toll free).

n. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

ण. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग के तहत अपना वोट डालने के बाद आप वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान को संशोधित या मतदान नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और यदि कोई चर्चा हो तो उसमें भाग ले सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से दूरस्थ ई-मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) करने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा संबंधी सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपनी मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी के विवरण को अद्यतन करें।

o. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. आईडीएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए: - यूआरएल: https://eservices.nsdl.com 'आईडीएस' सेक्शन के अंतर्गत "बेनीफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। - नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "ई-वोटिंग एक्सेस" पर क्लिक करें। - कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर चले जाएंगे।	1. वैसे मौजूदा उपयोगकर्ता, जिन्होंने ईजी /ईजीएस्ट विकल्प को चुना है। - यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com - नई प्रणाली "मायसी" पर क्लिक करें। - यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। - बगैर किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। - अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. आईडीएस ई-सेवाओं हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए - पंजीकरण करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com "आईडीएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" का चयन करें। - आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें। वैकल्पिक रूप से, - पंजीकरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें।	2. ईजी/ईजीएस्ट हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए: - पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। - आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें।
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। - स्क्रीन पर दिखाई गई उपयोगकर्ता आईडी {(यूजर आईडी) (यानी एनएसडीएल का 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या)}, पासवर्ड/ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करें। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर चले जाएंगे, जहां पर आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। - कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर चले जाएंगे।	3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर यूआरएल: www.cdslindia.com - डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रस्तुत करें। - प्रणाली, डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल संख्या और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को अधिप्रमाणित करेगा। - सफल अधिप्रमाणीकरण के पश्चात, जहां ई-वोटिंग चल रहा है, वहाँ के लिए, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे।

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: • URL: https://eservices.nsdl.com • Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. • On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" • Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest • URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com • Click on New System Myeasi • Login with User ID and Password. • Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. • Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services • To register click on link : https://eservices.nsdl.com • Select "Register Online for IDeAS" • Proceed with completing the required fields. Alternatively, • To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Proceed with completing the required fields.	2. User not registered for Easi/Easiest • Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration • Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL • URL: https://www.evoting.nsdl.com/ • Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. • Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. • Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. • Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	3. By visiting the e-Voting website of CDSL • URL: www.cdslindia.com • Provide demat Account Number and PAN No. • System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. • After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी, सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क इस प्रकार है।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

लॉगिन के प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे दूरभाष संख्या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे टोल फ्री संख्या: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते की लॉगिन पहचान (क्रेडेंशियल) का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलपूर्वक लॉगिन होने के पश्चात, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। जैसे ही आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, आप सफल अधिप्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर चले जाएंगे, जहां आप ई-वोटिंग विशेषता (व्यवस्था) को देख सकते हैं। इसके बाद, कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।

14. बैठक के दौरान ई-मतदान प्रणाली:

केवल वे शेयरधारक जो ई-एजीएम में मौजूद हैं और जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान दिए गए अनुदेशों का पालन करते हुए वीसी/एवीएम में लॉगिन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com/> पर क्लिक करते हुए मतदान कर सकते हैं।

15. वोटिंग / मतदान में जांचकर्ता

मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक

The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

14. E –VOTING SYSTEM DURING THE MEETING:

Only those shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote

की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

16. रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के परिणाम

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणाम दो कार्य दिनों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित किए जाएंगे और इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य:

- 31 मार्च 2021 को बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी ₹1646.73 करोड़ और बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.18% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.875% से अधिक है। हालांकि, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं, बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के मद्देनजर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- बैंक ने अपनी 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 10.08.2020 को आयोजित की थी, जिसमें अहर्ताप्राप्त संस्थागत नियोजन सहित विभिन्न मोड के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) के इक्विटी शेयरों के नये इश्यू के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। बैंक ने लागू प्रावधानों के अनुसार पात्र योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए ₹103.50 प्रति शेयर (₹93.50 के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर ₹10 प्रत्येक के 19,32,36,714 इक्विटी शेयरों को जारी करके 11.12.2020 को ₹2000 करोड़ तक की कुल राशि जुटाई।
- चूंकि 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक में प्राप्त संकल्पों की वैधता अहर्ताप्राप्त संस्थागत नियोजन के लिए एक वर्ष तक सीमित है, बैंक की टियर I पूंजी के संबंध में, बैंक के निदेशक मंडल ने फॉलो-ऑन इश्यू, राइट इश्यू, सरकारी और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिमार्ग मुद्दे, योग्य संस्थागत नियोजन और पूंजी बढ़ाने के अन्य अनुमत माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों से ₹2500 करोड़ (प्रीमियम सहित) की सीमा तक पूंजी बढ़ाने का फैसला किया है।
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। तथापि, केन्द्र सरकार हमेशा बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा।

EVOTING and e-voting in respect of all the agenda items of the meeting.

16. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Private Limited.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO.2 OF THE NOTICE:

- The current Equity Capital of the Bank is ₹1646.73 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2021 is 13.18%, which is well above the 10.875% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
- The Bank had at its 18th AGM held on 10.08.2020 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of up to ₹5,000 Crore (including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement. The Bank raised an amount aggregating up to ₹2000 Crores on 11.12.2020 by issue of 19,32,36,714 equity shares of ₹10 each at an issue price of ₹103.50 per share (including premium of ₹93.50) to eligible qualified institutional buyers, in accordance with the applicable provisions.
- As the validity of the resolutions obtained in the 18th AGM is restricted to one year for QIPs, in order to shore the Bank's Tier I capital, the Board of Directors of the Bank have decided to raise Capital to the extent of ₹2500 Crores (including premium) through various modes including Follow-on Issue, Rights Issue, Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement and other permitted mode of raising capital.
- The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

5. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह प्रावधान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।

6. यह संकल्प, बैंक को सार्वजनिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार/ भा.रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर/ अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भा.रि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को सशक्त करने में सक्षम करेगा।

7. यह संकल्प आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत नियोजन करने हेतु निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।

आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI के अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती हैं, जिसका मूल्य “प्रासंगिक तिथि” के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। “प्रासंगिक तिथि” का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, अग्रणी प्रबंधकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेंगी।

9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों) का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व

5. The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow on public issue, rights issue and / or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the “Relevant Date”. “Relevant Date” shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations,

समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति के अनुसार होगा

- उपर्युक्त कारणों हेतु, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में समर्थनकारी संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।
- आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी रैंक में समरूप हैं।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प से कोई हित या संबंध नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि हो तो।

नोटिस की मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य:

- दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार **₹18495.30 करोड़ (रुपये अठारह हजार चार सौ पंचानवे करोड़ और तीस लाख मात्र)** की संचित हानियों को प्रतितुलन की तारीख को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध जमा शेष राशि का उपयोग करके समायोजित करने का प्रस्ताव किया है और शेयर प्रीमियम खाता तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम हो जाएगा।
- बैंक का विचार है कि यह वर्तमान परिदृश्य में बैंक के लिए उपलब्ध व्यावहारिक और आर्थिक रूप से कुशल विकल्प है ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होगा जिससे शेयरधारकों को लाभ होगा क्योंकि उनकी होल्डिंग से बेहतर मूल्य मिलेगा और उचित समय सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के रूप में बैंक के शेयरधारकों के लाभ के अवसरों का पता लगाने के लिए बैंक को सक्षम बनाता है। यह प्रस्ताव अपनी प्रतिवर्तन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से बैंक को बेहतर स्थिति प्रदान करेगा।
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 किसी भी चुकता पूंजी, जो खो गयी है या उपलब्ध परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, को रद्द करके अपनी चुकता

2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

- For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO.3 OF THE NOTICE:

- The Bank proposes to set off the accumulated losses of **₹18495.30 Crore (Rupees Eighteen Thousand Four Hundred Ninety Five Crore and Thirty Lakh only)** as at 31.03.2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and the share premium account will accordingly stand reduced during the current financial year 2021-22.
- The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.
- The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.
- The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available

पूंजी को कम करने का प्रावधान करता है, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के रूप में (राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2020) द्वारा संशोधित एक राष्ट्रीयकृत बैंक को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 में संदर्भित चुकता पूंजी की कमी के लिए समान प्रक्रिया का पालन करके अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि को विनियोजित करने की अनुमति देता है।

5. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 21 के अनुसार बैंक, अधिनियम की धारा 3 (2बीबीए) में निर्दिष्ट चुकता पूंजी में कमी के लिए समान प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि का विनियोग कर सकता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) के अनुसार, बैंक समय-समय पर सार्वजनिक निर्गम या अधिभार निर्गम या बोनस शेयर जारी करके या अधिमानी आबंटन या वोट के हकदार शेयरधारकों की सामान्य बैठक में पारित संकल्प द्वारा, निजी स्थानन (प्लेसमेंट) के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से मतदान करके, या जहां पर प्रॉक्सी अनुमत है, वहाँ प्रॉक्सी द्वारा, और संकल्प के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या, यदि कोई हो, जो इस तरह के हकदार और मतदान करने के पात्र शेयरधारकों द्वारा संकल्प के प्रति किए गए मतदान के कम से कम तीन गुना होने पर बैंक किसी भी चुकता पूंजी को जुटाने के बाद किसी भी तरह से इसकी चुकता पूंजी को कम कर सकती है।
6. चूंकि संचित हानियों को समायोजित करने के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजी में कमी माना जाएगा, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसार एक विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।
7. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) में प्रावधान है कि जहां बैंक किसी राशि या शेयर प्रीमियम खाते से राशि का विनियोग करता है, वह इस तरह के विनियोग की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रिजर्व बैंक को इस तथ्य को इस तरह के विनियोग से संबंधित परिस्थितियों की व्याख्या सहित रिपोर्ट करेगा। बैंक निर्धारित समयावधि के भीतर इस आवश्यकता का अनुपालन करेगा। आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/132 डीबीओडी. बीपी.बीसी.सं.31/21.04.018/2006-007 दिनांक 20 सितंबर 2006, के अनुसार; सांविधिक आरक्षित निधियों या किसी अन्य आरक्षित निधि से विनियोग किए जाने से पहले

assets and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended by (Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020) allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

5. In terms of Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank may appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in Section 3 (2BBA) of the Act. Further, in terms of Section 3(2BBA) of the Act, the Bank may, from time to time and after any paid-up capital has been raised by public issue or rights issue or by issue of bonus shares or preferential allotment or private placement by resolution passed at the general meeting of shareholders entitled to vote, voting in person, or where proxies are allowed, by proxy, and the votes cast in favour of the resolution are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by the shareholders so entitled and voting, reduce its paidup capital in any way.
6. As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
7. Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. In terms of RBI Circular No. RBI/2006-07/132; DBOD. BP.BC.No.31/21.04.018/2006-007 dated September 20, 2006, prior approval of Reserve Bank of India is required before appropriation is made from the

भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। बैंक उक्त स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

8. शेयर प्रीमियम खाते में कमी जिसमें लाभ और हानि खाते में डेबिट बैलेंस का सेट ऑफ शामिल है, शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करके बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी प्रतिफल का निर्वहन नहीं किया जाता है तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न अपरिवर्तित रहेगा। शेयरों का बुक वैल्यू भी अपरिवर्तित रहेगा।

क्रम संख्या.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते में कटौती से पहले		शेयर प्रीमियम खाते में कटौती के बाद	
1	प्रवर्तक की होल्डिंग : भा.स.	1141709678	69.33	1141709678	69.33
2	गैर-प्रवर्तक की होल्डिंग: सार्वजनिक	505028542	30.67	505028542	30.67
	कुल	1646738220	100	1646738220	100

9. शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। 18 मई 2021 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने बैंक और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के लिए उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

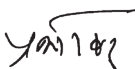
बैंक की संचित हानियों का प्रस्तावित समंजन विशेष संकल्प के संदर्भ में सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प से कोई हित या संबंध नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि हो तो।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



एल वी प्रभाकर

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बंगलूरु
तिथि : 28.06.2021

statutory reserves or any other Reserves. The Bank is in the process of obtaining the said approval.

8. The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Sl. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
1	Promoter's Holding: GOI	1141709678	69.33	1141709678	69.33
2	Non-Promoter Holding: Public	505028542	30.67	505028542	30.67
	Total	1646738220	100	1646738220	100

9. The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected. The Board of Directors at its meeting held on 18th May 2021 have approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its Shareholders.

The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors



L V PRABHAKAR

MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 28.06.2021

प्रगति एक नजर में / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹ in Crore)

मापदंड / Parameters	2018-19*	2019-20*	2020-21
घरेलू शाखाओं की संख्या / Number of Domestic Branches	6310	6329	10416
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	8851	8850	13452
चुकता पूंजी / Paid-up Capital	753	1030	1647
आरक्षित निधियां / Reserves	35424	38263	57238
सकल जमा / Aggregate Deposits	599033	625351	1010875
अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits	37246	39694	49931
विदेशी कारोबार टर्नओवर / Foreign Business Turnover	257078	293425	164437
सकल अग्रिम / Gross Advances	444216	451223	675155
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	71185	79800	115312
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	197013	203029	304803
कृषि अग्रिम / Agriculture Advances	90543	96043	156058
कृषि अग्रिम (संवितरण) / Agriculture Advances (Disbursal)	76384	84891	136978
एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances	85168	78773	108334
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	101	101	96
अ.जा./अ.ज.जा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	8190	8284	14175
निर्यात ऋण / Export Credit	11089	7826	8819
कुल आय / Total Income	53385	56748	84525
कुल व्यय / Total Expenditure	42794	47388	64516
परिचालन लाभ / Operating Profit	10591	9360	20009
निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss	347	(2236)	2558
कर्मचारियों की कुल संख्या / Total Number of Staff	58350	58632	88213
अपलिखित खातों सहित संचयी नकद वसूली / Cumulative Cash Recovery including written off accounts	10355	10886	10918
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	11.90	13.65	13.18
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात / Gross NPA Ratio	8.83	8.21	8.93
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात / Net NPA Ratio	5.37	4.22	3.82
आस्तियों पर औसतन प्रतिलाभ / Return on Average Assets	0.06	(0.32)	0.23
इक्विटी पर प्रतिलाभ / Return on Equity	1.40	(8.05)	6.71
बही मूल्य / Book Value	348	281	241.78
निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.63	2.29	2.75

* ये आंकड़े समामेलन-पूर्व अवधि के एकल केनरा बैंक वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, अतः 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन पश्चात वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

* Figures are related to standalone Canara Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021



Together We Can

निदेशकों की रिपोर्ट

2020-2021

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट: 2020-21

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 52वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

बैंक के वित्तीय निष्पादन का स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-20*	मार्च-21
वैश्विक कारोबार	625351	1010875
जिनमें से देशी जमा	601664	963306
विदेशी जमा	23687	47569
देशी जमा	601664	963306
चालू खाता जमा	26458	49131
बचत बैंक जमा	169749	281525
कासा जमा	196207	330656
देशी कासा में से देशी जमा (%)	32.59	34.33
वैश्विक अग्रिम	451223	675155
जिनमें से देशी अग्रिम	426684	652558
विदेशी अग्रिम	24539	22597
कुल आस्तियाँ	723875	1153675
निवल ब्याज आय (एन आई आई)	13124	24062
अन्य आय	7813	15285
जिनमें से शुल्क आय	2685	5243
विदेशी विनिमय आय	1115	1882
व्यापार लाभ	758	3316
अपलिखित खातों से वसूली	1470	3032
एन आई आई + अन्य आय	20937	39347
परिचालन व्यय	11577	19338
परिचालन लाभ	9360	20009
प्रावधान	11596	17452
जिनमें से - एनपीए एवं अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान	10655	14168
कर पूर्व लाभ	(1756)	3708
कर के लिए प्रावधान	480	1150
निवल लाभ	(2236)	2558

*आंकड़े, पूर्व-समामेलन अवधि के लिए एकल केनरा बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं, इसलिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सामामेलन के बाद के वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं है।

DIRECTORS' REPORT: 2020-21

The Board of Directors have pleasure in presenting the 52nd Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2021 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2021.

A snapshot of Bank's financial performance is given below:

(₹ in Crore)

Particulars	Mar-20*	Mar-21
Global Deposits	625351	1010875
of which - Domestic Deposits	601664	963306
Overseas Deposits	23687	47569
Domestic Deposits	601664	963306
Current Account Deposits	26458	49131
Savings Bank Deposits	169749	281525
CASA Deposits	196207	330656
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	32.59	34.33
Global Advances	451223	675155
of which - Domestic Advances	426684	652558
Overseas Advances	24539	22597
Total Assets	723875	1153675
Net Interest Income (NII)	13124	24062
Other Income	7813	15285
of which - Fee Income	2685	5243
Forex Income	1115	1882
Trading Gains	758	3316
Recovery from written off accounts	1470	3032
NII + Other Income	20937	39347
Operating Expenses	11577	19338
Operating Profit	9360	20009
Provisions	11596	17452
of which - Provisions for NPAs & Bad debts written off	10655	14168
Profit Before Tax	(1756)	3708
Provision for Tax	480	1150
Net Profit	(2236)	2558

*Figures are related to standalone Canara Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021.

यथा मार्च 2021 को देशी कारोबार जो बढ़कर ₹1615864 करोड़ हुआ, पर विशेष जोर के साथ बैंक का वैश्विक कारोबार बढ़कर गया ₹1686030 करोड़ हो गया। बचत खाता जमा ₹281525 करोड़ और चालू खाता जमा ₹49131 करोड़ के साथ देशी कासा जमा बढ़कर ₹330656 करोड़ हो गई। इस प्रकार, यथा मार्च 2021 को देशी कासा में 34.33% का सुधार दर्ज हुआ।

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता की निगरानी, नियंत्रण और रख-रखाव के संबंध में विभिन्न कदम उठाए। यथा 31 मार्च 2021 को बैंक की सकल अनर्जक आस्ति 8.93% रही और निवल अनर्जक आस्ति 3.82% रही। बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली सहित संचयी नकद वसूली ₹10918 करोड़ रही। इसके अलावा, प्रावधान कवरेज अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़कर 79.68% हो गया है। 13.18% का स्वस्थ सीआरएआर, यह सूचित करता है कि बैंक आने वाली तिमाहियों में मूलभूत विकास के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक का परिचालन लाभ ₹20009 करोड़ और निवल लाभ ₹2558 करोड़ रहा।

लाभांश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश भुगतान के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण बैंक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं है।

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक आर्थिक उत्पादन, कोविड-19 से उत्पन्न पतन से उबर रहा है, हालांकि यह लंबे समय तक पूर्व-महामारी प्रवृत्तियों से नीचे रहेगा। महामारी ने वैश्विक ऋण संचय की एक दशक लंबी लहर से जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है। यह अगले दशक में संभावित विकास में लंबे समय से अपेक्षित मंदी को भी तेज करने की संभावना है।

नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमानों के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2021 कैलेंडर वर्ष में 6% वर्ष-दर-वर्ष बढ़ने की उम्मीद है और महामारी की शुरुआत से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण 2020 में वर्ष-दर-वर्ष 3.3% से सकुचन के बाद 2022 में वर्ष-दर-वर्ष 4.4% तक मध्यम रहने की उम्मीद है। वैश्विक विकास का अनुमान, कुछेक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय प्रोत्साहन, विशेष रूप से 2021 कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही में टीकाकरण के व्यापक रोलआउट और कमज़ोर गतिशीलता के लिए आर्थिक गतिविधियों के निरंतर अनुकूलन के आधार पर गतिमान है।

चिकित्सा हस्तक्षेपों तक पहुंच, नीति समर्थन की प्रभावशीलता, क्रॉस-कंट्री स्पिल-ओवर के जोखिमों और संरचनात्मक विशेषताओं के संकट से ग्रस्त होने के आधार पर, देशों में पुनरुत्थान की ताकत में काफी भिन्नता होने का अनुमान है।

The global business of the Bank increased to ₹1686030 crore, with specific thrust on domestic business which grew to ₹1615864 crore as at March 2021. Domestic CASA deposits surged to ₹330656 crore with Savings Account deposits of ₹281525 crore and Current Account deposits of ₹49131 crore. Thus, domestic CASA improved to 34.33% as at March 2021.

Bank took various steps in respect of monitoring, control and maintaining asset quality. As on 31st March 2021, the Gross NPA of the Bank is at 8.93% and Net NPA is at 3.82%. Cumulative Cash recovery including recovery in written off accounts stood at ₹10918 crore. Further the provision coverage ratio has improved to 79.68% compared to last year. The healthy CRAR of 13.18% highlights that the Bank is well cushioned for an organic growth in the coming quarters. In FY 2020-21, operating profit of the Bank stood at ₹20009 crore and net profit at ₹2558 crore.

Dividend

Bank is not eligible to pay dividend for the Financial Year 2020-21 on account of not meeting the eligibility criteria as stipulated by RBI for this purpose.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL ECONOMY

Global economic output is recovering from the collapse triggered by COVID-19, although it will remain below pre-pandemic trends for a prolonged period. The pandemic has exacerbated the risks associated with a decade-long wave of global debt accumulation. It is also likely to steepen the long-expected slowdown in potential growth over the next decade.

As per the latest International Monetary Fund (IMF) estimates, the world economy is expected to grow by 6% y-o-y in 2021 Calendar Year and moderate to 4.4% y-o-y in 2022 after contracting by 3.3% y-o-y in 2020 on account of economic disruptions ensued from onset of the pandemic. The global growth projection is on the back of fiscal stimulus in few large economies, wider rollout of vaccination, particularly in the second half of 2021 Calendar year and continued adaptation of economic activity to subdued mobility.

The strength of the recovery is projected to vary significantly across countries, depending on access to medical interventions, effectiveness of policy support, exposure to cross-country spill-overs, and structural characteristics entering the crisis.

भारतीय अर्थव्यवस्था

मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी की आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व व्यवधान के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में 7.3% की कमी दर्ज हुई। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और व्यावसायिक गतिविधियों में परिणामी गतिरोध के कारण वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में दो परिणामी संकुचन हुए। सहायक वित्तीय और मौद्रिक नीतियों और लॉकडाउन मानदंडों में धीरे-धीरे ढील दिए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही से विकास की गति में तेजी आने लगी। तथापि, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर ने भारत को फिर से प्रभावित किया है, अधिकांश राज्यों में स्थानीय तालाबंदी लागू थी, जिससे वित्त वर्ष 2021-22 में वसूली की गति धीमी होने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने विकास संबंधी अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था।

महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असमान स्वरूप का था। जबकि कृषि क्षेत्र महामारी की स्थिति में लचीला रहा, सेवा क्षेत्र, संपर्क गहन होने के फलस्वरूप गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकारी नीति के बल पर विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में मामूली सुधार दर्शाया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमा और ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक के तिमाही आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) मार्च 2021 में घटकर 5.6% हो गई है, जबकि एक साल पहले यह 6.4% थी, और कुल जमा वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष), एक साल पहले के 9.5% की तुलना में बढ़कर मार्च 2021 में 12.3% हुई।

हालांकि, दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव पिछले साल के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की तुलना में कम गंभीर होने की उम्मीद है क्योंकि लॉकडाउन का स्वरूप स्थानीयकृत है और देश भर में उत्पादन और टीकाकरण में तेजी आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अच्छी फसल और 2021 के लिए सामान्य मानसून के पूर्वानुमान की संभावनाओं को देखते हुए ग्रामीण मांग में लचीलापन रहने की संभावना है। सेवा क्षेत्र, संपर्क गहन होने के कारण, देश में आर्थिक गतिविधियों के व्यापक सामान्यीकरण तक मंद रह सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में खपत की मांग में तेजी आने की उम्मीद है, विशेष रूप से वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में।

आगे बढ़ते हुए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत बाहरी मांग से समर्थन के साथ टीकाकरण अभियान में तेजी, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़ोतरी की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में आर्थिक विकास

INDIAN ECONOMY

The domestic economy contracted by 7.3% in FY 2020-21 due to the unprecedented disruption in economic activity of the COVID-19 pandemic since March 2020. The nationwide lockdown and consequent standstill in business activities led to two consequent contractions in GDP growth rate in H1FY21. Growth momentum started picking up from Q2FY21 onwards on the back of supportive fiscal & monetary policies and gradual easing of lockdown norms. However, as the second wave of the pandemic has again effected India, local lockdowns were in place in most of the states which is expected to slow down the recovery momentum in FY 2021-22. Keeping this in view, RBI has downgraded its growth projection for FY 2021-22 to 9.5% in its latest Monetary Policy Committee (MPC) statement from 10.5% as projected earlier.

The impact of the pandemic was disproportional across different sectors of the economy. While agricultural sector remained resilient in the face of the pandemic, services sector, being contact intensive was severely impacted. Manufacturing and construction sectors showed modest improvement in H2FY21 on the back of Government policy thrust on infrastructure development.

According to RBI's quarterly statistics on Deposits and Credit of SCBs, the Scheduled Commercial Banks (SCBs) credit growth (y-o-y) has decelerated to 5.6% in March 2021 as compared to 6.4% a year earlier, and aggregate deposits growth (y-o-y) accelerated to 12.3% in March 2021 from 9.5% a year ago.

However, the economic impact of the second wave is expected to be less severe as compared to the nationwide lockdown last year as lockdowns are localised in nature and there is acceleration in production and roll out of vaccination across the country. Rural demand is likely to remain resilient in view of good harvest and the prospects of a near normal monsoon forecast for 2021 by the India Meteorological Department. Services sector, being contact intensive, may remain subdued till broader normalisation of economic activities in the country. Industrial sector is expected to pick up pace with consumption demand gaining pace, particularly in H2FY22.

Going forward, GDP growth is expected to pick up pace with acceleration in vaccination drive, strengthening of healthcare infrastructure with support from a strengthening external demand in the global economy. Economic growth momentum is expected to strengthen

की गति मजबूत होने की उम्मीद है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार व्यापक होता जा रहा है, बशर्ते कि कोविड का प्रसार नियंत्रण में हो।

कोविड-19 महामारी के लिए प्रमुख नीतिगत प्रतिक्रिया

मार्च 2020 से महामारी की शुरुआत के बाद से, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने महामारी के प्रभाव को रोकने और अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता, पर्याप्त प्रणालीगत तरलता और ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई पारंपरिक और अपरंपरागत नीतिगत संबंधी उपायों के माध्यम से तेजी से कार्य किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से पॉलिसी रेपो दर को 115 बीपीएस से घटाकर 4.00% कर दिया है और नकद आरक्षित निधि (सीआरआर) की आवश्यकताओं को 100 बीपीएस घटाकर निवल माँग व मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.0% कर दिया है और अब इसे निवल माँग व मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4 प्रतिशत के अपने पूर्व-महामारी स्तर पर 22 मई, 2021 से प्रभावी बहाल किया गया है। अन्य उपायों में तरलता प्रावरण अनुपात (एलसीआर) की आवश्यकता को आसान बनाने के साथ-साथ सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार में 2% वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से बढ़ाकर 3% और ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ), जिसमें दीर्घावधि रेपो ऑपरेशन (एलटीआरओ), विशिष्ट क्षेत्रों से उद्दिष्ट ऑन-टैप टीएलटीआरओ, आपाती (इमरजेंसी) क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों के कार्यान्वयन को स्थगित करना और शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) शामिल हैं।

कोविड-19 के परिणाम के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं का समर्थन करने की आवश्यकता को देखते हुए, एमएसएमई को किसी आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के बिना ऋणों की एकबारगी पुनर्संरचना की योजना को विस्तारित किया गया था, जहां 1 मार्च, 2020 को उधारकर्ता का खाता 'मानक आस्ति' था और बैंकों व एनबीएफसी का कुल एक्सपोजर ₹25 करोड़ से अधिक नहीं था। कुछ शर्तों के अधीन, ऋणों की पुनर्संरचना को 31 मार्च, 2021 तक लागू किया जाना था। हाल ही की मौद्रिक नीति में समाधान ढांचा 2.0 लागू किया गया, जिसमें कुछ शर्तों के अधीन सीमा को ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया।

महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर उभरती आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बैंक ने 5 मई 2021 को अपनी अनिर्धारित विशेष घोषणा में अतिरिक्त उपायों की घोषणा की है, जिसमें आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ की सावधि तरलता सुविधा, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ) और एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए बैंकों को छूट और व्यक्तियों, छोटे

in the second half of FY 2021-22 with recovery in economic activity becoming broader based across the different sectors of the economy, provided Covid spread is under check.

KEY POLICY RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

Since the onset of the pandemic from March 2020 onwards, RBI and Central Govt. of India have acted swiftly through a number of conventional and unconventional policy measures to contain the impact of the pandemic and ensuring financial stability, sufficient systemic liquidity and flow of credit to priority sectors of the economy.

RBI has reduced the policy repo rate by 115 bps to 4.00% since the start of the lockdown in 2020 and reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) requirements by 100 bps to 3.0% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) which has now been restored to its pre-pandemic level of 4% of NDTL, effective May 22, 2021. Other measures are increase in marginal standing facility (MSF) borrowing from 2% of statutory liquidity ratio (SLR) to 3% and Open Market Operations (OMOs) including long term repo operations (LTROs), on-tap TLTROs aimed at specific sectors, Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) and postponement of implementation of prudential norms such as the capital conservation buffer (CCB) and the net stable funding ratio (NSFR), along with easing of liquidity coverage ratio (LCR) requirement.

In view of the need to support viable MSME entities on account of the fallout of COVID-19, the scheme of one-time restructuring of loans to MSMEs without an asset classification downgrade, was extended where the borrower's account was a 'standard asset' as on March 1, 2020 and the aggregate exposure of banks and NBFCs was not more than ₹25 crore. The restructuring had to be implemented by March 31, 2021, subject to certain conditions. The resolution framework 2.0 was introduced in recent monetary policy with enhancement of limit from ₹25 crore to ₹50 crore, subject to certain conditions.

Keeping in view the emerging economic conditions in the wake of the second wave of the pandemic, the central Bank has announced additional measures in its unscheduled special announcement on 5th May 2021 including term liquidity facility of ₹50,000 crore to ease access to emergency health services, Special Long-Term Repo Operations (SLTRO) for Small Finance Banks (SFBs)

व्यवसायों और एमएसएमई की कोविड संबंधित तनावग्रस्त आस्तियों के लिए समाधान ढांचे में छूट शामिल हैं। इसके अलावा, एमपीसी की जून 2021 की बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक ने संपर्क गहन सेवा क्षेत्र के लिए ₹15,000 करोड़ की ऑन-टैप तरलता खिड़की और सिडबी को ₹16,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है।

वित्त वर्ष 2020-21 में, केंद्र सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति भी देखी गई, जैसे कि ₹20 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर भारत योजना, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज और उधारकर्ताओं पर तनाव को कम करने के लिए 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ऋण की किश्तों पर आधिस्थगन की सुविधा मुहैया कराना। 1 फरवरी, 2021 को घोषित वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, आवास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया है। अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कई अन्य पहल के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹5.54 लाख करोड़, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹2.23 लाख करोड़, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के लिए ₹20,000 करोड़, एमएसएमई के लिए ₹15,700 करोड़ और किरायायती आवास परियोजनाओं के लिए आयकर कटौती के साथ-साथ प्रमुख बजट परिव्यय प्रदान किया गया है।

कोविड-19 महामारी के समय बैंक द्वारा उठाए गए कदम

वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परिचालन (ऑपरेटिंग) मॉडलों के संदर्भ में, भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020-21 में एक आमूलचूल बदलाव आया। बैंकों को ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए महामारी प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पुनर्गणना तेजी से करनी पड़ी।

एक ज़िम्मेदार संगठन के रूप में केनरा बैंक ने ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उच्च प्राथमिकता के तौर पर आवश्यक उपाय कर कोविड-19 दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन किया।

इस संबंध में, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों और हेल्प डेस्क को प्रधान कार्यालय / अंचल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्थापित किया गया है, व्यापार निरंतरता योजना के एक हिस्से के रूप में काम के घंटे / रोटेशन / वर्क फ्रम होम का अनुसरण किया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती के मामले में, जहां कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं है, ₹1 लाख की तत्काल सहायता और स्वीकार्य बीमा सीमा से ऊपर किए गए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए एक महीने के सकल वेतन तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध प्रदान किया जा रहा है।

and exemption to banks for extending credit to MSME borrowers and relaxation in resolution framework for COVID related stressed assets of individuals, small businesses and MSMEs. Further, in its June 2021 meeting of MPC, RBI has announced on-tap liquidity window of ₹15,000 crore for contact intensive services sector and a special liquidity facility of ₹16,000 crore to SIDBI.

FY 2020-21 also witnessed expansionary fiscal policy of the Central Government like ₹20 lakh crore Aatmanirbhar Bharat yojana, special package for MSME and agricultural sector and moratorium on loan instalments from 1st March 2020 to 31st August 2020 to reduce stress on borrowers. The Union Budget for FY 2021-22 as announced on 1st February, 2021 has given a thrust on infrastructure, healthcare, agriculture, housing and the rural economy. Major budget outlays have been provided for infrastructure development with allocation of ₹5.54 lakh crore, ₹2.23 lakh crore for development of health infrastructure, ₹20,000 crore for recapitalisation of PSBs, ₹15,700 crore for MSMEs and income tax deductions for affordable housing projects along with many other initiatives to support economy.

STEPS TAKEN BY THE BANK AMID COVID-19 PANDEMIC

Banking sector in India underwent a paradigm shift in FY 2020-21, in terms of operating models in the wake of the COVID-19 pandemic since March 2020. Banks had to swiftly recalibrate their business processes to the pandemic protocols and restrictions to provide uninterrupted service to the customers while ensuring safety of both customers and employees.

Canara Bank as a responsible organization discharged the duties duly following the Covid-19 guidelines by taking required measures and taking it as utmost priority to safeguard the health of the customers as well as the employees.

In this regard, quick response teams and help desks have been setup at HO / CO / RO level, staggered working hours / rotation / work from home is being practiced as a part of Business continuity plan, immediate assistance of ₹1 lakh in case of hospitalization where cashless facility not available and interest free loan up to one month gross salary to meet medical expenses incurred, over and above the permissible insurance limit is being provided.

बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा और उचित चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न होटलों के साथ गठजोड़ कर टीकाकरण शिविर और संगरोध (क्वारांटाइन) सुविधाओं की भी व्यवस्था कर रहा है।

ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल चैनलों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है और घर-घर बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ व्यापार प्रतिनिधियों की सेवाओं को आगे बढ़ाया गया है।

बैंक ने सुनिश्चित किया कि उसके सभी वैकल्पिक वितरण चैनल निर्बाध रूप से काम करें। इसके अलावा, महामारी संकट की तीव्रता को देखते हुए, बैंक ने परिचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। बैंक के पास एक आपदा बहाली (डिजास्टर रिकवरी) साइट है जो सीबीएस और बैंक के अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम है। किसी अप्रत्याशित कारण से डाटा सेंटर बंद होने की स्थिति में, बैंक आपदा बहाली साइट से कार्य करेगा।

महामारी के वित्तीय प्रभाव का विवरण, लेखा संबंधी टिप्पणी खंड में दिया गया है। विवरण के अनुसार, आगे चलकर, बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वर्ष 2020-21 के लिए दृष्टिकोण

महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर आर्थिक सुधार प्रक्रिया में मंदी को देखते हुए, विकास का दृष्टिकोण निकट अवधि के लिए कमजोर है और मध्यम अवधि के लिए स्थिर है। राज्यों में स्थानीयकृत लॉकडाउन मानदंड में ढील, आर्थिक गतिविधियों के व्यापक सामान्यीकरण और टीकाकरण प्रक्रिया के व्यापक रोलआउट के साथ आर्थिक विकास की गति वित्त वर्ष 2022 के दूसरे अर्ध वर्ष में तेज होने की उम्मीद है। आने वाले वर्ष में राजकोषीय और मौद्रिक नीति समर्थन विकास के लिए सहायक बना रहेगा। आर्थिक सुधार के साथ-साथ ऋण वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है।

बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हुए सुगम वसूली का मार्ग सुनिश्चित करता आ रहा है। आने वाले वर्षों में बेहतर निष्पादन के प्रयासों में बैंक थोक जमा पर सजगतापूर्वक निर्भरता को कम करते हुए, कासा जमा पर जोर दिया है। बैंक खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्रेडिट के उचित मिश्रण के साथ संतुलित अग्रिम पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने एमएसएमई संविभाग (सेगमेंट) के ऋणों को पूरा समर्थन के साथ शत प्रतिशत गारंटी प्रदान की है। तीव्र ऋण निगरानी, नई स्लिपेज को नियंत्रित कर व मजबूत वसूली प्रयासों के साथ बैंक एनपीए प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है। बदलती

Bank is also arranging vaccination camps and quarantine facilities in tie-up with various hotels for the safety and proper medical care of the employees.

Digital channels have been used effectively to make the banking services available to the customers and services of Business Correspondents was stepped up along with doorstep banking services.

The Bank ensured that all its alternate delivery channels work uninterrupted. Further, foreseeing the depth of pandemic crisis, the Bank has taken all precautionary initiatives to ensure continuity in operations. The Bank has a Disaster Recovery site which is capable of handling the CBS and other functions of the Bank. In case of closure of Data Centre due to any unforeseen reasons, Bank will function from the Disaster Recovery Site.

The details of the financial impact of the pandemic are provided in the Notes on Account Section. As per the detailing, going forward, there would not be any significant impact on the Bank's financials.

OUTLOOK FOR 2021-22

Given the slowdown in economic recovery process in the wake of the second wave of the pandemic, the growth outlook is subdued for the near term and stable for the medium term. The economic growth momentum is expected to pick up in the H2FY22 with easing of localised lockdown norm across the states, expected broader normalization of economic activities and with wider rollout of vaccination process. The fiscal and monetary policy support will remain growth supportive in the coming year. The credit growth is expected to pick up in tandem with economic recovery.

The banking sector continues to serve as the backbone of the economy ensuring smooth recovery path. To strive for better performance in the coming years, the Bank gives thrust on shoring up of CASA while consciously reducing the reliance on bulk deposits. The Bank focuses on balanced advance portfolio with proper mix of retail, agriculture, MSME and corporate credit. The Bank has provided hundred per cent guaranteed MSME lending to give unrelenting support to this segment in tandem with government guidelines. The Bank takes adequate efforts for NPA management with ardent credit monitoring, contain fresh slippages and strengthen recovery efforts.

आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए बैंक प्रक्रिया और उत्पाद सुधार के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। आगामी वर्षों में बैंक, दक्षता और उत्पादकता को अधिकतम बढ़ाने के लिए समामेलन का लाभ उठाने के लिए तत्पर है।

केनरा बैंक 2020-21 में

केनरा बैंक महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में लचीला बना हुआ है और मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सभी व्यावसायिक मापदंडों में अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में ₹1010 करोड़ के निवल लाभ में तिमाही-दर-तिमाही में 45% की उल्लेखनीय वृद्धि और पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹2558 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है। बैंक ने अपने प्रमुख क्षेत्रों अर्थात्-संतुलित विकास, इष्टतम संसाधन जुटाना, मजबूत शुल्क आय, कृषि, आवास और अन्य खुदरा क्षेत्रों सहित खुदरा आस्तियों का विस्तार और आस्ति की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में मजबूत विकास हासिल किया है।

कारोबार निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार ₹1686030 करोड़, वैश्विक जमा राशि ₹1010875 करोड़ और वैश्विक अग्रिम ₹675155 करोड़ दर्ज हुआ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यवसाय वृद्धि परिदृश्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-20*	मार्च-21
वैश्विक जमा	625351	1010875
इनमें से घरेलू जमा	601664	963306
विदेशी जमा	23687	47569
घरेलू जमा	601664	963306
चालू खाता जमा	26458	49131
बचत खाता जमा	169749	281525
कासा जमा	196207	330656
घरेलू कासा के लिए घरेलू जमा (%)	32.59	34.33
वैश्विक अग्रिम	451223	675155
इनमें - देशी अग्रिम	426684	652558
समुद्रपारीय अग्रिम	24539	22597
कुल आस्तियां	723875	1153675

*पूर्व-समामेलन अवधि के लिए एकल केनरा बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित आंकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद के वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

The Bank will continue to strive for process and product improvements in view of changing requirements and circumstances. In the coming years, the Bank looks forward for leveraging amalgamation benefits for maximizing the efficiency and productivity.

CANARA BANK IN 2020-21

Canara Bank has remained resilient through the challenging times of the pandemic and has recorded good performance across all business parameters for the financial year ending March 2021. The Bank has achieved record 45% q-o-q growth in net profit to ₹1010 crore in Q4FY21 and ₹2558 crore for the full FY 2020-21. The Bank has achieved robust growth in its major thrust areas, viz. balanced growth, optimal resource mobilization, robust fee income, expanding retail assets, including Agriculture, Housing and other retail segments, and improving asset quality.

BUSINESS PERFORMANCE

During FY 2020-21, the global business of the Bank stood at ₹1686030 crore with global deposits at ₹1010875 crore and global advances at ₹675155 crore.

A snapshot of business growth in FY 2020-21

(₹ in Crore)

Particulars	Mar-20*	Mar-21
Global Deposits	625351	1010875
of which - Domestic Deposits	601664	963306
Overseas Deposits	23687	47569
Domestic Deposits	601664	963306
Current Account Deposits	26458	49131
Savings Bank Deposits	169749	281525
CASA Deposits	196207	330656
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	32.59	34.33
Global Advances	451223	675155
of which - Domestic Advances	426684	652558
Overseas Advances	24539	22597
Total Assets	723875	1153675

*Figures are related to standalone Canara Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021.

जमा

यथा मार्च 2020 तक कुल जमा ₹1010875 करोड़ रही। यथा मार्च 2021 को बैंक की चालू और बचत खाता (कासा) जमा राशि ₹330656 करोड़ हो गई जिसमें बचत जमा ₹281525 करोड़ और चालू खाता जमा ₹49131 करोड़ है। बैंक की देशी जमा के मुकाबले देशी चालू और बचत खाता (कासा) जमा 34.33% रही।

कासा के तहत औसत शेष राशि में सुधार करने के लिए प्रमुख कासा उत्पादों जैसे-केनरा गैलेक्सी, केनरा प्रिविलेज, केनरा पेरोल, एसबी पॉवर प्लस और एनआरआई खातों पर ध्यान दिया गया। यथा 31 मार्च 2021 तक बैंक का कुल जमा ग्राहक 10.41 करोड़ हो गए।

अग्रिम

बैंक ने अपने आस्ति आधार का विस्तार अच्छी तरह विविधतापूर्ण तरीके से किया है, जिसमें कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्र शामिल हैं और अन्य खुदरा आस्तियों सहित आवास, शिक्षा और वाहन ऋण खंड पर ध्यान केन्द्रित रखा।

बैंक का अग्रिम (सकल) यथा मार्च 2021 तक ₹675155 करोड़ पर पहुंचा। यथा मार्च 2021 तक उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या 1.01 करोड़ हो गई। यथा मार्च 2021 तक बैंक का कुल कारोबार बढ़कर ₹1686030 करोड़ हो गया।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2020-21 हेतु बैंक का परिचालन लाभ ₹20009 करोड़ रहा। बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹2558 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। बैंक की शुद्ध ब्याज आय ₹24062 करोड़ रही। एनआईएम 2.75% रहा और अग्रिमों पर प्रतिफल 7.73% रहा।

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च-20*	मार्च-21
निधियों पर लागत	5.12	4.09
निधियों पर प्रतिफल	6.99	6.26
जमा पर लागत	5.57	4.52
अग्रिम पर प्रतिफल	8.18	7.73
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.29	2.75
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	(0.32)	0.23
ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)	(8.05)	6.71
आय अनुपात पर लागत	55.30	49.15

* पूर्व-समामेलन अवधि के लिए एकल / समेकित केनरा बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित आंकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सामामेलन के बाद के वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

Deposits

Total Deposits stood at ₹1010875 crore as on March 2021. Domestic CASA deposits of the Bank is at ₹330656 crore as on March 2021 with Savings deposits at ₹281525 crore and Current deposits at ₹49131 crore. The Bank's domestic CASA deposits share to domestic deposits stood at 34.33%.

The focus on premier CASA products, like, Canara Galaxy, Canara Privilege, Canara Payroll, SB Powerplus and NRI accounts were given to improve the average balances under CASA. Total deposit clientele of the Bank stood at 10.41 crore as at 31st March, 2021.

Advances

The Bank expanded its asset base in a well-diversified manner encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on other retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans.

Advances (Gross) of the Bank reached ₹675155 crore as at March 2021. The number of borrowal clientele stood at 1.01 crore as at March 2021. Total business of the Bank increased to ₹1686030 crore for the year ended March 2021.

FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank stood at ₹20009 crore for FY 2020-21. Bank reported a net Profit of ₹2558 crore for FY 2020-21. Net Interest income of the Bank stood at ₹24062 crore. NIM stood at 2.75% and Yield on Advances at 7.73%.

Key Financial Ratios (%)	Mar-20*	Mar-21
Cost of Funds	5.12	4.09
Yield on Funds	6.99	6.26
Cost of Deposits	5.57	4.52
Yield on Advances	8.18	7.73
Net Interest Margin (NIM)	2.29	2.75
Return on Assets (RoA)	(0.32)	0.23
Return on Equity (RoE)	(8.05)	6.71
Cost to Income Ratio	55.30	49.15

* Figures relating to standalone / consolidated Canara Bank financial results for pre-amalgamation period are not comparable with post-amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021.

आय और व्यय विश्लेषण

वर्ष के दौरान, कुल आय ₹ 84525 करोड़ रही, जिसमें अग्रिमों से ब्याज ₹50405 करोड़, निवेशों से ब्याज ₹16859 करोड़, गैर-ब्याजी आय से ₹15285 करोड़ और अन्य ब्याज आय से ₹1976 करोड़ शामिल हैं।

बैंक का परिचालनात्मक प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च-20*	मार्च-21
अर्जित ब्याज	48935	69240
व्यय किया ब्याज	35811	45178
कुल ब्याज आय (एनआईआई)	13124	24062
अन्य आय	7813	15285
जिसमें - शुल्क आय	2685	5243
विदेशी मुद्रा आय	1115	1882
ट्रेडिंग लाभ	758	3316
अपलिखित खातों से वसूली	1470	3032
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	20937	39347
परिचालन व्यय	11577	19338
कर्मचारी व्यय	7134	12690
अन्य परिचालन व्यय	4443	6648
परिचालन लाभ	9360	20009
प्रावधान	11596	17451
जिसमें - एनपीए के प्रावधान व बट्टे खाते डाले गये अशोध्य ऋण	10655	14167
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	379	1
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	(278)	427
आय कर के लिए प्रावधान	480	1150
अन्य प्रावधान	359	1706
कर देने से पूर्व लाभ	(1756)	3708
कर के लिए प्रावधान	480	1150
शुद्ध लाभ	(2236)	2558

*पूर्व-समामेलन अवधि के लिए एकल / समेकित केनरा बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित आंकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद के वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

Income and Expenditure Analysis

During the year, total income is at ₹84525 crore, comprising ₹50405 crore interest from advances, ₹16859 crore interest from investments, ₹15285 crore from non-interest income and ₹1976 crore from other interest income.

Operating performance of the Bank

(₹ in Crore)

Key Financial Ratios (%)	Mar-20*	Mar-21
Interest Earned	48935	69240
Interest Expended	35811	45178
Net Interest Income (NII)	13124	24062
Other Income	7813	15285
of which - Fee Income	2685	5243
Forex Income	1115	1882
Trading Gains	758	3316
Recovery from Written Off Account	1470	3032
Operating Income (NII + Other Income)	20937	39347
Operating Expenses	11577	19338
Employee Expenses	7134	12690
Other Operating Expenses	4443	6648
Operating Profit	9360	20009
Provisions	11596	17451
of which - Provisions for NPAs & Bad debts written off	10655	14167
Provision for Standard Advances	379	1
Provision for Depreciation on Investment	(278)	427
Provision for Income Tax	480	1150
Other Provisions	359	1706
Profit Before Tax	(1756)	3708
Provision for Tax	480	1150
Net Profit	(2236)	2558

*Figures relating to standalone / consolidated Canara Bank financial results for pre-amalgamation period are not comparable with post-amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021.

बैंक के महत्व वाले क्षेत्रों के अनुरूप, गैर-ब्याजी आय (ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर) ₹11969 करोड़ रही। व्यापार लाभ के अतिरिक्त, अन्य प्रमुख गैर-ब्याजी आय जैसे-सेवा शुल्क (₹2806 करोड़), कमीशन तथा विनिमय (₹1146 करोड़), बट्टे खाते डाले गये खातों से वसूली (₹3032 करोड़) तथा विनिमय लेनदेन से लाभ (₹1882 करोड़) ने बैंक की गैर-ब्याजी आय में योगदान दिया। कुल आय में गैर-ब्याजी आय का हिस्सा 18.08% था।

वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक का कुल खर्च 64516 करोड़ रुपये रहा। बैंक का ब्याज व्यय ₹45178 करोड़ रहा। परिचालन व्यय ₹19338 करोड़ हो गया, जिसमें कर्मचारियों की लागत ₹12690 करोड़ और अन्य परिचालन व्यय ₹6648 करोड़ है।

ब्याज दरों में कमी के कारण, बैंक की जमा राशि के प्रति लागत 4.52% हो गई। शुद्ध ब्याज आय, बैंक द्वारा अर्जित ब्याज और प्रदत्त ब्याज के बीच का अंतर ₹24062 करोड़ रहा।

पूंजी तथा आरक्षित निधि

यथा मार्च 2021 को बैंक की शुद्ध संपत्ति, ₹39814.26 करोड़ थी। जबकि बैंक की कुल चुकता पूंजी ₹1646.74 करोड़ थी, आरक्षित निधि और अधिशेष ₹57238.19 करोड़ रहा।

पूंजी की संरचना (₹ करोड़ में)	मार्च 2020* बेसल III	मार्च 2021 बेसल III
जोखिम भारित अस्तियां	360906	530012
सीईटी I	33881	45624
सीईटी I (%)	9.39%	8.61%
एटी I	2648	7813
एटी I (%)	0.73%	1.47%
टियर I पूंजी	36529	53437
सीआरएआर (%) (टियर I)	10.12%	10.08%
टियर II पूंजी	12727	16407
सीआरएआर (%) (टियर II)	3.53%	3.10%
कुल पूंजी	49257	69844
सीआरएआर (%)	13.65%	13.18%

*पूर्व-समामेलन अवधि के लिए एकल / समेकित केनरा बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित आंकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद के वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) is at ₹11969 crore. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, service charges (₹2806 crore), commission and exchange (₹1146 crore), recovery from written off accounts (₹3032 crore) and profit from exchange transaction (₹1882 crore) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income stood at 18.08%.

Total expenditure of the Bank stood at ₹64516 crore in FY 2020-21. Interest expenses of the Bank is at ₹45178 crore. Operating expenses is at ₹19338 crore, comprising staff cost of ₹12690 crore and other operating expenses of ₹6648 crore.

Due to the decrease in interest rates, the Bank's cost of deposits is at 4.52%. The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, is at ₹24062 crore.

Capital and Reserves

Networth of the Bank, as at March 2021 stood at ₹39814.26 crore. While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹1646.74 crore, the reserves and surplus at ₹57238.19 crore.

Composition of Capital (₹ in Crore)	March 2020* Basel III	March 2021 Basel III
Risk Weighted Asset	360906	530012
CET I	33881	45624
CET I (%)	9.39%	8.61%
AT I	2648	7813
AT I (%)	0.73%	1.47%
Tier I Capital	36529	53437
CRAR (%) (Tier I)	10.12%	10.08%
Tier II Capital	12727	16407
CRAR (%) (Tier II)	3.53%	3.10%
Total Capital	49257	69844
CRAR (%)	13.65%	13.18%

*Figures relating to standalone / consolidated Canara Bank financial results for pre-amalgamation period are not comparable with post-amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021.

यथा मार्च 2021 को बेसल III के तहत 10.875% की विनियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध पूंजी संरक्षण बफर 1.875% सहित पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.18% था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के भीतर, सीईटी I अनुपात 8.61% था और टियर I पूंजी अनुपात 10.08% था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने बेसल III के अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से ₹2936.10 करोड़ की पूंजी और क्यूआईपी के माध्यम से ₹2000 करोड़ की ईक्विटी जुटाई है और इस तरह यथा 31.03.2021 तक बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 69.33% है।

खुदरा उधार परिचालन

वर्ष के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुरूप, खुदरा ऋण परिचालन में बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा। यथा 31 मार्च 2021 को बैंक का खुदरा संविभाग बढ़कर ₹115312 करोड़ हो गया। यथा 31 मार्च 2021 तक घरेलू अग्रिम (₹652558 करोड़) में खुदरा ऋणों की हिस्सेदारी 17.67% थी। यह संभव हो सका क्योंकि बैंक लगातार ग्राहकों को परेशानी मुक्त तरीके से ऋण वितरण प्रदान करने का प्रयास करता है।

(₹ करोड़ में)

खुदरा खंड	यथा मार्च	
	2020*	2021
1. आवास	39611	64326
2. वाहन	10446	13713
3. अन्य व्यक्तिगत ऋण	20320	24834
4. शिक्षा	9423	12439
मूल खुदरा ऋण (1+2+3+4)	79800	115312

*पूर्व-समामेलन अवधि के लिए केनरा बैंक के एकल / समेकित वित्तीय परिणामों से संबंधित आंकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद के वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

शिक्षा ऋण

इन वर्षों में, बैंक ने भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में होनहार छात्रों की सहायता की है। यथा मार्च 2021 तक बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹12439 करोड़ हो गया। बैंक ने यथा मार्च 2021 तक लगभग 3.70 लाख छात्रों का वित्त पोषण किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने ₹1639 करोड़ का शिक्षा ऋण संवितरित किया है।

Capital Adequacy Ratio, under Basel III was 13.18% as at March 2021 against the regulatory requirement of 10.875%, including capital conservation buffer of 1.875%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 8.61% and Tier I capital ratio was at 10.08%.

During the Financial Year 2020-21, Bank has raised capital via Basel III compliant additional Tier 1 Bond amounting to ₹2936.10 crore and equity through QIP of ₹2000 crore and thereby Government of India shareholding in the Bank is 69.33% as on 31.03.2021.

RETAIL LENDING OPERATIONS

In line with the thrust areas set for the year, the Bank's retail lending operations recorded good performance. The retail portfolio of the Bank increased to ₹115312 crore as on 31st March, 2021. The share of retail loans stood at 17.67% as of 31st March, 2021 of domestic advances (₹652558 crore). This was possible as the Bank constantly strives to provide seamless credit delivery to customers in a hassle free manner.

(₹ in Crore)

Retail Segments	As at March	
	2020*	2021
1. Housing	39611	64326
2. Vehicle	10446	13713
3. Other Personal	20320	24834
4. Education	9423	12439
Core Retail Loans (1+2+3+4)	79800	115312

*Figures relating to standalone / consolidated Canara Bank financial results for pre-amalgamation period are not comparable with post-amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021.

Education Loans

Over the years, the Bank has assisted substantial number of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹12439 crore as at March 2021. The Bank has financed around 3.70 lakh students as at March 2021. During FY 2020-21, the Bank has disbursed education loans worth ₹1639 crore.

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में, हमारा बैंक शिक्षा ऋण देने में अग्रणी है। इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में कौशल विकास पर भारी जोर को देखते हुए, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के कौशल विकास की पहल का समर्थन करने के लिए "आईबीए कौशल ऋण योजना" को लागू किया गया है।

बैंक के पास आईआईटी, आईआईएम, आईएसबी इत्यादि जैसे प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेने वाले मेधावी छात्रों के लिए ₹40 लाख की सीमा तक रियायती ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त एक विशेष शिक्षा ऋण योजना नामतः "विद्या तुरंत", जरूरतमंद और मेधावी छात्रों की सहायता के लिए चयन / काउंसलिंग के समय सीईटी / काउंसलिंग प्राधिकरण को किए जाने वाले आवश्यक डाउन पेमेंट के लिए पूरक ऋण योजना नामतः "विद्या सहाय" और रियायती ब्याज दर के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरणों के लिए व्यय सहित दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा ऋण योजना "विद्या शक्ति" है।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत कृषि, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्गों और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण सहित विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देता है।

यथा मार्च 2021 तक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹304803 करोड़ हो गया और बैंक ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले 44.14 % हासिल किया।

प्राथमिकता क्षेत्र (₹ करोड़ में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	यथा मार्च	
	2020*	2021
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	203029	304803
कृषि	97043	155990

*पूर्व-समामेलन अवधि के लिए केनरा बैंक के एकल / समेकित वित्तीय परिणामों से संबंधित आंकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद के वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

कृषि के लिए ऋण वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, कृषि पोर्टफोलियो के तहत 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रावरित करते हुए बैंक का अग्रिम ₹155990 करोड़ हो गया। कृषि ऋण के तहत, बैंक ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) 18% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले 18.56% हासिल किया। वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक का कृषि ऋण संवितरण ₹136978 करोड़

Among all Nationalized Banks, our Bank is in the forefront in extending education loans. Further, considering the huge thrust on skill development in recent years, "IBA Skill Loan Scheme" has been implemented to support skill development initiatives of Department of Financial Services (DFS).

The Bank has a special education loan scheme namely "Vidya Turant", Collateral free Education loans for the meritorious students who are admitted to premier institutes such as IITs, IIMs, ISB etc up to a limit of ₹40 Lacs with concessional rate of Interest, Bridge Loan Scheme namely "Vidya Sahay" to assist the needy and meritorious students who are in need of the down payment to be made to the CET / Counselling Authorities at the time of selection / counselling and "Vidya Shakthi", education loan scheme for the PWD category of students including expenses for specially designed equipment's for differently abled persons with concessional interest rate.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, social infrastructure, renewable energy, microcredit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2021 reached ₹304803 crore and achieved 44.14% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

Priority Sector (₹ in Crore)

Priority Sector Advances	As at March	
	2020*	2021
Total Priority Sector	203029	304803
Agriculture	97043	155990

*Figures relating to standalone / consolidated Canara Bank financial results for pre-amalgamation period are not comparable with post-amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021.

With a focus on credit delivery to Agriculture, the Bank's advances under agriculture portfolio was ₹155990 crore, covering over 1 crore farmers. Under agriculture lending, the Bank achieved 18.56% to ANBC against 18% mandated norm. During FY 2020-21, the Bank's agriculture credit disbursal is at ₹136978 crore.

हो गया। यथा मार्च 2021 तक अनिवार्य लक्ष्य 8% के मुकाबले (निवल पीएसएलसी-एसएफ / एमएफ बिक्री) लघु और सीमांत किसानों को अग्रिम, समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) 11.23% प्राप्त किया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹27480 करोड़ की राशि के 17.25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए। यथा मार्च 2021 तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत बकाया ऋण ₹38994 करोड़ था। 16.88 लाख पात्र खातों के विरुद्ध 96.44% की उपलब्धि के साथ 16.28 लाख किसान रुपये कार्ड जारी किए गए थे।

7.5% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 9.25% प्राप्त करते हुए सूक्ष्म उद्यम (प्राथमिकता) अग्रिम ₹53791 करोड़ रहा।

बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं, जैसे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) में सक्रिय रूप से भाग लिया।

यथा मार्च 2021 तक, लगभग 20.85 लाख लाभार्थी को शामिल करते हुए निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत कुल बकाया अग्रिम ₹28998 करोड़ है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत निष्पादनः

(₹ करोड़ में)

योजना	यथा मार्च-21	
	खाते	राशि
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	37324	1672
दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम)	135495	3432
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम)	17517	197
विभेदक ब्याज दर	111783	96
स्टैंड अप इंडिया	6336	1176
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	1776195	22425
कुल	2084650	28998

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) में अग्रिम ₹96 करोड़ रहा, जिसमें 1.12 लाख लाभार्थी शामिल थे, इनमें से ग्रामीण और

Advances to Small & Marginal Farmers achieved 11.23% to ANBC as against the mandatory Target of 8% (Net of PSLC-SF/MF sale) as at March 2021.

During the year, the Bank issued 17.25 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹27480 crore. The credit outstanding under KCCs was at ₹38994 crore as at March 2021. 16.28 lakh Kisan RuPay Cards were issued against eligible accounts of 16.88 lakh, with an achievement of 96.44%.

Advances to Micro Enterprises (Priority) stood at ₹53791 crore achieving 9.25% to ANBC as against the mandatory Target of 7.5%.

The Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand Up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).

As at March 2021, the outstanding advances under the following Government Schemes, aggregated to ₹28998 crore, involving around 20.85 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes:

(₹ in Crore)

Scheme	Mar-21	
	Accounts	Amount
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)	37324	1672
Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)	135495	3432
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)	17517	197
Differential Rate of Interest	111783	96
Stand Up India	6336	1176
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	1776195	22425
Total	2084650	28998

Advances to DRI stood at ₹96 crore, consisting of 1.12 lakh beneficiaries, of which, advances by rural and

अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा अग्रिम की राशि ₹75 करोड़ थी। यथा मार्च 2021 को समाज के अल्पसुविधा-प्राप्त वर्गों के लिए 8.28 लाख उधारकर्ता को शामिल करते हुए, एससी / एसटी लाभार्थियों को प्रदत्त अग्रिम राशि ₹14175 करोड़ थी। कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का 4.65% अ.जा. / अ.ज.जा. के लिए था। कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम 10% के अनिवार्य मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 17.66% रहा जो ₹150737 करोड़ पहुंच गया।

यथा मार्च 2021 तक कमजोर वर्गों को अग्रिम के विभिन्न घटक:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया	
	खाते	राशि
छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, किरायेदार किसान और बंटाईदार	8368878	113328
कारीगर, ग्रामीण व कुटीर उद्योग	421150	11540
एस सी / एस टी लाभार्थी	828404	14175
डीआरआई ऋण	111783	96
स्वयं सहायता समूह	343290	10156
संयुक्त देयता समूह	68064	1442

यथा मार्च 2021 को, निर्धारित 15% मानक के मुकाबले वास्तविक प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के 17.04% योगदान के साथ निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों का कुल अग्रिम ₹51773 करोड़ रहा।

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

यथा मार्च 2021 तक एमएसएमई अग्रिम बढ़कर ₹108334 करोड़ हो गया। सूक्ष्म व लघु उद्यम खंड का अग्रिम बढ़कर ₹94822 करोड़ हो गया। इस खंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए और वित्त वर्ष 2020-21 में चल रही कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने विशिष्ट खंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न जरूरत आधारित योजनाएं और उत्पाद आरम्भ किए हैं, जैसे कि:

- ✓ जीईसीएल योजना (जीईसीएल 1.0 एवं जीईसीएल 2.0) - मौजूदा व्यावसायिक उद्यमों / एमएसएमई / पीएमएमवाई ग्राहकों को चालू परिसंपत्तियों का निर्माण करने और परिचालन देनदारियों को पूरा करने और समय-समय पर मेसर्स एनसीजीटीसी लिमिटेड से प्राप्त संप्रेषण के अनुसार व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए।

semi-urban branches amounted to ₹75 crore. In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SCs / STs beneficiaries amounted to ₹14175 crore as at March 2021, covering 8.28 lakh borrowers. The advances to SCs / STs comprised 4.65% of total priority sector advances. Advances to weaker sections reached ₹150737 crore, constituting 17.66% to ANBC against mandated norm of 10%.

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2021:

(₹ in Crore)

Sector	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	8368878	113328
Artisans, Village and Cottage Industries	421150	11540
SC / ST Beneficiaries	828404	14175
DRI Loan	111783	96
Self Help Group	343290	10156
Joint Liability Group	68064	1442

As at March 2021, advances to specified minority communities aggregated to ₹51773 crore, accounting for 17.04% of the actual priority sector advances against the stipulated 15% norm.

MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

Advances to MSMEs increased to ₹108334 crore as at March 2021, Credit to M&SE segments rose to ₹94822 crore. In order to increase credit flow to this segment and in view of the ongoing Covid-19 pandemic in FY 2020-21, the Bank has launched various need based schemes and products catering to the needs of the specific segments such as:

- ✓ GECL Schemes (GECL 1.0 & GECL 2.0) - To existing Business Enterprises / MSMEs / PMMY Customers to build up current assets and to meet operational liabilities and restart the business as per communication received from M/s NCGTC Ltd from time to time.

- ✓ सीजीएसएसडी - दिनांक 31.07.2020 को एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में गौण ऋण समर्थन प्रदान करने के लिए गौण ऋण हेतु, क्रेडिट गारंटी योजना के प्रति गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए सीजीएसएसडी (गौण ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना) की शुरुआत की गई है। यह योजना 30.09.2021 तक मान्य है।
- ✓ पी एम स्वनिधि - इस योजना की शुरुआत दिनांक 24.03.2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में कारोबार में लगे सभी फुटपाथ विक्रेताओं के लिए आवास एवं शहरी कारोबार मंत्रालय के योजना संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों की पहचान के अनुरूप जुलाई 2020 के दौरान की गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) आवास एवं शहरी कारोबार मंत्रालय का कार्यान्वयन भागीदार है।
- ✓ आरबीआई अधिसूचना आरबीआई/2020-21/17 डीओआर.सं. बीपी.बीसी.4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06-08-2020 के आधार पर, विभाग ने यथा 01.03.2020 को मानक आस्ति श्रेणी के तहत ₹25 करोड़ तक के एक्सपोजर वाले एमएसएमई ऋण के लिए ओटीआर योजना बढ़ा दी है तथा इसे 31.03.2021 तक लागू किया जाना है।
- ✓ पीआरएसएफ (आंशिक जोखिम साझेदारी सुविधा) - इस योजना को दिनांक 01.12.2020 के बोर्ड के आदेशों के तहत सिडबी की पीआरएसएफ योजना के अनुरूप ऊर्जा कार्यक्षम परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पात्र एमएसएमई को वित्तपोषित करने के लिए कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ₹12800 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹13210.29 करोड़ की राशि मंजूर की है। मुद्रा योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वीकृतियां और संवितरण निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	यथा 31.03.2021 (₹ करोड़ में)			
	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	बकाया राशि
शिशु (<50,000)	722608	1486.91	1479.12	1034.53
किशोर (50,000 से अधिक-5 लाख)	272283	6041.41	5994.12	4901.41
तरुण (5 लाख से अधिक 10 लाख तक)	68645	5681.97	5644.15	4515.38
कुल	1063536	13210.29	13117.39	10451.32

- ✓ CGSSD - CGSSD (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt) has been launched on 31.07.2020 to provide guarantee coverage for the Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt to provide Sub-Debt support in respect of restructuring of MSMEs. The scheme is valid till 30.09.2021.
- ✓ PM SVANidhi- This scheme has been introduced during July 2020 for all street vendors engaged in vending in urban areas as on or before 24.03.2020 as per identification criteria stipulated in scheme guidelines of MoHUA. Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the implementation partner of the MoHUA.
- ✓ Based on RBI Notification RBI/2020-21/17 DOR. No.BP.BC.4/21.04.048/2020-21 dated 06-08-2020, Wing has extended an OTR Scheme to MSME loans under standard asset category as at 01.03.2020 with exposure up to ₹25 crore, to be implemented by 31.03.2021.
- ✓ PRSF (Partial Risk Sharing Facility) - This scheme has been approved for implementation vide orders of the Board dated 01.12.2020 to finance the eligible MSEs towards execution of energy efficient projects, in line with the PRSF scheme of SIDBI.

Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank sanctioned an amount of ₹13210.29 crore against the target of ₹12800 crore during FY 2020-21. Sanctions and disbursements under different categories of Mudra Yojana are as under:

Category	As on 31.03.2021 (₹ in Crore)			
	No. of Accounts	Sanction Amount	Disbursement Amount	Out-standing Amount
Shishu (<50,000)	722608	1486.91	1479.12	1034.53
Kishore (Above 50,000 - 5 Lakhs)	272283	6041.41	5994.12	4901.41
Tarun (Above 5 Lakhs to 10 Lakhs)	68645	5681.97	5644.15	4515.38
Total	1063536	13210.29	13117.39	10451.32

मुख्य बातें

- स्टैंड अप इंडिया के तहत, बैंक ने ₹929 करोड़ के 4196 खातों को मंजूरी दी।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने पीएमईजीपी के तहत ₹750 करोड़ की राशि के 7985 प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें कुल मार्जिन मनी ₹281 करोड़ थी।
- 59 मिनट में पीएसबी ऋण के संबंध में, 31014 सैद्धांतिक मंजूरी के साथ 31.03.2021 तक बैंक इस पोर्टल पर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में से एक है।
- पीएम स्वनिधि के तहत, बैंक ने ₹159.68 करोड़ की राशि के 159682 खातों को मंजूरी दी।
- भारिबैं एकबारगी पुनर्गठित योजना-III (भारिबैं परिपत्र दिनांक 06.08.2020 के तहत पुनर्गठित खाते) के तहत 31.03.2021 तक ₹1799 करोड़ की राशि के 45540 खातों का पुनर्गठन किया गया है।
- जीईसीएल योजना
 - 1) ईसीएलजीएस 1.0 के तहत, ₹9973 करोड़ की 475420 स्वीकृतियां की गईं और 31.03.2021 तक ₹9577 करोड़ की राशि के 451332 खातों का संवितरण किया गया।
 - 2) ईसीएलजीएस 2.0 के तहत 31.03.2021 तक ₹921 करोड़ की 98 स्वीकृतियां और ₹806 करोड़ की राशि के 98 खातों का संवितरण किया गया।
- सीसीएस-19 (कोविड-19 प्रभावित ग्राहकों को केनरा क्रेडिट सहायता) योजना - बैंक ने 31.03.2021 तक ₹2011 करोड़ का 78372 संवितरण किया है।
- टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के तहत, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ₹653.16 करोड़ की राशि के 2966 बिलों में छूट दी है।

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण चैनल

यथा मार्च 2021 तक बैंक के 13452 एटीएम हैं। बैंक का ईएमवी डेबिट कार्ड आधार 4.08 करोड़ है। यथा मार्च 2021 तक ई-लेनदेन अनुपात 88.73% था। यथा मार्च 2021 तक मोबाइल बैंकिंग के तहत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 81.25 लाख और नेट बैंकिंग पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.61 करोड़ है।

Major Highlights

- Under stand up India, the Bank Sanctioned 4196 accounts to the tune of ₹929 crore.
- During FY 2020-21, under PMEGP the Bank sanctioned 7985 proposals amounting to ₹750 crore, with total margin money claimed stood at ₹281 crore.
- With respect to PSB Loans in 59 minutes, the Bank is one of the top performers on this portal with 31014 in-principal sanctions since the inception till 31.03.2021.
- Under PM Svanidhi, the Bank sanctioned 159682 accounts amounting to ₹159.68 crore.
- Under RBI Onetime Restructuring Scheme-III (Accounts restructured under RBI Circular dated 06.08.2020) 45540 accounts have been restructured amounting to ₹1799 crore till 31.03.2021.
- GECL SCHEME
 - 1) Under ECLGS 1.0, 475420 sanctions amounting to ₹9973 crore were made & 451332 accounts amounting to ₹9577 crore disbursed till 31.03.2021.
 - 2) Under ECLGS 2.0, 98 sanctions were made amounting to ₹921 crore & 98 accounts were disbursed amounting to ₹806 crore till 31.03.2021.
- CCS-19 (Canara Credit Support to Covid-19 Affected Customers) Scheme - Bank has made 78372 disbursements of ₹2011 crore till 31.03.2021.
- Under TReDS Platform, our Bank has discounted 2966 Bills amounting to ₹653.16 crore during FY 2020-21.

DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

The Bank has 13452 number of ATMs as on March 2021. The Bank's EMV debit card base is at 4.08 crore. The e-transaction ratio stood at 88.73% as at March 2021. The number of registered users under Mobile Banking is at 81.25 lakhs and Net Banking registered users is at 1.61 crore as at March 2021.

कोविड 19 के दौरान हमने एटीएम का 91% से अधिक सक्रियता सुनिश्चित किया। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने एटीएम स्क्रीन के माध्यम से प्रचार किया, ग्राहकों को घर से बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से व्यवहार करने के लिए संवेदनशील बनाया। मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं पर प्रकाश डालनेवाले पोस्टर एटीएम लॉबी में प्रदर्शित किए गए। एटीएम / मोबाइल बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग और अन्य उपलब्ध डिजिटल माध्यम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय ग्राहकों को एसएमएस भेजा गया था।

एटीएम धोखाधड़ी रोकने के लिए सुरक्षा सुविधाएँ

- आरबीआई द्वारा अनिवार्य सुरक्षा उपायों (अर्थात टर्मिनल सुरक्षा समाधान, एंटी-स्कimming डिवाइस, ईएमवी अनुपालन) को समय-सीमा के भीतर हमारे सभी परिचालनीय एटीएम में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- सभी एटीएम केंद्रीकृत समाधान के लिए प्रवर्जित किए जाते हैं।
- ₹10,000/- से अधिक की नकद निकासी के लिए कार्डलेस नकद निकासी और ओटीपी लागू किया गया।

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कार्ड लेनदेन सुरक्षा हेतु किए गए सुरक्षा उपाय

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाना, ऑनलाइन और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड को सक्षम और अक्षम करना, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और शाखा चैनल जैसे सभी चैनलों में सक्रिय है।

2020-21 के दौरान मोबाइल बैंकिंग ऐप "कैडी" में शुरू की गई नई कार्यप्रणालियाँ

- डिफॉल्ट आईएफएस कोड के माध्यम से भुगतान (मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करते समय डिफॉल्ट आईएफएससी आएगा)।
- अन्य खाते के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग में स्व-खाता भुगतान।
- फ्लाइट / बस टिकट बुकिंग, दान और अन्य जीवन शैली भुगतान।

2020-21 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग में शुरू की गई नई कार्यप्रणालियाँ:

- डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता खोलना।
- डिजिलॉकर सुविधा।
- खुदरा ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन।

विभिन्न स्तरों पर ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल

- केनरा गैर-जमानती व्यक्तिगत ऋण - बैंक ने मौजूदा ग्राहकों के लिए ऑनलाइन गैर-जमानती व्यक्तिगत ऋण सुविधा का विस्तार

During COVID19 we ensured more than 91% uptime of ATMs. We made publicity at Social media platforms and through our ATM screens, sensitizing customers to bank from home and go digital. Posters highlighting Mobile Banking features were displayed at ATM lobbies. SMS was sent to active customers, promoting to use ATMs/ Mobile Banking / Internet Banking and other available Digital modes.

Security features to arrest ATM frauds

- Safety measures mandated by RBI (i.e. Terminal Security Solution, Anti-skimming Devices, EMV compliance) have been successfully implemented in all our operational ATM's within the timelines.
- All ATMs are migrated for centralised reconciliation.
- Implemented Card less Cash Withdrawal and OTP for cash withdrawal above ₹10,000/-.

Security measures taken for Card transaction security for avoiding online frauds

As per RBI guideline, Enhancing Security of Card transactions for Debit Card & Credit Card, enabling and disabling card for online and international transactions is enabled in all channels like Internet Banking, Mobile Banking, ATM and branch channel.

New functionalities introduced in Mobile Banking App "CANDI" during 2020-21

- Payment through default IFS Code (Default IFSC will come while making payment through MB).
- Self-account payment inside Mobile Banking through other account.
- Flight / Bus tickets booking, Donations and other lifestyle payments.

New functionalities introduced in Internet Banking during 2020-21

- Opening of DEMAT A/c & Trading account.
- Digilocker facility.
- Forex transactions for retail customers.

Important initiatives taken by the Bank to improve customer service at various levels

- Canara Un-secured Personal Loan - Bank has introduced end to end digital lending platform for

करने के लिए एंड टू एंड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पेश किया है। ग्राहक इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके ₹1 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्टैम्पिंग, निष्पादन और दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करता है।

- **केनरा शिशु मुद्रा ऋण** - बैंक ने अपनी डिजिटल ऋण पहल के हिस्से के रूप में ऑनलाइन शिशु मुद्रा ऋण सुविधा लागू की है। ग्राहक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ₹50,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- **सावधि जमा की ऑनलाइन आंशिक निकासी** - हमारे ग्राहकों के लिए सावधि जमा को ऑनलाइन खोलने / बंद करने की सुविधा प्रदान की गई थी। एक अतिरिक्त कार्यक्षमता के रूप में, हमने हाल ही में खोले गए जमा खातों के लिए ऑनलाइन आंशिक मोचन सुविधा को सक्षम किया है।
- **सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) सेवाओं की शुरुआत** - हमारे ग्राहकों के लाभ के लिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में पीपीएफ सेवाएं जैसे खाता खोलना, सदस्यता आदि की शुरुआत की गई है।
- **सुकन्या समृद्धि सेवाओं की शुरुआत** - हमारे इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग चैनलों में एसएसए से संबंधित खाता खोलने, सदस्यता आदि जैसी सुविधाओं को एकीकृत किया गया है।
- **ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सेवाओं को ऑनलाइन शुरू करना** - विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
- **ओमनी चैनल में किसान विकास पत्र (केवीपी) खाता के लिए ऑनलाइन आवेदन सक्षम किया गया।**
- **शाखाओं में स्वर्ण ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू की गई थी।** यह ग्राहकों को सभी विवरणों जैसे आभूषण विवरण / भूमि विवरण आदि के साथ स्वर्ण ऋण आवेदन प्रक्रिया शुरू करने और उन्हें पात्र राशि के बारे में जानने की सुविधा प्रदान करता है। ग्राहक तब शाखा के अधिकारियों के लिए ऋण प्रसंस्करण को पूरा करने के लिए सोना गिरवी रखने के लिए शाखा में जा सकते हैं।
- **केसीसी ऋण और केसीसी नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा** - स्वर्ण ऋण आवेदन प्रक्रिया के समान ही सुविधा प्रदान की गई है।
- **क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा** - ग्राहकों को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने की सुविधा के लिए कार्यक्षमता शुरू की गई है।

extending online unsecured personal loan facility for existing customers. Customers can avail loans upto ₹1 Lakh using this online facility. The platform facilitates the Digital Stamping, execution and signing of document.

- **Canara Shishu Mudra Loan** - Bank has implemented Online Shishu Mudra loan facility as part of its Digital lending initiative. Customers can avail loans upto ₹50,000 using this online platform.
- **Online Partial withdrawal of Fixed Deposit** - Our customers had been provided with a facility to open / close fixed deposits online. As an additional functionality, we have recently enabled online partial redemption facility for the deposit accounts opened.
- **Introduction of Public Provident Fund (PPF) services** - PPF services such as Account Opening, Subscription etc. were introduced under Internet Banking and Mobile Banking for the benefit of our customers.
- **Introduction of Sukanya Samriddhi services** - Facilities such as Account Opening, Subscription etc. related to SSA have been integrated in our Internet and Mobile Banking channels.
- **Introduction of Senior Citizen savings scheme services of GOI online through OMNI Channel platform** - to cater specifically to the needs of Senior Citizen.
- **Online application for Kisan Vikas Patra (KVP) account** enabled in Omni Channel.
- **Online Facility to apply for Gold loan** at branches was introduced. This facilitates customers to initiate a gold loan application process with all details such as ornament details / land details etc. and letting them know the eligible amount. Customers could then walk into the branch to pledge the gold for the branch officials to complete the loan processing.
- **Online application facility for KCC Loan and KCC renewal** - has also been facilitated similar to gold loan application process.
- **Online application facility for Credit Card** - The functionality was introduced to facilitate customers to apply for credit card via online channels.

- **विदेशी जावक विप्रेषण सेवाएं** - कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में सीपीसीएफटी के एकीकरण के माध्यम से, हमारे कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा सेवाओं को सक्षम किया गया है।
- **लीड मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत और इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के साथ एकीकरण। एकीकरण ने ग्राहकों के साथ-साथ गैर - एकीकरण ने ग्राहकों को बैंक के किसी भी उत्पाद में अपनी रुचि को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान की है। बैंक का एलएमएस सिस्टम बैंक के विपणन विभाग / कॉल सेंटर के साथ-साथ शाखा नेटवर्क के साथ एकीकृत है। ग्राहक, उत्पाद के विवरण के साथ-साथ सहायता के लिए कॉल शेड्यूल कर सकते हैं।**
- **हमारे इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग चैनलों में सीपीपीएस (सेंट्रल पॉजिटिव पे सिस्टम) सक्षम किया गया है। यह सुविधा ग्राहकों को शाखा में आए बिना ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जारी किए गए अपने चेक के आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है।**
- **इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के साथ डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण।**
- **व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, गृह बीमा, स्वास्थ्य बीमा और यात्रा बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन और पॉलिसी जारी करने की सुविधा शुरू की गई है।**
- **डिजिटल सुविधा को बैंक के इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग चैनलों में एकीकृत कर दिया गया है।**
- **इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से एन ए सी एच अधिदेश रद्द करने की सुविधा को सक्षम किया गया है।**
- **ओमनी चैनल नेट बैंकिंग के माध्यम से डी-मैट और ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता खोलने को सक्षम किया गया है।**
- **एनएसडीएल के साथ ई-बीमा खाता खोलने को ओमनी चैनल के माध्यम से सक्षम किया गया है।**
- **अपने ग्राहकों के लिए कार्ड लेनदेन को सुरक्षित करने के बैंक के प्रयास के रूप में, मोबाइल के साथ-साथ ओमनी चैनल समाधान के माध्यम से निम्नलिखित कार्ड प्रबंधन सेवाओं को सक्षम किया गया है।**
 - ✓ नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रेडिट / डेबिट / प्रीपेड कार्ड प्रबंधन
 - ✓ पीओएस / एटीएम / ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड के लिए सीमा प्रबंधन
- **Foreign outward remittance services** - Via integration of CPCFT in corporate Internet Banking, forex services have been enabled for our Corporate Internet Banking customers.
- **Introduction of Lead Management System and integration with Internet & Mobile Banking Channels.** The integration has facilitated customers as well as non-customers to register their interests in any of the products of the Bank. The LMS system of the Bank is integrated with the Bank's marketing wing/ call centre as well as branch network. Customers can schedule a call back for details of the product as well as assistance.
- **CPPS (Central Positive Pay System) was enabled in our Internet & Mobile Banking channels.** The facility enables customers to submit required details of their cheques issued via online channels without visiting the Branch.
- **Integration of Doorstep Banking services with Internet & Mobile Banking channels.**
- **Online application and policy issuance facility were introduced for Personal accident cover, Online application for Home Insurance, Online application for Health insurance and Online application for Travel insurance.**
- **Digilocker facility has been integrated in the Bank's Internet & Mobile Banking Channels.**
- **NACH mandate cancellation facility via Internet & Mobile Banking channels has been enabled.**
- **De-mat & Online Trading Account Opening has been enabled through Omni Channel Net Banking.**
- **Opening of e-Insurance account with NSDL has been enabled through OMNI Channel.**
- **As part of Bank's endeavor to secure the card transactions for its customers, following Card Management services has been enabled through Mobile as well as OMNI Channel solution.**
 - ✓ Credit / Debit / Pre-paid Card management through Net Banking and Mobile Banking platform
 - ✓ Limit Management for Debit / Credit / Pre-paid Cards for POS / ATM / E-commerce transactions

- ✓ क्रेडिट / डेबिट / प्रीपेड कार्ड के उपयोग को चालू / बंद करना
- ✓ क्रेडिट / डेबिट कार्ड के एन एफ सी विशेषताओं को चालू/ बंद करना
- ✓ कार्ड को अस्थायी या स्थायी रूप से ब्लॉक करना
- ✓ कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को चालू / बंद करना
- ✓ मोबाइल और नेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड पिन का सृजन
- ✓ डिजिटल कैलेंडर - बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वेबसाइट, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल कैलेंडर को एकीकृत किया है। यह कैलेंडर विशिष्ट राज्य / क्षेत्र के लिए छुट्टियों की सूची प्रदान करता है।

➤ इन-ऐप अधिसूचना

- ✓ अब ग्राहक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं के बारे में अधिसूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- ✓ इन-ऐप अधिसूचना सुविधाओं के माध्यम से संवर्धन संदेश वितरित किए जा सकते हैं।
- ✓ इस सुविधा के माध्यम से डेबिट/क्रेडिट संदेश भी दिए जा सकते हैं।

➤ बीएमटीसी यूपीआई क्यूआर स्कैन पे - यह सुविधा बेंगलूर शहर में चलने वाली बीएमटीसी बसों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा का उपयोग करके ग्राहक यूपीआई आधारित प्रणाली के माध्यम से बस किराये का भुगतान कर सकते हैं।

➤ एपी-जीएसडब्ल्यूएस (ग्राम सचिवालय वार्ड सचिवालय) 30 सरकारी बिल का भुगतान

- ✓ यह सेवा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के लिए यूपीआई आधारित गतिशील क्यूआर सुविधा का उपयोग करके लागू की गई है।
- ✓ इन सेवाओं का उपयोग करके ग्राहक 30 सरकारी विभाग के बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

➤ एटीएम के माध्यम से कार्ड रहित नकद आहरण - ग्राहकों को केनरा बैंक के सभी एटीएम में किसी भी कार्ड का उपयोग किए बिना नकद आहरण की सुविधा प्रदान करता है। जब ग्राहक सुरक्षित अधिप्रमाणन प्रणाली का उपयोग करते हुए कार्ड रहित आहरण के लिए मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में अनुरोध करता है, तो बिना किसी कार्ड का उपयोग किए केनरा बैंक के एटीएम से नकद का आहरण किया जा सकता है।

- ✓ Switching on / off the usage of Credit / Debit / Pre-paid Card
- ✓ Switching on / off NFC features for Credit / Debit Card
- ✓ Temporary or permanent blocking of card
- ✓ Switching On / Off the International usage of the card
- ✓ Generation of Card PIN through Mobile and Net Banking
- ✓ Digital Calendar - Bank has integrated Digital Calendar for its customers through Website, Mobile Banking and Internet Banking Platforms. This calendar provides List of Holidays for specific state / territory.

➤ In-app Notification

- ✓ Now the Customers can get notification about various information through Mobile Banking Application.
- ✓ Promotional messages can be delivered through In-App Notification features.
- ✓ Debit / Credit Messages can also be delivered through this facility.

➤ BMTC UPI QR Scan Pay - This facility has been made available for BMTC buses running in Bangalore City. Using this facility customers can pay for Bus fares through UPI based system.

➤ AP-GSWS (Gram Sachivalaya Ward Sachivalaya) 30 Govt bill payment

- ✓ This service is specifically implemented for Andhra Pradesh State Government using UPI based dynamic QR facility.
- ✓ Using these services 30 Government Department Bills can be paid by the customers.

➤ Cardless cash withdrawal through ATM facilitating Customers to withdraw Cash without using any card in all ATMs of Canara Bank. When customer makes a request in Mobile Banking platform for cardless withdrawal, using the secured authentication mechanism, the cash can be withdrawn at Canara Bank ATMs without using any Card.

➤ केनरा वीडियो केवाईसी

- केनरा बैंक ने आधार आधारित अधिप्रमाणन का उपयोग करके ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया के लिए “केनरा दीया” कार्य-पद्धति लागू की है। दीया के माध्यम से खोला गया खाता गैर-सीडीडी (ग्राहक समुचित सावधानी) है। ग्राहकों के खाते को केवाईसी मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन कराने के लिए, बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है।
- ऑनलाइन डेबिट कार्ड अनुरोध, ग्राहकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वैयक्तिक डेबिट कार्ड अनुरोध के लिए अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करता है।
- मार्केटिंग अधिकारी टैब (टीएबी) बैंकिंग के माध्यम से तत्काल खाते खोलने के लिए ग्राहक के घर / कार्यालय पते पर जा सकते हैं।
- **पैन और संप्रेषण पते का ऑनलाइन अद्यतन:** ग्राहकों को इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने पैन / संप्रेषण पते को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करना। सफल अद्यतनीकरण से पहले, सिस्टम जारीकर्ता प्राधिकारी के साथ ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण का सत्यापन और मिलान करता है।
- नई सेवाओं को बैंक के टैब आधारित वित्तीय समावेशन समाधान में जोड़ा गया है जैसे - चेक की स्थिति संबंधी पूछताछ, चेक का भुगतान रोकना, पीपीएफ मॉड्यूल, सुकन्या समृद्धि योजना, पास बुक अद्यतनीकरण, ई-केवाईसी खाता खोलना, आईएमपीएस लेनदेन और ऋण विप्रेषण कार्यक्षमता।

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

हमारे बैंक ने विभिन्न बैंकिंग परिचालनों को डिजिटल बनाने के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) परियोजना शुरू की है। डीएमएस में दस्तावेजों का डिजिटलीकरण शामिल है, जिसमें कार्य-प्रवाह स्वचालन, केंद्रीकृत भंडारण, वस्तु प्रबंधन प्रणाली और दस्तावेजों की सुरक्षित पहुंच, भौतिक भंडारण प्रबंधन का समाधान आदि आते हैं।

डीएमएस, कार्य-प्रवाह स्वचालन के साथ, डिजिटल फाइलों के निर्माण, भंडारण, अनुक्रमण और पुनर्प्राप्ति से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समाधान करता है। डीएमएस के प्रमुख लाभ हैं - दस्तावेजों का केंद्रीकरण और प्रबंधन, बढ़ी हुई परिचालन क्षमता, कम भौतिक भंडारण स्थान, बढ़ी हुई सुरक्षा, हरित पहल और कम कागज का उपयोग।

➤ Canara Video KYC

- Canara Bank has implemented Canara DiYA functionality for online account opening process using Aadhaar based authentication. The account opened through Diya is non-CDD (Customer Due Diligence) To make the account of customers fully complied with KYC norms, Bank has launched Video KYC facility.
- Online Debit Card Request facilitating Customers to place the request for Personalized debit card request through online portal.
- Marketing officers can visit Customers' Home / office address to open instant accounts through TAB Banking.
- **Online update of PAN & Communication Address:** Facilitating customers to update their PAN / Communication Address via Internet and Mobile Banking. Prior to successful updation, the system verifies and matches the details provided by customer with the issuing authority.
- The new services have been added in Bank's Tab based Financial Inclusion Solution like Cheque Status Enquiry, Stop Payment of cheque, PPF module, Sukanya Samridhi Yojana, Pass Book Updation, E-KYC Account opening, IMPS transactions and Loan Remittance functionality.

Document Management System

Our Bank has embarked upon the Document Management System (DMS) project to digitalize the various Banking operations. DMS includes digitalization of documents including work-flow automation, centralized storage, Content Management system and secure accessing of documents, solution to physical storage management etc.

DMS, with work-flow automation, provides solution to various facets related to creation, storage, indexing and retrieving of digital files. Key benefits of DMS are Centralization and Management of Documents, Increased Operational Efficiency, Reduced physical Storage Space, Enhanced Security, Go green initiative and reduced paper usage.

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन अभियान के तहत बैंक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से बहिष्कृत और अपेक्षित वर्गों को उपलब्ध कराता है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक वित्तीय समावेशन के प्रयासों को प्रमुख हस्तक्षेपों के साथ सक्रिय रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी का व्यापक और गहन उपयोग और वित्तीय साक्षरता की वकालत के माध्यम से बैंकिंग संरचना का विस्तार करना, समुचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश करना आदि शामिल है।

- ✓ बैंक में शाखा मॉडल के तहत 1123 वित्तीय समावेशन (एफआई) शाखाएं हैं और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत 9129 कारोबार प्रतिनिधि एजेंट (बीसीए) भी लगे हुए हैं।
- ✓ बैंक ने बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) द्वारा एफएलसी का प्रचार करने के साथ-साथ बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के मामलों का ध्यान रखने के लिए 'केनरा वित्तीय परामर्श न्यास' का गठन किया है। बैंक के देशभर में विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में 152 एफएलसी हैं जिनका प्रबंधन परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त बैंकर) द्वारा किया जाता है।
- ✓ बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 138.47 लाख खाते खोले हैं।
- ✓ 1123 ब्रिक एंड मोर्टार शाखाएं खोलकर और शेष स्थानों में 5267 कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों (बैंक मित्रा) को लगा कर 3371 शहरी वार्डों और 3962 आर्बटि एसएसए के साथ आर्बटि सभी 10049 गांवों को वित्तीय समावेशन के तहत लाया गया है।
- ✓ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वर्ष के दौरान पीएमजेजेबीवाई व पीएमएसबीवाई के तहत निम्नवत नामांकन किए गए।

यथा मार्च 2021 तक नवीकरण के साथ योजना में नामांकन

(लाख में)

नवीकरण के साथ योजना में नामांकन	यथा मार्च 2021 तक
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	53.00
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	144.17
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	24.63

FINANCIAL INCLUSION

As a part of financial inclusion drive, the Bank makes its products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been proactive in financial inclusion efforts, with key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and advocacy of financial literacy.

- ✓ The Bank has 1123 Financial Inclusion (FI) Branches under branch model and also engaged 9129 Business Correspondent Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model.
- ✓ Bank formed 'Canara Financial Advisory Trust' to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. The Bank has 152 FLCs in districts & blocks level across the country, managed by the Counsellors (retired bankers).
- ✓ Bank opened 138.47 lakh accounts under PMJDY.
- ✓ Covered all allotted 10049 villages comprising of 3962 allotted SSAs and 3371 Urban wards by opening of 1123 brick & mortar branches and engaging 5267 Business Correspondent Agents (Bank Mitras) at remaining locations.
- ✓ Under social security schemes launched by the Government of India during the year, following enrolments have been made under PMJJBY & PMSBY.

Scheme Enrolments including Renewals as at March 2021

(In Lakhs)

Scheme Enrolments including Renewal	As at March 2021
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	53.00
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	144.17
Atal Pension Yojana (APY)	24.63

- ✓ सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक खातों की बकाया संख्या 104296 खाते हैं।

आधार नामांकन अद्यतनीकरण केंद्र

बैंक आधार नामांकन के लिए एक रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी है। यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को बैंक शाखा परिसर के 10% पर एएसके स्थापित करने हैं। तदनुसार, बैंक ने 1494 एएसके स्थापित किए, जिसमें बैंक के लिए 1201 केंद्र और 4 प्रायोजित आरआरबी के लिए 293 केंद्र (केएजीबी 116, केजीबी 62, केवीजीबी 62 और एपीजीबी 53) शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण अनुभाग, प्रधान कार्यालय सहित देश के 24 अंचल कार्यालयों और 176 क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीडीब्ल्यू) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अथक रूप से काम कर रहे हैं। ये महिला उद्यमिता विकास केंद्र संभावित उद्यमियों तक पहुंचकर, परामर्श प्रदान करते हैं, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं, वित्त प्रदान करते हैं और उनके लिए विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। महिला उद्यमिता विकास केंद्रों द्वारा 2020-21 के दौरान कुल 486 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अग्रणी बैंक जिम्मेदारी

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, हमारे बैंक को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- दो राज्यों अर्थात् कर्नाटक और केरल में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की संयोजकता और लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) संयोजकता।
- बैंक को 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है, अर्थात् आंध्र प्रदेश (5), बिहार (1), दिल्ली (3), हरियाणा (3), लक्षद्वीप (1), कर्नाटक (15), केरल (7), तमिलनाडु (7), तेलंगाना (4) और उत्तर प्रदेश (14) बैंक के 14 अंचलों के अंतर्गत आते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और कारोबार

बैंक की 4 विदेशी शाखाएं हैं, अर्थात् लंदन (यू.के.), हांग कांग, न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.) और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), और दुबई (यूएई)। उपरोक्त 4 विदेशी शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यूएई) में एक प्रतिनिधि कार्यालय, केनरा बैंक (तंजानिया) लि., तंजानिया में दार-एस सलाम की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी और वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मॉस्को, रूस में एक संयुक्त उद्यम है।

- ✓ Under Sukanya Samridhi Yojana, the outstanding number of accounts as on 31st March 2021 is 104296 accounts.

AADHAAR Enrolments Updation Centres

The Bank is a Registrar and Enrolment Agency for Aadhaar Enrolment. As per UIDAI guidelines, the Bank have to establish ASKs at 10% of the Bank branch premises. Accordingly, Bank has established 1494 ASKs, comprising of 1201 centres for the Bank and 293 centres for the 4 sponsored RRBs (KAGB 116, KGB 62, KVGB 62 & APGB 53).

Empowering Women

Women Empowerment Section at Head office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 24 Circle Offices and 176 Regional offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertaken counselling, supported their training needs, provided finance and arranged marketing facilities. A total of 486 Programmes were organized by the CEDWs during FY 2020-21.

Lead Bank Responsibility

As on 31.03.2021, Our Bank has been assigned with:

- State Level Banker's Committee (SLBC) Convenorship in two states i.e. Karnataka and Kerala and Union Territory Level Banker's Committee (UTLBC) Convenorship in Lakshadweep.
- Lead Bank responsibility in 60 districts across 8 states and 2 Union Territories viz. Andhra Pradesh (5), Bihar (1), Delhi (3), Haryana (3), Lakshadweep (1), Karnataka (15), Kerala (7), Tamil Nadu (7), Telangana (4) & Uttar Pradesh (14) comes under 14 Circles of the Bank.

INTERNATIONAL OPERATIONS AND BUSINESS

The Bank has 4 overseas branches, viz., London (U.K.), Hong Kong, New York (U.S.A) and Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai (UAE). Besides the above 4 overseas branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE), Canara Bank (Tanzania) Ltd., a Wholly Owned Subsidiary at Dar-es Salaam in Tanzania and Commercial Indo Bank LLC, a Joint Venture with State Bank of India in Moscow, Russia.

वित्त वर्ष 2021 के अंत तक ₹47,569 करोड़ की जमा और ₹22,597 करोड़ के अग्रिम सहित विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार ₹70,166 करोड़ है। विदेशी व्यापार, बैंक के कुल कारोबार का 4.16% है। विदेशी शाखाओं के युक्तिकरण योजना के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शाखा को बंद किया। वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने सीआईबीएल में अपनी हिस्सेदारी एसबीआई, बहुलांश हिस्सेदारी धारक को बेचने और हांग कांग में अपने परिचालन को बंद करने का निर्णय लिया है।

आस्ति गुणवत्ता

मार्च 2021 तक बैंक का सकल एनपीए 8.93% (₹60288 करोड़) और निवल एनपीए 3.82% (₹24442 करोड़) है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़े खातों में डाले गए खातों में वसूली सहित संचयी नकद वसूली ₹10918 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उन्नयन ₹2407 करोड़ था। मार्च 2021 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 79.68% है। वर्ष के दौरान स्लिपेज को ₹17885 करोड़ तक सीमित किया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹1021.63 करोड़ की राशि की 1596 संपत्तियों को बेचा गया था और कुल ₹826.76 करोड़ की राशि के 2927 खातों का निपटान / बंद / उन्नयन करके सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1152 वसूली बैठक का आयोजन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4501 करोड़ की वसूली हुई। वित्त वर्ष 2020-21 में, 212023 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें ₹7730 करोड़ की ओटीएस राशि शामिल थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 11030 मामले लोक अदालत को भेजे गये, जिनमें से 2264 मामलों का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि ₹31.13 करोड़ रुपये रही। बैंक ने खातों को एनपीए में स्लीपेज से रोकने के लिए और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बढ़ोत्तरी लाने के लिए कई पहल की। इनमें, एकबारगी निपटान (ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केन अदालतों का संचालन, क्षेत्रीय स्तर पर क्लस्टर अदालत और अंचल स्तर पर मेगा अदालत, जिला स्तर पर लोक अदालतें, कॉल सेंटर के माध्यम से ऋण खातों में अतिदेय का नियमित अनुवर्तन, जब संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना, आदि शामिल हैं। यथा मार्च 2021 तक ₹11272 करोड़ की बकाया राशि के साथ 971 इरादतन चूककर्ता हैं।

बैंक ने 31.03.2021 की स्थिति में एनसीएलटी में हमारे दावे को दर्ज करके 390 मामलों के संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की है और वर्ष 2021-22 के दौरान समाधान के माध्यम से पर्याप्त वसूली

Total business of the overseas branches aggregated to ₹70,166 crore comprising of Deposits of ₹47,569 crore and Advances of ₹22,597 crore as at the end of the financial year 2021. Overseas Business constituted 4.16% of the Bank's global business. As per the rationalisation plan for overseas branches, Bank has closed Johannesburg Branch in South Africa during the Financial Year. During the Financial Year, Bank has decided to divest its stake in CIBL to SBI, the majority stake holder and close its operations in Hong Kong.

ASSET QUALITY

Gross NPA of the Bank is at 8.93% (₹60288 crore) and Net NPA is at 3.82% (₹24442 crore) as at March 2021. The cumulative Cash Recovery including Recovery in written off accounts during FY 2020-21 was at ₹10918 crore. Upgradation for FY 2020-21 was at ₹2407 crore. Provision Coverage Ratio (PCR) is at 79.68% as at March 2021. Slippage has been contained during the year to ₹17885 crore.

During FY 2020-21, 1596 properties were sold amounting ₹1021.63 crore and 2927 accounts were settled / closed / upgraded amounting ₹826.76 crore on account of initiating actions under the SARFAESI Act. The Bank conducted 1152 Recovery Meets during FY 2020-21 that has resulted in recovery of ₹4501 crore. In FY 2020-21, 212023 cases were settled, covering an OTS amount of ₹7730 crore. In FY 2020-21, 11030 cases were referred to Lok Adalat, out of which, 2264 cases were settled, covering an amount of ₹31.13 crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, conduct of Can Adalats at branch level, cluster adalats at Regional level and mega adalats at Circle level for one time settlements (OTS), Lok Adalats at district level, regular follow-up of overdue in loan accounts through Call Centre, conduct of e-auctions for sale of seized assets and initiation of stringent recovery measures against Wilful Defaulters. As on March 2021, there were 971 wilful defaulters with an outstanding amount of ₹11272 crore.

The Bank has initiated resolution process in respect of 390 Cases by referring to NCLT / filing our claim as at 31.03.2021 and is expecting substantial recovery through

की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनसीएलटी में दर्ज खातों में से ₹2360.94 करोड़ की वसूली की गई। बैंक ने कृषि एनपीए, शिक्षा ऋण, ट्रैक्टर ऋण तथा अन्य फार्म प्रणाली आदि में लघु मूल्य वाले एनपीए के निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजनाओं को रूपायित किया।

मार्च 2021 की स्थिति में, बैंक का बकाया दबावग्रस्त आस्ति संविभाग (पुनर्चित मानक खाते सहित) ₹66887 करोड़ रहा जो सकल अग्रिमों का 9.91% है।

जोखिम प्रबंधन

बेसल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा और भावी रणनीतियाँ

प्रधान कार्यालय में बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से नोडल केन्द्र के रूप में जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है। जोखिम प्रबंधन अनुभाग बैंक के सभी 24 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य कर रहे हैं। बैंक के पास सभी भौगोलिक क्षेत्रों में और सभी जोखिमों में जोखिम प्रबंधन नीतियाँ हैं, जिसमें जोखिम के पूरे पहलू को शामिल किया गया है। इनमें ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम प्रबंधन संबंधी नीतियाँ शामिल हैं। बैंक ने एसआरईपी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बेसल III मानदंडों के स्तंभ 2 के तहत एक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया, (आईसीएएपी) स्थापित की है। आईसीएएपी प्रक्रिया बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाइयाँ और सहयोगी संस्था को प्रावित करती हैं। बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित जोखिमों का पता लगाने के लिए बैंक द्वारा दबाव परीक्षण अभ्यास भी किया जाता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल द्वारा आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा की जाती है और उसका अनुमोदित किया जाता है। पूंजी नियोजन प्रक्रिया के लिए बैंक की एक बोर्ड स्तरीय उप-समिति है। समिति व्यापार रणनीतियों के अनुरूप, बैंक की पूंजी आवश्यकताओं के साथ-साथ व्यापक आर्थिक परिदृश्यों को स्पष्ट करती है। समिति जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूंजी के उचित स्तर का रखरखाव सुनिश्चित करती है और पूंजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करती है।

बेसल III के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण अपनाना

ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए पूंजी की गणना के लिए बेसल III के तहत उन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के प्रयास में, बैंक ने अपने और समूह संस्थाओं के लिए उद्यम-व्यापी एकीकृत जोखिम

resolution during FY 2021-22. In FY 2020-21, recoveries amounting to ₹2360.94 crore were done in NCLT referred accounts. The Bank has also formulated various special OTS Schemes for settlement of small value NPAs in agriculture NPA, Education loans, tractor loans and other farm mechanisation, etc.

As on March 2021, the outstanding stressed assets portfolio (including restructured standard accounts) of the Bank stood at ₹66887 crore, accounting for 9.91% of gross advances.

RISK MANAGEMENT

BASEL III Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An independent Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Risk Management Sections are functioning at all 24 Circle Offices of the Bank as an extended arms of the Risk Management Wing. The Bank has in place risk management policies across geographies and across all risks encompassing the entire gamut of risk profile. These include policies on Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Asset Liability Management and Group Risk Management. The Bank has in place an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel III norms complying with SREP guidelines. The ICAAP exercise covers the domestic and overseas operations of the Bank, Subsidiaries, Joint Ventures, Sponsored Entities and Associates. Stress testing exercise is also performed by the Bank to ascertain the potential risks faced by the Bank. The ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors. The Bank has a Board Level Sub-Committee for Capital Planning Process. The Committee articulates macroeconomic scenarios vis-à-vis capital requirements of the Bank, in tune with business strategies. The Committee ensures maintenance of appropriate level of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and evaluates various options for raising the capital.

Adoption of Advanced Approaches under Basel III

In an endeavour to move towards Advanced Approaches under Basel III for computation of capital for Credit, Market and Operational Risks, the Bank had engaged

प्रबंधन समाधान के कार्यान्वयन के लिए एक सलाहकार की सेवाएं ली थीं, ताकि अपेक्षित जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किया जा सके। उद्यम-व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में बैंक ने जोखिम समाधान प्राप्त किया है जिससे कि वह उन्नत मापन दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके। बैंक ने ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु उन्नत मापन दृष्टिकोण अपनाने के लिए आरबीआई को आशय पत्र प्रस्तुत किए हैं।

बेसल III के लिए तैयारी

बेसल III पूंजी विनियमों पर अंतिम दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हो गए। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल III पूंजी विनियमावली के पूर्ण कार्यान्वयन की परिवर्ती अवधि को 01.10.2021 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 01.10.2021 से भारत में स्थित बैंकों को 5.50% की न्यूनतम समान ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी, 7.00% की टियर 1 पूंजी, 9% की कुल पूंजी और 2.50% की पूंजी परिरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाये रखने की आवश्यकता है। बैंकों को जोखिमपूर्ण पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में 3.50% का न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात बनाए रखना है।

बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रहने का प्रयास करता है। भारत सरकार से पुनः पूंजीकरण समर्थन सहित, बाजार से पूंजी जुटाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त गुंजाइश है। आगे बढ़ते हुए, बैंक की पूंजी की अपेक्षा की पूर्ति, नयी ईक्विटी पूंजी लगाने, लाभ बरकरार रखने, कारोबार स्तरों का अनुकूलन और सक्रिय पूंजी योजना व प्रबंधन के ज़रिए की जाएगी।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन हेतु सिद्धांतों, मानकों और दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है। ऋण जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंध करने, संसाधनों को अनुकूलित करने और प्रतिकूल ऋण संबंधी स्थितियों के खिलाफ बैंक की रक्षा करने के लिए सिस्टम, प्रक्रियाएं, नियंत्रण और उपाय मौजूद हैं। ऋण जोखिम के मुद्दों और विचारों को व्यापक रूप से निपटाने के लिए बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है। उधारकर्ताओं की आंतरिक रेटिंग (आंतरिक रूप से विकसित मॉडलों पर) और ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली है जिसमें ऋण सीमा रशि की मंजूरी के लिए ऋण प्रस्ताव की व्यवहार्यता और आवेदक की

the services of a Consultant for implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management solution for itself and the Group Entities, so as to build requisite risk management framework. As a pre-requisite for the implementation of Enterprise wide Integrated Risk Management architecture, the Bank has procured a Risk Solution that would enable it to meet requirements of Advanced Measurement Approaches. The Bank has submitted Letters of Intent to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for calculation of capital charge for Credit Risk, Internal Models Approach for calculation of capital charge for Market Risk and Advanced Measurement Approach for calculation of capital charge for Operational Risk.

Preparedness for Basel III

The final guidelines on Basel III Capital Regulations became effective from 1st April, 2013. As per RBI guidelines, the transitional period for full implementation of Basel III Capital regulations are extended up to 01.10.2021. The banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, total capital of 9.00% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% from 01.10.2021 onwards. The banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 3.50% as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements. The Bank endeavors to remain adequately capitalized. The Bank has adequate headroom to raise capital from the market, including recapitalization support from the Government of India. Going forward, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profits, optimization of business levels, proactive capital planning and management.

Credit Risk Management

The Credit Risk management process outlines the principles, standards and approach for credit risk management at the Bank. Systems, procedures, controls and measures are in place to actively manage the credit risks, optimize resources and protect the Bank against adverse credit situations. In order to comprehensively address the issues and concerns of the Credit Risk, the Bank has put in place a comprehensive Credit Risk Management Policy. A robust system for Internal rating (on internally developed models) of the borrowers, appraisal of loan / credit proposals, including seeking adequate information for appraising the viability of the proposal and creditworthiness of the applicant for

साख योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना, सुपरिभाषित ऋण मंजूरी प्रक्रिया और प्राधिकरण मैट्रिक्स, संपार्श्विक प्रबंधन के लिए मानकों, ऋण निगरानी, अग्रिमों, एमएसएमई और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की पुनर्संरचना आदि का पालन किया जाता है। जोखिम स्वीकृति, जोखिम मापन, विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंड, संगठनात्मक संरचना, रणनीतियां और परिचालन प्रक्रिया लागू हैं। संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम और जोखिम संकेन्द्रण के मुद्दे का समाधान करने के लिए नीति विभिन्न जोखिम सीमाओं को निर्धारित करती है। आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा निवल ब्याज मार्जिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आय सृजन हेतु उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण किया जाता है।

उधार खातों के समग्र प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रशासन, निगरानी और ऋण लेखा-परीक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए बैंक के पास एक ऋण समीक्षा तंत्र है। ऋण समीक्षा और निगरानी की पूरी प्रक्रिया को ऋण प्रशासन और निगरानी विभाग द्वारा विधिवत प्रशासित किया जाता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक के बाजार जोखिम ढांचे का उद्देश्य, सभी प्रकार के बाजार जोखिम हानि की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करना तथा विभिन्न बाजार जोखिम कारकों के लिए सीमा संरचना व उत्प्रेरक स्थापित करना है। एक्सपोजर सीमा, जैसे ट्रेडिंग बुक पर हानि रोध सीमा, विभिन्न मुद्राओं की स्थिति के बारे में इंट्राडे व ओवरनाइट सीमा, डीलर-वार सीमा, सकल अंतर सीमा, मुद्रा बाजार परिचालन की सीमाएं, निवेश संविभाग के लिए संशोधित अवधि सीमा और जोखिम निवारक / उत्प्रेरक के लिए वीएआर सीमा निर्धारित किये गये हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग के मिड ऑफिस अन्य ट्रिगर्स के साथ इन सीमाओं की दैनिक आधार पर निगरानी करता है। बाजार जोखिम सीमाओं और ट्रिगर्स की प्रभावी और समय पर निगरानी के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचा तैयार किया गया है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा नैतिकता, संगठन संस्कृति और सुदृढ़ परिचालन प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक योजना शामिल हैं। बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है जिसमें परिचालन जोखिम प्रबंधन ढाँचा, बाह्यस्रोतीय गतिविधियाँ तथा कारोबार निरंतरता योजना जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। वर्तमान में, बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) से बेसल III ढांचे के उन्नत दृष्टिकोण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में है। बैंक ने

sanctioning credit limits, well defined credit approval process and authorization matrix, standards for collateral management, credit monitoring, restructuring of advances, MSME and Off Balance Sheet Exposures, is followed. Risk Acceptance, Risk Measurement, Prudential Exposure Norms, Organizational Structure, Strategies and Operational Process are in place. In order to address the credit risk at portfolio level and the issue of concentration risk, the Policy prescribes fixation of various exposure ceilings. Risk Based Pricing is in tune with the Risk profile of the borrower to generate returns to achieve targeted RoA and NIM.

The Bank has a Loan Review Mechanism for constantly evaluating the overall performance of the borrowal accounts and for bringing about qualitative improvements in credit administration, monitoring and credit audit. The entire process of the Loan review and monitoring is duly administered by the Credit Administration & Monitoring Wing.

Market Risk Management

The Market Risk framework of the Bank aims at restricting loss from all types of market risk loss events and also to establish limit structure and triggers for various market risk factors. Exposure limits, such as, Stop Loss Limits on Trading Book, Intraday and Overnight Limit for various Currency Positions, Dealer-wise Limits, Aggregate Gap Limit, Limits on Money Market Operations, Modified Duration Limits for investment portfolio and VaR Limits are fixed to act as risk mitigants / triggers. Mid Office of Risk Management Wing monitors these limits, along with other triggers, on a daily basis. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of market risk limits and triggers.

Operational Risk Management

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. The Bank has adopted policies for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan. At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approach of Basel III framework from the

पहले से ही घटनाओं के ससमय रिपोर्टिंग के लिए घटना प्रबंधन मॉड्यूल, प्रमुख जोखिम संकेतक की समीक्षा (केआरआई), परिचालन जोखिम के पूंजी प्रभार की गणना के लिए जोखिम नियंत्रण और आत्म मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यशालाओं और परिदृश्य विश्लेषण कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

आस्ति देयता प्रबंधन

नीति ढांचे के भीतर, बैंक के बोर्ड ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की स्थापना की है, जिसे निधीयन रणनीतियों और इसकी संरचना, उत्पाद मूल्य-निर्धारण, तनाव परीक्षण और आकस्मिक कार्य योजना सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रबंधन की भूमिका के साथ सौंपा गया है।

बैंक ने 01.01.2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को लागू किया है। बैंक के एलसीआर को निरंतर आधार पर निर्धारित नियामक अपेक्षा के अनुरूप बनाए रखा जा रहा है।

समूह जोखिम

बैंक में विभिन्न सहायक, संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं हैं, जो विविध गतिविधियाँ कर रही हैं। जैसा कि इन समूह संस्थाओं में बैंक की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, बैंक ने अंतर समूह लेनदेन में जोखिम की पहचान करने और प्रबंधन करने के लिए एक समूह जोखिम प्रबंधन नीति और समूह संस्थाओं के बीच हितों के संघर्ष को कम करके नैगम अभिशासन के मानक को बढ़ाने के लिए एक्सपोजर हेतु नीति अपनाई है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार मापदंडों के संबंध में संस्थाओं के बीच 'स्वतंत्र संव्यवहार का सिद्धांत' है। बैंक के समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) समूह संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

डेटा सेंटर, आपदा वसूली केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए बैंक को आईएसओ: 27001:2013 से प्रमाणित किया गया है और प्रमाणीकरण 11/04/2020 से 3 साल की अवधि के लिए वैध है। यह प्रमाणित किया जाता है कि संगठन की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है और आईएसओ 27001:2013 मानक की आवश्यकताओं के अनुसार पाया गया है।

Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has already put in place Incident Management module for timely reporting of incidents, Review of Key Risk Indicators (KRI), Conducting of Risk Control & Self Assessment (RCSA) workshops and Scenario Analysis workshops to compute capital charge for Operational Risk.

Asset Liability Management

Within the policy framework, the Board of the Bank has set up Asset Liability Management Committee (ALCO), which is entrusted, inter alia, with the role of management of assets and liabilities including the funding strategies and its composition, product pricing, stress test and contingency action plan among others.

The Bank has implemented the RBI guidelines with respect to Liquidity Coverage Ratio (LCR) with effect from 01.01.2015. LCR of the Bank is being maintained above the stipulated regulatory requirement on an ongoing basis.

Group Risk

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities, which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, Bank has put in place a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in intra Group transactions and exposures to raise the standard of Corporate Governance by reducing and avoiding conflicts of interest between the Group Entities and also to ensure 'Arms Length Principle' among Entities, with regard to business parameters. The Group Chief Risk Officer (GCRO) of the Bank is supervising the risk management activities of the Group Entities.

COMPLIANCE TO INTERNATIONAL STANDARDS

Bank has been certified with ISO: 27001:2013 for Data Centre, Disaster Recovery centre and Department of Information Technology Wing and the certification is valid from 11/04/2020 for a period of 3 years. It is certified that the Information Security management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the ISO 27001:2013 standard.

एकीकृत कोष

मार्च 2021 तक बैंक का कुल निवेश (निवल) ₹258698 करोड़ था। मार्च 2021 तक निवेश पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि 4.89 थी, मार्च 2021 तक बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि 1.30 पर है। निवेश पर प्रतिफल यथा 31 मार्च 2021 को 6.74% हो गया। ओएमओ में सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ निवेश पोर्टफोलियो के सक्रिय मंथन के कारण वर्ष के दौरान घरेलू कोष संचालन के तहत व्यापारिक लाभ बढ़कर ₹3316 करोड़ हो गया। प्राथमिक डीलर (पीडी) के रूप में बैंक सरकारी प्रतिभूति बाजार में एक सक्रिय खिलाड़ी बना हुआ है।

हामीदारी के लिए जमा की गई बोलियों की कुल राशि ₹209767 करोड़ थी, जिसमें से, आरबीआई द्वारा स्वीकार की गई हामीदारी प्रतिबद्धता ₹108166 करोड़ थी। पीडी व्यवसाय के तहत ट्रेजरी बिलों के संबंध में, प्रत्येक छमाही में प्राप्त किए जाने वाले 40% के न्यूनतम सफलता अनुपात के मुकाबले, सितंबर 2020 को समाप्त पहली छमाही के लिए बैंक का सफलता अनुपात 83.10% और मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए 86.45% है।

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी कारोबार पण्यवर्त, कुल ₹164437 करोड़ रहा, जिसमें निर्यात के तहत ₹72601 करोड़, आयात के तहत ₹34089 करोड़ और प्रेषण के तहत ₹57747 करोड़ शामिल हैं।

अन्य सेवाएं

व्यापार बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक के मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग ने 1128 निर्गम (सार्वजनिक/ अधिकार / ऋण) को बैंकर्स टू ए इश्यू के तहत संचयी के रूप में संभाला। 88 इक्विटी निर्गम और 18 ऋण निर्गम और बैंक को एसबीए के माध्यम से 507330 आवेदनों की संख्या के साथ 4-7 दिनों के लिए ₹3702.34 करोड़ का अस्थायी फंड लाभ मिला। वर्ष 2020-21 के दौरान कमीशन के रूप में जमा की गई राशि (₹10/- प्रति आवेदन और आबंटित राशि पर 0.35%) ₹37.84 लाख है।

- कैपिटल गेन बॉन्ड के तहत, बैंक को एक दिन के लिए जुटाई गई और अस्थायी फंड की राशि पर 0.12% कमीशन + लागू जीएसटी मिल रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई), भारतीय रेलवे वित्त निगम

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank stood at ₹258698 crore as at March 2021. While modified duration of the investments portfolio stood at 4.89 as at March 2021, the modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio is at 1.30 as at March 2021. The yield on investments stood at 6.74% as at 31st March 2021. The trading profit under domestic treasury operations during the year increased to ₹3316 crore on account of active churning of the investment portfolio along with active participation in OMOs. The Bank continues to be an active player in the Government Securities Market as a Primary Dealer (PD).

The total amount of bids submitted for underwriting was ₹209767 crore, of which, the underwriting commitment accepted by the RBI was ₹108166 crore. With regard to Treasury Bills under PD business, as against the minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has a success ratio of 83.10% for the first half year ended September 2020 and 86.45% for the second half year ended March 2021.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹164437 crore, comprising of ₹72601 crore under exports, ₹34089 crore under imports and ₹57747 crore under remittances during the year ended March 2021.

OTHER SERVICES

Merchant Banking

During the year the Bank's Merchant Banking Division handled 1128 issues (public / rights / debt) as cumulative under Bankers to an Issue. During the year FY 2020-21, Section has handled 88 Equity Issues and 18 Debt Issues and Bank got float fund benefit of ₹3702.34 crore for 4-7 days through ASBA with number of applications 507330. The amount collected as commission (₹10/- per application plus 0.35% on allotted amount) is ₹37.84 Lakhs during the year 2020-21.

- Under Capital Gain Bonds, Bank is getting 0.12% Commission + applicable GST on the amount so mobilized and floating fund for one day.

Rural Electrification Corporation Ltd (REC), National Highways Authority of India (NHAI), Indian Railway

लिमिटेड (आईआरएफसी) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने बैंक को प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बॉन्ड इश्यू के लिए "अरेंजर्स एंड कलेक्टिंग बैंकर्स" के रूप में कार्य करना जारी रखने का कार्य सौंपा है।

2020-21 के दौरान, हमारे बैंक द्वारा जुटाई गई / एकत्रित की गई धनराशि ₹559.59 करोड़ एकत्रित करने वाले बैंकर के रूप में और ₹50.00 करोड़ अरेंजर के रूप में है। हमें ₹11.40 लाख की अरेंजर फीस मिली है। अनुभाग कंपनियों के अनुरोध के अनुसार शेयर मूल्यांकन प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, अनुभाग ने 2 मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की हैं और ₹5.00 लाख का कमीशन अर्जित किया है। हमने एटी1 बॉन्ड के लिए अरेंजर का काम भी शुरू किया है। इस प्रक्रिया में, हमारे बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया के एटी1 बांडों में ₹250.00 करोड़ का निवेश किया है और हम अरेंजर शुल्क के रूप में ₹1.00 करोड़ प्राप्त करने के हकदार हैं।

बैंकएश्योरेस और म्यूचुअल फंड

बैंक ने अपनी 'बैंकएश्योरेस' ईकाई के तहत जीवन और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में करार किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम, मेसर्स केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इश्योरेस कंपनी लिमिटेड से ₹187.91 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की। म्यूचुअल फंड व्यवसाय के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम, मेसर्स केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से ₹30.43 करोड़ का कमीशन अर्जित किया। सभी तीन सामान्य बीमा प्रतिभागी मेसर्स बजाज आलियांज जनरल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड, मेसर्स टाटा एआईजी जनरल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड और अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विपणन के लिए मेसर्स द न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड और एकल स्वास्थ्य बीमा भागीदार मेसर्स एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती एएमएचआई) के साथ गठजोड़ व्यवस्था से गैर-जीवन (सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा) व्यवसाय के तहत ₹63.82 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की गई थी। सामाजिक सुरक्षा योजना (एसएसएस) में, बैंक ने पीएमजेजेबीवाई के तहत ₹18.20 करोड़ और पीएमएसबीवाई के तहत ₹3.06 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है। बैंक ने ई-सिंडिकेट इश्योरेस और म्यूचुअल फंड पार्टनर से ₹0.98 करोड़ का नवीनीकरण / ट्रेल कमीशन भी अर्जित किया है।

सरकारी कारोबार

बैंक सरकारी कारोबार करता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशन का भुगतान, डाक लेनदेन और राज्य सरकार के ट्रेजरी लेनदेन का संचालन, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सॉवरेन गोल्ड बांड जारी करना और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं। इन उत्पादों

Finance Corporation Ltd (IRFC) and Power Finance Corporation (PFC) have entrusted the Bank to continue to act as "Arrangers and Collecting Bankers" for the Private Placement Capital Gain Bond Issues

During 2020-21, funds mobilized / Collected by our Bank are ₹559.59 crore as collecting banker and ₹50.00 crore as arranger. We have received an Arranger fee of ₹11.40 Lakhs. Section is providing share valuations as per request of the companies. During the year FY 2020-21, Section has prepared 2 valuation reports and earned commission ₹5.00 Lakhs. We also initiated the work of arranger for AT1 Bonds. In this process, our Bank has invested ₹250.00 crore in Bank of India AT1 Bonds and we are entitled to get ₹1.00 crore on account of Arranger fee.

Bancassurance and Mutual Funds

The Bank has tied-up arrangements with life and non-life insurance segments under its 'Bancassurance' arm. During the year FY 2020-21, Bank earned a commission income of ₹187.91 crore from its joint venture, M/s Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹30.43 crore from its joint venture, M/s Canara Robeco Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹63.82 crore was earned under Non-Life (General Insurance & Health Insurance) business from its tie-up arrangements with all the three GI Partners M/s Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd, M/s TATA AIG General Insurance Co. Ltd and M/s The New India Assurance Co. Ltd & Standalone Health insurance partner M/s HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd (Erstwhile AMHI) for marketing their Health insurance products. In Social Security Schemes (SSS), Bank has earned commission of ₹18.20 crore under PMJJBY & ₹3.06 crore under PMSBY. Bank has also earned renewal / trail commission from E-Syndicate Insurance and Mutual Fund partner of ₹0.98 crore.

Government Business

The Bank undertakes Government Business, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of Central Government and State Government Pensions, Handling of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens' Saving Scheme, issuing Sovereign Gold Bonds and Sukanya Samridhi Scheme. These products

ने कासा सुधार में योगदान दिया और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ₹167.20 करोड़ की शुल्क आय अर्जित की।

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जहाजरानी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, लक्षद्वीप प्रशासन भारतीय पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), नई दिल्ली के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में अधिकृत किया गया है। बैंक वित्तीय वर्ष 2012-13 से स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू कर रहा है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र को परिभाषित पेंशन प्रदान करने की दृष्टि से स्वावलंबन के स्थान पर अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 590992 खाते जुटा सका।

संगठन और सहायक सेवाएं

शाखा नेटवर्क-विस्तार अखिल भारतीय उपस्थिति

सुगमता बढ़ाने के प्रयास में, बैंक ने वर्ष के दौरान 130 घरेलू शाखाएं जोड़ीं। मार्च 2021 तक, विशिष्ट शाखाओं सहित बैंक की 10416 घरेलू शाखाएं थीं।

शाखा नेटवर्क संरचना

वर्ग	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोला गया
	31.03.2020	31.03.2021	
महानगर	1273	2113	52
शहरी	1226	2094	60
अर्ध शहरी	2004	3140	18
ग्रामीण	1826	3069	0
विदेशी	5	4	0
कुल घरेलू शाखाएं	6329	10416	130

नोट: वर्ष के दौरान 105 घरेलू शाखाओं का विलय / बंद किया गया।

वर्ष के दौरान 1 विदेशी शाखा का विलय / बंद कर दिया गया।

मार्च 2021 तक बैंक की कुल विशिष्ट शाखाएं 414 थीं।

contributed to improvement of CASA and earned a fee income of ₹167.20 crore during FY 2020-21.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Archaeological Survey of India, Ministry of Shipping, Ministry of Road Transport and Highways, Lakshadweep Administration and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank was implementing the National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme since FY 2012-13. The Government of India has launched Atal Pension Yojana (APY) in place of Swavalamban with a view to providing defined pension to unorganised sector. The Bank could mobilise 590992 accounts under APY during the FY 2020-21.

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network-Expanding Pan India Presence

In a bid to expand the reach, the Bank added 130 domestic branches during the year. As at March 2021, the Bank had 10416 domestic branches, including Specialized Branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2020	31.03.2021	
Metropolitan	1273	2113	52
Urban	1226	2094	60
Semi-urban	2004	3140	18
Rural	1826	3069	0
Overseas	5	4	0
Total domestic Branches	6329	10416	130

Note: 105 domestic branches were merged / closed during the year.

1 Overseas branch was merged / closed during the year.

The total Specialized Branches of the Bank stood at 414 as at March 2021.

जनशक्ति प्रोफाइल

मार्च 2021 तक, बैंक में 88213 कर्मचारी थे। जनशक्ति का संवर्ग-वार विवरण इस प्रकार है:

संवर्ग	मार्च 2020*	मार्च 2021
अधिकारी	32596	48912
लिपिक	18353	26427
अधीनस्थ**	7683	12874
कुल	58632	88213

*समामेलन पूर्व अवधि के लिए एकल / समेकित केनरा बैंक से संबंधित आंकड़े;

**अंशकालिक कर्मचारी (पीटीई) शामिल हैं

बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या में 55.44% अधिकारी, 29.96% लिपिक और 14.6% अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे। बैंक की महिला कर्मचारियों की संख्या 27,401 थी, जो कर्मचारियों का 31.06% थी। मार्च 2021 तक भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 5,372 थी।

बैंक में 2,412 शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी थे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और विकलांग व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण नीति

बैंक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों, ईडब्ल्यूएस के संबंध में आरक्षण नीति का सख्ती से पालन कर रहा है।

मार्च 2021 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / विकलांग व्यक्तियों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था:

श्रेणी	अ.जा	अ.प.जा	ओबीसी	आ.पि.व	दिव्यांग
अधिकारी	8663	3923	14229	63	1228
लिपिक	4987	1681	7848	35	837
अधीनस्थ*	4780	895	3597	-	347
कुल	18430	6499	25674	98	2412

*अंशकालिक कर्मचारी (पीटीई) शामिल हैं

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिकों और ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों से संबंधित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू और निगरानी करने के लिए बैंक में आरक्षण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। इसके अलावा बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस,

MANPOWER PROFILE

As at March 2021, the Bank had 88213 employees on its roll. The cadre-wise break-up of manpower is as follows:

Cadre	March 2020*	March 2021
Officer	32596	48912
Clerk	18353	26427
Sub Staff**	7683	12874
Total	58632	88213

*Figures relating to standalone / consolidated Canara Bank for pre-amalgamation period;

**includes Part Time Employees (PTEs)

Total staff strength of the Bank comprised of 55.44% Officers, 29.96% Clerks and 14.6% Sub Staff. The Women staff strength of the Bank was 27,401, constituting 31.06% of the employees. The total number of ex-servicemen staff as at March 2021 stood at 5,372.

There were 2,412 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.

Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Other Backward Classes, EWS & Persons with Disabilities

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities, EWS as per the Government of India guidelines.

The representation of SCs / STs / OBCs / EWS / DAPs employees as at March 2021 was as under:

Grade	SCs	STs	OBCs	EWS	PWDs
Officer	8663	3923	14229	63	1228
Clerk	4987	1681	7848	35	837
Sub Staff*	4780	895	3597	-	347
Total	18430	6499	25674	98	2412

*includes Part Time Employees (PTEs)

Reservation Cell is functioning in the Bank to Implement and monitor the Reservations and other provisions related to SC / ST / OBC / PWD / Ex-Servicemen & EWS employees. Further Bank has nominated Executives in the rank of GMs as Chief Liaison Officer

ओबीसी कर्मचारियों के लिए भी मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक के पद पर कार्यपालकों को नामित किया है, जो आरक्षण से संबंधित विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

भर्ती

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 1548 व्यक्तियों की भर्ती की, जिनमें से 241 अनुसूचित जाति (एससी) और 108 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के थे, 416 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 76 ईडब्ल्यूएस श्रेणी, 32 पूर्व सैन्यकर्मी थे और विभिन्न संवर्गों में 55 पीडब्ल्यूडी और 590 महिला कर्मचारी थीं।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियां

- बैंक ने जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से सक्षम हमारे पूर्व कर्मचारी पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शुरुआत की।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए परफॉर्मंस लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) का संवितरण कर दिया गया है।
- सभी कर्मचारियों के लिए मीयादी बीमा कवर (उनके सकल वेतन का 20 महीने, जो अधिकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹20 लाख, लिपिक कर्मचारियों को ₹15 लाख और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ₹10 लाख)
- हमारे बैंक का ई-लर्निंग पोर्टल, नाम “कैंडल” (केनरा डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस) की शुरुआत की गई। परियोजना का उद्देश्य हमारे कर्मचारियों को उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी ऑनलाइन सीखने की सुविधा प्रदान करना है।
- बैंक ने मणिपाल में शीर्षस्थ उत्कृष्टता केंद्र और देश भर में 26 शिक्षण एवं विकास (एलडीसी) के साथ एक मजबूत प्रशिक्षण सेटअप स्थापित किया है। इसके अलावा, लगभग 3200 कर्मचारियों को आईआईएम, आईडीआरबीटी-हैदराबाद, टीआईएसएस-मुंबई, एनआईबीएम-पुणे, एसआईबीएसटीसी-बैंगलोर, क्रिसिल - मुंबई, एसएससीआई (हैदराबाद), आईआईबीएफ और कैब (आरबीआई) पुणे जैसे प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है।
- बैंक ने सीधी भर्ती वाले परीक्षाधीन अधिकारियों, कृषि विस्तार अधिकारियों और विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए नियमित अभिविन्यास / प्रेरण कार्यक्रमों के अलावा ऋण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है।

वरिष्ठ कार्यपालकों के बैच भी बैंक के बोर्ड ब्यूरो द्वारा समन्वित प्रमुख नेतृत्व कार्यक्रम के दौर से गुजर रहे हैं। बैंक ने नव नियुक्त

for SC / ST / Ex-Servicemen / PWD and also for EWS, OBC employees respectively, who ensure compliance of various Govt. Guidelines pertaining to Reservations.

RECRUITMENT

During the FY 2020-21 the Bank recruited 1548 persons in various cadres, out of which 241 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 108 to Scheduled Tribes (STs), 416 belonged to Other Backward (OBC), 76 to EWS category, 32 Ex-servicemen and 55 PWD in various cadres and 590 were women employees.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD) ACTIVITIES

- Bank introduced submission of life certificates by our ex-employee pensioners enabled through JEEVAN PRAMAAN portal.
- Performance Linked Incentive (PLI) for the FY 2020-21 has been disbursed.
- Term Insurance Cover for all employees (20 Months of their Gross Salary subject to a minimum of ₹20 lakhs to Officer employees, ₹15 lakhs to Clerical employees and ₹10 lakhs for Subordinate employees)
- The e-Learning portal of our Bank, named “CanDLE” (Canara Digital Learning Experience) was launched. The objective of the project has been to provide an effective online learning facility for our employees for enhancing their knowledge and skills.
- The Bank has in place a robust training set-up with the Apex Centre of Excellence at Manipal & 26 Learning & Development (LDCs) across the country. In addition to this, around 3200 employees have been trained at external institutes of repute like IIMs, IDRBT-Hyderabad, TISS-Mumbai, NIBM-Pune, SIBSTC-Bangalore, CRISIL-Mumbai, ASCI (Hyderabad), IIBF and CAB (RBI)-Pune.
- Bank has focused on the thrust areas like Credit Management, Risk Management, Forex in addition to the regular Orientation / Induction Programs for direct recruit Probationary Officers, Agriculture Extension Officers and Specialist Officers.

Batches of senior executives are also undergoing the flagship Leadership program coordinated by Bank's

परिवीक्षाधीन अधिकारियों / एसडब्ल्यूओ के लिए एकसमान 52 / 26 सप्ताह के प्रशिक्षण ढांचे को भी अपनाया है।

- पदोन्नति पर कार्यापालकों को आईआईएम, एएससीआई हैदराबाद, टीआईएसएस मुंबई आदि संस्थानों में नेतृत्व / कार्यापालक विकास कार्यक्रमों के लिए 05 दिनों के लिए भेजा जाता है।
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगुवाई में एक प्रशिक्षण सलाहकार समिति बैंक के प्रशिक्षण कार्यों की निगरानी और सुव्यवस्थित करती है। ऑफलाइन कक्षा प्रशिक्षण से वेबिनार में बदलाव किया गया है। हमारे प्रशिक्षण विभाग ने वेबिनार के माध्यम से लगभग 850 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिसमें लगभग 40000 कर्मचारियों ने भाग लिया है। 3178 कर्मचारी बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षित किए गए।

ग्राहक उन्मुखीकरण

शीघ्र सेवा, कम समय में जवाब देने और निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के माध्यम से ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई पहल की गई।

- आईबीए और आरबीआई के निर्देशानुसार, बैंक ने जुलाई 2015 से आरबीआई की सलाह के अनुसार ग्राहक अधिकार नीति अपनाई है, जो ग्राहकों के अधिकारों और बैंक के जिम्मेदारियों को भी बताती है।
- शाखाओं द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 04/12/2020 से 31/12/2020 तक 15 पूर्वनिर्धारित प्रश्नावली के साथ ऑनलाइन "जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण" आयोजित किया गया था।
- दामोदरन समिति की सिफारिश के अनुसार, बैंक ने एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) नियुक्त किया है, जो बैंक के आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्य करता है।
- ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के लिए, बैंक ने विभिन्न सेवाओं जैसे शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट (पिछले 5 लेनदेन), कार्ड की हॉट लिस्टिंग आदि के लिए आईवीआरएस (मिस्ड कॉल सुविधा) पर 24/7 स्वयं सेवा कार्यों को लोकप्रिय बनाया है।
- भारत में संपर्क करने के लिए ग्राहकों के लिए निम्नलिखित टोल फ्री नंबर उपलब्ध हैं - 1800 425 0018, 1800 103 0018 / 1800 208 3333 और 1800 3011 3333

Board Bureau. Bank has also adopted the uniform 52 / 26 week training structure for the newly recruited probationary officers / SWOs.

- Executives, on promotion are sent for 05 days Leadership / Executive Development Programs at institutes like IIMs, ASCI Hyderabad, TISS Mumbai etc.
- A Training Advisory Committee headed by the MD & CEO monitors and streamlines the training functions of the Bank. A shift has been made from offline classroom trainings to webinars. Our training vertical has successfully conducted about 850 programs through webinars, where around 40000 employees have participated. 3178 Employees were trained at external institutes of repute.

CUSTOMER ORIENTATION

Several initiatives were taken to remain customer focused through provision of fast service, offering diversified products & services, responding to customers' queries in shortest possible time and redressal of customer complaints within the timelines stipulated.

- As per the instructions of IBA and RBI, the Bank has adopted Customer Rights Policy as advised by the RBI since July 2015, which spells out the Rights of the Customers and also responsibilities of the Banker.
- To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback online, "Annual Survey of Depositor Satisfaction" was conducted from 04/12/2020 to 31/12/2020 with 15 predefined questionnaire.
- As per the Damodaran Committee recommendations, the Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (CCSO), who acts as an Internal Ombudsman of the Bank.
- In order to enhance customer convenience, Bank has popularized 24/7 Self Service Functions on IVRS (Missed Call facility) for various services like Balance Enquiry, Mini Statement (last 5 transactions), Hot Listing of Cards etc.
- The following Toll Free numbers are available for customers to contact within India - 1800 425 0018, 1800 103 0018 / 1800 208 3333 & 1800 3011 3333

- विदेश से (भारत के बाहर) कॉल करने वाले ग्राहकों के लिए नॉन टोल फ्री नंबर +91 80 22 06 4232 है।
- कॉल सेंटर शिकायतों के निवारण के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, बंगाली और पंजाबी में ग्राहकों की सेवा कर रहा है।
- बैंक ने केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस) पोर्टल के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा लागू की है। बैंक की शाखाओं और कॉल सेंटरों में प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया है। एक बार जब ग्राहक शिकायत दर्ज करता है तो उसे एक टिकट नंबर प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है और संतोषजनक निवारण पर ग्राहक को एक एसएमएस / ईमेल अधिसूचना प्राप्त होती है कि उसकी शिकायत का समाधान / निवारण किया गया है और ग्राहक द्वारा अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान सक्षम किया गया है।
- शाखा स्तर पर शिकायत के समाधान के लिए पूर्वनिर्धारित प्रतिवर्तन काल (टीएटी) 6 दिन है और 7 वें दिन शिकायतों को अगले उच्च प्राधिकारी के पास स्वतः अग्रेषित कर दिया जाता है।
- शिकायत बंद होने पर वेब लिंक के साथ एक एसएमएस ग्राहकों को समाधान के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित किया जाता है।
- हमारे बैंक ने शाखाओं में ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर को मापने के लिए एक एसएमएस आधारित ग्राहक सेवा प्रतिक्रिया तंत्र लाया है। इस फीडबैक तंत्र का उपयोग काउंटरों पर ग्राहक सेवा के स्तर को मापने के लिए किया जाता है और हमारे ग्राहक सेवा चैंपियन को पुरस्कृत करने के लिए अंतर्दृष्टि साबित करने में मदद करता है और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 'जीवन प्रमाण' ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म 15जी / 15एच दाखिल करने की सुविधा सक्षम है।
- कासा (चालू खाता और बचत बैंक खाता) खाता खोलने के उद्देश्य से भुवनेश्वर, एर्नाकुलम मणिपाल, पटना, रांची और विजयवाड़ा में 6 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- हमारा बैंक पीएसबी एलायंस में भी भागीदार है जिसने डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) शुरू की है। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी ग्राहकों के लाभ के लिए पूरे भारत में
- The Non Toll free number for customers calling from abroad (Outside India) is +91 80 22 06 4232.
- Call Centre is catering to customers in 9 regional languages, viz., Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Oriya, Telugu, Gujarati, Bengali and Panjabi besides Hindi and English for redressal of grievances.
- The Bank has implemented online grievance redressal facility for customers to lodge their grievances under the portal Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS). The complaints received at the Branches & Call Centres of the Bank are also integrated with the CPGRS package. Once Customer lodges a complaint he receives a ticket number by which he can track the status of complaint and upon satisfactory redressal customer receives an SMS / email notification that his complaint is resolved / redressed and provision is enabled for the customer to submit his feedback.
- The predefined Turn Around Time (TAT) for resolution of complaint at Branch Level is 6 days and on 7th day the grievances are auto escalated to next higher authority.
- On closure of grievance a SMS with web link is pushed to the customers to submit his / her feedback regarding resolution.
- Our Bank has brought out an SMS based Customer Service Feedback mechanism to measure customer satisfaction levels at branches. This feedback mechanism is used to gauge the customer service levels over the counters and helps in proving insights for rewarding our customer service champions and also taking remedial actions, wherever required.
- Bank has introduced 'Jeevan Praman' online portal for submitting Life certificate for pensioners. Facility for filing Form 15G / 15H through Net Banking is enabled for the convenience of customers.
- 6 Central Processing Centers are established at Bhubaneswar, Ernakulam, Manipal, Patna, Ranchi & Vijayawada for CASA (Current Account & Savings Bank Account) account opening purposes.
- Our Bank is also a partner in the PSB Alliance which has floated Door Step Banking (DSB). Door Step Banking is popularized in 100 identified centers pan India

100 चिह्नित केंद्रों में डोर स्टेप बैंकिंग को लोकप्रिय बनाया गया है। यूनिवर्सल टच पॉइंट्स यानी मोबाइल ऐप, वेबसाइट और कॉल सेंटर के माध्यम से बाह्य विक्रेता द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से 11 सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वे हैं परक्राम्य लिखतों (चेक / ड्राफ्ट / पे ऑर्डर, आदि) का पिक अप, खाता विवरणी का अनुरोध, नई चेक बुक मांग पर्ची, गैर-व्यक्तिगत चेक बुक की डिलीवरी, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, सावधि जमा रसीदें / पावती आदि, 15जी, 15एच फॉर्म की स्वीकृति, आईटी चालान की स्वीकृति / सरकारी गेरेबार / जीएसटी, टीडीएस/ फॉर्म 16 प्रमाणपत्र जारी करना, पूर्व दत्त लिखत/उपहार कार्ड की डिलीवरी, स्थायी निर्देश जारी करना, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र और नकद निकासी जमा करना।

आंतरिक लोकपाल

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने आंतरिक लोकपाल (आई ओ) को उन शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। आंतरिक लोकपाल शिकायतों के मूल कारणों का पता लगाने के लिए कार्रवाई करने के लिए, शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करने वाली बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अपनी गतिविधियों की सावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आंतरिक लोकपाल की सिफारिशों के आधार पर जहां भी परिवर्तन आवश्यक हैं, प्रक्रियाओं / दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में कई लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ऑनसाइट आरबीआई कार्यक्रम के अनुसार, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआई) संख्या 7390, शाखाओं / सेवा इकाइयों में सूचना सुरक्षा ऑडिट (आईएस ऑडिट) के साथ आयोजित की गई थी। 2210 शाखाओं / सेवा इकाइयों में समवर्ती/निरंतर लेखापरीक्षा की गई, जिनमें से 635 शाखाएं / सेवा इकाइयां आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती / निरंतर लेखापरीक्षा के अधीन थीं और 1575 शाखाएं / सेवा इकाइयां बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन थीं, जिसमें 70% अग्रिम शामिल थे। और बैंक के कुल कारोबार की जमा राशि का 50%। तिमाही आधार पर 948 शाखाओं की आय / राजस्व लेखापरीक्षा की गई।

- लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के रूप में, शाखाओं / सेवा इकाइयों को – निम्न, सामान्य, मध्यम और उच्च के मौजूदा

for the benefit of all the customers including Senior Citizens & Differently abled persons. The services are provided through outside vendors through Universal Touch points i.e., Mobile App, Website & Call centers.

- There are 11 services provided through Door Step Banking, They are Pick up of Negotiable instruments (cheques / drafts / Pay orders, etc), request Account statement, Pick up of new cheque book requisition slip, Delivery of non-personalized cheque books, draft, pay orders, term deposit receipts / acknowledgement etc, Acceptance of 15G, 15H forms, Acceptance of IT challan / Government Business / GST, TDS / Form 16 Certificate issuance, Delivery of Prepaid instrument/ Gift card, Issuing Standing Instructions, Submission of Digital Life Certificate and Cash Withdrawal,

INTERNAL OMBUDSMAN

In terms of the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has appointed an Internal Ombudsman (IO) as an independent authority to review complaints that are partly or wholly rejected by the Bank. The IO submits periodical reports on his activities to the Customer Service Committee of the Board analyzing the pattern of complaints, for taking action to address the root cause of complaints. Changes where necessitated on the procedures / guidelines have also been carried out based on the IO's recommendations. During the year, the Bank has conducted Outreach Programmes under the auspices of Reserve Bank of India to create awareness on the Banking Ombudsman scheme at various locations.

INTERNAL CONTROL AND AUDIT

Risk based Internal Audits (RBIA) numbering 7390 were conducted along with Information System audit (IS Audit) across branches / service units as per the program for onsite RBIA for the FY 2020-21. Concurrent / continuous audits were conducted in 2210 branches / service units, of which 635 branches / service units were subjected to concurrent / continuous audit by Internal Auditors and 1575 branches / service units were subjected to concurrent audit by External Auditors, covering 70% of Advances and 50% of Deposits of the total business of the Bank. 948 branches were subjected to income / revenue audit on quarterly basis.

- As part of strengthening the audit process, policy has been revised to grade the branches / service units

चार स्केल रेटिंग के मुकाबले आरबीआई में तीन स्केलों निम्न / मध्यम और उच्च के तहत वर्गीकरण के लिए नीति को संशोधित किया गया है।

- बैंक लगातार बैंक में नवीनतम विकास और प्रवृत्तियों को शामिल करते हुए चेकलिस्ट को विधिवत संशोधित करते हुए लेखापरीक्षा पैकेजों का उन्नयन कर रहा है। इसके अलावा, समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली संस्करण उन्नयन को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप चेकलिस्ट को विधिवत संशोधित करते हुए प्रभावी किया गया था। समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा पैकेज का एकीकरण 01.07.2021 से शुरू किया गया था और समामेलित इकाई की सभी शाखाओं की समवर्ती लेखापरीक्षा दर्पण पैकेज में सक्षम है। आरबीआई/अन्य ऑडिट पैकेजों को ई सिंडिकेट शाखाओं के समामेलन के बाद एकीकृत किया गया था।
- बैंक ने धोखाधड़ी पर शून्य सहिष्णुता दिखाई है और उस प्रक्रिया में बैंक की निरीक्षण / लेखा परीक्षा नीति को संशोधित किया गया है और तदनुसार जिन शाखाओं में धोखाधड़ी का पता चला है या गंभीर अनियमितताएं देखी गई हैं, उन्हें ऐसी शाखाओं / इकाइयों पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए "उच्च जोखिम" के रूप में पुनः वर्गीकरण किया गया था।
- 2020-2021 के दौरान 10378 शाखाओं में 26 मानदंडों के तहत किए गए लेनदेन की परोक्ष निगरानी की समीक्षा की गई, जिसमें जमा, ऋण, जीएल लेनदेन, स्टाफ लेनदेन, खोले गए नए खाते, जमा को समय से पहले बंद करना, निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करना और किसी भी संदिग्ध या अनिश्चित लेनदेन का पता लगाने के लिए एलसी और गारंटी शामिल है। लेन-देन की समीक्षा के दौरान, चूक जो एएमएल कोण से विश्लेषण को देखते हैं, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए बैंक के एएमएल कक्ष को संदर्भित किया गया था।
- वित्त वर्ष 2020-2021 की अवधि के दौरान ओटीएम अनुभाग ने तिमाही के अंत के दौरान व्यापार भिन्नता, खाते स्थानांतरित और पुनः स्थानांतरित, खाते खोले और कम अवधि में बंद हुए जैसे मुद्दों की भी समीक्षा की।
- अब लेन-देन के सत्यापन और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए लेन-देन शाखाओं के बजाय क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे जा रहे हैं। ऐसे उत्तरों की संबंधित अंचल कार्यालयों द्वारा समीक्षा की जाती है और उनका समापन किया जा रहा है।
- निरीक्षण विभाग वीआईपी, सीवीसी, सांविधिक निकायों और ₹10 लाख और उससे अधिक के एनपीए खातों से प्राप्त शिकायतों पर स्वतंत्र रूप से जांच कर रहा है जहां अनियमितताएं / चूक देखी

under three scales - LOW / MODERATE & HIGH in RBIA as against the existing four scale rating of LOW, NORMAL, MODERATE and HIGH.

- The Bank has been continuously going for upgradation of audit packages, duly revising the checklists to include latest developments and trends in the Bank. Further, the Concurrent Audit System version upgradation was effected duly revising the checklist in line with the RBI directions. Integration of Concurrent Audit package for conducting Concurrent Audit was introduced with effect from 01.07.2021 and Concurrent Audit of all branches of amalgamated entity is enabled in the Darpan Package. RBIA / other Audit packages were integrated after amalgamation of eSyndicate branches.
- Bank has shown NIL tolerance on frauds and in that process the Inspection / Audit policy of the Bank has been revised and accordingly the branches where fraud has been detected or serious irregularities were observed, the gradation was reassigned as "High Risk" to have more control on such branches / units.
- Off Site Monitoring of the transactions carried out in 10378 branches were reviewed under 26 parameters during 2020-2021 covering Deposits, Loans, GL transactions, Staff Transactions, newly opened accounts, premature closure of Deposits, reactivation of dormant accounts and LCs and Guarantees etc. for ascertaining any suspicious or dubious transactions. During the review of transactions, deviations which attract analysis from AML angle found were referred to the AML Cell of the Bank for further action.
- During the period FY 2020-2021 OTM section also reviewed issues like Business variations during quarter ends, Accounts transferred and retransferred, Accounts opened and closed in short duration.
- Now the transactions are being assigned to Regional Offices instead of branches for verification of the transactions and for submission of replies. Such replies are reviewed at Circle Offices concerned and are being closed.
- Inspection Wing is conducting Investigations independently on complaints emanated from VIPs, CVC, Statutory Bodies and NPA accounts of ₹10 lakhs & above where irregularities / lapses are observed. During the year 2020-21, Inspection Wing

गई हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, निरीक्षण विभाग ने 145 जांच पूरी कर ली है और तार्किक निष्कर्ष के लिए संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एफआई) के बदले में बैंक को आरबीआई द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) व्यवस्था के तहत लाया गया था। वर्तमान में, बैंक ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का 7वां चक्र पूरा कर लिया है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) ढांचे को जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के रूप में नामित किया गया है। एसपीएआरसी के तहत, आरबीआई द्वारा बैंक के जोखिम का विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए ऑन-साइट निरीक्षण के निष्कर्षों के साथ-साथ बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा और जानकारी के ऑफसाइट विश्लेषण के संयोजन के माध्यम से चल रहे आधार पर किया जाता है।

अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) / एएमएल / सीएफटी

बैंक केवाईसी / एएमएल / सीएफटी मानदंडों को पूर्णरूपेण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर-अनुपालन के प्रति शून्य सहनशीलता रखता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने मजबूत प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। नामित व्यक्तियों / संस्थाओं के संबंध में नियामकों द्वारा जारी की गई सलाह का ईमानदारी से पालन किया जाता है। केवाईसी / एएमएल / सीएफटी से संबंधित मामलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टाफ सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीएच)

बैंक ने 01/10/2020 से एर्नाकुलम, भुवनेश्वर, मणिपाल, पटना, रांची और विजयवाड़ा में स्थित 6 सीपीएच (केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र) के माध्यम से कासा खातों को केंद्रीकृत रूप से खोलने की शुरुआत की है।

कासा खाता प्रणाली के केंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य त्वरित व उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने, उद्योग में सर्वोत्तम आचरण संहिता को लागू करने एवं उसका पालने, आवेदन प्रपत्रों की भौतिक आवाजाही को समाप्त करने, खाता खोलने के लिए लगनेवाले समय (टीएटी) को कम करने, वर्तमान प्रक्रिया में मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और डिजिटल पैठ एवं वैकल्पिक चैनलों पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त एक ही बार में सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए पूरे भारत में अपने बैंक के लिए खाता खोलने की पार्श्व प्रक्रिया को लागू करना है।

has completed 145 Investigations and submitted the reports to the concerned authorities for logical conclusion.

RISK BASED SUPERVISION

The Bank was brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from FY 2014-15. Presently, the Bank has completed the 7th cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by RBI on an on-going basis through a combination of offsite analysis of the data and information furnished by the Bank as well as the findings of the on-site Inspection for supervisory Evaluation (ISE).

Know Your Customers (KYC) / AML / CFT

The Bank is committed to implement the KYC / AML / CFT norms in its completeness and has zero tolerance towards non-compliance. To ensure this, the Bank has put robust systems and processes in place. Advisories issued by the regulators with respect to designated individuals / entities are scrupulously followed. Regular training is provided to staff members to increase their awareness on matters regarding KYC / AML / CFT.

Central Processing Hubs (CPHs)

Bank has implemented Centralized opening of CASA accounts through 6 CPHs (Centralized Processing Hubs) located at Ernakulam, Bhubaneswar, Manipal, Patna, Ranchi and Vijayawada with effect from 01/10/2020.

The main objectives of the centralization of CASA accounts system is to implement backend account opening process for the Bank Pan India with all relevant details at one go complying with all regulatory requirements in addition to providing quick and excellent service, implement and follow the best practice code in the industry, eliminate the physical movement of the application forms, minimize the Turn Around Time (TAT) for account opening, minimize the manual intervention in the present procedure, maximize utilization of the resources to increase the productivity and focus on Digital penetration and alternate channels.

राजभाषा कार्यान्वयन

बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और समीक्षा-वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। मार्च 2021 तक, 86% से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। ये सभी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं इन्हें हिंदी कार्यशाला के माध्यम से प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त है। समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने ऐसी 217 कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

राजभाषा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में, हमारे बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के हिंदी संस्करण को वर्ष के दौरान लाइव किया गया है। यूनिकोड स्तर माध्यम से हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए बैंक ने शब्द संसाधन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हुए यूनिकोड पैकेज उपयोग को बढ़ावा दिया है तथा साथ ही बैंक के एटीएम स्क्रीन में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन करने का प्रावधान किया है। हमारे एटीएम से हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, लेनदेन पचीं मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और मराठी में प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग पर त्रैमासिक रिपोर्ट अर्थात् एसटीआर-18 प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पैकेज को लाइव किया गया है।

हिन्दी के प्रयोग संबंधी समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन सभी स्तर पर अर्थात्, प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और बैंक की सभी शाखाओं में किया गया है। इस समिति की तिमाही बैठक समय पर आयोजित की जाती है। हमारा बैंक आगरा, बगपत, एटा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हाथरस, कासगंज, मेरठ, अनंतपुरम, कोयंबटूर, डिंडीगुल, कन्नूर, कारवार, कामारेड्डी, ओंगोल, संगारेड्डी, उडुपि, विजयपुरा और तिरुवनंतपुरम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है और अर्धवार्षिक बैठकों का आयोजन यथासमय किया जा रहा है।

हिंदी को व्यवसायिक भाषा बनाने के उद्देश्य से बैंक ने हिंदी माह 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान 01 सितंबर 2020 को “हिंदी प्रयोग में वृद्धि, ग्राहक सेवा में संवृद्धि” का नारा जारी किया है। बैंकिंग को हिंदी में लोकप्रिय बनाने के लिए एक अभिनव उपाय के रूप में, समकालीन बैंकिंग विषयों पर “हिंदी में परिचर्चा” (हिंदी में चर्चा कार्यक्रम) नामक एक कार्यक्रम सभी प्रशासनिक कार्यालय स्तर

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has attained many milestones in Implementation of Official Language Hindi and won prizes at various levels during the year under review. As at March 2021, more than 86% of employees possess working knowledge in Hindi. All these employees who possess working knowledge in Hindi have been trained in functional Hindi through Hindi workshops. During the year under review, Bank has conducted 217 such workshops.

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, Hindi version of the Core Banking Solution (CBS) of our Bank has been made live during the year. At the same time the Bank has furthered the use of Unicode package for word processing by training the employees for use of more and more Hindi through Unicode standard and the Bank has made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 08 Regional languages. Apart from Hindi and English, transaction slips can be obtained in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, Gujarati, Punjabi and Marathi from our ATMs. Apart from this, an online package has been made live during the year for submission of quarterly report on progressive use of Hindi, i.e. STR-18.

Official Language Implementation Committees have been constituted at all levels i.e., Head Office, Circle Offices, ROs and in all the branches of the Bank for reviewing progress made in use of Hindi. A quarterly meeting of the committee is being conducted promptly. Our Bank is the convener for the Town Official Language Implementation Committee at Agra, Bhagpat, Etah, Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Hatharas, Kasganj, Meerut, Ananthapuram, Coimbatore, Dindigul, Kannur, Karwar, Kamareddy, Ongole, Sangareddy, Udupi, Vijayapura and Thiruvananthapuram and the half yearly meetings are being conducted promptly.

In order to make Hindi as business language, Bank has released a slogan “हिंदी प्रयोग में वृद्धि, ग्राहक सेवा में संवृद्धि” on 01 September 2020 during Inaugural function of Hindi Month 2020. As an innovative measure to popularize Banking in Hindi, a programme named “Hindi

पर सभी चार तिमाहियों में आयोजित किया गया था, सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी और शिक्षाप्रद बताया गया है। हिन्दी गृह पत्रिका केनरा ज्योति को नियोजित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय भाषाओं में उल्लेखनीय पहल

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा वहाँ की संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया जा रहा है।

इस संबंध में किए गए कुछ पहल निम्नवत हैं:

- ✓ राजभाषा नियम के अनुरूप, विशेष रूप से 'ख' और 'ग' क्षेत्र में हिंदी के साथ-साथ क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में अधिकांशतः क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त पत्रों के उत्तर उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में ही दिया जा रहा है।
- ✓ क्षेत्रीय भाषा में ग्राहक सेवा प्रदान करने के संबंध में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए बैंक ने विभिन्न पहल के साथ "लोकल के लिए वोकल बनें - स्थानीय भाषा को सीखना एक कला है जिससे स्थानीय लोगों के दिलों को जीता जा सकता है", नामक नारा को जारी किया है।
- ✓ ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले फॉर्म जैसे - खाता खोलने का फॉर्म, आहरण पर्ची, जमा पर्ची (पे इन स्लिप), एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए आवेदन आदि को त्रिभाषा में अर्थात्, संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराए गए हैं और इन प्रपत्रों को पैकेज के माध्यम से इंडेंट किया जा सकता है।
- ✓ राजभाषा नियम के अनुसार सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट क्षेत्रीय भाषा में भी प्रदर्शित किए जाते हैं।
- ✓ प्रदर्शित किए जाने वाले बैनर और प्रचार सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है।
- ✓ क्षेत्रीय समाचार पत्रों में बैंक का विज्ञापन और नोटिस संबंधित क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किए जा रहे हैं।
- ✓ ऋण आदि की वसूली के लिए ग्राहकों को नोटिस क्षेत्रीय भाषा में भेजा जा रहा है।

Mein Paricharcha" (Discussion programme in Hindi) on contemporary Banking subjects was conducted in all four quarters at all Administrative Office level, staff members of all cadres participated actively and the programme was opined as very useful and educative. Hindi house magazine Canara Jyoti is being published regularly.

Notable Initiatives in Regional Languages

Apart from Hindi and English, importance is being given to all regional languages in the respective regions.

A few initiatives in this regard are as under:

- ✓ In accordance with OL rules, importance is being given to Regional languages along with Hindi in B and C regions, mostly letters received in Regional Language are being replied in that Regional Language.
- ✓ In order to motivate staff members regarding rendering customer service in regional language the Bank has released a slogan "Be vocal for local: - Learning Local Language is a skill to win over the hearts of local people" along with various initiatives.
- ✓ Forms used by the customers like account opening form, withdrawals slips, pay-in slips, application for NEFT / RTGS etc. are made available in trilingual - i.e. respective regional language, Hindi and English, and can be indented through package.
- ✓ As per the Official Language Rules all the name boards, informatory boards are displayed in Regional Language also.
- ✓ Banners are displayed and Publicity Materials are made available in Regional Languages.
- ✓ Bank Advertisements and Notices in regional newspapers are being published in concerned regional Languages.
- ✓ Communications with regard to issue of notices for recovery of loans etc. are being sent in Regional Languages.

सतर्कता व्यवस्था

प्रधान कार्यालय स्तर पर गठित सतर्कता व्यवस्था में मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, जिन्हें प्रधान कार्यालय में सतर्कता विभाग के कार्यपालक और कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को सतर्कता संबंधी प्रशासन कार्य में, अंचलों / प्रका / आरआरबी / बैंक की अन्य अनुषंगी कंपनियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। सीवीओ के पर्यवेक्षण / मार्गदर्शन में बैंक में सतर्कता प्रबंधन द्वारा सतर्कता संबंधी निवारक उपाय, सहभागी, सक्रिय और दंडात्मक पहलुओं संबंधी विभिन्न कार्यों का संचालन किया जाता है, जिसमें धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और कदाचार के अवसर प्रदान करने वाले कारकों को खत्म करना / कम करना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी निवारक सतर्कता उपायों पर अधिक जोर दिया जाता है।

हमारे बैंक में 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया, जिसका विषय "सतर्क भारत, समृद्धि भारत (सतर्क भारत-समृद्ध भारत)" था और समाज में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के लिए, सभी शाखाओं / कार्यालयों ने विभिन्न गतिविधियों जैसे कि सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, संगोष्ठी, कार्यशालाएं, ग्राहक शिकायत निवारण बैठक, ग्राम पंचायतों में जागरूकता सभा का आयोजन, पैनल चर्चा, विद्यालयों / महाविद्यालयों में प्रतियोगिताएं (अर्थात् निबंध लेखन, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं) आदि के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। बैंक के कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक मामले, खरीद और कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए।

जहां पर धोखाधड़ी जैसी घटना पाई जाती है, वहाँ पर धोखाधड़ी के तौर-तरीकों संबंधी महत्वपूर्ण केस स्टडी को कर्मचारियों की सुविधा के लिए, केननेट में अपलोड की जाती है ताकि वे दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिक सतर्क रह सकें।

आईएसी के संबंध में सतर्कता दृष्टिकोण का निर्धारण करते समय पाई गई कमियों के आधार पर समय-समय पर प्रणालीगत सुधारों के संबंध में सुझाव दिया जाता है।

इस दौरान परिचालन स्तर पर ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए "निवारक सतर्कता मार्गदर्शिका" लाया गया और सभी केनरा साथियों के लाभ के लिए यह केननेट में उपलब्ध है।

VIGILANCE SETUP

Vigilance set up at Head Office level comprises of Chief Vigilance Officer, who is assisted by the Executives and staff of Vigilance Department at HO. The Chief Vigilance Officer is also assisted by Vigilance Officers at Circles/ HO / RRBs / other subsidiaries of the Bank in Vigilance administration. The Vigilance Management in the Bank under the supervision / guidance of CVO administers various functions on preventive, participative, proactive and punitive aspects of vigilance with more emphasis on preventive vigilance measures to eliminate / minimise factors which provide opportunities for frauds, corruption and malpractices in the organization and also to take punitive action as a deterrent measure to check recurrence of such instances.

'Vigilance Awareness Week' was observed in our Bank from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020, with the theme "Satark Bharat, Samridhi Bharat (Vigilant India- Prosperous India) "and all the Branches / Offices have actively participated in conducting various activities such as administering Integrity Pledge, Seminars, Workshops, Customer Grievance Redressal Meetings, Awareness Sabhas in Gram Panchayats, Panel Discussions, Competitions in Schools / Colleges (viz. Essay Writing, Debate & Quiz Competitions) etc to bring awareness in Society about the ill effects of Corruption. Online training sessions were conducted for employees of the Bank regarding disciplinary matters, procurements and corporate governance.

Important case studies with the modus-operandi of the fraud, in cases where frauds are observed, is uploaded in CANNET for the benefit of employees to enable them to be more vigilant in day-to-day functions.

Systemic improvements are periodically suggested based on the lapses observed while determining vigilance angle in respect of IACs.

To bridge the knowledge gap at the operational level a "Compendium on Preventive Vigilance" was brought out during the occasion and is available in CANNET for the benefit of all Canarites.

भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक भारतीय लेखा मानक (इंड एस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुगम अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संदर्भ संख्या: डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के कार्यान्वयन को अगले सूचना तक के लिए स्थगित किया है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को नियमानुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने, 'वन स्टॉप बैंकिंग' के उद्देश्य के साथ ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हुए 1980 के दशक के अंत में अनुषंगियों को खोलकर विविध कारोबारी गतिविधियों की शुरुआत की। वर्तमान में बैंक विविध क्षेत्रों के अंतर्गत आठ घरेलू अनुषंगी, एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान सभी घरेलू अनुषंगियों/सहायक / संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) ने संतोषजनक निष्पादन किया है।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

मेसर्स केनफिन होम्स लिमिटेड, केनरा बैंक की एक प्रायोजित संस्था है जो कि देश की श्रेष्ठ आवास वित्त संस्थाओं में से एक है। कंपनी में बैंक की 29.99% की हिस्सेदारी है। मार्च 2021 तक कंपनी का ऋण बकाया ₹22105 करोड़ था। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में ₹456.06 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया। यथा दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी का सकल एनपीए ₹201.91 करोड़ (0.91%) था और निवल अनर्जक आस्ति ₹134.33 करोड़ (0.61%) था। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए 100% लाभांश का प्रस्ताव रखा।

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

मेसर्स केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (च्वाइस) वर्ष 2007 में एचएसबीसी बीमा (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग लिमिटेड और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सहयोग से, बैंक द्वारा शुरू किया गया एक जीवन बीमा संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम ने अपना कारोबार दिनांक 16.06.2008 से प्रारम्भ किया। इसके कारोबार के संचालन में केनरा बैंक की अधिकतम शेरधारिता 51% है और इसके बाद एचएसबीसी (26%) और पंजाब नेशनल

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref: DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March, 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Pro-Forma Financial Statements to RBI for every quarter as per the guidelines of RBI.

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with eight Domestic Subsidiaries, one Associate Company and one Joint Venture in diversified fields. All the Domestic Subsidiaries / Associate / Joint Venture of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2020-21.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL)

M/s Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. The bank holds 29.99% stake with the company. The loans outstanding of the Company as at March 2021 were ₹22105 crore. The Company earned a Net Profit of ₹456.06 crore for current financial year. Gross NPAs of the Company was ₹201.91 crore (0.91%) and Net NPA was ₹134.33 crore (0.61%) as on 31.03.2021. The Company proposed 100% dividend for the year 2020-21.

CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

M/s Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICE) is a Life Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008, with majority shareholding of 51% by Canara Bank, followed by HSBC (26%) and Punjab National Bank (e-OBC) (23%).

बैंक (ई-ओबीसी) (23%) की हिस्सेदारी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹5026.4 करोड़ का सकल प्रीमियम दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹94.60 करोड़ का निवल लाभ हासिल किया है।

केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी)

मेसर्स केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, मेसर्स रोबेको ग्रुप एनवी के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है जिसमें बैंक की 51% हिस्सेदारी है। इस संयुक्त उद्यम का गठन 2007 में मेसर्स केन बैंक म्यूचुअल फंड में मेसर्स रोबेको ग्रुप एनवी के पक्ष में बैंक द्वारा धारित 49% हिस्सेदारी को बेचकर किया गया था। वर्तमान में, कंपनी इक्विटी, संतुलित और ऋण योजनाओं को मिलाकर 24 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है। यथा 31.03.2021 को कंपनी की मूल प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) ₹27415 करोड़ के स्तर पर पहुँच गईं। कंपनी ने ₹36.29 करोड़ का निवल लाभ घोषित किया है और चालू वित्त वर्ष के लिए 200% का लाभांश भी घोषित किया है।

केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड (सीबीएसएल)

मेसर्स केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। सीबीएसएल ने केनरा बैंक से निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) सेवाओं को दिनांक 01.04.2017 से अधिग्रहण कर लिया है। मेसर्स केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड, डीपी ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। कंपनी, संस्थागत और खुदरा दोनों प्रकार के ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए सीधे ऑनलाइन मोड (डिजिटल केवाईसी) "केन-इंस्टीगो-डीआईवाई" के माध्यम से तत्काल डीमेट सह ट्रेडिंग खाते खोलना शुरू किया है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए ₹14.92 करोड़ का निवल लाभ हासिल किया है और 35.00% का लाभांश घोषित किया है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल):

बैंक की 70% हिस्सेदारी के साथ, मेसर्स केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, बैंक की एक फैक्ट्रिंग अनुषंगी कंपनी है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी का कुल कारोबार ₹1469.98 करोड़ था, और कंपनी ने चालू वर्ष के लिए ₹2.55 करोड़ का निवल लाभ कमाया है।

केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीसीएफएल)

मेसर्स केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है और केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड ट्रस्ट का न्यासी और प्रबन्धक है। कंपनी ने अब तक 5 निधियों (फंडों) का प्रबंधन किया है, जिसमें कुल आस्ति प्रबंधन के तहत ₹552.78 करोड़ है। सीवीसीसीएफएल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) के प्रबंधन के लिए ₹2206 करोड़ के कोष के साथ स्थापित किया गया है।

The Company recorded gross premium of ₹5026.4 crore during the year. The Company achieved Net Profit of ₹94.60 crore for FY 2020-21.

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC)

M/s Canara Robeco Asset Management Company Limited is a joint venture (JV) with M/s Robeco Group NV with the Bank's holding of 51% Stake. This JV was formed in 2007 divesting 49% Stake held by the Bank in M/s Can Bank Mutual Fund in favour of M/s Robeco Group NV. The Company is currently managing 24 Mutual Fund Schemes with a mix of equity, balanced and debt schemes. The core AuM of the company has reached to the level of ₹27415 crore as on 31.03.2021. The Company has declared a net profit of ₹36.29 crore and has also declared a dividend of 200% for the current financial year.

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL)

M/s Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. CBSL has taken over the Depository participant services from Canara Bank w.e.f. 01.04.2017. M/s Canara Bank Securities Ltd is extending Online Trading Facility to DP clients. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Company has launched opening of Instant Demat Cum Trading Accounts for Canara Bank Customers directly through online mode (digital KYC) "CAN-INSTIGO-DIY". The Company has registered a Net Profit of ₹14.92 crore and has declared a dividend of 35.00% for the year 2020-21.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL)

M/s Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2020-21, the Company had a total business turnover of ₹1469.98 crore and has made a Net Profit of ₹2.55 crore for the current year.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL)

M/s Canbank Venture Capital Fund Limited is a wholly Owned Subsidiary of the Bank and the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund Trust. The company has managed 5 funds so far with total Asset under Management of ₹552.78 crore. CVCFL has been appointed by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to manage the Electronic Development Fund (EDF) with a corpus of ₹2206 crore.

₹150 करोड़ के ग्रीन शू विकल्प के साथ, "एम्पावर इंडिया फंड" नाम का एक नया फंड ₹500 करोड़ के लक्ष्य कोष के साथ स्थापित किया गया है। प्रारंभिक समापन किया जा रहा है और यह निवेश के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष 2020-2021 के दौरान ₹3.10 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया और 500% का लाभांश घोषित किया।

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल)

मेसर्स केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें बैंक की 69.14% हिस्सेदारी है। सीसीएसएल मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर विकास सेवा, बीपीओ सेवा, एटीएम / किसी भी समय भुगतान सेवा, प्रशिक्षण, परामर्श और आर एंड टी एजेंट जैसे कार्यों में लगी हुई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निवल ₹3.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज सेवा लिमिटेड (केनफिना)

मेसर्स केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अपनी गतिविधियों को प्रतिभूतियों में पिछले लेनदेन और डिब्टी खातों के तहत बकाया राशि की वसूली से उत्पन्न कानूनी मामले तक सीमित रखा है। कंपनी ने लाभांश की प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020-21 के लिए ₹1.27 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (एसबीएसएल)

मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, ई-सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 25.01.2006 को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन शामिल किया गया था। वर्तमान में, कंपनी द्वारा किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की जा रही है और कंपनी के बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, केवल विवेक मेसर्स सीएसएस इंडो सिस्टम्स लिमिटेड के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में ₹2.05 करोड़ की राशि के हेराफेरी संबंधी मामले की मध्यस्थता प्रक्रिया में लगा हुआ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹1.19 करोड़ का निवल लाभ कमाया है और पहली बार वित्त वर्ष के दौरान ₹1 करोड़ का लाभांश घोषित किया है।

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए)

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए), एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे बैंक द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम श्रेयर धारक समझौते के तहत स्थापित किया गया है।

एचईएफए की स्थापना अ.रा.व. अवसंरचना सहित शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई है, जिससे कि संस्थान वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग तक पहुंच सके। मा.सं.वि.मं., एचईएफए इक्विटी बेस के मौजूदा अधिदेश के दायरा और वित्तपोषित किए जाने वाले संस्थानों की श्रेणी को निर्धारित किया है। दिनांक 31.03.2021 तक, क्रमशः एमएचआरडी ने ₹4812.50 करोड़ की पूंजी डाली है और केनरा बैंक

Another new fund named as "Empower India Fund" is setup with a target corpus of ₹500 crore with green shoe option of ₹150 crore. The initial closing is done and available for investment. The Company recorded a Net Profit of ₹3.10 crore during the year 2020-2021 and has declared dividend of 500%.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL)

M/s Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country, with a 69.14% shareholding by the Bank. CCSL is mainly engaged in IT and Software development services, BPO services, ATM / Any Time Payment services, Training, Consultancy and R&T agent. The Company has posted a Net Profit of ₹3.40 crore for FY 2020-21.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA)

M/s Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. Company has posted a Net Profit of ₹1.27 crore for the year 2020-21 by way of receipt of dividends.

SYNDBANK SERVICES LIMITED (SBSL)

M/s SyndBank Services Limited is wholly owned Subsidiary of e-Syndicate Bank was incorporated under Companies Act 1956 on 25.01.2006. At present, the company is not undertaking any activity and is only pursuing arbitration process against vendor M/s. CMS Info Systems Ltd. for the misappropriation case amounting to ₹2.05 crore in the High Court of Karnataka as per the directions of the Company's Board. Company has posted a Net Profit of ₹1.19 crore for FY 2020-21 and has declared dividend of ₹1 crore during the FY for the first time.

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA)

Higher Education Financing Agency (HEFA), is a not-for profit organization, set up by the Bank under a joint venture share holder agreement with the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India.

HEFA has been set up for developing the educational infrastructure, including R&D infrastructure thereby enabling the institutions to reach top rankings globally. MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. As on 31.03.2021, MHRD has infused Capital of ₹4812.50 crore and Canara Bank has contributed ₹481.25 crore respectively. The total loans sanctioned as on 31.03.2021

ने ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है। दिनांक 31.03.2021 तक स्वीकृत कुल ऋण ₹31413.8 करोड़ है और संवितरित की गई राशि ₹11308.06 करोड़ है। एचईएफए ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न संस्थानों को ₹3678 करोड़ का ऋण संवितरित किया है और बैंक ने ₹36.78 करोड़ प्रबंधन शुल्क प्राप्त किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

मार्च 2021 तक, बैंक के चार प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, अर्थात् केरल में केरल ग्रामीण बैंक (केईजीबी), कर्नाटक में कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी) और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) है।

आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) आंध्र प्रदेश के 5 जिले में 552 शाखाओं और 109 एटीएम के साथ कार्य करता है। मार्च 2021 तक बैंक का कुल कारोबार ₹36640 करोड़ है। (जमा: ₹18431 करोड़ अग्रिम: ₹18208 करोड़)।

केरल ग्रामीण बैंक (केईजीबी) केरल के सभी 14 जिले में 634 शाखाओं और 320 एटीएम के साथ कार्य करता है। मार्च 2021 तक बैंक का कुल कारोबार ₹38607 करोड़ है। (जमा: ₹20150 करोड़, अग्रिम: ₹18457 करोड़)।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) कर्नाटक के 21 जिले में 1134 शाखाओं और 236 एटीएम के साथ कार्य करता है। मार्च 2021 तक बैंक का कुल कारोबार ₹55865 करोड़ है। (जमा: ₹31068 करोड़, अग्रिम: ₹24797 करोड़)।

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी) कर्नाटक के 9 जिले में 629 शाखाओं और 76 एटीएम के साथ कार्य करता है। मार्च 2021 तक बैंक का कुल कारोबार ₹27818 करोड़ है। (जमा: ₹16100 करोड़, अग्रिम: ₹11718 करोड़)।

मार्च 2021 तक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का कुल कारोबार बढ़कर ₹1,58,930 करोड़ हो गया, जिसमें वर्षानुवर्ष 9.45% की वृद्धि हुई, जिसमें ₹85,749 करोड़ की जमा राशि और ₹73,181 करोड़ के अग्रिम शामिल हैं। बैंक बुनियादी ढांचे के माध्यम से, मार्च 2021 तक एटीएम सह डेबिट कार्ड सेवाएं और स्थापित 741 एटीएम / कैश डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है। प्रायोजित आरआरबी 100% (शतप्रतिशत) सीबीएस अनुपालनीय है और अपने ग्राहकों को प्रौद्योगिकी से संबन्धित, जैसे एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से आईटी आधारित उत्पादों, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रुपये डेबिट कार्ड सेवा और आधार सक्षम सेवा और विप्रेषण सुविधा प्रदान करने के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से आगे है। आरआरबी ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली और ई-केवाईसी तकनीक लागू की है।

is ₹31413.8 crore and disbursed is ₹11308.06 crore. HEFA has disbursed ₹3678 crore of loans to different institutions during FY 2020-21 and Bank has received ₹36.78 crore of Management Fee.

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As at March 2021, the Bank had four sponsored RRBs, viz., Kerala Gramin Bank (KeGB) in Kerala, Karnataka Gramin Bank (KaGB) and Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) in Karnataka and Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) in Andhra Pradesh.

Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) operates in 5 districts of Andhra Pradesh with 552 branches and 109 ATMs. Total business of the Bank as at March 2021 is ₹36640 crore. (Deposits: ₹18431 crore Advances: ₹18208 crore).

Kerala Gramin Bank (KeGB) operates in all 14 districts of Kerala with 634 branches & 320 ATMs. The total business of the Bank as at March 2021 is ₹38607 crore. (Deposits: ₹20150 crore, Advances: ₹18457 crore).

Karnataka Gramin Bank (KaGB) operates in 21 districts of Karnataka with 1134 branches & 236 ATMs. The total business of the Bank as at March 2021 is ₹55865 crore. (Deposits: ₹31068 crore, Advances: ₹24797 crore).

Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) operates in 9 districts of Karnataka with 629 branches & 76 ATMs. The total business of the Bank as at March 2021 is ₹27818 crore. (Deposits: ₹16100 crore, Advances: ₹11718 crore).

Aggregate business of the RRBs increased to ₹1,58,930 crore as at March 2021 with a y-o-y growth of 9.45% comprising Deposits of ₹85,749 crore and Advances ₹73,181 crore. Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM cum Debit Card services and installed 741 ATMs / Cash Dispenser as at March 2021. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT based products, like Internet Banking, Mobile Banking, RuPay Debit Card services and also Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT / RTGS to their customers. The RRBs have put in place Cheque truncation system and e-KYC technology.

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

संस्थापक सिद्धांतों और सदियों पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुए, बैंक विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में शामिल रहा है। बैंक ने अनेक सीएसआर पहल की है, जिसमें बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, मेधावी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति, स्कूलों की मरम्मत और जरूरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत और अन्य सामाजिक पहल जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कुछ सामाजिक पहल की रूपरेखा निम्नलिखित है।

- ✓ बैंक ने समेकित रूप से, 78 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह-प्रायोजित किया है, जिससे अब तक 10.93 लाख बेरोजगार युवाओं / युवतियों को प्रशिक्षित किया गया है और उनमें से 73% को रोजगार प्राप्त हुए हैं।
- ✓ बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करने के लिए 4 हार्डटेक, कस्टम बिल्ट, सौर ऊर्जा से संचालित 'रिटेल मोबाइल मार्केटिंग वैन' दान की है।
- ✓ मेधावी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्राओं के लिए केनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल ₹2.89 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया और कुल 7606 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- ✓ बेहतर जीवन जीने में सहायता के लिए दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), बेघर और बाढ़ और महामारी कोविड-19 से प्रभावित लोगों को गरीबी और कुपोषण से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ✓ कोविड-19 जैसी स्थिति की कठिनाइयों के दौरान, बैंक ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आम जनता को होने वाली कठिनाइयों का यथासंभव निवारण किया जाए।
- ✓ भोजन के पैकेट, किराने का सामान, मेडिकल किट, कंबल का वितरण एम्बुलेंस वैन उपलब्ध कराना उन कुछ गतिविधियों में शामिल है जिसे बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा था।
- ✓ सीएसआर के तहत अंचल द्वारा भी उपर्युक्त विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Following the founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, repair of schools and providing of other infrastructural facilities to needy educational institutes, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women, environment protection, swatch Bharat and other social initiatives. A few social initiatives are outlined below.

- ✓ Cumulatively, the Bank has sponsored / co-sponsored 78 training institutes, which have trained more than 10.93 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 73%.
- ✓ The Bank has donated 4 hi-tech, custom- built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.
- ✓ Canara Vidya Jyothi Scholarship scheme to meritorious SC / ST Girl Students. During FY 2020-21, 7606 students have been benefitted utilizing a total amount of ₹2.89 crore.
- ✓ Financial assistance for combating poverty & malnutrition to persons with disability (PWD), homeless and people effected by floods & Pandemic COVID-19 for supporting to lead a better life.
- ✓ During the difficulties of COVID-19 situation, the Bank has taken efforts to ensure that the difficulties faced by the general public are redressed to the maximum extent possible.
- ✓ Providing of Food Packets, Groceries, Medical Kits, Distribution of Blankets, Ambulance van are among the few activities that were being organized.
- ✓ Under CSR the Circles have also organized various activities as mentioned above.

- ✓ बैंक ने दिव्यांग लोगों को भी व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल, वॉकिंग स्टिक आदि प्रदान कर सहायता की है।
- ✓ बैंक ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- ✓ कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों की पहचान की गई और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- ✓ वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक के सतत विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एसडी व सीएसआर) पहल के तहत बैंक ने कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण गतिविधियों, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, गरीबी और पोषण, दिव्यांग व्यक्ति, ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत, एवं खेल व अन्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल ₹24.71 करोड़ खर्च किए हैं।

संसदीय समिति द्वारा दौरा

वर्ष 2020-21 के दौरान, शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2020-21) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अध्ययन दौरा किया गया और हमारे बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

पुरस्कार / प्रशंसा और उपलब्धियां

- ✓ आईबीए के 16वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कारों में, केनरा बैंक को सर्वश्रेष्ठ भुगतान पहल के लिए संयुक्त रूप से उपविजेता का पुरस्कार मिला।
- ✓ केनरा बैंक ने सरकारी योजना डीमैट ट्रेडिंग बीमा के एकीकरण के लिए फिनोविटी पुरस्कार 2021 प्राप्त किया।
- ✓ पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाउस जर्नल - प्रिंट (अंग्रेजी) श्रेणी के तहत हमारी गृह पत्रिका 'श्रेयस' को कांस्य पुरस्कार प्रदान किया है।
- ✓ 59वें एबीसीआई वार्षिक पुरस्कार में, केनरा बैंक की गृह पत्रिका "केनरा ज्योति" को "भारतीय भाषा प्रकाशन" और "विशेष स्तंभ (भाषा)" श्रेणी के तहत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- ✓ पीएफआरडीए द्वारा आयोजित एपीवाई बिग बिलीवर्स 3.0 (एबीबी) में केनरा बैंक को "उत्कृष्टता पुरस्कार" मिला है।
- ✓ अटल पेंशन योजना "ओल्ड एज फाइनांसियल फ्रीडम फाइटर्स" ("वृद्धावस्था वित्तीय स्वतंत्रता सेनानियों") के तहत बेहतरीन उपलब्धि के लिए केनरा बैंक को पीएफआरडीए द्वारा "विशिष्टता पुरस्कार (एक्सेम्प्लरी अवार्ड)" प्राप्त हुआ है।

- ✓ Bank has also assisted Differentially abled people by providing Wheel Chairs, Tricycles, Walking Sticks etc.
- ✓ Bank also provided financial support for the welfare of Ex-servicemen.
- ✓ Families of COVID-19 victims were identified and they were provided with financial assistance.
- ✓ During the FY 2020-21, under the Sustainable & Development Corporate Social Responsibility (SD&CSR) initiatives of the Bank, the Bank has spent to the tune of ₹24.71 crore to various sectors like Skill Development, Financial Inclusion, Women Empowerment activities, Education, Environment Protection, Health, Poverty & Nutrition, Person with Disability, Rural Development, Swachh Bharat, & Sports & other Sectors.

Visits by Parliamentary Committee

During the year 2020-21, Standing Committee on Urban Development (2020-21) and National Commission for Backward Classes, conducted Study Visits and reviewed our Bank's performance.

AWARDS / ACCOLADES & ACHIEVEMENTS

- ✓ In IBA's 16th Annual Banking Technology Awards, Canara Bank received Joint Runner-up award for Best Payment Initiatives.
- ✓ Canara Bank received Finnoviti 2021 award for Integration of Govt Scheme Demat Trading Insurance.
- ✓ Public Relations Council of India has given bronze award for our in-house Magazine Shreyas under House Journal - Print (English) category.
- ✓ In 59th ABCI Annual Awards, Canara Bank's in-house Magazine "Canara Jyothi" has received awards under "Indian Language Publication" and "special column (language)" categories.
- ✓ Canara Bank has received "Award of par Excellence" in APY Big Believers 3.0 (ABB) organised by PFRDA.
- ✓ Canara Bank has received "Exemplary Award" from PFRDA for achievement under Atal Pension Yojana "Old Age Financial Freedom Fighters".

- ✓ केनरा बैंक को पीएफआरडीए से "उत्कृष्टता प्रमाण पत्र - अ.पें.यो. के तहत अद्भुत उपलब्धि" प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक सहित निदेशक में परिवर्तन

क्र. सं.	नाम	पद	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल समाप्ति तिथि
1	श्री टी एन मनोहरन	अध्यक्ष	14.08.2018	13.08.2020
2.	श्री एस कृष्णन	कार्यपालक निदेशक	01.04.2020	03.09.2020
3.	श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017	28.02.2021
4.	श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	19.02.2018	10.02.2021 से 10.02.2023 तक आगे विस्तारित
5.	श्री सत्यनारायण राजु	कार्यपालक निदेशक	10.03.2021	09.03.2024

निदेशक मंडल

(वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / समाप्ति)

नियुक्तियाँ

श्री के सत्यनारायण राजु को बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 10.03.2021 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

समाप्ति

श्री टी एन मनोहरन के कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 13.08.2020 से अध्यक्ष नहीं रहे।

श्री एस कृष्णन, पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने पर, दिनांक 03.09.2020 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहे।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने पर श्री मटम वेंकट राव दिनांक 28.02.2021 से कार्यपालक निदेशक नहीं रहे।

- ✓ Canara Bank has received "Certificate of Excellence - Amazing Achievers of APY" from PFRDA.

Change in Director, including Managing Director / Whole-time Director during the year 2020-21

Sl No.	Name Designation	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Shri T N Manoharan	Chairman	14.08.2018	13.08.2020
2.	Shri S Krishnan	Executive Director	01.04.2020	03.09.2020
3.	Shri Matam Venkata Rao	Executive Director	09.10.2017	28.02.2021
4.	Shri Debashish Mukherjee	Executive Director	19.02.2018	10.02.2021 Extended further till 10.02.2023
5.	Shri K Satyanarayana Raju	Executive Director	10.03.2021	09.03.2024

Board of Directors

(Appointment / Cessation of Directors during the year 2020-21)

Appointments

Shri K Satyanarayana Raju was appointed as Executive Director w.e.f 10.03.2021, by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 until further.

Cessations

Shri T N Manoharan ceased to be Chairman w.e.f. 13.08.2020 upon completion of tenure.

Shri S Krishnan ceased to be Executive Director w.e.f. 03.09.2020 upon elevation to Managing Director and Chief Executive Officer of Punjab & Sind Bank.

Shri Matam Venkata Rao ceased to be Executive Director w.e.f. 28.02.2021 upon elevation to Managing Director and Chief Executive Officer of Central Bank of India.

निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, निदेशकगण निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- कि वार्षिक लेखा को तैयार करने में, वास्तविक तथ्यों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।
- यह कि उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें सतत रूप से लागू किया एवं निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हों, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की सही और निष्पक्ष स्थिति और उक्त अवधि के लिए बैंक का लाभ या हानि की सही स्थिति बताई जा सके।
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख (रिकॉर्ड) के रखरखाव के लिए उचित रूप से और पर्याप्त देखभाल की थी।
- यह कि उन्होंने वार्षिक लेखा को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया था।
- बैंक द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की और इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त थी और यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2020 दिनांक 08 फरवरी 2020 के विनियमन 24ए की आवश्यकतानुसार, बैंक द्वारा 2020-21 के लिए श्री एस. विश्वनाथन को कंपनी सचिव (सीपी नं. 5284) को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और बैंक के सदस्यों को संबोधित करने वाली उनका रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में है और वह बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2021, confirm the following:

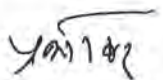
- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- Internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

SECRETARIAL AUDIT FOR FINANCIAL YEAR 2020-21

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2020 dated February 08, 2020, the Bank has appointed Mr. S. VISWANATHAN Practicing Company Secretary (CP No. 5284) as the Secretarial Auditor for 2020-21 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

स्वीकृति

बोर्ड, ग्राहकों को उनके संरक्षण के लिए, शेयरधारकों को उनके समर्थन के लिए, सरकारी अधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए, निदेशकों जिन्होंने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, भारत और विदेश में बैंक प्रतिनिधियों को उनके सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए और सभी स्टाफ सदस्यों को संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता की खोज में उनके पूर्ण समर्थन के लिए ईमानदारीपूर्वक सराहना करता है।

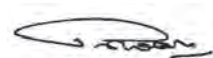


एल वी प्रभाकर

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.



L V PRABHAKAR

MANAGING DIRECTOR & CEO

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[सेबी के 24ए (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के 24ए विनियम और सेबी परिपत्र: CIR/CFD/CMD1/27/2020 दिनांक: 8 फरवरी, 2020 से संबंधित।]

सेवा में,
सदस्य,
केनरा बैंक
112, जे सी रोड, टाउन हॉल
बेंगलूरु - 560 002

कर्नाटक
मैंने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और केनरा बैंक द्वारा उत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

मैंने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मुझे उपलब्ध कराए गए बैंक द्वारा रखे गए बहियों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दर्ज फॉर्म और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है।

केनरा बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसे निम्नलिखित विधानों के तहत शासित किया जाता है, और समय-समय पर संशोधित किया जाता है:

1. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
2. बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
4. केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000
5. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

केनरा बैंक के शेयरों/ प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध किए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4)(सी) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग कंपनियों पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि जब तक उक्त प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के साथ असंगत हैं।

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2021

[Pursuant to Regulation 24A of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 and SEBI Circular: CIR/CFD/
CMD1/27/2020 Dated: February, 08 2020]

To,
The Members,
CANARA BANK
112, J C Road, Town Hall,
Bengaluru - 560002
Karnataka

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate governance practices by CANARA BANK. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing my opinion thereon.

I have examined the books, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended, 31st March, 2021 and made available to me.

Canara Bank is a Nationalized Bank, governed under the following legislations, and as amended from time to time:

1. Banking Regulations Act, 1949
2. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
3. The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
4. Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.
5. Reserve Bank of India Act, 1934

The shares / securities of Canara Bank are listed with Stock Exchanges.

As per Section 1(4)(c) of the Companies Act, 2013, the provisions of the Act shall apply to Banking companies, except in so far as the said provisions are inconsistent with the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

केनरा बैंक द्वारा रखे गए कार्यवृत्त बहियों, दाखिल फॉर्म और रिटर्न और अन्य अभिलेखों तथा मेरे अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि, मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि निम्नलिखित रिपोर्टिंग के अधीन व प्रणाली में, बैंक के पास एक हद तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र उपलब्ध हैं:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और तदनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए लागू सीमा तक बनाए गए नियम।
- (ii) प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और तदनुसार बनाए गए नियम।
- (iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और तदनुसार बनाए गए विनियम और उपनियम।
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इस आधार पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक बनाए गए नियम व विनियम।
- (v) उपरोक्त पैरा 3 में वर्णित बैंकिंग विधान
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी) के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं और इसे समय-समय पर संशोधित किए गए हैं।
 - क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015
 - ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018
 - ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008
 - घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993
 - ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015
 - च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) विनियमन, 1992

Based on my verification of the Minute books, forms and returns filed and other records maintained by Canara Bank and also the information provided by its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that, in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March, 2021, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder to the extent applicable to a Nationalized Bank.
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made thereunder
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, if any.
- (v) Banking Legislations as mentioned above in Para 3
- (vi) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI) and as amended from time to time.
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue and listing of debt Securities) Regulations, 2008
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बैंकर-इश्यू) विनियमन, 1994

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियमन, 2011

मैंने केनरा बैंक के लिए एक हद तक लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केनरा बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियों और तंत्रों की भी समीक्षा की है जिसे निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों/ समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
3. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
5. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
7. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश), 1946
8. नियोक्ता भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
9. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
10. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
11. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
12. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
13. दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953
14. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

“अन्य कानूनों” के बारे में, अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित प्रणाली और तंत्र उपलब्ध हैं।

मैंने, बोर्ड बैठकों और आम बैठकों से संबंधित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों की लागू शर्तों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है – बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 और बोर्ड बैठक एवं आम बैठक से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित अन्य लागू नियमों, विनियमों, परिपत्रों, आरबीआई / भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

मैं सूचित करता हूँ कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर के लागू अन्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

g) The Securities and Exchange Board of India (Banker to Issue) Regulations, 1994

h) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

I have also reviewed the **systems and mechanisms** established by the Canara Bank for ensuring compliances under other applicable Acts, Laws, Rules, Regulations, Guidelines to the extent applicable to Canara Bank and categorized under the following major heads/groups:

1. Indian Contract Act, 1872
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
3. Payment of Wages Act, 1936.
4. The Minimum Wages Act, 1948
5. Payment of Gratuity Act, 1972
6. Industrial Disputes Act, 1947
7. Industrial Employment (Standing Orders), 1946
8. Employers Provident Fund and Misc. Provisions Act, 1952
9. The Payment of Bonus Act, 1965
10. The Negotiable Instrument Act, 1881
11. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
12. Maternity Benefits Act, 1961
13. Shops and Establishment Act, 1953
14. Trade Union Act, 1926

Regarding “Other laws”, there are proper systems and mechanisms in place for Compliance with the Provisions of Other laws.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) relating to Board Meetings and General Meetings – The Bank is complying with the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and other applicable rules, regulations, circulars, notification issued by RBI/GOI relating to Board Meeting and General Meetings, as amended from time to time.

I report that during the period under review, the Bank has complied with the provisions of the applicable Other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों के प्रावधानों के साथ अनुपालन के संबंध में कोई लेनदेन नहीं पाया गया:

- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन, 2009
- ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत रूप से गठन बैंकिंग कंपनी {उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण} अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) और, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) के तहत कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र / शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के साथ किए गए थे।

बैंक के मामलों का प्रबंधन / संचालन, बोर्ड और उसकी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

- 1) लेखापरीक्षा समिति
- 2) सीएसआर समिति
- 3) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- 4) प्रबंधन समिति
- 5) जोखिम प्रबंधन समिति
- 6) आस्ति देयता प्रबंधन समिति
- 7) हितधारक संबंध समिति

बोर्ड बैठकों के आयोजन के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची व कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से भेज दिया जाता है, बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु कार्यसूची मद पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सदस्यों के विचारों को दर्ज करते हुए दौरान अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं और उसे कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में अभिलेखित करके दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशिष्ट घटनाओं या कार्यों का पालन हुआ जो उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में बैंक पर असर डाल सकते हैं।

During the period under review, no transactions were observed relating to compliance with the provisions of the following Regulations:

- a) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009
- b) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998

I further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of Undertaking} Act, 1970 (as amended) and, Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended) with proper balance of executive Directors, Non-Executive Directors and Independent / Shareholder Directors. The changes in the composition of Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the relevant acts.

The affairs of the Bank are managed / governed through the Board and its Committees of the Board.

- 1) Audit Committee
- 2) CSR Committee
- 3) Nomination & Remuneration Committee
- 4) Management Committee
- 5) Risk Management Committee
- 6) Asset Liability Management Committee
- 7) Stakeholders Relationship Committee

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority Decisions are carried through while dissenting members views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that, during the year under the review, Bank had following major specific events or actions which might have bearing on the Bank's in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

1. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.03.2020 द्वारा भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के समामेलन की योजना, जो दिनांक 01.04.2020 से लागू हुई है, के अनुसार और अनुमोदित स्वैप अनुपात के आधार पर, प्रत्येक ₹10/- के 42,32,68,155 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर दिनांक 01.04.2020 को ई-सिंडिकेट बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को जारी और आवंटित किए गए थे।
2. बैंक ने 11.12.2020 को प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य के 19,32,36,714 इक्विटी शेयर ₹103.50 (₹93.50 के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर पात्र योग्य संस्थागत खरीदारों को लागू प्रावधानों के अनुसार आवंटित किए, जिससे कुल मिलाकर ₹2000 करोड़ जमा हुए।
3. समीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने निम्नानुसार ऋण लिखतों (टियर I / II बांड) को जारी और आवंटित किए हैं:
 - (i) 11.09.2020 को ₹1012 करोड़ की कुल राशि के 8.30% असुरक्षित दारांकित सूचीबद्ध अधीनस्थ गैर-परिवर्तनीय पूर्ण प्रदत्त कर-योग्य प्रतिदेय योग्य बेसल III अनुवर्ती टियर I बांड - श्रृंखला I 2020-21 बांड जारी और आवंटित किए गए;
 - (ii) 29.09.2020 को ₹169.10 करोड़ की कुल राशि के 8.30% असुरक्षित दारांकित सूचीबद्ध अधीनस्थ गैर-परिवर्तनीय पूर्ण प्रदत्त कर-योग्य प्रतिदेय योग्य बेसल III अनुवर्ती टियर I बांड - श्रृंखला I 2020-21 बांड जारी और आवंटित किए गए;
 - (iii) 31.12.2020 को ₹1635 करोड़ की कुल राशि के 8.50% असुरक्षित दारांकित सूचीबद्ध अधीनस्थ गैर-परिवर्तनीय पूर्ण प्रदत्त कर-योग्य प्रतिदेय योग्य बेसल III अनुवर्ती टियर I बांड - श्रृंखला III 2020-21 बांड जारी और आवंटित किए गए; तथा
 - (iv) 02.02.2021 को ₹120 करोड़ की कुल राशि के 8.30% असुरक्षित दारांकित सूचीबद्ध अधीनस्थ गैर-परिवर्तनीय पूर्ण प्रदत्त कर-योग्य प्रतिदेय योग्य बेसल III अनुवर्ती टियर I बांड - श्रृंखला IV 2020-21 बांड जारी और आवंटित किए गए।

एस विश्वनाथन

पेशेवर कंपनी सचिव

एसीएस सं : 5284

सीपी सं : 5284

यूडीआईएन: A005284C000297983

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 18.05.2021

1. In pursuant to the Scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank notified by Ministry of Finance, GOI vide their notification dated 04.03.2020 in official gazette of India which has come into force w.e.f.01.04.2020, and based on the approved Swap Ratio, 42,32,68,155 fully paid up equity shares of ₹10/- each were issued and allotted to equity shareholders of e-Syndicate Bank on 01.04.2020.
2. The Bank has, on 11.12.2020, allotted 19,32,36,714 equity shares of face value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹103.50 (including premium of ₹93.50) per share aggregating up to ₹2000 Crores to eligible qualified institutional buyers, in accordance with the applicable provisions.
3. The Bank has issued and allotted Debt instruments (Tier I / II Bonds) during the period of review as under:
 - (i) on 11.09.2020, issued and allotted 8.30% Unsecured Rated Listed Subordinated Non Convertible Fully Paid Up Taxable Redeemable Basel III Compliant Tier I Bonds - Series I 2020-21 Bonds amounting to ₹1012 Crores;
 - (ii) on 29.09.2020, issued and allotted 8.30% Unsecured Rated Listed Subordinated Non Convertible Fully Paid Up Taxable Redeemable Basel III Compliant Tier I Bonds - Series II 2020-21 Bonds amounting to ₹169.10 Crores;
 - (iii) on 31.12.2020, issued and allotted 8.50% Unsecured Rated Listed Subordinated Non Convertible Fully Paid Up Taxable Redeemable Basel III Compliant Tier I Bonds - Series III 2020-21 Bonds amounting to ₹1635 Crores; and
 - (iv) on 02.02.2021, issued and allotted 8.30% Unsecured Rated Listed Subordinated Non Convertible Fully Paid Up Taxable Redeemable Basel III Compliant Tier I Bonds - Series IV 2020-21 Bonds amounting to ₹120 Crores.

S Viswanathan

Practicing Company Secretary

ACS No: 5284

CP No: 5284

UDIN: A005284C000297983

Place : Bengaluru

Date : 18.05.2021

अनुबंध क

सेवा में,
सदस्य,
केनरा बैंक

सम तिथि की मेरी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

- 1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
- 2) मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथा से मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्राप्त होता है।
- 3) मैंने बैंक के खातों के वित्तीय रिकॉर्ड और बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- 4) जहाँ भी आवश्यक हो, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, के लिए है जिससे प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

एस विश्वनाथन
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस सं : 5284
सीपी सं : 5284
यूडीआईएन : A005284C000297983

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

Annexure A

To,
The Members
CANARA BANK

My report of even date is to be read along with this letter.

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.
- 2) I have followed the audit practices and process to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.
- 3) I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
- 4) Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
- 5) The compliance of the Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedure on test basis.
- 6) The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

S Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284
UDIN: A005284C000297983

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

कारोबार दायित्व रिपोर्ट-2020-21 (सूचीबद्धता करार के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत)

भाग ए : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) :
2. कंपनी का नाम: केनरा बैंक
3. पंजीकृत पता: केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु: 560 002
4. वेबसाइट: www.canarabank.com
5. ई मेल आईडी : edscrt2@canarabank.com
6. सूचित वित्तीय वर्ष: 2020-21
7. क्षेत्र (त्रों) जिसमें कंपनी (औद्योगिक गतिविधि कोड वार) लगी हुई है: वित्तीय सेवाएँ, मुख्य रूप से बैंकिंग
8. तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची, जिन्हें कंपनी बनाती है / प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार): 1. थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ग्रामीण और कृषि-बैंकिंग।
9. उन केन्द्रों की संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है
 - I. अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों की संख्या (केन्द्रों का विवरण प्रदान करें)
लंदन (यूनाइटेड किंगडम)
हॉन्गकॉन्ग (हॉन्गकॉन्ग)
न्यूयॉर्क (यूएसए)
दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई।
 - II. राष्ट्रीय केन्द्रों की संख्या: 10416

10. कंपनी द्वारा सेवारत बाजार – अंतर्राष्ट्रीय

उपरोक्त बिंदु संख्या 9 (i) के तहत उल्लिखित केन्द्रों के अलावा, बैंक का शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रतिनिधि कार्यालय, मॉस्को, रूस में एसबीआई के साथ एक संयुक्त उद्यम बैंक, अर्थात्, वाणिज्यिक बैंक ऑफ इंडिया, एलएलसी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डार-एस-सलाम, तंजानिया, अर्थात् केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड (सीबीटीएल) है।

भाग बी : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (आईएनआर): ₹1646.74 करोड़
2. कुल व्यापारवर्त / कुल कारोबार (आईएनआर): ₹16,49,923.57 करोड़-कुल जमा: ₹10,10,874.58 करोड़ + शुद्ध अग्रिम: ₹6,39,048.99 करोड़
3. कर अदायगी के बाद कुल लाभ: ₹2557.58 करोड़ एकल

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT-2020-21 (Under Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company:
2. Name of the Company: Canara Bank
3. Registered Address: Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru : 560 002
4. Website: www.canarabank.com
5. E-mail Id: edscrt2@canarabank.com
6. Financial Year Reported: 2020-21
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise): Financial Services, mainly banking.
8. List three key products / services that the Company manufactures / provides (as in balance sheet): 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company
 - i. Number of International Locations (Provide details of locations)
London (United Kingdom)
Hong Kong (Hong Kong)
New York (USA)
Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai.
 - ii. Number of National Locations: 10416

10. Markets served by the Company - International

Besides locations mentioned under Point No.9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE, a Joint Venture Bank with SBI in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC and a wholly owned subsidiary at Dar-es-salaam, Tanzania, viz. Canara Bank Tanzania Ltd (CBTL).

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR): ₹1646.74 Crores
2. Total Turnover / Total Business (INR): ₹16,49,923.57 Crores-Total Deposits: ₹10,10,874.58 Crores + Net Advances: ₹6,39,048.99 Crores.
3. Total Profit after taxes : ₹2557.58 Crores Stand alone

4. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय : स्वीकृत परियोजनाएं : ₹26.56 करोड़, उपयोग: ₹24.70 करोड़।
5. 2020-21 के दौरान सीएसआर के तहत स्वीकृत गतिविधियों की सूची : वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर के तहत निधियों की क्षेत्रवार मंजूरी / उपयोग की सूची: समेकन (₹ लाख में)

क्र. सं.	क्रियाकलाप	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
क	शिक्षा	425.63	399.58
ख	स्वास्थ्य	340.39	239.46
ग	गरीबी और पोषण	104.45	103.72
घ	कौशल विकास	1026.07	1026.07
ङ	स्वच्छ भारत	17.86	17.86
च	ग्रामीण विकास	22.92	8.95
छ	महिला सशक्तिकरण	47.94	47.94
ज	वित्तीय साक्षरता	563.29	563.29
झ	खेल, दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) एवं अन्य गतिविधियां	107.91	64.06
	कुल	2656.46	2470.93

स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण : वित्त वर्ष 2020-21

(क) शिक्षा क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक की ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी शाखाएं	सरकारी विद्यालयों की कक्षा 5 से 10वीं तक मेरीट में आने वाली एससी एसटी की छात्राओं के लिए केनरा विद्याज्योति छात्रवृत्ति	289.44	289.44
2	मेसर्स धर्मचक्र ट्रस्ट	विद्यालयों के लिए पानी का टंकी खरीदने के लिए (गुरुकुलम)	16.00	16.00

4. Spending on Corporate Social Responsibility (CSR): Sanctioned projects: ₹26.56 Crores, Utilized : ₹24.70 Crores.
5. List of activities sanctioned under CSR during 2020-21: Sector wise sanction / utilization of funds under CSR during the financial year 2020-21: Consolidation (₹ in lakhs)

Sl. No.	Activity	Amount sanctioned	Amount utilized
a	Education	425.63	399.58
b	Health	340.39	239.46
c	Poverty & Nutrition	104.45	103.72
d	Skill Development	1026.07	1026.07
e	Swachh Bharat	17.86	17.86
f	Rural Development	22.92	8.95
g	Women Empowerment	47.94	47.94
h	Financial Literacy	563.29	563.29
i	Sports, Persons with Disability (PWD) & others activities	107.91	64.06
	Total	2656.46	2470.93

Sector wise classification of CSR projects sanctioned: FY 2020-21

(a) Education Sector (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee / Organised By	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilized
1	Rural, Semi Urban & Urban Branches Of Canara Bank	Canara Vidya Jyothi scholarship to meritorious SC-ST girl students -V to X std of Govt schools	289.44	289.44
2	M/s Dharma Chakra Trust (R)	Purchase of Water Tanker for the use of Schools (Gurukulams)	16.00	16.00

3	वीर भद्रेश्वर विद्या मंदिर स्कूल कलबुर्गी, मातृछाया हाई स्कूल सेडम, भारतीय विद्या केंद्र स्कूल सिरनूर, मातृ मंदिर स्कूल चिंचोली, विद्या मंदिर हाई स्कूल, हुब्बल्ली	लैपटॉप प्रदान किया गया	9.45	9.45
4	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, भुवनेश्वर	25 आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए प्रायोजककर्ता	7.68	7.68
5	मेसर्स रामकृष्ण मिशन	विजयवाड़ा स्कूल के छात्रों को स्कूल पुस्तकों, नोट बुक, यूनिफॉर्म वितरण का प्रायोजन	6.90	6.90
6	एकल विद्यालय, कोलकाता	25 आदिवासी स्कूल के बच्चों के शिक्षा के लिए प्रायोजनकर्ता	5.50	5.50
7	मेसर्स केनरा बैंक राहत व कल्याण समाज, बेंगलूरु	कोलार अग्रणी जिला के 3 सरकारी महाविद्यालयों में पुस्तक बैंक शुरू करने के लिए सहायता	5.00	5.00
8	दावणगेरे के चन्नागिरी तालुका के तीन सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना	सरकारी विद्यालयों के नवीकरण और पोताई के लिए सहायता प्रदान की गई।	4.50	4.50

3	Veera bhadreswara Vidya Mandir School Kalburgi, Matruchaya High School Sedam, Bharateeya Vidya Kendra School Sirnoor, Matru Mandir School Chincholi, Vidya Mandir High School, Hubballi	Provided Laptops	9.45	9.45
4	Kalinga Institute of Social Science- Bhubaneshwar	Sponsorship for 25 Tribal Children's Education	7.68	7.68
5	M/s Ramakrishna Mission	Sponsored distribution of School Books, Note Books, Uniforms to School students, Vijayawada	6.90	6.90
6	Ekal Vidyalaya, Kolkata	Sponsoring for education of 25 Tribal School children	5.50	5.50
7	M/s Canara Bank Relief & Welfare Society, Bangalore	Financial assistance for opening of Book Banks in 3 Govt. Colleges in Kolar Lead Dist	5.00	5.00
8	Financial assistance to three Govt. Schools in Channagiri Taluk, Davanagere;	Extended assistance for Renovation and painting of Govt Schools	4.50	4.50

9	सरकारी उच्च विद्यालय, कमलानगर बेंगलुरु, सरकारी उच्च विद्यालय, कलकेरे और सरकारी उच्च विद्यालय हरगड्डे, बेंगलुरु	विद्यालयों को डेस्क उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता	2.00	2.00
10	शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / आरओ / सीओ में सीएसआर गतिविधियाँ	पुस्तकें / स्कूल बैग / फर्नीचर / यूनिफॉर्म	79.16	53.11
	कुल		425.63	399.58

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स कामिनेनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, विजयवाड़ा	एंबुलेंस खरीद के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया	30.00	30.00
2	मेसर्स जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डिओवैस्कूलर साइंस, बेंगलूरु	500 सुविधा विहीन हृदय रोगियों को सहयोग प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता और 10 व्हील चेयर प्रदान करना	50.97	50.97
3	डॉ पिन्नामनेनी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, विजयवाड़ा	एंबुलेंस खरीद के लिए वित्तीय सहयोग	23.00	23.00
4	मेसर्स श्री संकर कृपा एजुकेशनल व मेडिकल ट्रस्ट, चेन्नई	टंडालम गाँव में अस्पताल निर्माण के लिए वित्तीय सहयोग	74.00	48.50
5	मेसर्स केदवई कैसर हॉस्पिटल, बेंगलूरु	कंप्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर व यूपीएस की खरीद में सहयोग प्रदान करना	14.44	14.44

9	Government High School, Kamalanagar, Bengaluru, Government High School, Kalkere, and Government High School, Haragadde; Bengaluru	Financial assistance provided for Desks to the schools	2.00	2.00
10	CSR Activities at various Branches/ ROs / COs of Canara Bank under Education Sector	Books / School Bags/ Furniture / uniforms	79.16	53.11
	Total		425.63	399.58

(b) Health Sector

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee / Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	M/s Kamineni Health Care Pvt Ltd, Vijayawada	Financial assistance extended for purchase of Ambulance	30.00	30.00
2	M/s Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences, Bangalore	Financial assistance to assist 500 under privileged heart patients surgery & provided 10 wheel chairs	50.97	50.97
3	Dr. Pinnaamaneni Siddhartha Institute Medical Sciences, Vijayawada	Financial assistance extended for purchase of Ambulance	23.00	23.00
4	M/s Shri Sankara Kripa Educational & Medical Trust, Chennai	Financial Assistance for Construction of Hospital at Tandalam Village	74.00	48.50
5	M/s Kidwai Cancer Hospital, Bangalore	Assisted to procure Computers, Printers, Scanners & UPS	14.44	14.44

6	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पनामरम	स्वचालित बायोकेमिस्ट्री एनलाइजर और 5केवी वाले यूपीएस की खरीद में सहयोग प्रदान करना	14.04	14.04
7	स्वास्थ्य देखभाल सेवा निदेशक, ए व एन पोर्टब्लेयर	एंबुलेंस खरीद के लिए वित्तीय सहयोग	13.41	13.41
8	कैंसर इंस्टीट्यूट (डबल्यूआईए), चेन्नई	मोबाइल एक्स-रे यूनिट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	10.00	10.00
9	मेसर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा, चंडीगढ़	एंबुलेंस खरीद के लिए वित्तीय सहयोग	5.64	5.64
10	मैसूर जिला कोविड-19 अस्पताल	चिकित्सीय औजारों की खरीद के लिए वित्तीय सहयोग	5.00	5.00
11	स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / आरओ / सीओ द्वारा सीएसआर गतिविधियाँ	विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करना	99.89	24.26
	कुल		340.39	239.46

6	Community Health Centre, Panamaram	Assisted for Purchasing automated biochemistry analyzer and 5KV UPS	14.04	14.04
7	Directorate of Health Care Services, A & N Port Blair	Financial assistance extended for purchase of Ambulance	13.41	13.41
8	Cancer Institute (W I A), Chennai	Assisted for Purchase of Mobile X-ray Unit	10.00	10.00
9	M/s Pandit Jawaharlal Nehru Medical College, Chamba, Chandigarh	Financial assistance extended for purchase of Ambulance	5.64	5.64
10	Mysore Dist. COVID-19 Hospital	Financial assistance to procure Medical Equipments	5.00	5.00
11	CSR Activities at various Branches/ ROs/ COs of Canara Bank under Health Sector	Support to various Health projects	99.89	24.26
	Total		340.39	239.46

(ग) गरीबी व पोषण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स वेदव्यास चेरिटेबल ट्रस्ट, हरिद्वार	विभिन्न गतिविधियों जैसे, गौशाला, वृद्धाश्रम और आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना	50.00	50.00

(c) Poverty & Nutrition

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	M/s Vedavyasa Charitable Trust, Haridwar	Financial assistance for various development activities like construction of Gau Shala, Old Age Home, and Ayurvedic Research Centre	50.00	50.00

2	कोविड-19 राहत	कोविड-19 लॉकडाउन संकट की स्थिति के दौरान प्रवासी मजदूरों, सड़क पर रहने वालों, अनाथों, वृद्ध लोगों, सड़क के कुत्तों, बिल्लियों और आवारा जानवरों को भोजन खिलाना	5.24	5.24
3	मेसर्स निमिशंबा मंदिर, गंजाम, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर	रसोई के बर्तनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	5.00	5.00
4	बाढ़ राहत	उडुपि जिले के बोम्मकबेट्ट, कोडीबेट्ट और कुक्केहल्ली गांवों में बाढ़ से प्रभावित घरों के रखरखाव के लिए सहायता।	3.00	3.00
5	गरीबी और पोषण क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षेत्रों का / अंका में सीएसआर गतिविधियाँ	वंचितों के लिए वाटर फिल्टर, कपड़े, रेफ्रिजरेटर आदि	41.21	40.48
	कुल		104.45	103.72

2	COVID-19 relief	Feeding of food to Migrant Labourers, Street dwellers, Orphans, Old Age People, Street Dogs, Cats, & Stray Animals, during COVID-19 lockdown crisis situation	5.24	5.24
3	M/s Nimishamba Temple, Ganjam, Srirangapatna, Mysore	Financial assistance extended for purchase of Kitchen Utensils & Equipments	5.00	5.00
4	Flood Relief	Assisted for maintenance of houses affected by flood in Bommak-bettu, Kodibettu and Kukkehalli villages in Udupi Dist.	3.00	3.00
5	CSR Activities at various Branches/ ROs/ COs of Canara Bank under Poverty and Nutrition	Water filters, clothes, refrigerators etc. for under privileged	41.21	40.48
	Total		104.45	103.72

(घ) कौशल विकास

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी)	पूरे भारत में 23 आरएसईटीआई, 3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थान और 5 सीबीआईआईटी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण, एटा, कासगंज, थेनी और डिंडीगुल में आरएसईटीआई भवनों का निर्माण व्यय	550.00	550.00
2	ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी)	पूरे भारत में 27 रूडसेटी के कौशल विकास प्रशिक्षण पर व्यय	466.69	466.69
3	देशपांडे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (डी - आरसेटी), हलियाल	कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	4.01	4.01
4	बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (बीआईआरडीटी)	कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	5.37	5.37
	कुल		1026.07	1026.07

(ङ) स्वच्छ भारत

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	8 विभिन्न सरकारी बालिका विद्यालय व महाविद्यालय, करनाल	सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग और डिस्पोजल मशीनें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई	4.50	4.50

(d) Skill Development

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT)	Skill Development training through 23 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBIIIs all over India and Construction expenses of RSETI Buildings at Etah, Kasganj, Theni & Dindigul	550.00	550.00
2	Rural Development & Self Employment Training Institute (RUDSETI)	Skill Development training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	466.69	466.69
3	Deshpande Rural Self Employment Training Institute (D-RSETI), Haliyal	Skill Development training expenditure	4.01	4.01
4	Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Dev (BIRED)	Skill Development training expenditure	5.37	5.37
	Total		1026.07	1026.07

(e) Swachh Bharat

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	8 Various Govt. Girls Schools & Colleges, Karnal	Financial assistance extended to install Sanitary Napkin Vending & Disposal Machines	4.50	4.50

2	सरकारी विद्यालय, एटा व लेडी लोयल हॉस्पिटल, आगरा	सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई	1.91	1.91
3	मद्रास रेजिमेंटल केंद्र, चेन्नई	मोबाइल शौचालय के लिए प्रायोजन	1.50	1.50
4	श्री गांधी आदर्श कन्या विद्यालय, रामबाग, आगरा	शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई	1.44	1.44
5	जीएचपीएस, टी नरसीपुर	शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई	1.14	1.14
6	स्वच्छ भारत के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षेत्रों का / अंका में सीएसआर गतिविधियाँ	विभिन्न स्वच्छ भारत परियोजनाएं	7.37	7.37
	कुल		17.86	17.86

2	Government schools at Etah & Lady Loyal Hospital, Agra	Assisted for Installation of Sanitary Pads Vending Machine	1.91	1.91
3	Madras Regimental Centre, Chennai	Sponsorship for Mobile Toilet	1.50	1.50
4	Shree Gandhi Aadarsh Kanya Vidyalay, Rambagh, Agra	Financial assistance extended for construction of Toilets	1.44	1.44
5	GHPS, T Narasipur	Financial assistance extended for construction of Toilets	1.14	1.14
6	CSR Activities at various Branches / ROs / COs of Canara Bank under Swachh Bharath	Various Swachh Bharat Projects	7.37	7.37
	Total		17.86	17.86

(च) ग्रामीण विकास क्षेत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स पुरुषोत्तपत्तनम ग्राम पंचायत	पुरुषोत्तपत्तनम में गांव की सड़क के किनारे पेड़, तालाब, बाग के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता	4.50	4.50
2	मेसर्स डीआरडीए, मदुरै	आत्मनिर्भर योजना के तहत निम्न ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता	2.45	2.45

(f) Rural Development Sector

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	M/s Purusho thapatnam Grama Panchayat	Financial assistance extended for Improving Pond, Garden, Tree Guards for Village Roads at Puruho-thapattanam	4.50	4.50
2	M/s DRDA, Madurai	Financial assistance extended for various Rural development activities under Self Sufficiency Scheme	2.45	2.45

3	ग्रामीण विकास क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षेत्रों का / अंका में सीएसआर गतिविधियाँ	विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4.97	2.00
	कुल		22.92	8.95

3	CSR Activities at various Branches/ ROs / COs of Canara Bank under Rural development Sector	Various Rural Development Programmes	4.97	2.00
	Total		22.92	8.95

(छ) महिला सशक्तिकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	अंचल कार्यालय व प्रधान कार्यालय में सीईडी कक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम	महिला उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता – कैन बाजार आदि कार्यक्रम।	47.94	47.94
	कुल		47.94	47.94

(g) Women Empowerment

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Programmes conducted by CED cells at CO & HO	Programmes towards women entrepreneurship, skill training, Marketing assistance - Can Bazaars, etc.	47.94	47.94
	Total		47.94	47.94

(ज) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स केनरा वित्तीय सलाहकार ट्रस्ट / साक्षरता केंद्र	केनरा बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम	563.29	563.29
	कुल		563.29	563.29

(h) Financial Literacy Programmes

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	M/s Canara Financial Advisory Trust / Literacy Centers	Various Financial literacy programmes through Financial literacy centers of Canara Bank	563.29	563.29
	Total		563.29	563.29

(झ) खेलकूद, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) और अन्य क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक राहत व कल्याण संगठन	ब्रेल केंद्र गतिविधियाँ	5.00	5.00

(i) Sports, Divyang (PWD) & Other Sectors (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Canara Bank Relief & Welfare Association	Braille Centre Activities	5.00	5.00

2	मेसर्स नारायण सेवा संगठन	50 विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई	5.00	5.00
3	मेसर्स उमा शिक्षा समाज, विजयवाड़ा	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई	1.35	1.35
4	मेसर्स ब्रिगेड व खेल संस्थान	जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए खेल प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की	8.40	4.20
5	एसपी कार्यालय वार्ड, दिल्ली	खेल उपकरण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई	1.76	1.76
6	मेसर्स महावीर विकलांग समिति	जयपुर में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, को 25 व्हील चेयर खरीदने में सहायता की गई	1.50	1.50
7	रेड क्रॉस सोसाइटी, विजयवाड़ा	दरगामिट्टा में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई	1.00	1.00
8	खेल और अन्य गतिविधियों के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षेत्रों का / अंशों में सीएसआर गतिविधियाँ	खेलकूद, विकलांग व्यक्तियों और अन्य गतिविधियों को सहयोग	83.90	44.25
	कुल		107.91	64.06

2	M/s Narayan Seva Sansthan	Financial assistance extended to provide artificial limbs to 50 Persons with disability	5.00	5.00
3	M/s Uma Educational Society; Vijayawada	Financial assistance extended to provide Wheel Chairs to the Physically Challenged Persons	1.35	1.35
4	M/s Bridges & Sports Foundation	Assisted for Sports Training & Education for children from Tribal Community	8.40	4.20
5	S P Office Wards, Delhi	Financial assistance extended to provide Sports Equipments	1.76	1.76
6	M/s Mahaveer Vikalang Samiti	Assisted to procure 25 Wheel Chairs to Physically Disabled Persons, Jaipur	1.50	1.50
7	Red Cross Society, Vijayawada	Financial assistance to provide Artificial Limbs to physically handicapped persons at Dargamitta	1.00	1.00
8	CSR Activities at various Branches/ ROs/COs of Canara Bank under Sports and other activities	Support to Sports, persons with Disability & Other Activities	83.90	44.25
	Total		107.91	64.06

भाग ग : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां, अंतर्राष्ट्रीय पंहुच के संबंध में, बैंक का एसबीआई के साथ एक संयुक्त उद्यम अर्थात् कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी है और पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी, केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल) दार-एस-सलाम, तंजानिया में है।

क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.

ख) केनबैंक फैक्टर लि.

ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.

घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.

ड) केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लि.

च) केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.

छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लि.

ज) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)

झ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी (संयुक्त उद्यम)

ञ) दार-एस - सलाम, तंजानिया में पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी, केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल)

2. क्या अनुषंगी कंपनी / कंपनियां बीआर पहल में पैतृक कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ तो ऐसी अनुषंगी(यों) की संख्या दें।

हां, एक अनुषंगी - केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. क्या अन्य संस्था / संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था / संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा) नहीं

भाग घ : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / कौं का विवरण

क) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण:

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	08411575
2	नाम	ए मणिमेखलै
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	लागू नहीं
2.	नाम	एम. परमसिवम
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष संख्या	080-22250161
5.	ई-मेल आई डी	hofiw@canarabank.com

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?

Yes. The Company has seven domestic subsidiaries, Regarding overseas presence, Bank has one Joint Venture with SBI viz: Commercial Bank of India LLC, in Moscow and a Wholly Owned Subsidiary, Canara Bank Tanzania Ltd.(CBTL) at Dar-es-Salaam, Tanzania.

a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.

b) Canbank Factors Ltd.

c) Canara Bank Securities Ltd.

d) Canbank Computer Services Ltd.

e) Canbank Financial Services Ltd.

f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.

g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.

h) Canfin Homes Ltd., (Associate Company).

i) Commercial Bank of India LLC, in Moscow in association with SBI (Joint Venture).

j) Canara Bank Tanzania Ltd. (CBTL) at Dar-es-Salaam, Tanzania, a wholly owned subsidiary

2. Do the Subsidiary Company / Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. Do any other entity / entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity / entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].

Nil

Section D: BR Information

1. Details of Director / Directors responsible for BR

a) Details of the Director / Directors responsible for implementation of the BR policy / policies

Sl.No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	08411575
2.	Name	A Manimekhalai
3.	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	M. Paramasivam
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	080-22250161
5.	e-mail id	hofiw@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर) ?

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास ---- के लिए पॉलिसी/पॉलिसियां है .	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या पॉलिसी संबंधित हितधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या पॉलिसी, राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं। (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या पॉलिसी, बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो क्या यह एमडी / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी पॉलिसी के कार्यावयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड / निदेशक / अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या पॉलिसी को सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में पॉलिसी / पॉलिसियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पॉलिसी / पॉलिसियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस पॉलिसी के क्रियावयन के लिए स्वतंत्र ऑडिट/मूल्यांकन करवाया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

§: www.canarabank.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N) ?

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy / policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any National / International standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy / policies to address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

§: www.canarabank.com

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर “नहीं” है तो कृपया इसका कारण बताएं (विकल्प 2 तक चिह्न लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी, सिद्धांत को नहीं समझ पाई									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विशिष्ट सिद्धांत के लिए पॉलिसी बनाए व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं हैं									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)									

2a. If answer to S.No.1 against any principle, is “No”, please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. बीआर से संबंधित अभिज्ञासन ?

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है।
3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा
3-6 महीने
- क्या कंपनी एक बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है?
इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाईपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?

रिपोर्ट को वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और
https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=107 पर हाइपर लिंक उपलब्ध कराया गया है।

भाग ड. : सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा नियंत्रित हो।

- क्या नैतिकता, रिश्ततखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावर्तित है? नहीं

3. Governance related to BR ?

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO meet to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

3-6 months

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

The Report published annually and made available under the hyperlink https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=107

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

- Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? No.

क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

हाँ।

बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित “कॉर्पोरेट अभिशासन नीति” है जिसे सभी हितधारकों यानी जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज के कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसरण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन (जीआरएम) पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

यादृच्छिक रूप से कर्मचारियों के खातों की जांच शाखाओं के आरबीआईए (जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा) के समय की जाती है। ऑफ़लाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली में कर्मचारियों के खातों में 50000 रुपये से अधिक के लेनदेन की निगरानी की जाती है।

बैंक में नियमित निरीक्षण (आरबीआईए) की प्रणाली है। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट आवश्यकता पर शाखाओं / यूनिट / कार्यालयों की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा होती है। मासिक आधार पर चयनित शाखाओं / कार्यालयों की समवर्ती लेखापरीक्षा होती है।

- विगत वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को संतुष्टिपूर्वक प्रबंधन द्वारा सुलझाया गया है? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

श्रेयधारक शिकायतें : वर्ष 2020-21 में बैंक ने श्रेयधारकों से 1352 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतुष्टिपूर्वक किया गया।

अधिकांश शिकायतें लाभांश प्राप्त नहीं होने से संबंधित हैं। इसका कारण संबंधित श्रेयधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन नहीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने, बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिकार-पत्र (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दुबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

Does it extend to the Group / Joint Ventures/ Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

Yes.

The Bank is having a Board approved “Corporate Governance Policy”, which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stake holders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries / Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50000 in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches / units / offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

- How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Shareholders Complaints: The Bank received 1352 representations / grievances from Shareholders during 2020-21 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

ग्राहक शिकायतें : वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने 101944 शिकायतें प्राप्त की तथा 97.66% को संतुष्टिपूर्वक निपटारा दिया गया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद / सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

सिद्धांत 2 : कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराए जो सुरक्षित हों तथा उनके जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखें।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और / या अवसरों को शामिल किया गया है।
- i. **वित्तीय समावेशन कार्यक्रम** - एफआई अनुभाग विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों को कवर करती है जैसे, कियोस्क मॉडल बैंक बिजनेस आउटलेट / बैंकिंग टच प्वाइंट्स की स्थापना कर बैंकिंग सेवाओं में और अधिक पहुँच स्थापित करना, पीएमजेडीवाई खातों को जुटाना, पीएमजेडीवाई ओडी के तहत सहयोग प्रदान करना, आधार नामांकन करना, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना आदि।
- ii. **ग्रामीण विकास** - बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 78 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह-प्रायोजित / सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व-रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थानों ने अब तक 10.93 लाख से अधिक बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया है जिनका व्यवसाय प्राप्ति दर 73% है।
- iii. **हरित बैंकिंग** - बैंक ने ग्रामीण जनता के लिए और कुछ पञ्च कार्यालय में कार्य करने वालों के लिए विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे, सीबीएस, एनिवेयर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, बायो-मेट्रिक एटीएम व माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की है। दिनांक 01.04.2020 से ई-सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में समामेलन के पश्चात, दोनों ही बैंकों के सीबीएस का समामेलन निर्धारित समय सीमा जनवरी 2021 से पूर्व पूरा कर लिया गया है। हमारे एटीएम में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए पेपरलेस ग्रीन पिन सुविधा,

Customer Complaints: During 2020-21 the Bank received 101944 complaints and 97.66% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products / services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and / or opportunities.
- i. **Financial Inclusion Programme** - Financial Inclusion Programme Covering varied rural activities, such as increasing access to banking services through establishment of Kiosk model Bank Business Outlet / Banking touch points, mobilizing PMJDY accounts, support under PMJDY OD, Aadhaar enrollment, Enhancing financial literacy through Financial Literacy centers and rural branches.
- ii. **Rural Development** - The Bank has sponsored/ co-sponsored / supported 78 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than 10.93 lakhs unemployed youth so far, with a settlement rate of 73%.
- iii. **Green Banking** - The Bank has introduced several environment friendly measures, viz., Core Banking Solution, Anywhere Banking, Internet Banking, Tele Banking, Mobile Banking, ATMs, Biometric ATMs & Micro-ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. On account of amalgamation e-Syndicate Bank into Canara Bank w.e.f. 01.04.2020, CBS integration of both Banks completed before the scheduled timeline in January 2021. Enabled Paperless Green PIN facility for Debit & Credit Cards, Lifestyle features in Candi Mobile App,

केनडी मोबाइल एप में लाइफ स्टाइल की सुविधा पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से नेट बैंकिंग पासवर्ड, सफल नकद निकासी और बैलेंस पूछताछ के लिए “रसीद” की छपाई सक्षम किए गए हैं। पेपरलेस बैंकिंग के लिए अत्याधुनिक कैंडी शाखाएं खोलीं गई हैं। आंतरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई-गवर्नेंस को कार्यान्वित किया है।

2. इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति यूनिट (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अबतक सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के समय आई कमी?

लागू नहीं

- i. पिछले वर्ष से अबतक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी को प्राप्त कर लिया गया है?

हमारे नव निर्मित क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में वर्षा जल संचयन संयंत्र (रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट) स्थापित किए गए हैं।

हमारे निर्माण स्थल बागलूर में वर्षा जल संचयन संयंत्र (रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट) स्थापित करने की योजना है। कार्य प्रगति पर है।

3. क्या कंपनी में स्थायी सोर्सिंग (स्रोतीकरण) के लिए कोई पद्धति है (परिवहन सहित) यदि हां, तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में इसके विवरण प्रस्तुत करें।

आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन मानकों, प्रदूषण मुक्त वातावरण, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पूर्ति करने हेतु बैंक में एक निर्धारित नीति है।

4. क्या कंपनी स्थानीय व छोटे उत्पादकों, जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल हैं, से माल व सेवाएं खरीदने के लिए कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जहां भी छोटी खरीदारी की जाती है, वहाँ पर स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का

Netbanking passwords through SMS on registered mobile numbers, dispensed with printing of “Receipt” for successful cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs. Opened Hi-tech CANDI branches for paperless banking. Internally, the Bank has implemented e-governance for its human resources management and certain other administrative areas

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

Not Applicable.

- i. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Rainwater harvesting plant is installed at our newly constructed RO building at Dehradun.

Rainwater harvesting plant is planned for our construction site at Bagalur. Works are under progress.

3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

For sourcing, Bank has a set policy as per which the suppliers should meet the standards of energy generation, Eco-friendly pollution-free climate, friendly technologies.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Procurement of goods and services from the local & small produces are being practiced wherever small

प्रचलन है, जिससे स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता बढ़ जाती है।

5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्नवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है (5% से कम, 5-10%, 10% से अधिक, अलग - अलग बताएं)। 50 शब्दों में विवरण दें।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : कारोबार, सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।

यथा 31.03.2020 को कुल कर्मचारियों की संख्या 88213 है।

2. कृपया अस्थाई / संविदा / अनौपचारिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

एफओसी-प्रशिक्षण	शून्य	इस अवधि के दौरान किसी कर्मचारी को नहीं लिया गया है।
लोकपाल	शून्य	
सलाहकार	शून्य	
ईआरओ-ऑडिट उद्देश्य	शून्य	
कुल	शून्य	

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

यथा 31.03.2021 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 27401 है।

4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

यथा 31.03.2021 को स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 2412 है।

5. क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

हमारे बैंक में केनरा बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत) व केनरा बैंक अधिकारी संघ (पंजीकृत) प्रबंधन द्वारा मान्यता-प्राप्त क्रमशः कामगारों व अधिकारियों हेतु दो प्रमुख संघ हैं।

6. आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?

अधिकारी संघ	85.15
कर्मचारी यूनियन	50.60

purchases are done, facilitating the capability of local and small vendors.

5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not applicable.

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees.

1. Please indicate the total number of employees.

Total number of employees as at 31.03.2021 is 88213.

2. Please indicate the total number of employees hired on temporary / contractual / casual basis.

FOC- Training	Nil	Not hired During the period
Ombudsman	Nil	
Advisors	Nil	
ERO-Audit purpose	Nil	
Total	Nil	

3. Please indicate the number of permanent women employees.

The number of permanent women employees as at 31.03.2021 is 27401.

4. Please indicate the number of permanent employees with disabilities.

The number of permanent employees with disabilities as at 31.03.2021 is 2412.

5. Do you have an employee association that is recognized by management.

In our Bank Canara Bank Employees Union (Regd.) and Canara Bank Officers' Association (Regd.) are two majorities Union / Association of workmen and officer employees respectively, which are recognized by the Management.

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Officers' Association	85.15
Workmen Union	50.60

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितनी लंबित हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	6	0
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया?

स्थायी कर्मचारी	56.03%
नियमित महिला कर्मचारी	57.96%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	47.59%

सिद्धांत 4: कारोबार को सभी हितधारकों, विशेष रूप से वंचितों, कमजोर वर्गों और उपेक्षितों का आदर करना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह भी होना चाहिए।

- क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित (मैपिंग) किया है?
हाँ, बैंक के हितधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक हैं।
- उक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षित हितधारकों की पहचान की है?
हां.
- क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर व उपेक्षित श्रेणियों के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ, तो 50 शब्दों में विवरण दें।

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	6	0
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	56.03%
Permanent Women Employees	57.96%
Casual / Temporary / Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	47.59%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

- Has the company mapped its internal and external stakeholders?
Yes. The stakeholders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.
- Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?
Yes.
- Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

कर्मचारी: बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/ सुविधाओं की सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक / वेतन, प्रोन्नति दिया जाता है।

ग्राहक : समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने अन्य योजनाओं के साथ, सादा (नो फ्रील) बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना, शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरू की हैं।

सिद्धांत 5: कारोबार, मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करो

1. क्या मानवाधिकारों संबंधी कंपनी की नीति ही कंपनी पर लागू होती है या इसे समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू किया गया है?

बैंक, भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार का आदर करता है।

मानव संसाधन से संबंधित नीतियां केवल बैंक के परिचालनों पर ही लागू हैं। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियां सभी कर्मचारियों को समानता और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रावधान हैं। यौन उत्पीड़न पर नीति अधिनियम "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के संदर्भ में लागू की गई है। नीति के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक इकाइयों में पीठासीन

Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits / facilities / assistance to employees belonging to SC / ST category as per Government guidelines. Further, the wages / salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees.

Customers: In order to cater to, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Nayee Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, loans to self help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others micro & small enterprises

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of Act "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". As per the policy, Bank has constituted Internal

अधिकारी और अन्य सदस्यों को अधिनियम में निर्धारित की गई समिति में नामित करके आंतरिक समितियों का गठन किया है।

आंतरिक शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी होंगे जो एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होंगी और कर्मचारियों में से 2 सदस्य होंगे जो महिलाओं के कारण के लिए प्रतिबद्ध हैं या सामाजिक कार्य / कानूनी ज्ञान में अनुभव रखते हैं और इसके सदस्य के रूप में उनके पास एक तृतीय पक्ष सदस्य (एनजीओ आदि) भी होगा।

समिति की रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। बैंक समय-समय पर सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों को लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निराकरण कर रहे हैं। अंचल स्तर निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

कर्मचारियों की शिकायत का निवारण करने के लिए कर्मचारियों की शिकायत को अधिक अनुकूल, कागज रहित और कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित निपटान करने के उद्देश्य से, 'केनराइट शिकायत निवारण प्रणाली' शुरू की गई है Quick Links > SAS Biometric Login > General > Canarite Grievance Redressal System (CGRS).

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए वह जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना:

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख-रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेष तौर पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?

हितधारक शिकायतों में निवेशकों की शिकायतें और ग्राहकों की शिकायतें शामिल हैं।

निवेशक शिकायतें 1352 आईं जिनमें कोई लंबित नहीं है।

Committees at all administrative units by nominating Presiding Officer and other members to the Committee as stipulated in the Act.

The Internal Complaints Committee will have Presiding Officer who shall be a senior level woman employee and will have 2 members from amongst the employees preferably committed to the cause of women or has experience in social work / legal knowledge and shall also have a third party member (NGO etc) as its member.

The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

With a view to make Employees' Grievance(s) Redressal mechanism more employee friendly, paperless and quick disposal of grievances of the employees, 'Canarite Grievance Redressal System' is introduced in Cannet under the path Quick Links > SAS Biometric Login > General > Canarite Grievance Redressal System (CGRS).

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction / electrical / maintenance works at its premises, the Bank ensures the contractor follows the labour laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

Stakeholder complaints include investor complaints & customer complaints.

Investor grievances are 1352 out of which nil is pending.

सिद्धांत 6: कारोबार, पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करो

1. सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति क्या कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर-सरकारी संस्थान / अन्य पर भी लागू है?

यह नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे, पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना/पहल है? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

हाँ।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ओजोन डिप्लोस्टिंग सब्सटेंस (ओडीएस) का उपभोग / उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्त प्रदान नहीं कर रहा है।

बैंक द्वारा उन छोटे / मझौले स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ / नहीं

हाँ।

4. क्या कंपनी स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें और, यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट दायर की गयी है?

हाँ।

बैंक द्वारा किए गए विभिन्न हरित बैंकिंग पहलों में कोर बैंकिंग समाधान, ग्रामीण जनता के लिए कहीं भी बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए बायोमेट्रिक एटीएम और माइक्रो-एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कागज रहित ग्रीन पिन सुविधा, पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से नेटबैंकिंग पासवर्ड, हमारे एटीएम में सफल नकद निकासी और बैलेंस जांच के लिए छपाई के साथ 'रसीद', कागज रहित बैंकिंग के लिए अत्याधुनिक कैंडी शाखाएं, अपने कर्मचारियों और प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए में पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शाखाओं में ई-लाउंज और ई-गवर्नेंस आदि शामिल हैं।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता के कई पहल शुरूआत की है। बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे, पवन मिल्स / सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि।

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / others.

The Policy covers only the Bank.

2. Does the company have strategies / initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y / N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes.

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/producing Ozone Depleting Substances (ODS).

No financial assistance is extended by Bank to small/medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y / N

Yes.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yes.

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include Core Banking Solution, Anywhere Banking, Internet Banking, Tele Banking, Mobile Banking, ATMs, Biometric ATMs & Micro-ATMs for the use of rural folk, paperless Green PIN facility, for debit & credit cards, Netbanking password through SMS on registered mobile numbers, dispensed with printing of 'Receipt' for successful cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs, opened Hi-tech CANDI branches for paperless banking, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc., Y / N If yes, please give hyperlink for web page etc.

Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills / Solar Power

बैंक में हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमानी ऋण देने की योजनाएं हैं।

बैंक, उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने वाले अपने सभी परिसरों में सीएफएल / फ्लोरोसेंट लाइट्स की जगह नई एलईडी लगा रहा है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने दिनांक 18.09.2017 को बैंक को गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके नियंत्रण उपायों के अभिनव तरीके को अपनाने की अनुमति दी है। उसके आधार पर, बैंक ने पहले चरण में पांच क्षेत्रों (पैन इंडिया, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, उत्तरी पूर्वी भारत) के लिए विक्रेताओं को पैनल में शामिल किया है। दूसरे चरण में, हमने सौर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कुछ इमारतों (प्रधान कार्यालय भवन, अंका चेन्नई, अं का त्रिवेन्द्रम व अं का हैदराबाद) की पहचान की है। तदनुसार, हमने निम्नलिखित सौर ऊर्जा इकाई (सोलर यूनिट) की स्थापना की है।

- 1) देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय में 50 केडबल्यूपी सौर शक्ति संयंत्र
- 2) चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में 35 केडबल्यूपी सौर शक्ति संयंत्र
- 3) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में 40 केडबल्यूपी सौर शक्ति संयंत्र
- 4) त्रिवेन्द्रम क्षेत्रीय कार्यालय में 40 केडबल्यूपी सौर शक्ति संयंत्र

साथ ही भोपाल अंचल कार्यालय परिसर में सोलर पावर प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है।

बैंक, उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों, जैसे एयर कंडीशनर का उपयोग करने की नीति का भी पालन कर रहा है।

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने वाले जनरेटर्स के उपयोग में सीपीसीबी नियमों (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का अनुपालन कर रहा है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों के लिए सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा उपयोग को अपनाने की प्रक्रिया में भी है।

6. रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष के लिए, क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट, सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं?

बैंक, वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है, अतः यह लागू नहीं है।

7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस / कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित हैं? (यानी संतुष्टि के स्तर तक नहीं निपटाया गया है) शून्य

projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

Bank is replacing of CFL / Fluorescent lighting fixtures with new LED fixtures in all its premises ensuring higher energy efficiency. Further, vide Board of Directors dated: 18.09.2017, Bank has permitted to adopt innovative way of control measures by using non-conventional energy sources. Based on that, Bank has done empanelment of vendors for five regions (Pan India, South India, North India, Central India, West India, Northern east India) in first stage. In second stage Bank has identified few own buildings Head office, Chennai CO, Trivandrum CO & Hyderabad CO to install solar plants. Accordingly, we have installed the following Solar Units,

- 1) 50KWp solar power plant in Dehradun, Regional Office Building
- 2) 35KWp solar power plant in Chennai Circle Office Building
- 3) 40KWp solar power plant in Hyderabad Circle Office Building
- 4) 40KWp solar power plant in Trivandrum Circle Office Building

In addition, installation of Solar power plant work is on progress at Bhopal Circle office premises

The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances, viz., Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. Are the Emissions / Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB / SPCB for the financial year being reported?

The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB / SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year. Nil

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आम जनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ तो, उन बड़ी संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?

हाँ।

क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)

घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)

ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

च) भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआई)

2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए ऊपर संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो मोटेतौर पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)

हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय – समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार, समग्र विकास और समान विकास को संबल देना चाहिए

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

बैंक ने समाज की समावेशित वृद्धि व समान विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों / पहलों / परियोजनाओं को चलाया है।

विवरण निम्नवत हैं:

बैंक ने सभी आबंटित गाँवों में 1123 ब्रिक व मोर्टार शाखाएं खोलने और 5267 बीसी एजेंटों की सेवाएं प्रयुक्त कर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। आबंटित गाँवों के अलावा, बैंक ने 3862 एजेंटों को रखा और यह दिनांक 31.03.2021 की स्थिति

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes.

a) Indian Banks' Association (IBA)

b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)

c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)

d) National Institute of Bank Management (NIBM)

e) National Payments Corporation of India (NPCI)

f) The Clearing Corporation of India (CCI)

2. Have you advocated / lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes / No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

Yes, The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions / regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes / initiatives / projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

The Bank has undertaken various initiatives / programmes / projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

The details are as under:

Bank has provided Banking facilities in all the allotted villages by opening 1123 brick & mortar branches and engaging 5267 BC agents. Apart from the allotted villages, bank has engaged 3862 agents

के अनुसार अब तक बैंक के पास 9129 एजेंट हो गए हैं। जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहनीय खर्च पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। इसका कार्यावयन दो मॉडल यानी ब्रिक व मॉर्टर मॉडल और कारोबार संपर्की मॉडल के तहत किया गया।

बैंक ने मौजूदा मोबाइल बीसी मॉडल के बदले दिसंबर 2018 के दौरान नई हाइब्रिड कियोस्क मॉडल बीसी सेवाएं शुरू की हैं। नए हाइब्रिड मॉडल के तहत, बीसी एजेंट 4 घंटे के लिए निर्धारित स्थानों (बैंक बिजनेस आउटलेट्स) में काम करेंगे और उसके बाद उन्हें आवंटित क्षेत्र/गांव के ग्रामीण लोगों विशेष कर वृद्ध लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए कवर करेंगे।

- नया हाइब्रिड मॉडल बैंकिंग उद्योग में अद्वितीय और अपनी तरह का पहला है। नए मॉडल के तहत, सामान्य हैंड हेल्ड मशीन (एचएचएम) के बजाय टैब का उपयोग किया जा रहा है।
- बीसी सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे जैसे खाता खोलना, एडिपीएस लेनदेन, नकद रसीदें, नकद भुगतान, और रुपये कार्ड, फंड ट्रांसफर आदि के माध्यम से लेनदेन। एडिपीएस और रुपये कार्ड सेवाएं न केवल अपने बैंक के ग्राहकों के लिए, बल्कि अन्य बैंक ग्राहकों के लिए भी प्रदान की गई हैं।
- बीसीए, ऋण आवेदन भी प्राप्त करेंगे, छोटे मूल्य की जमा राशियों का प्रचार करेंगे, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्रोतीकरण (सोर्सिंग) करेंगे और छोटे मूल्य के ऋणों की वसूली आदि करेंगे।
- जिला/ब्लॉक स्तर पर 72 एफएलसी कार्य कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 15,400 शिविर आयोजित किए, जिसके माध्यम से 10.12 लाख लोगों को शिक्षित किया गया और 53,470 लोगों को परामर्श दिया गया।

2 क्या कार्यक्रम / परियोजना, आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य / गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी। बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक हैं। बैंक वित्तीय साक्षरता न्यास के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है।

अन्य न्यासों / सोसाइटियों का नाम निम्नगत है जहाँ बैंक परियोजनाएं लागू करने के लिए सम्मिलित हैं, जो जनता तथा समाज की सेवा में प्रभाव उत्पन्न किया है।

total comprising of 9129 agents as on 31.03.2021. The objectives are to provide the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

Bank has introduced new Hybrid Kiosk Model BC services during December 2018 in lieu of the existing Mobile BC model. Under the new Hybrid model, the BC Agents will work for 4 hours in fixed locations (Bank Business Outlets) and thereafter they will be covering villages / areas allotted to them for servicing the rural folk especially old aged people and Senior Citizens, at their doorsteps.

- The new Hybrid model is unique and first of its kind in Banking Industry. Under the new model, the TAB is being used instead of normal Hand Held Machines (HHMs).
- The BCs will provide all financial and non-financial services such as opening of accounts, AEPS transactions, cash receipts, cash payments, and transactions through RuPay card, Funds Transfer etc. The AEPS and RuPay card services are extended not only to bank's own customers, but to other bank customers also.
- BCAs will also source loan applications, canvass small value deposits, sourcing of social security schemes and recovery of small value loans etc.
- 72 FLCs are functioning at District / Block level. Conducted 15,400 camps through which 10.12 lakh people have been educated & 53,470 people were counselled during the financial year 2020-21.

2. Are the programmes / projects undertaken through in-house team / own foundation / external NGO / government structures / any other organization?

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Section under Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager. Bank is propagating financial literacy through Canara Financial Advisory Trust.

Following are the Trusts / Societies wherein Bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society.

1. केनरा शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा वित्तीय सलाहकार न्यास
3. केनरा स्वर्ण जयंती शिक्षा निधि
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इन्हीं न्यासों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा निधीयन भी करता है।

3. क्या आपने अपनी पहल का प्रभाव मूल्यांकन किया है ?

हाँ। बैंक की पहल का सबसे मुख्य प्रभाव, अपने ग्राहकों को उत्पादों का वितरण करना है। मुख्य वितरण योग्य उत्पाद हैं:

बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान 10.98 लाख बैंक से रहित (असहबद्ध) लोगों को पीएमजेडीवाई खाते प्रदान किए हैं, 138.47 लाख पीएमजेडीवाई खाते में 6152.27 करोड़ रुपये को कासा शेष बकाया है।

सभी 9129 कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों ने वर्ष 2020-21 के दौरान 5.91 करोड़ लेनदेन किए हैं, जो कि 21830 करोड़ रुपये के हैं।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, ऋण सुविधा जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभिन्न ब्याज पर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला-बदली (स्वैपिंग) योजना और कई साख उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दोनों के तहत क्रमशः 1.08 लाख व 1.95 लाख नामांकन किए गए हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 573942 खाते जुटाए गए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 24691 खाते खोले गए हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि रूप में तथा परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करें।

बैंक ने विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक - आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे संगठनों को ₹26.56 करोड़ की राशि मंजूर की। (कृपया बिंदु 5 के भाग ख का संदर्भ लें)

5. क्या इस समुदाय विकास की पहल को सफलतापूर्वक समुदाय द्वारा अपनाया जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

बैंक को सीएसआर प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले संगठन के बारे में समुचित सावधानी रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और बैंक द्वारा स्वीकृत सीएसआर निधि के लिए किए गए अंतिम उपयोग पर दानकर्ता

1. Canara Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust
3. Canara Golden Jubilee Education Fund
4. Canara Relief & Welfare Society

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers. The major deliverables are:

The Bank has provided PMJDY accounts to 10.98 lakh unbanked people during the year 2020-21, 138.47 lakh PMJDY accounts are outstanding with a CASA balance of ₹6152.27 Cr.

All the 9129 Business Correspondent Agents have carried out 5.91 crore transactions amounting to ₹21830 Crore during the year 2020-21.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, PMJDY Overdraft Facilities, and credit facilities under products like Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, SHG and various other credit products.

The Bank has implemented social security schemes successfully during the year 2020-21 with 1.08 lakhs and 1.95 lakhs enrollments under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). Under Atal Pension Yojana (APY) 573942 accounts were mobilized. 24691 accounts have been opened under Sukanya Samriddhi Yojana.

4. What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken.

The Bank has sanctioned a sum of ₹26.56 Crores under CSR for various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer to Section B Point No.5).

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank obtains due diligence report about the donee organization prior to sanctioning of CSR proposals and confirmation from the donee

संगठन / संस्था से इन सीएसआर निधि के अंतिम उपयोग के बारे में पुष्टि प्राप्त की जाती है।

परियोजनाओं के लिए उपदान विभिन्न चरणों पर विकास कार्यों के प्रगति के आधार पर तथा साइट पर पूर्व-विकासआत्मक व विकासोपरान्त दौरा के पश्चात संवितरित किया जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके समुदाय के लोगों को भी शामिल करके परियोजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करके सहायता वितरित किया जाता है।

बैंक के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है जिसे समुदाय विकास प्रक्रिया को अपना रहा है।

सिद्धांत 9: कारोबार, जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़े और उन्हें सम्मान प्रदान करो

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता प्रकरण लंबित हैं?

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 101944 ग्राहक शिकायतों में से 2464 (2.41%) लंबित थी।

2. क्या कंपनी, स्थानीय नियमों की अनिवार्यता के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियाँ (अतिरिक्त सूचनाएं):

बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट्स और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी शेरधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें।

शून्य।

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान का पता लगाया है?

हाँ।

बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ ग्राहक सेवा में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए।

- बैंक ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया जिसमें पहले से डिजाइन

organization / Institute on the end use of the CSR funds sanctioned by the Bank is obtained.

The assistance for the projects is disbursed in stages depending upon the progress of the developmental work and after conducting pre-developmental and post-developmental site visits. The assistance is handed over by organizing public function involving the community members ensuring their participation in the projects.

The Bank has a mechanism to ensure that the community adapts to the developmental process.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints / consumer cases are pending as on the end of financial year. :

2464 (2.41%) of the 101944 customer complaints received were pending as at the end of the financial year

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes / No / N.A. / Remarks (additional information) :

Yes, The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and / or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Nil.

4. Did your company carry out any consumer survey / consumer satisfaction trends? :

Yes.

In order to evaluate the quality of customer service provided by the Bank branches as well as to take appropriate steps for ongoing improvement in customer service.

- Bank had organized Annual Survey of Depositor Satisfaction for the FY 2020-2021 with a pre-designed questionnaire having 15

किए गए 15 पैरामीटर वाले प्रश्नावली थे, जो कि ग्राहक सेवा संतुष्टि के लिए प्रासंगिक हैं।

- हमारे बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर अपलोड की गई प्रश्नावली के माध्यम से 15675 ग्राहकों ने ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लिया / अपनी प्रतिक्रिया दी और इस प्रकार की ऑनलाइन सर्वेक्षण विंडो दिनांक 04.12.2020 से 31.12.2020 तक 28 दिनों के लिए खुली रही। प्रत्येक पैरामीटर के तहत प्रतिक्रियाओं को उत्कृष्ट / औसत से ऊपर / औसत / औसत से नीचे के रूप में रेट किया गया था।
- कुल मिलाकर उत्कृष्ट और औसत से ऊपर के रूप में मूल्यांकित करने का प्रतिशत 62.75% था।
- 37.25% ग्राहक बैंक शाखाओं की समग्र सेवाओं से संतुष्ट हैं।

parameters, which are relevant to customer service satisfaction.

- 15675 customers responded / participated in the online Survey through Questionnaires uploaded in our Bank's website www.canarabank.com and the online survey window was open for 28 days from 04.12.2020 to 31.12.2020. The responses under each parameter were rated as Excellent / Above Average / Average / Below Average.
- Overall Excellent & above average rated as 62.75%.
- 37.25 % of the customers are satisfied with the overall services of the Bank Branches.



Together We Can

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

2020-2021

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का सिद्धांत

“कॉर्पोरेट अभिशासन सारे शेयरधारकों के सुस्थिर विकास हेतु संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।”

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा शेयरधारकों को संवर्धित मूल्य प्रदान करने के साथ-साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर अधिकतम जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वार्तालाप इस प्रकार से परिभाषित है ताकि उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित हो ताकि खास तौर पर अपने शेयरधारकों को और आम तौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

इसका समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक-जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है।

ए) बोर्ड के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" और "ख" में दिये गये हैं।

बी) निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताएं:

Report on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

“Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders.”

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders - depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

a) The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

b) Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors:

बैंक के कारोबार के संदर्भ में अपेक्षित मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताओं की सूची निम्नलिखित हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास उक्त कौशल हैं:

- बैंक के कारोबार (विशेष रूप से ऋण और अग्रिम और जमा), नीतियों और संस्कृति (मिशन, दृष्टिकोण और मूल्यों सहित) बड़े जोखिम / खतरे और संभावित अवसरों और उद्योग, जिसमें बैंक संचालित होता है, के बारे में ज्ञान।
- व्यापार रणनीति, साख और जोखिम प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी / डिजिटलीकरण, पूंजी उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहल के लिए कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन करना।
- व्यावहारिक कौशल - बैंक के विकास में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की विशेषताएं और दक्षताएं।
- वित्तीय और प्रबंधन कौशल
- बैंकिंग के व्यवसाय के संबंध में तकनीकी / व्यावसायिक कौशल और विशेष ज्ञान

सी) यथा दिनांक 31.03.2021 को बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई संबंध नहीं है।

डी) निदेशक मंडल की राय है कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

ई) वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान निदेशकों को दिए गए परिचय (फेमिलियराइजेशन) कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड / निदेशक मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम और सेबी लिस्टिंग नियमों के प्रावधानों के लिए अपेक्षित है कि बोर्ड, समितियों और निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाए। केनरा बैंक के निदेशक मंडल का संयोजन और शर्तें "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970" इस अधिनियम के माध्यम से अभिशासित की जाती हैं, इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के प्रावधान लागू नहीं हैं। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अलावा केंद्र सरकार के अनुसरण में शेरधारकों के बीच चुने गए 2 निदेशकों को छोड़कर सभी

The following are the list of core skills / expertise / competencies identified as required in the context of the Bank's business. The said skills are available with the Board Members:

- Knowledge on Bank's businesses (especially loans, advances and deposits), policies and culture (including the Mission, Vision and Values) major risks / threats and potential opportunities and knowledge of the industry in which the Bank operates.
 - Business Strategy, Credit & Risk Management Information technology / Digitization, efficiency of capital use, growth of business, NPA management, Financial inclusion, improvement in external credit rating, initiative to improve asset quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.
 - Behavioral skills - attributes and competencies to use their knowledge and skills to contribute effectively to the growth of the Bank
 - Financial and Management skills
 - Technical / Professional skills and specialized knowledge in relation to Banking's business
- None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se as on 31.03.2021.
 - In the opinion of the Board, independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.
 - The details of familiarization programmes imparted to directors during FY 2020-2021 is available on Bank's website www.canarabank.com.

Board / Director Evaluation

The provisions of the Companies Act and the SEBI Listing Regulations require that the performance evaluation of the Board, the committees and directors to be carried out on an annual basis. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Canara Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970", i.e., the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956 / 2013 in this

निदेशक, भारत सरकार के अधिनियम की धारा 9(3) के तहत प्रावधानों के अनुसार नियुक्त / नामांकित हैं। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। दो शेरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से भी स्वतंत्र होते हैं।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ("मंत्रालय") के पत्र क्रमांक एफ.सं.12/1/2014-बीओए दिनांक 18.08.2015 के अनुसार, मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग कर संवर्धित अभिगम और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के अनुरूप पीएसबी सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए भारांक के साथ निदेशक मंडल पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है। केपीआई सूचकांक व्यापक रूप से पूंजी के उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी ऋण मानदंड में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन के लिए पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहलों को व्यापक रूप से कवर करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंपनी अभिशासन में सुधार के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) के अभिशासन में सुधार संबंधी अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/20/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया है। सरकार ने गैर-सरकारी निदेशकों को, बैंकिंग कंपनी की धारा 9(3) के खंड (जी) और (एच) के तहत नामित गैर-सरकारी निदेशकों को (गैर-कार्यकारी उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 (अधिनियम), के तहत नामित करने के साथ ही गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना के खंड 5(1), 1970 / 1980 के तहत नियुक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जो कि कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित "स्वतंत्र निदेशकों" के समान है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों को स्थापित किया है।

शेरधारकों निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।

regard are Not Applicable. All the Directors, except 2 directors elected amongst the Shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India / GOI guidelines. The Two Shareholder Directors (Independent Directors) fulfill the necessary conditions as per the RBI / GOI guidelines and are also independent of the Management.

The Board evaluates the performance of whole time directors using an evaluation matrix as per the key performance indicators (KPIs) for the assessment of Quantitative & Qualitative parameters as advised by Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI ("Ministry") vide their letter No.F.No.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015 along with the weightage of marks for implementation of the PSB Reforms Agenda under Enhanced Access & Service excellence (EASE). The KPI indicators broadly cover efficiency of capital use, growth of business, NPA management, financial inclusion improvement in external credit rating, initiative to improve asset quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.

Government of India with a view to improve corporate governance in PSBs notified PSB Governance Reforms vide notification F.No.6/20/2019-BO.I dated 30.08.2019. The Government referred the non-official directors nominated under clauses (g) and (h) of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 (Act), including non-executive chairman appointed under clause 5(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980 to be similar in nature to "Independent Directors" defined under Companies Act and instituted the performance evaluation measures to improve the corporate governance in PSBs.

The evaluation of shareholders directors / independent directors is being done on annual basis.

Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.

3) लेखापरीक्षा समिति

बैंक द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

एसीबी समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नवत् हैं:

- एसीबी समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का मुख्य कार्य निम्नवत् है:

क.	बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।
ख.	लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा
ग.	बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना।
घ.	बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

एसीबी लेखापरीक्षा समिति द्वारा दीर्घ प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाये गये मामलों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों / मामलों का अनुवर्तन एवं अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर), आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस.एआरएस.बीसीसंख्या: 4/08.91.20/ 2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा कैलेंडर आधारित समीक्षा के बारे में सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को अमल करना है।

3) Audit Committee

The Audit Committee of the Board (ACB) is constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India and the Government of India.

ACB provides directions and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The major functions of the committee are as under:

- ACB provides directions and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.
- The major functions of the committee are as under:

a.	To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
b.	To review with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
c.	To review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports.
d.	To review Bank's finance and risk management policies.

ACB also reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR), follow-up on the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI, and also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate

इन मर्दों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कापॉरेट अभिज्ञासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें विधिवत् रूप से कैलेंडर आधारित समीक्षा के मुताबिक लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

लेखा-परीक्षा समिति के सदस्यों के गठन एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट क एवं ख में दिये गये हैं।

4) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण संदर्भ संख्या एफ.सं.16/19/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के आधार पर दिनांक 30.09.2019 को जारी किए गए निदेशक मंडल के आदेशों के अनुसार।

समिति के प्रमुख कार्य:

ए) नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर मौजूदा निर्वाचित निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों की "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करें:

- शैक्षिक योग्यता
- अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र
- ट्रैक रिकॉर्ड और ईमानदारी

(उपरोक्त सूची केवल उदाहरणस्वरूप है और यह संपूर्ण नहीं है)

बी) समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपरोक्त किसी भी मानदंड का पालन न करने से मौजूदा निर्वाचित निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक बोर्ड में निदेशक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न होगी।

सी) इसके अलावा, किसी भी प्राधिकरण / नियामक एजेंसी से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त करने वाले या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से किसी भी ऋण की दिवालिया या चूक करने वाले उम्मीदवार, बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अयोग्य और अनुचित करार दिए जाएंगे।

डी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का गठन और बैठकों में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ए और बी में दिया गया है।

5) निदेशकों को पारिश्रमिक

क) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4) Nomination and Remuneration Committee

In terms of orders of the Board of Directors on 30.09.2019 based on DFS, MoF, GoI communication Ref.No F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019

Major function of the committee:

a) Determine the "Fit and Proper" status of the existing elected directors / proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- Educational Qualification
- Experience and Field of Expertise
- Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive)

b) The committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director / proposed candidate from discharging the duties as a director on the board of the Bank.

c) Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the board of the Bank.

d) Performance Linked Incentives to Whole Time Directors of Public Sector Banks

The composition of members of Nomination and Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

5) Remuneration to Directors

a) Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	अवधि	राशि (₹)
श्री एल वी प्रभाकर	प्र. नि. व मु. का. अ.	01.04.2020 - 31.03.2021	32,64,338.43
श्री मटम वेंकट राव	का. निदेशक	01.04.2020 - 28.02.2021	27,72,411.94
श्री कृष्णन एस	का. निदेशक	01.04.2020 - 03.09.2020	13,08,612.34
श्री देवाशीष मुखर्जी	का. निदेशक	01.04.2020 - 31.03.2021	29,72,568.02
सुश्री ए मणिमेखलै	का. निदेशक	01.04.2020 - 31.03.2021	28,87,313.51
श्री के सत्यनारायण राजु	का. निदेशक	10.03.2021 - 31.03.2021	1,59,348.13
कुल			1,33,64,592.37

salary paid to the whole-time directors of the Bank, during the year 2020-21 are as under:

NAME	DESIG-NATION	PERIOD	TOTAL (₹)
Shri L V Prabhakar	MD & CEO	01.04.2020 - 31.03.2021	32,64,338.43
Shri Matam Venkata Rao	ED	01.04.2020 - 28.02.2021	27,72,411.94
Shri Krishnan S	ED	01.04.2020 - 03.09.2020	13,08,612.34
Shri Debashish Mukherjee	ED	01.04.2020 - 31.03.2021	29,72,568.02
Ms A Manimekha-lai	ED	01.04.2020 - 31.03.2021	28,87,313.51
Shri K Satyanaraya-na Raju	ED	10.03.2021 - 31.03.2021	1,59,348.13
TOTAL			1,33,64,592.37

क) गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण परिशिष्ट ग में दिया गया है। (पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशकों के लिए कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।)

b) Non-Executive Directors are not being paid any other remuneration except sitting fees as fixed by Government of India. The sitting fee is paid as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid to directors during the Year 2020-21 is given in the Appendix C. (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI)

6) शेयरधारक संबंध समिति

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी की जाती है।

6) Stakeholders Relationship Committee

The committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related on transfer of shares, non- receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

शेयरधारकों की शिकायत सांख्यिकी

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों / अभ्यावेदनों की संख्या	1352
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारक संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 6(1) के अनुसार श्री विनय मोहता, कंपनी सचिव दिनांक 31.03.2021 तक बैंक के अनुपालन अधिकारी थे।

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की संरचना और बैठक में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट क और ख में दिया गया है।

अन्य समितियाँ / उप समितियाँ

क) प्रबंधन समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के खंड 13 के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्तावों का समझौता/ निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित किन्हीं अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट क और ख में दिया गया है।

ख) जोखिम प्रबंधन समिति

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन के दायरे के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ बनाई हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति तैयार करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, इसलिए चार उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति,

Shareholders' Grievances Statistics

Complaints / Representations Received during the year	1352
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Shri Vinay Mohta, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank as on 31.03.2021.

The composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

Other Committees / Sub committees

a) Management Committee

The Management Committee of the Board is constituted as per the Clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise / settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits / appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

b) Risk Management Committee

The Bank has evolved suitable risk management policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated risk management system for the Bank.

As the risk management system is required to be implemented through a committee approach, four

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं समूह जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित की गई हैं, जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मामलों को संभालती हैं। इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं और वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट क और ख में दिया गया है।

ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के कार्य क्षेत्र निम्नांकित हैं:

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- बाज़ार जोखिम प्रबंधन
- व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार – विमर्श करती है।

घ) सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की उप समिति

बोर्ड ने दिनांक 18.09.2017 के आदेश के माध्यम से डिजिटल लेनदेन संबंधी उपलब्धि की प्रगति की निगरानी के लिए आईबीए और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की सिफारिशों के आधार पर बैंक को आबंटित डिजिटल संयवहार (एससी-डीटी) की उपलब्धि की प्रगति की निगरानी के लिए उप-समिति के गठन की अनुमति दी है।

इसी प्रकार, बोर्ड द्वारा दिनांक 07.06.2003 को दिए गए आदेश के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (एससी-आईटी)

high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD&CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

च) Asset Liability Management Committee

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD&CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- Liquidity risk management
- Management of market risk
- Trading risk management
- Funding and capital planning
- Profit planning & growth planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

द) Sub Committee of the Board for Monitoring the Progress in Implementation of Information Technology

The Board, vide orders dated 18.09.2017 permitted the formation of sub-committee for monitoring the progress of achievement in digital transactions (SC-DT) based on the recommendations of IBA and Ministry of Electronics and Telecommunications (MeitY) to monitor the progress of achievement in digital transactions allotted to the Bank.

Similarly, the Board, vide orders dated 07.06.2003 permitted the formation of sub-committee

के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की उप-समिति के गठन की अनुमति दी गई, ताकि बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान किया जा सके।

चूंकि उपरोक्त समितियों के कार्य समान प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक ने वर्ष के दौरान दोनों उप समितियों का विलय कर दिया है।

ड.) पूंजी नियोजन प्रक्रिया के लिए बोर्ड की उप समिति

मूलेतर आस्तियों के मुदीकरण के लिए बोर्ड की उप समिति के कार्य, अधिकार निर्गम के लिए बोर्ड की उप समिति (एससी-आरआई), अर्हता-प्राप्त संस्थागत स्थानन (एससी-क्यूआईपी) के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड की उप समिति और अन्य संस्थाओं (एससी-एसएच) में शेयर धारक निदेशकों के लिए मतदान के लिए बोर्ड की उप समिति है। ये सभी समितियां पूंजी जुटाने की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसलिए निदेशक मंडल ने उक्त सभी समितियों को पूंजी आयोजना प्रक्रिया (कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस) (एससी-सीपी) के लिए बोर्ड की उप समिति के साथ विलय करने की अनुमति प्रदान की है।

7) सामान्य बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एजीएम (आईपीओ के बाद)	दिनांक	समय	स्थान
16वां एजीएम	26.07.2018	10.15 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु - 560 001
17वां एजीएम	25.07.2019	10.30 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु - 560 001
18वां एजीएम	10.08.2020	11.00 पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंस / वीडियो विजुअल के माध्यम से आयोजित

18वीं वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख में दिया गया है।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठक / डाक मतपत्र में पारित विशेष संकल्प का विवरण इस प्रकार है:

of the Board for monitoring the progress in implementation of information technology (SC-IT) to monitor the progress, provide guidance and suggestions to implement information technology in the Bank.

As the functions of above committees are similar, the Bank has merged both the sub-committees during the year.

e) Sub-Committee of the Board for Capital Planning Process

Functions of Sub-Committee of the Board for Monetization of Non-Core Assets, Sub-Committee of the Board for Rights Issue (SC-RI), Sub-Committee of the Board to decide on Modalities of Qualified Institutional Placement (SC-QIP) and Sub-Committee of the Board for Voting for Share Holder Directors in other Institutions (SC-SH) are related to the Capital Raising activities. Hence Board of Directors has permitted to merge said Committees with Sub-Committee of the Board for Capital Planning Process (SC-CP).

7) General Body Meetings

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

AGM (After IPO)	Date	Time	Venue
16 th AGM	26.07.2018	10.15 AM	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001
17 th AGM	25.07.2019	10.30 AM	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001
18 th AGM	10.08.2020	11.00 AM	Held through Video Conferencing / Audio Visual means

Details of attendance of Directors at the 18th Annual General Meeting are given in Appendix B.

Details of Special Resolutions passed in the previous three annual general meeting / Postal Ballot:

बैठक की प्रकृति	दिन एवं दिनांक	उद्देश्य / विशेष संकल्प
16वीं वार्षिक सामान्य बैठक	गुरुवार 26 जुलाई 2018	- सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन / अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन, ईएसपीएस या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य माध्यम का अनुसरण करते हुए एक या एक से अधिक किश्तों में कुल राशि ₹7000 करोड़ (प्रीमियम सहित) के लिए ईक्विटी / अधिमानी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और उसे आवंटित करने हेतु। - उल्लिखित ₹7000 करोड़ में से, बैंक के कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों को केनरा बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना के माध्यम से अधिकतम ₹1000 करोड़ (प्रीमियम सहित) के शेयर जारी करना।
17वीं वार्षिक सामान्य बैठक	गुरुवार 25 जुलाई 2019	सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन / अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन, ईएसपीएस या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य माध्यम का अनुसरण करते हुए एक या एक से अधिक किश्तों में कुल राशि ₹6000 करोड़ (प्रीमियम सहित) के लिए ईक्विटी / अधिमानी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और उसे आवंटित करने हेतु।
डाक मतपत्र	शनिवार 23 नवंबर 2019	अधिमानी निर्गम के तहत भारत सरकार को ₹6,571 करोड़ तक के ₹237.23 (शेयर प्रीमियम ₹227.23 सहित) के निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर ₹10/- (रुपये 10 मात्र) की दर पर 27,69,88,576 इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और उसे आवंटित करने हेतु।

Nature of Meeting	Day & Date	Purpose / Special Resolution
16 th Annual General Meeting	Thursday 26 th July 2018	- To create, offer, issue and allot such number of equity / preference shares for aggregate amount not exceeding ₹7000 crore (inclusive of premium) in one or more tranches by way of follow on public issue, rights issue, private placement / qualified institutional placement, ESPS or any other mode approved by GOI / RBI - Out of ₹7000 crore referred above, issue of shares to employees and whole time directors of the Bank through Canara Bank Employee Share Purchase Scheme amounting to a maximum of ₹1000 crore (including premium)
17 th Annual General Meeting	Thursday 25 th July 2019	To create, offer, issue and allot such number of equity / preference shares for aggregate amount not exceeding ₹6000 crore (inclusive of premium) in one or more tranches by way of follow on public issue, rights issue, private placement / qualified institutional placement, ESPS or any other mode approved by GOI / RBI
Postal Ballot	Saturday 23 rd November 2019	To create, offer, issue and allot 27,69,88,576 equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) at Issue Price of ₹237.23 (Inclusive of Share Premium of ₹227.23) aggregating upto ₹6,571 crore to the Government of India (GOI) under Preferential Issue.

		बैंक ने डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री मालती कुमार (सीओपी संख्या 10980), कंपनी सचिव, मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, ठाणे को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) का आयोजन कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन या तत्समय लागू होने वाले पुनःअधिनियमन सहित) के नियम 22 के तहत समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार किया गया था।
18वीं वार्षिक सामान्य बैठक	सोमवार 10 अगस्त 2020	सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन / अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन, ईएसपीएस या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य माध्यम का अनुसरण करते हुए एक या एक से अधिक किश्तों में कुल राशि ₹5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) के लिए इक्विटी / अधिमानी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और उसे आर्बिट्रि करने हेतु।
वर्तमान में, डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की बैंक की कोई योजना नहीं है। इसकी योजना बनाते समय शेयरधारकों को सूचित किया जाएगा।		

8) संप्रेषण का माध्यम

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी को मुख्यतया अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसमें कार्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण और बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com के माध्यम से बैंक के प्रदर्शन से भी अवगत कराया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट में आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति,

		The Bank had appointed Ms. Malati Kumar (COP no. 10980) of M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. Postal Ballot was conducted as per Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or reenactment thereof for the time being in force).
18th Annual General Meeting	Monday 10 th August 2020	To create, offer, issue and allot such number of equity / preference shares for aggregate amount not exceeding ₹5000 crore (inclusive of premium) in one or more tranches by way of follow on public issue, rights issue, private placement / qualified institutional placement, ESPS or any other mode approved by GOI / RBI
At present, the Bank has no plans to pass special resolution through Postal Ballot. The shareholders will be intimated as and when it will be planned.		

8) Means of Communication

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances through publication in newspapers, intimation to stock exchanges, press releases, presentations to Analysts and through Bank's website www.canarabank.com. The Bank also

संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के लिए प्रस्तुतीकरण को भी प्रदर्शित करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

परिणामों का प्रकाशन

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		स्थानीय भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2020 (एकल एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम)	25.06.2020	कन्नड़ प्रभा	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) जन सत्ता (हिन्दी)
30.06.2020 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	06.08.2020	प्रजावाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
30.09.2020 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	30.10.2020	प्रजावाणी	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) जन सत्ता (हिन्दी)
31.12.2020 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	28.01.2021	प्रजावाणी	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी) बिजनेस लाइन (अंग्रेज़ी) जनसत्ता (हिन्दी नव भारत टाइम्स (हिन्दी)
31.03.2021 (एकल व समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम)	19.05.2021	उदयवाणी आंध्रा ज्योति राजस्थान पत्रिका	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) इकोनोमिक टाइम्स (अंग्रेज़ी) बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी) हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेज़ी) हिंदुस्तान (हिन्दी) नव भारत टाइम्स (हिन्दी)

displays official News releases, presentations made to institutional investors, analysts in its website.

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges

Publication of Results

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2020 (Standalone & Consolidated Audited Financial Results)	25.06.2020	Kannada Prabha	Financial Express (English) Jan Satta (Hindi)
30.06.2020 (Unaudited Reviewed Financial Results)	06.08.2020	Prajavani	Business Standard (English & Hindi)
30.09.2020 (Unaudited Reviewed Financial Results)	30.10.2020	Prajavani	Financial Express (English) Jan Satta (Hindi)
31.12.2020 (Unaudited Reviewed Financial Results)	28.01.2021	Prajavani	Financial Express (English) Business Standard (English) Business Line (English) Jan Satta (Hindi) Nav Bharat Times (Hindi)
31.03.2021 (Standalone & Consolidated Audited Financial Results)	19.05.2021	Udayavani Andhra Jyothi Rajasthan Patrika	Financial Express (English) Economic Times (English) Business Standard (English) Hindustan Times (English) Hindustan (Hindi) Nav Bharat Times (Hindi)

9) शेयरधारकों को सामान्य सूचना

• वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	2020-2021
बही बंदी की तिथि (दोनों दिन सहित)	28.07.2021 से 03.08.2021
प्राधिकृत प्रतिनिधि प्राप्त करने की अंतिम तिथि	28.07.2021
ई-मतदान की निर्दिष्ट तिथि	27.07.2021
वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	03.08.2021
वार्षिक सामान्य बैठक का समय	11.00 बजे पूर्वाह्न
वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	वीसी / ओएवीएम

• स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1	बीएसई लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टावर्स दलाल स्ट्रीट मुम्बई - 400 001	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पू) मुम्बई - 400 051	CANBK

वर्ष 2020-21 के लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

• अनुपालन

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुलग्नक-V के उप-खंड (2) से (10) की कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करना: शून्य

9) General Shareholders' Information

• Financial Calendar

Financial Year	2020-2021
Book Closure Date (both days inclusive)	28.07.2021 to 03.08.2021
Last Date for receipt of Authorised representative	28.07.2021
e-Voting Cut-Off Date	27.07.2021
Date of Annual General Meeting	03.08.2021
Time of Annual General Meeting	11.00 AM
Venue of Annual General Meeting	VC/OAVM

• Listing on Stock Exchanges:

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001	532483
2	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2020-21 has been paid within the prescribed due date.

• Non-compliance

Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) of Annexure-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 : NIL

• बाजार मूल्य आंकड़े

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2020	94.10	79.60	16043630	94.15	79.55	207373962
मई	2020	90.25	75.80	10498181	90.25	75.75	207752340
जून	2020	118.25	85.15	29586879	118.30	85	515132914
जुलाई	2020	113.45	98.40	16337514	113.50	98.35	305365038
अगस्त	2020	119.30	98.95	14264154	119.45	98.90	267270836
सितंबर	2020	110.90	82.25	9697440	110.95	82.25	174431557
अक्तूबर	2020	95	84.40	7777432	95.10	84.35	142324304
नवंबर	2020	105.60	86.25	12460440	105.70	86.25	221114553
दिसंबर	2020	146.40	104.15	56667484	146.65	103.85	834644542
जनवरी	2021	147.40	123.85	40846763	147.20	123.70	672438556
फरवरी	2021	174.40	132	40191100	174.60	132	696444388
मार्च	2021	172.40	137.05	22649599	172.45	137.05	413795284

• Market Price Data

Month	Year	BSE Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2020	94.10	79.60	16043630	94.15	79.55	207373962
May	2020	90.25	75.80	10498181	90.25	75.75	207752340
June	2020	118.25	85.15	29586879	118.30	85	515132914
July	2020	113.45	98.40	16337514	113.50	98.35	305365038
August	2020	119.30	98.95	14264154	119.45	98.90	267270836
September	2020	110.90	82.25	9697440	110.95	82.25	174431557
October	2020	95	84.40	7777432	95.10	84.35	142324304
November	2020	105.60	86.25	12460440	105.70	86.25	221114553
December	2020	146.40	104.15	56667484	146.65	103.85	834644542
January	2021	147.40	123.85	40846763	147.20	123.70	672438556
February	2021	174.40	132	40191100	174.60	132	696444388
March	2021	172.40	137.05	22649599	172.45	137.05	413795284

अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:

जिन शेयरधारकों ने लाभांश अधिपत्र / पिछले वर्षों अर्थात्, 2013-14 (अंतिम), से 2014-15 और 2016-17 के लिए अपने लाभांश वारंट नकदीकरण नहीं किए हैं / प्राप्त नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे प्रतिलिपि (डुप्लीकेट) लाभांश वारंट के पुनर्वैधीकरण / निर्गम के लिए बैंक के शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता से संपर्क करें। बैंक ने अपनी वेबसाइट अर्थात् www.canarabank.com पर गैर दावाकृत / अदत्त लाभांश वारंट (अधिपत्र) का ब्योरा डाला है ताकि शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता / या बैंक से hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके शेयरधारकों को दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

बैंकिंग कंपनी की धारा 10बी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970, के अनुसार, सात वर्षों की अवधि तक अदत्त या गैर दावाकृत (अदावी) लाभांश की शेष राशि को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। बैंक निम्नांकित दिनांक को वर्ष 2013-14 के लिए अदावी / अदत्त लाभांश राशि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है:

- ई-सिंडिकेट बैंक
(अब केनरा बैंक) के लिए : 27.07.2021
- केनरा बैंक के लिए : 21.08.2021

• अन्य प्रकटन

बैंक ने 2002-03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/- अंकित मूल्य के 41 करोड़ इक्विटी शेयर भौतिक और डीमैट दोनों रूपों में जारी किया था।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन की अनुसूची V के मद एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में बैंक के अदावी शेयरों को जारीकर्ता द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए डीमैट उचित खाते में जमा किया गया है। तत्संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years 2013-14 (final), 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants. The Bank has posted the details of the unclaimed / unpaid dividend warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2013-14 to the said fund on following dates :

- For E-Syndicate Bank
(Now Canara Bank) : 27.07.2021
- For Canara Bank : 21.08.2021
- **Other Disclosures**

The Bank went for IPO in 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. The details are as under:

खाते का नाम	डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या	31.03.2021 को शेष राशि
केनरा बैंक - अदावी उचंत खाता शेयर	301356 / 20552606	10361

Name of the account	DPID / Client ID	Balance as on 31.03.2021
Canara Bank - Unclaimed Suspense A/c Shares	301356 / 20552606	10361

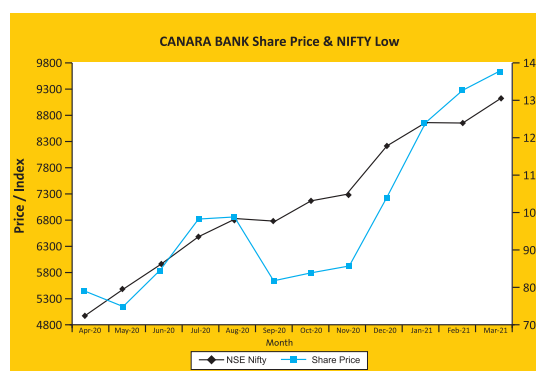
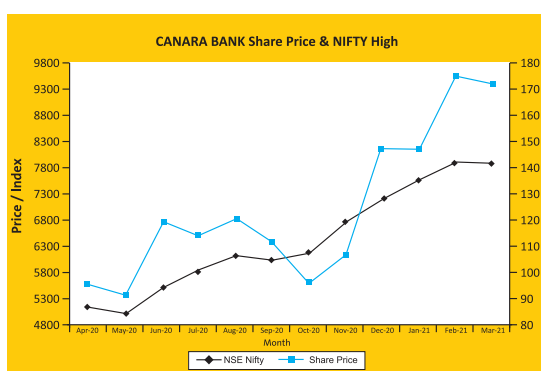
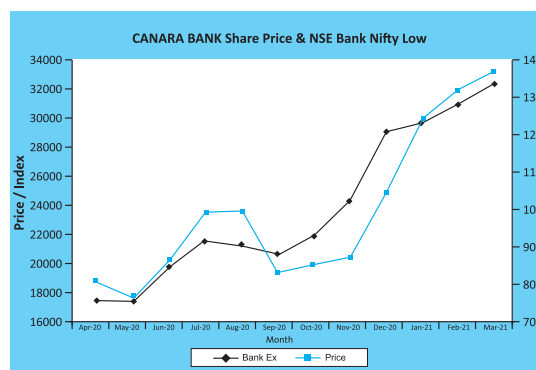
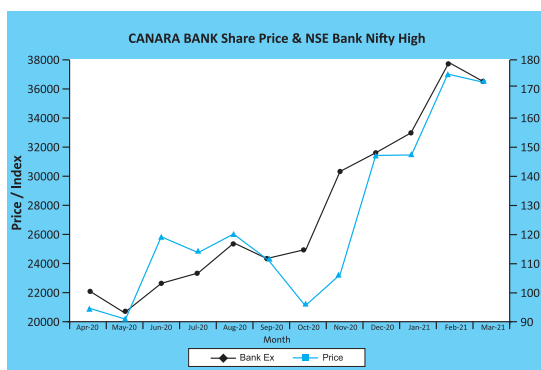
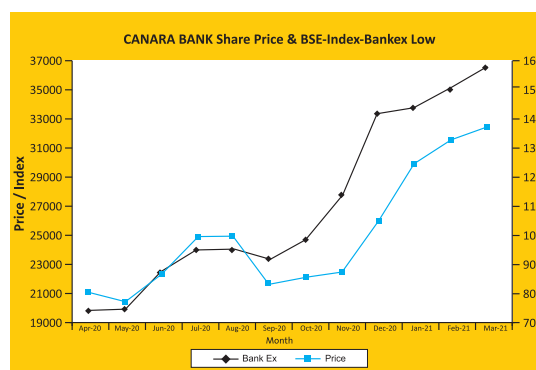
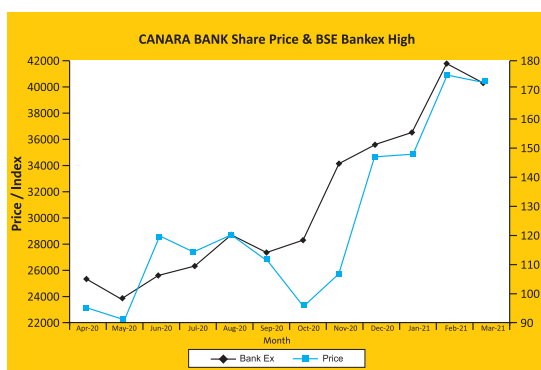
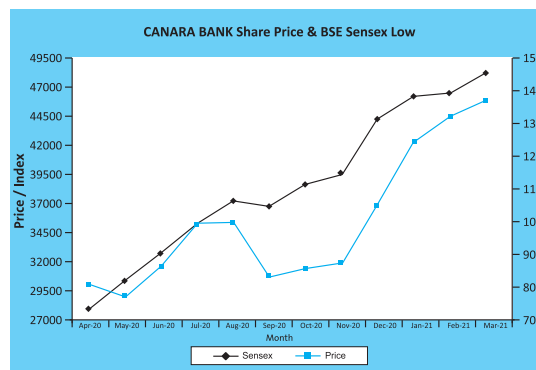
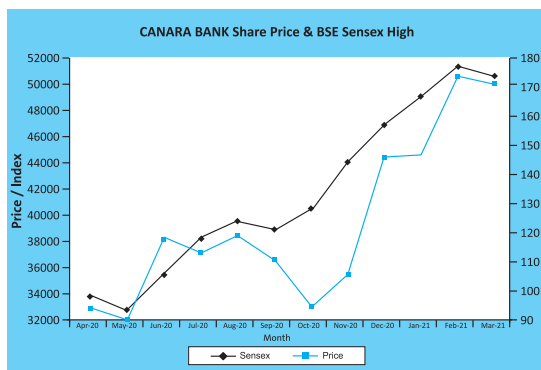
ई-सिंडिकेट बैंक के अदावी शेयर

खाते का नाम	डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या	31.03.2021 को शेष राशि
सिंडिकेट बैंक - अदावी उचंत खाता - भौतिक शेयर	1305060000006721	14523
सिंडिकेट बैंक - अदावी उचंत खाता - डीमैट शेयर	1305060000006734	3207

Unclaimed Shares of e-Syndicate Bank

Name of the account	DPID / Client ID	Balance as on 31.03.2021
SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Physical Shares	1305060000006721	14523
SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Demat Shares	1305060000006734	3207

व्यापक आधारवाली सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन Performance in Comparison to Broad Based Indices



• रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
इकाई: केनरा बैंक
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गचीबौली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032

• शेयर अंतरण प्रणाली

क) भौतिक शेयर

सेबी के अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून 2018 के संशोधित विनियम 40 (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 2015 के अनुसार 5 दिसंबर, 2018 से प्रतिभूतियों को केवल अभौतिक रूप में हस्तांतरण किया जाना अनिवार्य है। हालांकि, सेबी ने अपने "प्रेस विज्ञप्ति" पीआर संख्या 49/2018 दिनांक 3 दिसंबर, 2018 के माध्यम से केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की आवश्यकता का अनुपालन करते हुए केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण संबंधी अनुपालन की तारीख के विस्तार के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, समय सीमा को 1 अप्रैल 2019 तक बढ़ा दी है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी निवेशकों को जल्द से जल्द एक डीमैट खाता खोलने पर विचार करना चाहिए और शेयरों की तरलता की रक्षा के लिए अपने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रतिभूतियों के केवल भौतिक रूप में पारेषण और अंतरण के लिए अनुरोधों को स्वीकार किया जाएगा। मूल शेयर प्रमाणपत्रों के साथ-साथ शेयरों के पारेषण / अंतरण संबंधी अनुरोध को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, को भेजा जाना चाहिए।

ख) अभौतिकीकृत रूप में शेयर

अभौतिकीकृत रूप में शेयर हो तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सुपुर्दगी अनुदेश दिया जाना है।

• Registrar and Transfer Agent

KFin Technologies Pvt. Ltd.
Unit: Canara Bank
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
Hyderabad - 500 032

• Share Transfer System

a) Physical Shares

SEBI notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018, amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, mandating transfer of securities to be carried out only in dematerialised form with effect from December 5, 2018. However, on the basis of representations received from shareholders for extension of the date of compliance for transfer of securities only in Demat Form, SEBI vide its "Press Release" PR. No. 49/2018 dated December 3, 2018, extended the deadline till April 1, 2019 to comply with the requirement of transfer of securities only in Demat Form. All the investors who are holding shares in physical form, should consider opening a Demat account at the earliest and submit request for dematerialization of their shares in order to protect the liquidity of the shares.

Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted. The Original Share Certificates along with Transmission/transposition request should be forwarded to M/s KFin Technologies Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transmission / transposition of shares.

b) Shares in Demat form

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

• शेयरधारिता का वितरण

(31.03.2021)

क्र. सं.	श्रेणी	# शेयरों की संख्या	शेयर धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1141709678	69.33
2	निवासी भारतीय	150877078	9.16
3	बीमा कंपनी	137386041	8.34
4	विदेशी संविभाग - निगम	75644566	4.59
5	म्यूचुअल फंड	55331017	3.36
6	कॉर्पोरेट निकाय	29204400	1.77
7	कर्मचारी	19999714	1.22
8	अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता	11929938	0.72
9	वैकल्पिक निवेश निधि	9154282	0.56
10	बैंक	5500677	0.33
11	समशोधन सदस्य	4400670	0.27
12	एचयूएफ	2468020	0.15
13	अनिवासी भारतीय / विदेशी नागरिक	1909650	0.12
14	अनिवासी भारतीय – अप्रत्यावर्तनीय	955573	0.06
15	न्यास, एनबीएफसी	266916	0.02
	कुल	1646738220	100.00

#प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है।

• Distribution of Shareholding

(31.03.2021)

Sl. No.	Category	# No. of shareholding	% to equity
1	President of India	1141709678	69.33
2	Resident Individuals	150877078	9.16
3	Insurance Companies	137386041	8.34
4	Foreign Portfolio - Corp	75644566	4.59
5	Mutual Funds	55331017	3.36
6	Bodies Corporates	29204400	1.77
7	Employees	19999714	1.22
8	Qualified Institutional Buyer	11929938	0.72
9	Alternative Investment Fund	9154282	0.56
10	Banks	5500677	0.33
11	Clearing Members	4400670	0.27
12	H U F	2468020	0.15
13	Non Resident Indians / Foreign Nationals	1909650	0.12
14	Non Resident Indian - Non Repatriable	955573	0.06
15	Trusts, NBFC	266916	0.02
	TOTAL	1646738220	100.00

Nominal value of each share is ₹10/-

मूल्य वार:

(31.03.2021)

शेयर धारण का अंकित मूल्य (₹)	शेयर धारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	517372	89.81	46323657	2.81
5001 से 10000	32340	5.62	24413153	1.48
10001 से 20000	14526	2.52	20755964	1.26
20001 से 30000	7096	1.23	18621227	1.13
30001 से 40000	1687	0.29	5791532	0.35
40001 से 50000	802	0.14	3785922	0.23
50001 से 100000	1192	0.21	8656951	0.53
100001 व उससे अधिक	1057	0.18	1518389814	92.21
कुल	576072	100.00	1646738220	100.00

Value wise:

(31.03.2021)

Shareholding Nominal Value (₹)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	517372	89.81	46323657	2.81
5001 to 10000	32340	5.62	24413153	1.48
10001 to 20000	14526	2.52	20755964	1.26
20001 to 30000	7096	1.23	18621227	1.13
30001 to 40000	1687	0.29	5791532	0.35
40001 to 50000	802	0.14	3785922	0.23
50001 to 100000	1192	0.21	8656951	0.53
100001 and above	1057	0.18	1518389814	92.21
TOTAL	576072	100.00	1646738220	100.00

• शेयरों का अमूर्तीकरण और तरलता

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्यतया अमूर्तीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। बैंक शेयर के लिए आबंटित आईएसआईएन, आईएनई476ए01014 है। शेयरों का अमूर्तीकरण आसान तरलता सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों के अमूर्तीकृत रूप में ही लेन-देन होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अमूर्तीकरण खाता खोलकर शेयरों के अमूर्तीकृत रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है जो उन्हें केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता है।

अमूर्तीकृत / भौतिक धारिता (31.03.2021)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	114387	19.85	7175700	0.44
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	255471	44.35	414131457	25.15
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	206214	35.80	1225431063	74.41
कुल	576072	100.00	1646738220	100.00

- जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

• पत्राचार का पता:

केनरा बैंक
सचिवीय विभाग
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूरु - 560 002
ई-मेल आईडी: hosecretarial@canarabank.com

• Dematerialisation of shares and liquidity

The Bank's shares are traded in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity. .

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to KFin Technologies Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2021)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	114387	19.85	7175700	0.44
Electronic-NSDL	255471	44.35	414131457	25.15
Electronic-CDSL	206214	35.80	1225431063	74.41
TOTAL	576072	100.00	1646738220	100.00

- There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.

• Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
E-MAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

• साख श्रेणी निर्धारण

क्र. सं.	आईएसआईएन	डिबेन्चर श्रेणी	राशि करोड़ में	प्रतिदान की तिथि	क्रिसिल रेटिंग दिनांक 02.03.2021	आईसीआरए रेटिंग दिनांक 13.11.2020	इंडिया रेटिंग दिनांक 22.12.2020	केयर रेटिंग दिनांक 03.09.2020
1	आईएनई476ए09249	बेसल III टियर II श्रेणी I	1,500.00	3-जनवरी-24	क्रिसिल एए / स्थिर	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी) / स्थिर		
2	आईएनई476ए09256	बेसल III टियर II श्रेणी II	1,000.00	27-मार्च-24	क्रिसिल एए / स्थिर	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी) / स्थिर		
3	आईएनई476ए08043	बेसल III टियर II श्रेणी II 2015-16	900.00	7-जनवरी-26	क्रिसिल एए / स्थिर	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी) / स्थिर	आईएनडी एए / ऋणात्मक	
4	आईएनई476ए08035	बेसल III अतिरिक्त टियर I	1,500.00	स्थायी		आईसीआरए एए / (स्थिर) (एचवाईबी)	आईएनडी ए / स्थिर	
5	आईएनई476ए08050	बेसल III टियर II 2016-17	3,000.00	27-अप्रैल-26	क्रिसिल एए / स्थिर	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी) / स्थिर	आईएनडी एए / ऋणात्मक	
6	आईएनई476ए08068	बेसल III अतिरिक्त टियर I	1,000.00	स्थायी	क्रिसिल ए / स्थिर		आईएनडी ए / स्थिर	
7	आईएनई476ए09264	बेसल III टियर II श्रेणी I - 2015-16	1,500.00	31-दिसम्बर-25	क्रिसिल एए / स्थिर	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी) / स्थिर	आईएनडी एए / ऋणात्मक	
8	आईएनई476ए08076	बेसल III टियर II श्रेणी I 2019-20	3,000.00	11-मार्च-30			आईएनडी एए / ऋणात्मक	केयर एए / ऋणात्मक
9	आईएनई476ए08084	बेसल III एटी1 बॉन्ड एस-1 2020-21	1,012.00	स्थायी	क्रिसिल ए / स्थिर		आईएनडी ए / स्थिर	
10	आईएनई476ए08092	बेसल III एटी1 बॉन्ड एस-2 2020-21	169.10	स्थायी	क्रिसिल ए / स्थिर		आईएनडी ए / स्थिर	
11	आईएनई667ए09177	निचला टियर II	1,000.00	31-दिसम्बर-22	क्रिसिल एए / स्थिर			केयर एए / ऋणात्मक
12	आईएनई667ए08013	बेसल III टियर II	750.00	2-दिसम्बर-24	क्रिसिल एए / स्थिर			केयर एए / ऋणात्मक
13	आईएनई667ए08021	बेसल III टियर II	400.00	23-मार्च-25	क्रिसिल एए / स्थिर			केयर एए / ऋणात्मक
14	आईएनई667ए08039	बेसल III टियर II	1,000.00	28-सितम्बर-25	क्रिसिल एए / स्थिर			केयर एए / ऋणात्मक
15	आईएनई667ए08047	बेसल III टियर II	750.00	18-दिसम्बर-25	क्रिसिल एए / स्थिर			केयर एए / ऋणात्मक
16	आईएनई667ए08096	बेसल III टियर II	500.00	3-मई-27	क्रिसिल एए / स्थिर		आईएनडी एए / निर्मेदित	केयर एए / ऋणात्मक
17	आईएनई667ए08070	बेसल III अतिरिक्त टियर I श्रेणी III	930.00	स्थायी	क्रिसिल ए / स्थिर		आईएनडी ए / स्थिर	केयर ए / ऋणात्मक
18	आईएनई667ए08088	बेसल III अतिरिक्त टियर I श्रेणी IV	1,000.00	स्थायी	क्रिसिल ए / स्थिर		आईएनडी ए / स्थिर	केयर ए / ऋणात्मक
19	आईएनई667ए08104	बेसल III अतिरिक्त टियर I श्रेणी V	450.00	स्थायी	क्रिसिल ए / स्थिर		आईएनडी ए / स्थिर	केयर ए / ऋणात्मक
20	आईएनई476ए08100	बेसल III एटी1 बॉन्ड एस-3 2020-21	1,635.00	स्थायी	क्रिसिल ए / स्थिर		आईएनडी ए / स्थिर	
21	आईएनई476ए08118	बेसल III एटी1 बॉन्ड एस -4 2020-21	120.00	स्थायी	क्रिसिल ए / स्थिर		आईएनडी ए / स्थिर	

बैंक द्वारा जारी बांडों के लिए न्यासी का विवरण निम्नानुसार है:

बॉन्ड न्यासी का नाम	पता	आईएसआईएन संख्या
एसबीआईसीएपी न्यासी कंपनी लिमिटेड	मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122, दिनशां वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020	आईएनई667ए09177 को छोड़कर उपरोक्त सभी आईएसआईएन
एक्सिस न्यासी सेवा लिमिटेड	द रूबी, दूसरी मंजिल, एसडबल्यू. 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम वेस्ट, मुंबई -400 028	आईएनई667ए09177

• Credit Ratings

Sl. No.	ISIN	DEBENTURE SERIES	AMOUNT IN CRORES	REDEMPTION DATE	CRISIL RATING DATED 02.03.2021	ICRA RATING DATED 13.11.2020	INDIA RATING DATED 22.12.2020	CARE RATING DATED 03.09.2020
1	INE476A09249	BASEL III TIER II SER I	1,500.00	3-Jan-24	CRISIL AAA/Stable	ICRA (AA+) (HYB)/Stable		
2	INE476A09256	BASEL III TIER II SER II	1,000.00	27-Mar-24	CRISIL AAA/Stable	ICRA (AA+) (HYB)/Stable		
3	INE476A08043	BASEL III TIER II SERIES II - 2015-16	900.00	7-Jan-26	CRISIL AAA/Stable	ICRA (AA+) (HYB)/Stable	IND AAA/Negative	
4	INE476A08035	BASEL III ADDITIONAL TIER I	1,500.00	PERPETUAL		ICRA AA/ (Stable) (HYB)	IND AA / Stable	
5	INE476A08050	BASEL III TIER II 2016-17	3,000.00	27-Apr-26	CRISIL AAA/Stable	ICRA (AA+) (HYB)/Stable	IND AAA/Negative	
6	INE476A08068	BASEL III ADDITIONAL TIER I	1,000.00	PERPETUAL	CRISIL AA/Stable		IND AA / Stable	
7	INE476A09264	BASEL III TIER II SERIES I - 2015-16	1,500.00	31-Dec-25	CRISIL AAA/Stable	ICRA (AA+) (HYB)/Stable	IND AAA/Negative	
8	INE476A08076	Basel III Tier II Series I 2019-20	3,000.00	11-Mar-30			IND AAA/Negative	CARE AAA/Negative
9	INE476A08084	Basel III AT1 Bonds S-1 2020-21	1,012.00	PERPETUAL	CRISIL AA/Stable		IND AA / Stable	
10	INE476A08092	Basel III AT1 Bonds S-2 2020-21	169.10	PERPETUAL	CRISIL AA/Stable		IND AA / Stable	
11	INE667A09177	Lower TIER II	1,000.00	31-Dec-22	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Negative
12	INE667A08013	BASEL III Tier II	750.00	2-Dec-24	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Negative
13	INE667A08021	BASEL III Tier II	400.00	23-Mar-25	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Negative
14	INE667A08039	BASEL III Tier II	1,000.00	28-Sep-25	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Negative
15	INE667A08047	BASEL III Tier II	750.00	18-Dec-25	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Negative
16	INE667A08096	BASEL III Tier II	500.00	3-May-27	CRISIL AAA/Stable		IND AAA/Negative	CARE AAA/Negative
17	INE667A08070	BASEL III AD-DITIONAL TIER 1 SERIES III	930.00	PERPETUAL	CRISIL AA/Stable		IND AA/Stable	CARE AA/Negative
18	INE667A08088	BASEL III AD-DITIONAL TIER 1 SERIES IV	1,000.00	PERPETUAL	CRISIL AA/Stable		IND AA/Stable	CARE AA/Negative
19	INE667A08104	BASEL III AD-DITIONAL TIER 1 SERIES V	450.00	PERPETUAL	CRISIL AA/Stable		IND AA/Stable	CARE AA/Negative
20	INE476A08100	Basel III AT1 Bonds S-3 2020-21	1,635.00	PERPETUAL	CRISIL AA/Stable		IND AA/Stable	
21	INE476A08118	Basel III AT1 Bonds S-4 2020-21	120.00	PERPETUAL	CRISIL AA/Stable		IND AA/Stable	

The Details of the Trustee for Bonds issued by Bank are as under :

Name of The Bond Trustee	Address	ISIN Number
SBICAP Trustee Company Ltd.	Mistry Bhavan, 4th Floor, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020	All the above ISIN except INE667A09177
Axis Trustee Services Limited	The Ruby, 2nd Floor, SW, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar west, Mumbai – 400 028	INE667A09177

10) प्रकटीकरण

- क) बैंक के संबंधित पक्ष संव्यवहार को यथा दिनांक 31.03.2021 के तुलन पत्र के लेखांकन संबंधी अनुसूची 18 में प्रकट की गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं हुआ है।
- ख) शेयरों की सूची के बाद से बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा बैंक पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई है।
- ग) बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्दाफाश नीति तैयार की है और पर्दाफाश करने वाले को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी को बैंक की लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
- घ) बैंक ने नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक / सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए जुर्माने के ब्यौरे को खातों के नोट में प्रकट दिखाए गए हैं।
- ड) कॉर्पोरेट अभिशासन (कॉर्पोरेट अभिशासन नीति और संबंधित पार्टी संव्यवहार संबंधी नीति और 'महत्वपूर्ण' अनुषंगी कंपनियों के निर्धारण के लिए) के प्रावधानों से संबंधित नीतियों को बैंक की साइट पर अपलोड किया गया है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: www.canarabank.com → Investor relations → Acts / Statutory policies / Schemes. यथा दिनांक 31.03.2021 तक बैंक की कोई महत्वपूर्ण अनुषंगियाँ नहीं है।
- च) पण्य (कमोडिटी) मूल्य जोखिम और पण्य बचाव (कमोडिटी हेजिंग) गतिविधियों का प्रकटीकरण: लागू नहीं
- छ) अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट) के माध्यम से जुटाए गए निधि के उपयोग का विवरण: बैंक ने दिनांक 11.12.2020 को लागू प्रावधानों के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹2000 करोड़ जुटाए हैं।

10) Disclosures

- a) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2021. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2020-21.
- b) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.
- c) The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per GOI guidelines and protection has been extended to the Whistle Blower(s) in the Policy. Further, no personnel have been denied access to the audit committee of the Bank.
- d) The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI / Statutory authorities have been disclosed in the notes to accounts.
- e) The policies related to the provisions of Corporate Governance (Corporate Governance Policy and Policy for Related Party Transactions and for determining 'Material' Subsidiaries), have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the link : www.canarabank.com → Investor relations → Acts / Statutory policies / Schemes. There are no material subsidiaries of the bank as on 31.03.2021..
- f) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities : Not Applicable
- g) Details of utilization of funds raised through Qualified Institutional Placement : The Bank has, on 11.12.2020, raised ₹2000 crore through Qualified Institutional Placement (QIP) in

जुटाई गई धनराशि का उपयोग विकास योजनाओं का समर्थन करने और बैंक कारोबार और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए बैंक की पूंजी को बढ़ाने में किया गया था।

ज) एसीएस एस विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है, कि यथा दिनांक 31.03.2021 तक बोर्ड (सेबी) या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के किसी भी निदेशकों में से किसी को भी केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। - इस रिपोर्ट में उक्त प्रमाणपत्र परिशिष्ट ग के बाद उक्त प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

झ) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण प्रतीत नहीं हुआ, जहां अनिवार्य रूप से आवश्यक मामलों में बोर्ड समिति की सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो। अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

ञ) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई कुल शुल्क (समेकित) का विवरण

ए) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल पेशेवर शुल्क और अन्य व्यय - ₹56.41 करोड़। (आंकड़े पूर्व-समामेलन अवधि के लिए एकल केनरा बैंक के वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सामामेलन के बाद के वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।)

बी) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल पेशेवर शुल्क और अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान और प्रावधान किया गया - ₹94.75 करोड़।

ट) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

ए. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - 6

बी. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या - 6

सी. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 0

accordance with the applicable provisions. The funds raised were utilized to augment the Bank's capital to support growth plans and to enhance the business of the Bank and general corporate requirements.

h) ACS S Viswanathan, Practicing Company Secretary has certified that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as the Directors of Canara Bank, by the Board (SEBI) or any such statutory authority as on 31.03.2021 - The said Certificate is provided after the APPENDIX C to the report.

i) During FY 2020-21, there were no such instances, where board did not accept recommendations of the committee of the board which is mandatorily required. All the recommendations that are mandatorily required were approved by the Board.

j) Details of total fees (consolidated) paid to Statutory Auditors

a. Total Professional Fee and other expenses paid to statutory Auditors for the Financial Year 2019-20 - ₹56.41 Crore. (Figures are related to standalone Canara Bank financial results for pre-amalgamation period and are not comparable with post-amalgamation financial results for the year ended 31st March, 2021.)

b. Total professional fee and other related expenses paid and made provision for financial year 2020-21 - ₹94.75 Crore.

k) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a. Number of complaints filed during the financial year - 6

b. Number of complaints disposed of during the financial year - 6

c. Number of complaints pending at the end of the financial year - 0

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवेकाधीन अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
क	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष का कार्यालय संचालने हेतु अर्ह हैं और साथ ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें अनुमत है।	हाँ गैर कार्यकारी अध्यक्ष श्री टी एन मनोहरन ने 13.08.2020 को अपनी कार्यअवधि पूरी की।
ख	शेयरधारक अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकास से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है। वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए जाते हैं।
ग	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय	वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट असंशोधित राय के साथ प्रस्तुत की गई है। बैंक के लेखा परीक्षक रिपोर्ट में विशेष कुछ नहीं है।
घ	अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद	भारत सरकार ने अध्यक्ष एवं प्र.नि. व मु.का.अ. के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नामिक / नियुक्त किया है। गैर कार्यकारी अध्यक्ष श्री टी एन मनोहरन ने 13.08.2020 को अपनी कार्यअवधि पूरी की।
ड.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षा) तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों को सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यकलापों तथा कार्मिकों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति व वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र में पूर्ण व अप्रतिबंधित अभिगम है।

The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

Sl. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
A	The Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	YES The non-executive chairman, Mr T N Manoharan completed his tenure on 13.08.2020
B	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. The financial results are also updated on the website of the bank.
C	Modified Opinion(s) in Audit Report	The Audit Report for the year 2020-21 is submitted with UNMODIFIED OPINION. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
D	Separate Posts of Chairman and CEO	The Government of India has nominated / appointed separate persons to the post of Chairperson and MD & CEO. The non-executive chairman, Mr T N Manoharan completed his tenure on 13.08.2020
E	Reporting of Internal Auditor	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management.

- निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति / अन्य समितियों का गठन, निदेशकों का पारिश्रमिक, बोर्ड प्रक्रिया / संबंधित पक्ष संव्यवहार / पर्दाफाश / प्रबंधन और हमारे बैंक के संबंध में अनुपालन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम,
- The Constitution of Board of Directors, Audit Committee / other Committees, Remuneration of Directors, Board procedures / Related Party Transactions / Whistle Blower / Management and compliance in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies

1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / आईसीएआई - लेखा मानक के प्रावधानों के तहत अभिशासित होते हैं। बैंक, विनियमन के 17 से 27 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और विनियमन 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) तक उल्लिखित दिशानिर्देशों / विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

• सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) ने निदेशक मंडल को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (8) के तहत यथा अपेक्षित वित्त वर्ष 2020-21 हेतु बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

• आचार संहिता

बैंक ने जो 'आचार संहिता' को अपनाया है वह बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होता है, जिसमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक और गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र / शेयरधारक / सरकार द्वारा नामित / भारिबै द्वारा नामित निदेशक भी शामिल हैं। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.canarabank.com पर भी उपलब्ध है।

• लाभांश वितरण नीति

बैंक के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियमन 43ए के तहत एक लाभांश वितरण नीति है, जो अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण का निर्धारण करने में बोर्ड द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करता है। नीति को इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और यह बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में, निम्नलिखित लिंक - Investor Relations → Acts / Statutory policies / Schemes में भी उपलब्ध है।

• वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा

सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडीआई/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 की अपेक्षाओं के अनुरूप, बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में श्री एस. विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव (सीओपी 5284) की नियुक्ति की है। बैंक के सदस्यों को संबोधित उनकी रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, को बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and RBI Directives / GOI Guidelines / ICAI-Accounting Standards in this regard. The Bank complies with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clause (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 to the extent it does not violate the provisions of aforesaid guidelines / regulations.

• CEO and CFO Certification

The MD & CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2020-21 to the Board of Directors as required under Regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

• Code of Conduct

The Bank has adopted the 'Code of Conduct' which is applicable to the Bank and its employees, including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors and also the non-executive/independent / shareholder director/ Govt. Nominee/ RBI Nominee. The Code of conduct is posted on the Company's website at www.canarabank.com.

• Dividend Distribution Policy

As required under Regulation 43A of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Bank has a dividend distribution policy in place which sets out the parameters and circumstances that will be taken into account by Board in determining distribution of dividend to its shareholders. The policy is given in this Annual Report and is also available at Bank's website www.canarabank.com at the link - Investor Relations → Acts / Statutory policies / Schemes.

• Secretarial Audit for Financial Year 2020-21

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMDI/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Mr. S. VISWANATHAN, Practicing Company Secretary (COP 5284) as the Secretarial Auditor for FY 2020-21. The report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2021)

क्र सं	नाम	शैक्षिक योग्यता	कार्यकाल	अध्यक्ष की संख्या / सूचीबद्ध इकाई की एसी / एसआरसी में सदस्यता (बैंक सहित)	बोर्ड समितियों की अध्यक्षता / निदेशकत्व / सदस्यता
1.	श्री एल वी प्रभाकर प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी निदेशक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी	01.02.2020- 31.12.2022	-	1. केनफीन होम्स लिमिटेड 2. केनरा रोबेको असेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	श्री देवाशीष मुखर्जी कार्यपालक निदेशक	एमबीए, सीएआईआईबी, बीएससी, बीए	19.02.2018- 18.02.2023	3	1. केनरा रोबेको असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में 2. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में 3. केनरा बैंक सिव्योरिटीज लिमिटेड, अध्यक्ष के रूप में 4. केन फिन होम्स लिमिटेड, गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में 5. उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी, गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में 6. केनरा वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, अध्यक्ष के रूप में
3.	सुश्री ए मणिमेखलै कार्यपालक निदेशक	बीए, एमबीए (विपणन), सीएआईआईबी	11.02.2019- 10.02.2022	6	1. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नामिती निदेशक के रूप में 2. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, नामिती निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में 3. केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, नामिती निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में 4. भारतीय साधारण बीमा निगम, स्वतंत्र निदेशक के रूप में 5. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नामित निदेशक के रूप में

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2021)

SI NO.	NAME	EDUCATIONAL QUALIFICATION	TERM OF OFFICE	NO. OF CHAIRMAN/ MEMBER SHIP IN AC / SRC OF LISTED ENTITIES (INCLUDING BANK)	CHAIRMANSHIP / DIRECTORSHIPS / MEMBERSHIP OF OTHERBOARD COMMITTEES
1.	Shri L V Prabhakar Managing Director & CEO	M.Sc (Agri), CAIIB	01.02.2020-31.12.2022	-	1. Canfin Homes Ltd 2. Canara Robeco Asset Management Co. Ltd. 3. Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd.
2.	Shri Debashish Mukherjee Executive Director	MBA, CAIIB , B.Sc, B.A	19.02.2018-18.02.2023	3	1. Canara Robeco Asset Management Company Limited, as Non - Executive Director 2. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, as Non - Executive Director 3. Canara Bank Securities Limited, as Chairman 4. Can Fin Homes Limited, as Non - Executive Director 5. Higher Education Financing Agency, as Non - Executive Director 6. Canara Venture Capital Fund Limited, as Chairman
3.	Ms A Manimekhalai Executive Director	B.A, MBA (Mktg), CAIIB	11.02.2019-10.02.2022	6	1. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, as Nominee director 2. CanBank Factors Limited, as – Nominee Director & Chairperson 3. CanBank Computer Services Limited, as Nominee Director & Chairperson 4. General Insurance Corporation of India, as Independent Director 5. India Infrastructure Finance Company Limited, as Nominee Director

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2021)

क्र सं	नाम	शैक्षिक योग्यता	कार्यकाल	अध्यक्ष की संख्या / सूचीबद्ध इकाई की एसी / एसआरसी में सदस्यता (बैंक सहित)	बोर्ड समितियों की अध्यक्षता / निदेशकत्व / सदस्यता
4.	श्री के सत्यनारायण राजु कार्यपालक निदेशक	बीएससी एमबीए (बैंकिंग व फाइनेंस), सीएआईआईबी	10.03.2021- 10.03.2024	2	शून्य
5.	श्री सुचीन्द्र मिश्रा भारत सरकार के नामिती निदेशक	बीएससी, पीजीडीएम	14.06.2016 से अगले आदेशों तक	1	शून्य
6.	श्री आर केशवन भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक	एमए, एमसीजे, सीएआईआईबी	26.04.2019 से अगले आदेशों तक	1	शून्य
7.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर शेयरधारक निदेशक	बीएससी (ऑनर्स), सीएआईआईबी	27.07.2016- 26.07.2022	2	ऊषा मार्टिन लि. (गैर-कार्यकारी निदेशक / नामित निदेशक)
8.	श्री बिमल प्रसाद शर्मा शेयरधारक निदेशक	बीएससी (ऑनर्स), एमए, एलएलबी	27.07.2019- 26.07.2022	1	शून्य

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2021)

SI NO.	NAME	EDUCATIONAL QUALIFICATION	TERM OF OFFICE	NO. OF CHAIRMAN / MEMBERSHIP IN AC / SRC OF LISTED ENTITIES (INCLUDING BANK)	CHAIRMANSHIP / DIRECTORSHIPS / MEMBERSHIP OF OTHERBOARD COMMITTEES
4.	Shri K Satyanarayana Raju Executive Director	BSc., MBA (Bkg & Fin), CAIIB	10.03.2021-10.03.2024	2	NIL
5.	Shri Suchindra Misra Government of India Nominee Director	B.Sc, PGDM	14.06.2016 Till further orders	1	NIL
6.	Shri R Kesavan RBI Nominee Director	M.A , M.Cj, CAIIB	26.04.2019 Till further orders	1	NIL
7.	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer, Share Holder Director	B.Sc (Hons), CAIIB	27.07.2016-26.07.2022	2	Usha Martin Limited (Non Executive Director / Nominee Director)
8.	Shri Bimal Prasad Sharma Share Holder Director	B.Sc (Hons), M.A, LLB	27.07.2019-26.07.2022	1	NIL

ii. 2020-21 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का विवरण

1.	श्री टी एन मनोहरन	अंशकालिक गैर-आधिकारिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष	14.08.2018-13.08.2020	-
2.	श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017-28.02.2021	-
3.	श्री कृष्णन एस	कार्यपालक निदेशक	01.04.2020-03.09.2020	-

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2020-21

1.	Shri T N Manoharan	Part-Time Non-Official / Non-Executive Chairman	14.08.2018-13.08.2020	-
2.	Shri Matam Venkata Rao	Executive Director	09.10.2017-28.02.2021	-
3.	Shri Krishnan S	Executive Director	01.04.2020-03.09.2020	-

संकेत / KEY

प्र नि एवं मु का अ / MD & CEO	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर का नि / NED	गैर-कार्यकारी निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

iii. बोर्ड की समितियों की संरचना (यथा 31.03.2021)

COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD (As on 31.03.2021)

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री एल वी प्रभाकर Shri L V Prabhakar	श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री के सत्यनारायण राजु / Shri K Satyanarayana Raju श्री आर केशवन / Shri R Kesavan श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री एल वी प्रभाकर Shri L V Prabhakar	श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री के सत्यनारायण राजु / Shri K Satyanarayana Raju श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	श्री के सत्यनारायण राजु / Shri K Satyanarayana Raju श्री सुचीन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Misra श्री आर केशवन / Shri R Kesavan
शेयरधारक संबंध समिति Stakeholders Relationship Committee	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री के सत्यनारायण राजु / Shri K Satyanarayana Raju श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remuneration Committee	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्र. सं.	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा समिति बैठक	एस.आर.सी. बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	एन.आर.सी. बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	शेयरों की संख्या
		उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	
1.	श्री एल वी प्रभाकर	10/10	19/19	-	-	07/07	-	1/1	-
2.	श्री देबाशीष मुखर्जी	10/10	19/19	10/10	02/02	07/07	-	1/1	500
3.	सुश्री ए मणिमेखलै	10/10	19/19	10/10	02/02	07/07	-	1/1	-
4.	श्री के सत्यनारायण राजु	01/01	02/02	01/01	-	-	-	-	-
5.	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	09/10	-	07/10	-	-	-	1/1	-
6.	श्री आर केशवन	10/10	19/19	10/10	-	-	-	1/1	131
7.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	10/10	16/16	02/02	02/02	07/07	-	1/1	125
8.	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	10/10	03/03	08/08	02/02	07/07	-	1/1	108

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	NRC MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	
1.	SHRI L V PRABHAKAR	10/10	19/19	-	-	07/07	-	1/1	-
2.	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	10/10	19/19	10/10	02/02	07/07	-	1/1	500
3.	Ms A MANIMEKHALAI	10/10	19/19	10/10	02/02	07/07	-	1/1	-
4.	SHRI K SATYANARAYANA RAJU	01/01	02/02	01/01	-	-	-	-	-
5.	SHRI SUCHINDRA MISRA	09/10	-	07/10	-	-	-	1/1	-
6.	SHRI R KESAVAN	10/10	19/19	10/10	-	-	-	1/1	131
7.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	10/10	16/16	02/02	02/02	07/07	-	1/1	125
8.	SHRI BIMAL PRASAD SHARMA	10/10	03/03	08/08	02/02	07/07	-	1/1	108

परिशिष्ट - ख

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण जिनका कार्यकाल वर्ष 2020-21 के दौरान समाप्त हो गया है

1. श्री टी एन मनोहरन	05/05	-	05/05	-	03/03	-	1/1	-
2. श्री मटम वेंकट राव	09/09	17/17	09/09	02/02	06/06	-	1/1	2873
3. श्री कृष्णन एस	05/05	09/09	05/05	-	03/03		1/1	3654

नोट: यथा 31.03.2021 को कोई भी निदेशक द्वारा कोई संपरिवर्तनीय लिखत नहीं रखा गया।

विभिन्न बैठकों की तारीख

	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा-परीक्षा समिति बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	एनआरसी बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	ईजीएम
	14.05.2020	22.04.2020	14.05.2020	14.09.2020	14.05.2020		10.08.2020	-
	24.06.2020	29.04.2020	24.06.2020	10.02.2021	26.06.2020			
	10.07.2020	11.05.2020	10.07.2020		13.08.2020			
	29.07.2020	03.06.2020	29.07.2020		13.10.2020			
	05.08.2020	15.06.2020	05.08.2020		01.12.2020			
	25.09.2020	26.06.2020	13.10.2020		10.02.2021			
	29.10.2020	30.06.2020	29.10.2020		10.03.2021			
	02.12.2020	20.07.2020	23.12.2020					
	27.01.2021	31.08.2020	27.01.2021					
	16.03.2021	14.09.2020	22.03.2021					
		25.09.2020						
		21.10.2020						
		09.11.2020						
		02.12.2020						
		21.12.2020						
		18.01.2021						
		16.02.2021						
		16.03.2021						
		23.03.2021						

कुंजी :

एस आर सी : श्रेयधारक संबंध समिति की बैठक

एन आर सी : नामांकन व संस्तुति समिति

ला न : लागू नहीं

Appendix - B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2020-2021

1.	Shri T N Manoharan	05/05	-	05/05	-	03/03	-	1/1	-
2.	Shri Matam Venkata Rao	09/09	17/17	09/09	02/02	06/06	-	1/1	2873
3.	Shri Krishnan S	05/05	09/09	05/05	-	03/03		1/1	3654

NOTE : None of the Directors hold any convertible instruments as on 31.03.2021

DATES OF VARIOUS MEETINGS									
		BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	NRC MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	EGM
		14.05.2020	22.04.2020	14.05.2020	14.09.2020	14.05.2020		10.08.2020	-
		24.06.2020	29.04.2020	24.06.2020	10.02.2021	26.06.2020			
		10.07.2020	11.05.2020	10.07.2020		13.08.2020			
		29.07.2020	03.06.2020	29.07.2020		13.10.2020			
		05.08.2020	15.06.2020	05.08.2020		01.12.2020			
		25.09.2020	26.06.2020	13.10.2020		10.02.2021			
		29.10.2020	30.06.2020	29.10.2020		10.03.2021			
		02.12.2020	20.07.2020	23.12.2020					
		27.01.2021	31.08.2020	27.01.2021					
		16.03.2021	14.09.2020	22.03.2021					
			25.09.2020						
			21.10.2020						
			09.11.2020						
			02.12.2020						
			21.12.2020						
			18.01.2021						
			16.02.2021						
			16.03.2021						
			23.03.2021						

KEY:

SRC : Stakeholders Relationship Committee Meeting

NRC : Nomination & Remuneration Committee

NA : Not Applicable

परिशिष्ट - ग

वर्ष 2020-21 के लिए निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
1	श्री टी.एन. मनोहरन	11,50,000
2	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	25,00,000
3	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	25,00,000
	कुल	61,50,000

APPENDIX - C

SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2020-21

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Shri T N Manoharan	11,50,000
2	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	25,00,000
3	Shri Bimal Prasad Sharma	25,00,000
	Total	61,50,000

सेबी [(सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
(संशोधन) विनियमन, 2018 – अनुसूची V (सी)(10)(i)] के अनुसार
निदेशकों की अयोग्यता का प्रकटन संबंधी प्रमाण पत्र

केनरा बैंक (इसके बाद 'बैंक' नाम से संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणियाँ और प्रकटन को, जिसमें सीआईएन (लागू नहीं) है और जिसका पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु, कर्नाटक - 560002 में है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के अनुसार, इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसकी मैंने जांच की है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी / बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और यथा निर्धारित आवश्यक [निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित] सत्यापन के अनुसार, मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल में से निम्नलिखित किसी भी निदेशक को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1	श्री लिंगम वेंकट प्रभाकर	प्रबंध निदेशक व मु.का.अ.	08110715	01.02.2020
2	श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	08193978	19.02.2018
3	सुश्री ए मणिमेखलै	कार्यपालक निदेशक	08411575	11.02.2019
4	श्री सत्यनारायण राजु	कार्यपालक निदेशक	08607009	10.03.2021
5	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	भारत सरकार नामित निदेशक	01873568	14.06.2016
6	श्री आर केसवन	भा.रि.बैं. नामित निदेशक	लागू नहीं	26.04.2019
7	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	शेयरधारक निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	02194830	27.07.2019
8	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	शेयरधारक निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	06370282	27.07.2019

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

एस विश्वनाथन
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस सं.: 5284
सीपी सं.: 5284
यूडीआईएन : ए005284सी000298016

**CERTIFICATE REGARDING DISCLOSURES
PERTAINING TO DISQUALIFICATION OF DIRECTORS PURSUANT TO SEBI
[(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
(Amendment) Regulations, 2018 - Schedule V(C)(10)(i)]**

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **CANARA BANK** having **CIN (Not Applicable)** and having Registered Office / Head Office at 112, JC Road, Town Hall, Bengaluru, Karnataka - 560 002 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications [including Directors Identification Number (DIN)] as considered necessary and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sl. No.	Name of Director	Designation	DIN	Date of Appointment
1	Shri Lingam Venkata Prabhakar	MD & CEO	08110715	01.02.2020
2	Shri Debashish Mukherjee	Executive Director	08193978	19.02.2018
3	Ms. A Manimekhalai	Executive Director	08411575	11.02.2019
4	Shri K Satyanarayana Raju	Executive Director	08607009	10.03.2021
5	Shri Suchindra Misra	GOI - Nominee Director	01873568	14.06.2016
6	Shri R Kesavan	RBI - Nominee Director	Not Applicable	26.04.2019
7	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	Shareholder Director - Independent Director	02194830	27.07.2019
8	Shri Bimal Prasad Sharma	Shareholder Director - Independent Director	06370282	27.07.2019

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

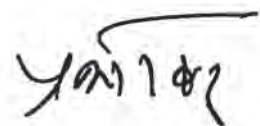
S Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284
UDIN: A005284C000298016

अनुबंध II – निदेशकों द्वारा घोषणा

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका बेंगलूरु

विषय: पुष्टि प्रमाण पत्र – आचार संहिता

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के निदेशकों पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की जाती है।



एल वी प्रभाकर

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 28.06.2021

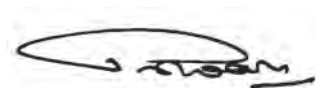
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ANNEXURE II - DECLARATION BY THE DIRECTORS

To
The Board of Directors
Canara Bank
HO Bangalore

Sub: CERTIFICATE OF AFFIRMATION - CODE OF CONDUCT

This is to affirm compliance with the Code of Conduct as applicable to Directors of the Bank for the year ended 31.03.2021



Place : Bengaluru
Date : 28.06.2021

L.V. Prabhakar
Managing Director & CEO

कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय में सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा संबंधित बैंकिंग सांविधिक / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

हम घोषित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशालिता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते एसएनके एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म सं.109176डब्ल्यू

अंकित दानावाला
साझेदार

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 18.05.2021 सदस्यता संख्या: 119972 यूडीआईएन: 21119972AAAADS9594

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March 2021 as stipulated in the relevant Regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the relevant regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent these do not violate Relevant Banking Statutes/RBI/GOI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For SNK & CO.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 109176W

ANKIT DANAWALA
PARTNER

Place : Bengaluru

Date : 18.05.2021

Membership No.: 119972

UDI N: 21119972AAAADS9594

31.03.2021 को प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों और मुख्य महा प्रबंधक / महा प्रबंधक की सूची

क्रम सं	नाम	पदनाम	अर्हता
1	बी उमाशंकर	मुख्य सतर्कता अधिकारी	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी, पीजीडीआईएम, कोबोल में प्रमाण पत्र
क्रम सं	नाम	पदनाम	अर्हता
1	जयरामन वी	मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीजीएम)	एमएससी (गणित), सीएआईआईबी
2	वी रामचंद्र	मुख्य वित्त अधिकारी (सीजीएम)	बीएससी, आईसीडब्ल्यूए, सीएआईआईबी
3	ए वी राम राव	समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (सीजीएम)	बीएससी, एमबीए, डिप टू रिस, सीएआईआईबी
4	आलोक कुमार अग्रवाल	बोर्ड सचिव (जीएम)	एमकॉम, सी एफ ए, एमबीए, सीएआईआईबी
5	अजित जोस	समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी	बीए (अर्थशास्त्र), एमबीए, सीएएमएस, सीएफई
6	पी रामसुब्रमणियन	प्रमुख आंतरिक लेखापरीक्षा (जीएम)	बीकॉम, सीएआईआईबी
7	दीपक शुक्ला	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (डीजीएम)	एमएससी (भौतिकी), एमबीए (बीके/एफआई), एमसीए, सीएआईआईबी
8	विनय मोहता	कंपनी सचिव (एजीएम)	एमकॉम, एसीएस, एफसीए
क्रम सं	नाम	पदनाम	अर्हता
1	एल वी आर प्रसाद	मुख्य महा प्रबंधक	बी एससी, एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), सीएआईआईबी, सीसीपी
2	के श्रीनिवास राव	मुख्य महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी
3	एस रवींद्रन	मुख्य महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), बीसीए, सीएआईआईबी
4	वी एम गिरिधर	मुख्य महा प्रबंधक	एमएससी, सीएआईआईबी
5	पी पलनीसामी	मुख्य महा प्रबंधक	एमएससी, सीएआईआईबी
6	अशोक कुमार साहु	मुख्य महा प्रबंधक	एमए, एम फिल, सीएआईआईबी
7	पी संतोष	मुख्य महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
8	एस जे गवारे	मुख्य महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
9	आई शम्बीर हुसैन	मुख्य महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमए, सीएआईआईबी
10	अतुल कुमार	महा प्रबंधक	बीएससी, पीजीडीआईपी कॉम्प, प्रोफ सर्टिफिकेट सीआईएसए, प्रो. सर्टिफिकेट सीएसक्यूपी
11	उदय शंकर मजूमदार	महा प्रबंधक	एमकॉम, एमबीए, आईसीडब्ल्यूए, जेएआईआईबी
12	एस जयकुमार	महा प्रबंधक	एमबीए, सीएआईआईबी
13	डी संपत कुमार चारी	महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
14	एम परमसिवम	महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी – भाग I
15	एस के मजूमदार	महा प्रबंधक	बीकॉम (ऑनर्स), सीए, आईसीडब्ल्यूए
16	सुधाकर आर अय्यर	महा प्रबंधक	बी एससी रसायन, एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), एलएलबी, सीएआईआईबी
17	श्रीकांत मोहापात्रा	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एमबीए, एलएलबी, सीएआईआईबी
18	के एच पटनायक	महा प्रबंधक	बी एससी, बीजीएल, एमए, एमबीए, सीएआईआईबी

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Manager / General Manager as on 31.03.2021

S. No	NAME	DESIGNATION	QUALIFICATION
1	B UMA SANKAR	Chief Vigilance Officer	MSc (Agri), CAIIB, PGDIM, Certificate Course in COBOL
S. No	NAME	DESIGNATION	QUALIFICATION
1	JAYARAMAN V	Chief Technology Officer (CGM)	MSc (Maths), CAIIB
2	V RAMACHANDRA	Chief Financial Officer (CGM)	BSc, ICWA, CAIIB
3	A V RAMA RAO	Group Chief Risk Officer (CGM)	BSc, MBA, Dip Tr Ris, CAIIB
4	ALOK KUMAR AGARWAL	Board Secretary (GM)	MCom, C F A, MBA, CAIIB
5	AJITH JOSE	Group Chief Compliance Officer	BA (Economics), MBA, CAMS, CFE
6	P RAMASUBRAMANIAN	Head Internal Audit (GM)	BCom, CAIIB
7	DEEPAK SHUKLA	Chief Information Security Officer (DGM)	MSc (Phy), MBA (BK/FI), MCA, CAIIB
8	VINAY MOHTA	Company Secretary (AGM)	MCom, ACS, FCA
S. No	NAME	DESIGNATION	QUALIFICATION
1	L V R PRASAD	Chief General Manager	BSc, MBA (BK/FI), CAIIB, CCP
2	K SRINIVASA RAO	Chief General Manager	MSc (Agri), CAIIB
3	S RAVINDRAN	Chief General Manager	MSc (Agri), BCA, CAIIB
4	V M GIRIDHAR	Chief General Manager	MSc, CAIIB
5	P PALANISAMY	Chief General Manager	MSc, CAIIB
6	ASHOK KUMAR SAHU	Chief General Manager	MA, MPhil, CAIIB
7	P SANTOSH	Chief General Manager	MSc (Agri), CAIIB
8	S J GAWARE	Chief General Manager	BSc, CAIIB
9	I SHABBIR HUSSAIN	Chief General Manager	BSc (Agri), MA, CAIIB
10	ATUL KUMAR	General Manager	BSc, PGDip Comp, PROF Cert. CISA, PROF Cert. CSQP
11	UDAY SANKAR MAJUMDER	General Manager	MCom, MBA, ICWA, JAIIB
12	S JAYAKUMAR	General Manager	MBA, CAIIB
13	D SAMPATH KUMAR CHARY	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
14	M PARAMASIVAM	General Manager	BSc (Agri), CAIIB - Part I
15	S K MAJUMDAR	General Manager	BCom (Hons), CA, ICWA
16	SUDHAKAR R IYER	General Manager	BSc Chemi, MBA (BK/FI), LLB, CAIIB
17	SHREEKANTA MOHAPATRA	General Manager	BSc (Agri), MBA, LLB, CAIIB
18	K H PATNAIK	General Manager	BSc, BGL, MA, MBA, CAIIB

19	नायर अजित कृष्णन	महा प्रबंधक	बीकॉम, एलएलबी, एमबीए, सीएआईआईबी
20	अशोक कुमार दास	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी
21	डी पलनीसामी	महा प्रबंधक	एमएससी, सीआईएसए, सीएआईआईबी
22	रामा नायक	महा प्रबंधक	एमकॉम, जेएआईआईबी
23	वी जयकुमार	महा प्रबंधक	बीएससी, एमबीए, सीएआईआईबी
24	राजेश कुमार सिंह	महा प्रबंधक	बीएससी (ऑनर्स), एमए, सीएआईआईबी
25	देवानंद साहू	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), एमबीए, सीएआईआईबी
26	डॉ. ए के पाण्डेय	महा प्रबंधक	एमए, एमबीए, सीएआईआईबी, पी एचडी (अर्थशास्त्र)
27	साईराम हेगडे	महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
28	अभय कुमार	महा प्रबंधक	बीए, एमबीए, सीएआईआईबी
29	योगेश बी आचार्य	महा प्रबंधक	बीकॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी
30	के जे श्रीकांत	महा प्रबंधक	एम कॉम, सीएआईआईबी
31	राहुल भावे	महा प्रबंधक	एमएससी, सीएआईआईबी
32	आर गिरीस कुमार	महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
33	टी वीरभद्र रेड्डी	महा प्रबंधक	एम कॉम, एमबीए, सीएआईआईबी
34	पुश्कर सिन्हा	महा प्रबंधक	बीए (ऑनर्स), सीएआईआईबी
35	फ्रेंक्लिन सेल्वकुमार	महा प्रबंधक	बीएससी
36	बी पी जाटव	महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी
37	शंकर एस	महा प्रबंधक	एम कॉम, आईसीडबल्यूए, सीएआईआईबी
38	सुबोध कुमार	महा प्रबंधक	एम एससी (रसायन), एमबीए, सीएआईआईबी
39	रामसुब्रमणियन एस	महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
40	राकेश कश्यप	महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
41	जयप्रकाश सी	महा प्रबंधक	बीएससी (मत्स्य पालन), सीएआईआईबी
42	जनार्दन राव पी वी	महा प्रबंधक	बी एससी, बीजीएल, सीएआईआईबी
43	आर अनुराधा	महा प्रबंधक	एमए, सीएआईआईबी
44	एस वेंकटरमणा	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी
45	भवेन्द्र कुमार	महा प्रबंधक	बीए (ऑनर्स), सीएआईआईबी
46	पी गोपीकृष्ण	महा प्रबंधक	बीए, एमबीए (बीके/एफआई), सीएआईआईबी
47	ए नारायण	महा प्रबंधक	एमए, एमसीए, सीएआईआईबी
48	बाबुलाल मीना	महा प्रबंधक	एम कॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी
49	मेजुरी जॉन एमानुएल	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
50	विजयलक्ष्मी सी एस	महा प्रबंधक	बी एससी, बी एड, एमए (हिन्दी), एम फिल, सीएआईआईबी – भाग I
51	संजय कुमार सेनापति	महा प्रबंधक	एमए, एमबीए (बीके/एफआई), सीएआईआईबी
52	एम जी पंडित	महा प्रबंधक	एम कॉम, सीएआईआईबी

19	NAIR AJIT KRISHNAN	General Manager	BCom, LLB, MBA, CAIIB
20	ASHOK KUMAR DASH	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
21	D PALANISAMI	General Manager	MSc, CISA, CAIIB
22	RAMA NAIK	General Manager	MCom, JAIIB
23	V JAYAKUMAR	General Manager	BSc, MBA, CAIIB
24	RAJESH KUMAR SINGH	General Manager	BSc (Hons), MA, CAIIB
25	DEBANANDA SAHOO	General Manager	MSc (Agri), MBA, CAIIB
26	Dr. A K PANDEY	General Manager	MA, MBA, CAIIB, Ph.D (Eco)
27	SAIRAM HEGDE	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
28	ABHAY KUMAR	General Manager	BA, MBA, CAIIB
29	YOGISH B ACHARYA	General Manager	BCom, LLB, CAIIB
30	K J SRIKANTH	General Manager	MCom, CAIIB
31	RAHUL BHAVE	General Manager	MSc, CAIIB
32	R GIREES KUMAR	General Manager	BSc, CAIIB
33	T VEERABHADRA REDDY	General Manager	MCom, MBA, CAIIB
34	PUSHKAR SINHA	General Manager	BA (Hons), CAIIB
35	FRANKLIN SELVAKUMAR A	General Manager	BSc
36	B P JATAV	General Manager	BSc (Agri), CAIIB
37	SHANKAR S	General Manager	MCom, ICWA, CAIIB
38	SUBODH KUMAR	General Manager	MSc (Chem), MBA, CAIIB
39	RAMASUBRAMANIAN S	General Manager	BSc, CAIIB
40	RAKESH KASHYAP	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
41	JAYAPRAKASH C	General Manager	BSc (Fisheries), CAIIB
42	JANARDHANA RAO P V	General Manager	BSc, BGL, CAIIB
43	R ANURADHA	General Manager	MA, CAIIB
44	S VENKATRAMANA	General Manager	MSc (Agri), JAIIB
45	BHAVENDRA KUMAR	General Manager	BA (Hons), CAIIB
46	P GOPIKRISHNA	General Manager	BA, MBA (BK/FI), CAIIB
47	A NARAYANAN	General Manager	MA, MCA, CAIIB
48	BABULAL MEENA	General Manager	MCom, LLB, CAIIB
49	MEAJURI JOHN EMMANUEL	General Manager	MCom, CAIIB
50	VIJAYALAKSHMI C S	General Manager	BSc, B.Ed, MA (Hindi), MPhil, CAIIB - Part I
51	SANJAY KUMAR SENAPATI	General Manager	MA, MBA (BK/FI), CAIIB
52	M G PANDIT	General Manager	MCom, CAIIB

53	शेख नज़ीर अहमद	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी
54	आर कण्णन	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
55	आर पी जायसवाल	महा प्रबंधक	बीकॉम, एमए (हिंदी)
56	के कल्याणी	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
57	के वेंकट नरसिंह मूर्ति	महा प्रबंधक	बीएससी, एमए, जेएआईआईबी
58	प्रणय रंजन देव	महा प्रबंधक	एमए (हिन्दी), एमबीए, एलएलबी, सीएआईआईबी
59	बी चंद्रशेखर राव	महा प्रबंधक	एमएससी, सीएआईआईबी
60	एस वासुदेव शर्मा	महा प्रबंधक	बीएससी, एमबीए (बीके/एफआई), सीएआईआईबी
61	उमेश कुमार भल्ला	महा प्रबंधक	एमए, सीएआईआईबी
62	एच शेषगिरीदास	महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
63	डी सुरेंद्रन	महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमएससी, सीएआईआईबी
64	लखबीर सिंह	महा प्रबंधक	एमए, एलएलबी, सीएआईआईबी
65	श्रीकांत एम भंडिवाड	महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
66	पकिरिसामी एस	महा प्रबंधक	बीकॉम
67	श्रीनाथ एच जोशी	महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमबीए, सीएआईआईबी
68	हितेश चंद्र गोयल	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
69	टी के वेणुगोपाल	महा प्रबंधक	बी कॉम, आईसीडब्ल्यूए, सीएआईआईबी

53	SHAIK NAZEER AHMED	General Manager	MSc (Agri), JAIIB
54	R KANNAN	General Manager	MCom, CAIIB
55	R P JAISWAL	General Manager	BCom, MA (Hindi)
56	K KALYANI	General Manager	MCom, CAIIB
57	K VENKATA NARASIMHA MURTHY	General Manager	BSc, MA, JAIIB
58	PRANAY RANJAN DEO	General Manager	MA (Hindi), MBA, LLB, CAIIB
59	B CHANDRASEKHARA RAO	General Manager	MSc, CAIIB
60	S VASUDEVA SARMA	General Manager	BSc, MBA (BK/FI), CAIIB
61	UMESH KUMAR BHALLA	General Manager	MA, CAIIB
62	H SESHAGIRIDAS	General Manager	BSc, CAIIB
63	D SURENDRAN	General Manager	BSc (Agri), MSc, CAIIB
64	LAKHBIR SINGH	General Manager	MA, LLB, CAIIB
65	SHREEKANT M BHANDIWAD	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
66	PACKIRISAMI S	General Manager	BCom
67	SHREENATH H JOSHI	General Manager	BSc (Agri), MBA, CAIIB
68	HITESH CHANDER GOEL	General Manager	MCom, CAIIB
69	T K VENU GOPAL	General Manager	BCom, ICWA, CAIIB



Together We Can

केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी

2020-2021



Together We Can

BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

2020-2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

- हमने केनरा बैंक ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक तुलन पत्र, तब समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता और और नकद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारी सहित वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, जिसमें समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 5890 शाखाओं (विदेश की 4 शाखाओं सहित) की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं। इसमें लेखापरीक्षा नहीं की गई 4510 शाखाओं की विवरणियों से तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता और नकद प्रवाह का विवरण शामिल किया गया है। इन लेखा परीक्षित नहीं की गई शाखाओं में 9.39% अग्रिम, 20.20% जमा, 7.28% ब्याज आय और 19.10% ब्याज खर्च हैं।
 - हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण जानकारी के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंक के लिए आवश्यक ढंग से और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:
- क. तुलन पत्र, उसमें लिखे नोट में उद्धृत अनुसार एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया है ताकि बैंक के मामलों की स्थिति 31 मार्च 2021 तक एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया जा सके;
- ख. लाभ और हानि विवरणी, नोट में उद्धृत अनुसार सही लाभ शेष को दिखाता है, और
- ग. नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

Independent Auditor's Report

To,

The Members of Canara Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the standalone financial statements of Canara Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of 20 branches, Integrated Treasury Wing audited by us and 5890 branches (including 4 foreign branches) audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 4510 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.39% of advances, 20.20% of deposits, 7.28% of interest income and 19.10% of interest expenses.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and :
 - the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the State of Affairs of the Bank as at 31st March 2021;
 - the Statement of Profit and Loss, read with notes thereon shows a true balance of Profit; and
 - the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

विचार के लिए आधार

- हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा (एसए) मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा आयोजित की है। हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के मानकों के तहत हमारा उत्तरदायित्व आगे वर्णित किए गए हैं। हम भारत में एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक दायित्वों के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

- लेखा परीक्षा में मुख्य मामले वे हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हों। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारा लेखा परीक्षा के संदर्भ में लिया गया था, और इन मामलों पर हम इससे अलग विचार नहीं रखते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के लिए नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA's) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

क्र. सं.	लेखा परीक्षा प्रमुख मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रतिक्रिया
1	अग्रिमों के संबंध में प्रावधानों की पर्याप्तता आरबीआई द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को निष्पादित और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के अग्रिमों पर अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान सृजित करने में उधारकर्ताओं के प्रदर्शन, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण आदि से संबंधित प्रमुख निर्णय शामिल हैं। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रबंधन निर्णय की भागीदारी होने के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और शेष की भौतिकता पर विचार करने पर केंद्रित थी।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया: हमने अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारी लेखा परीक्षा में आंतरिक नियंत्रण और मूल परीक्षण की बनावट और संचालन प्रभावशीलता की जांच शामिल है: • अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान सृजित करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया। • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान और प्रावधान सृजित करने में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का परीक्षण किया। • एनपीए की पहचान के लिए भारिबै के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान की पर्याप्तता और प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। • अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए शाखाओं की लेखा परीक्षित रिपोर्ट पर विचार किया गया। • समय-समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान की जांच की। • हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सुधारा गया है।

Sl. No.	Key Audit Matter	Response to Key Audit Matter
1	Adequacy of provisions in respect of Advances. Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI. The identification of non-performing assets and creation of provision on such advances involves key judgements relating to performance of borrowers, determination of security value, etc. Accordingly, our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to involvement of management judgement and considering the materiality of the balances	Principal Audit Procedures: We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows: • Evaluated the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. • Tested the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. • Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. • Considered branch audit reports for identification and provisioning for non-performing assets • Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. • Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

2	माइग्रेशन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की गई प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली (फ्लेक्स क्यूब - ओरेकल आधारित) बैंक के परिचालनात्मक और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में संव्यवहार के कारण आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर संसाधित किया जाता है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया: हमने एक मूल्यांकन किया तथा प्रमुख आईटी अनुप्रयोग, डाटा बेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा से संबंधित हैं और प्राथमिक तौर पर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित सीबीएस, बीएसपीएल रिपोर्टिंग पैकेज और ट्रेजरी सिस्टम की पहचान की है। हमारी लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण और परिचालन प्रभावशीलता शामिल है जो निम्नानुसार है: - लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और आईटी नीतियों को समझा है। - अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण, जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की परीक्षण आधार पर समीक्षा की। - आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएस नियंत्रण के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। - परीक्षण के आधार पर मुख्य स्वचालित और व्यावसायिक चक्र नियंत्रण और लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली जनित रिपोर्ट के लिए तर्क के परीक्षण किए गए। - बैंक ने तीसरे पक्ष के डोमेन विशेषज्ञ के माध्यम से सिस्टम की माइग्रेशन लेखा परीक्षा की है और हमने इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

2	Key Information technology (IT) systems including migration (Flex Cube - Oracle based) used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence considered as a key audit matter.	Principal Audit Procedures: We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS, BSPL Reporting Package and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows: - Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. - Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. - Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. - Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis. - The bank has conducted migration audit of the system through a third party domain expert and we have relied on the report of such audit

3	कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए संशोधित लेखा प्रक्रियाएँ: कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के कारण, विभिन्न राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन तथा यात्रा प्रतिबंध और हमारे ऑडिट की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में बढ़ते कोविड मामलों के चलते जहाँ कहीं भी भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ बैंक ने दूर से ऑडिट करने की सुविधा अपनाई, बैंक की कुछ शाखाओं / अंचल कार्यालयों / कॉर्पोरेट कार्यालय के विभागों के परिसर में जाकर लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी। जैसा कि हम शाखाओं / अंचलों / प्रशासनिक / कॉर्पोरेट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत/ भौतिक रूप से चर्चाओं और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मीटर के रूप में तैयार किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से करने के लिए संशोधित किया गया था।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया: कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण विभिन्न राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे और हमारे ऑडिट की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में बढ़ते कोविड मामलों के चलते हम कुछ शाखाओं / अंचल कार्यालयों / प्रशासनिक/ कॉर्पोरेट कार्यालयों के संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से दौरा करके लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर सके। जहाँ भौतिक पहुँच संभव नहीं थी, वहाँ बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से सीबीएस, बीएसपीएल और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया को ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो कि लेखापरीक्षा के संचालन के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग हेतु प्रयुक्त किये गये थे। तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया: क हम, वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों और कुछ वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों ने रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से कुछ शाखाओं/ अंचल कार्यालयों / प्रशासनिक कार्यालयों और बैंक के अन्य कार्यालयों के संबंध में जहाँ भौतिक सत्यापन संभव नहीं था, आवश्यक रिकॉर्ड	3	Modified Audit Procedures carried out considering COVID-19 outbreak: Due to 2nd Wave of COVID-19 pandemic, lockdown and travel restrictions imposed by various State Governments / Local Authorities and also in light of increasing COVID cases in respective regions during the period of our audit and Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches / Circle Offices / Wings in the Corporate Office of the bank. As we could not gather audit evidence in person/ physically / through discussions and personal interactions with the officials at the Branches / Circle / Administrative / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Principal Audit Procedures: Due to the outbreak of 2nd Wave of COVID-19 pandemic that caused lockdown and other travel restrictions imposed by the various State Governments / local administration and also in light of increasing COVID cases in respective regions during the period of our audit, we could not travel to the certain Branches/Circle offices /Administrative/ Corporate Offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records / reports / documents / certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS, BSPL and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out based on such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: a We, the Statutory Central Auditors and certain Statutory Branch Auditors conducted verification of necessary records / documents / CBS / BSPL and other Application software electronically through remote access / emails

	/ दस्तावेजों / सीबीएस / बीएसपीएल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया। ख. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया। ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करना और आवश्यक लेखापरीक्षा प्रमाण जुटाना और फोन कॉल / सम्मेलन कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर संवाद और चर्चा करना। घ. नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन के माध्यम से / ईमेल के माध्यम से हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान।

	in respect of certain Branches / Circle Offices / Administrative Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible. b. Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. c. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls / conference calls, emails and similar communication channels. d. Resolution of our audit observations telephonically / through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

विषय का महत्व:

- अनुसूची संख्या 18 के खंड 6.25 के साथ संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वर्तमान तिमाही और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों में बैंक के साथ समामेलित पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक के आंकड़े शामिल हैं, जबकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए संबंधित वर्ष के आंकड़े समामेलन पूर्व केनरा बैंक के हैं और इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती है।
- अनुसूची संख्या 18 के खंड 6.17 के साथ संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के कारोबार संचालन पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

Emphasis of Matter:

- Attention is drawn to Clause 6.25 of Schedule No 18 to the accompanying standalone financial statements, that the figures for the current quarter and year ended 31st March, 2021 includes figures of erstwhile Syndicate Bank amalgamated with the Bank whereas figures for the corresponding year ended 31st March, 2020 are of pre-amalgamated Canara Bank and hence the same are not comparable.
- Attention is drawn to Clause 6.17 of Schedule No. 18 to the accompanying standalone financial statements, which describes the uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic and the management's evaluation of its impact on the business operations of the Bank.

Our report is not modified in respect of this matter.

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

7. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटीकरण) के तहत स्तंभ III के प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं), जो हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की थी, और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, निदेशक रिपोर्ट, जो हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को प्रावरित नहीं करती है और हम इस बारे में किसी भी रूप में निष्कर्ष का आश्वासन व्यक्त नहीं करते और नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर विचार करना है कि क्या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे संज्ञान में आए एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख से पहले हमें प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का विवरण गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में सूचित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व

8. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon:

7. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), Corporate Governance Report, which we obtained prior to the date of this Auditor's Report, and the Directors Report, which is expected to be made available to us after the date of our auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be material misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

8. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent;

और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, बैंक की क्षमता का आकलन करने, संस्था को जारी रखने, प्रकटन के लिए, जो भी लागू होता है, संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के आधार पर संस्था का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने का इरादा या परिचालन रोकने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

9. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्याकथन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त है, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा किसी भौतिक मिथ्याकथन का पता लगाएगी जब यह हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकता है और, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिकता पर विचार किया जाए, तो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानने और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी,

and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,

जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिभावी शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर संस्था के प्रयुक्त पर प्रबंधन की उपयुक्तता के आधार पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो एक संस्था के रूप में जारी रहने की, बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से बैंक के एक संस्था के रूप में जारी रहने पर रोक लग सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वित्तीय विवरणों में भौतिकता गलत वक्तव्य का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव करता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) वित्तीय विवरणों पहचान की गई गलतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के समय और सुनियोजित क्षेत्र के बारे में और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ जिसे हम अपनी

misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant

लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, को शासन प्रभारित करने वालों को संसूचित करते हैं।

हम शासन द्वारा प्रभारित विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संसूचित करने के लिए हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

शासन प्रभारित संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक नहीं लगाते हैं, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह की संसूचना से सार्वजनिक हित छूट जाएंगे।

अन्य मामले

- हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 4510 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2021 को रुपये 469653.35 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रुपये 11869.08 करोड़ के कुल राजस्व रुपये को दर्शाती हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारीयों की लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और अब तक की हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ और हानि विवरणी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
- उपर्युक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमा के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

- We did not audit the financial statements / information of 4510 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹469653.35 Crs as at 31st March 2021 and total revenue of ₹11869.08 Crs for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
- Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- क) हमने जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, वे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं, वे हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
- ख) बैंक का संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आया है, बैंक की शक्तियाँ के अंतर्गत हैं; तथा
- ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
13. जैसा कि पत्र क्रमांक डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20, 17 मार्च 2020 द्वारा अपेक्षित है "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति पर – वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" को आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिनांक 19 मई 2020 के बाद के संसूचना के अनुसार पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार करते हैं:
- क) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- ख) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों, जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर कोई पर्यवेक्षण या टिप्पणी नहीं है।
- ग) 31 मार्च, 2021 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च, 2021 को निदेशक अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) के नियमों के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के संदर्भ में कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
- घ) खातों के रखरखाव और अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ड) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 17 मार्च, 2020 के आरबीआई के पत्र डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 (संशोधित) की अपेक्षा के अनुरूप है जिसे इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में प्रदान किया गया है। हमारी रिपोर्ट यथा 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
13. As required by Letter No DOS.ARG. No. 6270 / 08.91.001 / 2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCA's from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- a) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2021, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2021 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the RBI Letter DOS.ARG.No.6270 / 08.91.001/ 2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as at 31st March, 2021.

14. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमारी राय में, कानूनन आवश्यक उचित खाता – बहियां बैंक द्वारा रखे गए हैं, यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होती है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियां प्राप्त की गई हैं।
- ख) तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरणी और इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत नकद प्रवाह का विवरण, खाता बहियों के करार में अंतर्निहित है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ है;
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से व्यवहृत किया गया है; तथा
- घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरणी और नकद प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है, इस सीमा तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के संबंध में असंगत नहीं हैं।

14. We further report that:

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते मेसर्स डी के छाजर & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304138E

(जगन्नाथ पी महापात्रो)
भागीदार
सदस्यता सं. 217012
UDIN:21217012AAAAEC1065

कृते मेसर्स एस एन के & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 119972
UDIN:21119972AAAADQ6923

For M/s. D. K. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN: 304138E

(Jagannath P Mohapatro)
Partner
Membership Number 217012
UDIN:21217012AAAAEC1065

For M/s. S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN: 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership Number 119972
UDIN:21119972AAAADQ6923

कृते मेसर्स एन के भार्गव एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000429N

(एन के भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं 080624
UDIN: 21080624AAAACZ5147

कृते मेसर्स राव & एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 003084S

(प्रवीण बी जे)
भागीदार
सदस्यता सं 215713
UDIN: 21215713AAAAMJ5974

For M/s. N. K. Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

(N. K. Bhargava)
Partner
Membership Number 080624
UDIN:21080624AAAACZ5147

For M/s. Rao & Emmar
Chartered Accountants
FRN: 003084S

(Praveen B J)
Partner
Membership Number 215713
UDIN:21215713AAAAMJ5974

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 13 (ई) के संदर्भ में)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई" संचार") द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ केनरा बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देशों में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों (एसएस) के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 13(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of CanaraBank ("the Bank") as of 31st March, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial

वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन, आकलित जोखिम पर आधारित है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी अयोग्य ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाने वाले उचित विवरण संबंधी अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन प्राधिकारी और बैंक के निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) जो बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन के साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं

controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our unqualified audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility

के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक रूप से गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं भी लग सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के कारण या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में चूक के चलते अपर्याप्त हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए विवरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण यथा 31 मार्च 2021 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जैसा कि यह 5890 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

कृते मेसर्स डी के छाजर & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304138E

(जगन्नाथ पी महापात्रो)
भागीदार
सदस्यता सं. 217012
UDIN:21217012AAAAEC1065

कृते मेसर्स एन के भार्गव एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000429N

(एन के भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं. 080624
UDIN:21080624AAAAACZ5147

कृते मेसर्स एस एन के & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109176W

(अंकित डी दानावाला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 119972
UDIN:21119972AAAADQ6923

कृते मेसर्स राव & एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 003084S

(प्रवीण बी जे)
भागीदार
सदस्यता सं. 215713
UDIN:21215713AAAAJM5974

of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2021, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 5890 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For M/s. D. K. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN: 304138E

(Jagannath P Mohapatro)
Partner
Membership Number 217012
UDIN:21217012AAAAEC1065

For M/s. N. K. Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

(N. K. Bhargava)
Partner
Membership Number 080624
UDIN:21080624AAAAACZ5147

For M/s. S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN: 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership Number 119972
UDIN:21119972AAAADQ6923

For M/s. Rao & Emmar
Chartered Accountants
FRN: 003084S

(Praveen B J)
Partner
Membership Number 215713
UDIN:21215713AAAAJM5974

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित विचार शामिल हैं।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2021 contains unmodified opinion.

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक व
मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

V RAMACHANDRA
CGM & CHIEF FINANCIAL
OFFICER

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR
& CEO

कृते डी के छाजर व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304138E

(जगन्नाथ पी महापात्रो)
भागीदार
सदस्यता सं. 217012

कृते एन के भार्गव व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000429N

(एन के भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं 080624

कृते एस एन के व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 119972

कृते राव व एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 003084S

(प्रवीण बी जे)
भागीदार
सदस्यता सं 215713

For D K CHHAJER & CO.
Chartered Accountants
FRN : 304138E

(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership No. 217012

For N.K. BHARGAVA & CO
Chartered Accountants
FRN : 000429N

(N.K.Bhargava)
Partner
Membership No. 080624

For S N K & CO.
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

For RAO & EMMAR
Chartered Accountants
FRN : 003084S

(Praveen B J)
Partner
Membership No.215713

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

सेवा में,

निदेशक मंडल

केनरा बैंक

प्रका : बेंगलूरु

विषय : सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

क) हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- इन विवरणियों में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
- ये विवरणियाँ बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की बनावट या परिचालन में कमियों यदि कोई हो, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात हो और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है

- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors

Canara Bank

HO : Bengaluru

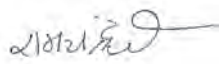
Sub : CEO / CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

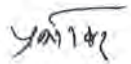
- We have reviewed Standalone financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2021 and that to the best of our knowledge and belief:
 - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि कोई हो, जिनके बारे में हम जागरूक हो गए हैं, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक एवं
मुख्य वित्त अधिकारी



एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



V RAMACHANDRA
CGM &
CHIEF FINANCIAL OFFICER



L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2021

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	1646 73 82	1030 23 34
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	57238 19 39	38262 73 12
जमा / DEPOSITS	3	1010874 58 27	625351 17 37
उधार / BORROWINGS	4	49983 56 06	42761 76 72
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	33931 95 95	16468 83 98
कुल / TOTAL		1153675 03 49	723874 74 53
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	43111 62 29	22570 13 71
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	135296 41 38	45701 32 74
निवेश / INVESTMENTS	8	261690 39 40	176244 94 03
अग्रिम / ADVANCES	9	639048 98 61	432175 20 48
अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	11206 53 24	8276 29 19
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	63321 08 57	38906 84 38
कुल / TOTAL		1153675 03 49	723874 74 53
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	507071 81 36	373497 97 25
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		53385 99 26	35939 89 40

* 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े पूर्व समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन केनरा बैंक वित्तीय स्थिति से संबंधित हैं, इसलिए 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद की वित्तीय स्थिति के साथ तुलनीय नहीं है।

* Figures of the year ended 31.03.2020 are related to standalone Canara Bank Financials of pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials for the year ended 31.03.2021.

आर महेंद्रन
मंडल प्रबंधक

के शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

अरविंद कुमार
सहायक महा प्रबंधक

एस के मजूमदार
महा प्रबंधक

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक

के सत्यनारायण राजु
कार्यपालक निदेशक

ए. मणिमोहन
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी शर्मा
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डी.के.छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E
(जगन्नाथ पी महापात्रो)
साझेदार
सदस्य सं. 217012

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W
(अंकित डी. दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं.119972

कृते
एन के भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N
(एन.के.भार्गव)
साझेदार
सदस्य सं.080624

कृते
राव एंड एम्मार
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S
(प्रवीण बी जे)
साझेदार
सदस्य सं.215713

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

यथा दिनांक 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2021

	अनुसूची Schedule	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2021 (₹ '000)	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2020 (₹ '000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	69239 78 22	48934 99 02
अन्य आय / OTHER INCOME	14	15285 29 43	7813 15 46
कुल / Total		84525 07 65	56748 14 48
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	45177 62 37	35811 08 34
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	19338 18 41	11577 23 46
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		17451 69 19	11595 54 24
कुल / Total		81967 49 97	58983 86 04
III. अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) NET PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD		2557 57 68	(2235 71 56)
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
के लिए अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		639 39 42	-
आरक्षित निधि पूंजी / CAPITAL RESERVE		1162 70 39	-
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		755 47 87	-
राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		-	-
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE		-	-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		-	-
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		-	-
लाभ / शेष / BALANCE OF PROFIT		-	-
कुल / Total		2557 57 68	(2235 71 56)
लेखा पद्धति नीति / ACCOUNTING POLICIES	17		
खातों पर नोट्स / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर आय अर्जन / EARNINGS PER SHARE		16.91	(26.50)

* Figures of the year ended 31.03.2020 are related to standalone Canara Bank Financials of pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financials for the year ended 31.03.2021.

R MAHENDRAN DIVISIONAL MANAGER	K SIVARAMAKRISHNAN DIVISIONAL MANAGER	ARVIND KUMAR ASST. GENERAL MANAGER	S K MAJUMDAR GENERAL MANAGER	V RAMACHANDRA CHIEF GENERAL MANAGER
K SATYANARAYANA RAJU EXECUTIVE DIRECTOR	A. MANIMEKHALAI EXECUTIVE DIRECTOR	DEBASHISH MUKHERJEE EXECUTIVE DIRECTOR	L.V. PRABHAKAR MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	
SUCHINDRA MISRA DIRECTOR	R KESAVAN DIRECTOR	VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER DIRECTOR	BIMAL P SHARMA DIRECTOR	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For D.K.CHHAJER & CO Chartered Accountants FRN : 304138E	For S N K & CO Chartered Accountants FRN : 109176W	For N. K. BHARGAVA & CO Chartered Accountants FRN : 000429N	For RAO & EMMAR Chartered Accountants FRN : 003084S
(JAGANNATH P MOHAPATRO) PARTNER MEMBERSHIP NO. 217012	(ANKIT D.DANAWALA) PARTNER MEMBERSHIP NO.119972	(N.K.BHARGAVA) PARTNER MEMBERSHIP NO.080624	(PRAVEEN B J) PARTNER MEMBERSHIP NO.215713

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

यथा दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 1 – पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital (₹10/- प्रति शेयर के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त: / Issued,Subscribed and Paid up:		
i) ₹10/- प्रति शेयर के 1,14,17,09,678 इक्विटी शेयर गत वर्ष केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹10/- प्रति शेयर के 80,89,33,351 इक्विटी शेयर i) 1,14,17,09,678 Equity Shares of ₹10/- each / Previous year 80,89,33,351 Equity share of ₹10/- each held by Central Government	1141 70 97	808 93 34
ii) ₹10/- प्रति शेयर के 50,50,28,542 इक्विटी शेयर गत वर्ष अन्य द्वारा धारित ₹10/- प्रति शेयर के 22,13,00,000 इक्विटी शेयर ii) 50,50,28,542 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 22,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	505 02 85	221 30 00
	1646 73 82	1030 23 34
अनुसूची 2 –आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (Reserve Fund in terms of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949)		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8350 76 00	8350 76 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the period *	3370 81 76	-
कुल / Total	11721 57 76	8350 76 00
II. पूँजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		
क./a. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / REVALUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	6332 79 04	6448 17 37
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add : Addition during the period *	2108 95 83	-
	8441 74 87	6448 17 37
घटाएं : राजस्व आरक्षित निधियों को अंतरित Less : Transferred to Revenue Reserves	157 51 17	115 38 33
कुल / Total	8284 23 70	6332 79 04
ख./b. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	190 81 43	213 74 47
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add : Additions during the period *	26 48 71	-
घटाएं : अवधि के दौरान कटौतियाँ / Less: Deductions during the period	89 35 10	22 93 04
कुल / Total	127 95 04	190 81 43
ग./c. समामेलित आरक्षित निधि / Amalgamation Reserve		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	-	-
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	2240 69 47	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी / Less: Deductions during the year	-	-
कुल / Total	2240 69 47	-
घ./d. अन्य / OTHERS		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	2488 67 07	2488 67 07
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add : Additions during the period *	1695 82 51	-
कुल / Total	4184 49 58	2488 67 07

यथा दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	18302 55 81	12008 54 67
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add : Additions during the period *	11788 96 68	6294 01 14
कुल / Total	30091 52 49	18302 55 81
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क/अ. राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8766 80 39	8678 49 67
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add: Additions during the period *	2857 64 32	88 30 72
	11624 44 71	8766 80 39
घटाएं : अवधि के दौरान कटौतियाँ / Less: Deductions during the period	7 60 18	-
कुल / Total	11616 84 53	8766 80 39
ख/ब. विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार} {In terms of Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961}		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	4000 00 00	4000 00 00
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add: Additions during the period *	1536 46 92	-
कुल / Total	5536 46 92	4000 00 00
ग/क. निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	565 80 00	565 80 00
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	-
	565 80 00	565 80 00
घटाएं : अवधि के दौरान कटौतियाँ / Less: Deductions during the period	156 28 25	-
कुल / Total	409 51 75	565 80 00
घ/द. अन्य आरक्षित निधि खाता / OTHER RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(1491 94 52)	(322 40 00)
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add : Additions during the period *	1491 94 52	322 40 00
	-	-
घटाएं : अवधि के दौरान कटौतियाँ / Less: Deductions during the period	-	1491 94 52
कुल / Total	-	(1491 94 52)
झ/इ. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	27 25 51	27 25 51
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	911 76 12	-
	939 01 63	27 25 51
घटाएं : अवधि के दौरान कटौतियाँ / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	939 01 63	27 25 51
च/फ. सामान्य आरक्षित निधि / GENERAL RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	-	-
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add : Additions during the period *	581 16 40	-
घटाएं : अवधि के दौरान कटौतियाँ / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	581 16 40	-
च/ग. लाभ एवं हानि लेखा में शेष / BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(9270 77 61)	(7035 06 05)
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add : Additions during the period *	(9224 52 27)	(2235 71 56)
घटाएं : अवधि के दौरान कटौतियाँ / Less: Deduction during the period	-	-
कुल / Total	(18495 29 88)	(9270 77 61)
कुल / TOTAL	57238 19 39	38262 73 12

* चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशियों में पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक से अग्रेषित शेष राशि शामिल हैं

* Additions during the current year includes balances carried forward from erstwhile Syndicate Bank

यथा दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 3 – जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क./A.I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	533 78 65	310 92 90
ii. अन्य से / FROM OTHERS	48839 57 45	26146 61 85
कुल / Total	49373 36 10	26457 54 75
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	281528 37 46	169748 99 30
कुल / Total	281528 37 46	169748 99 30
III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	49529 85 08	23371 21 86
ii. अन्य से / FROM OTHERS	630442 99 63	405773 41 46
कुल / Total	679972 84 71	429144 63 32
कुल / TOTAL	1010874 58 27	625351 17 37
ख./B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	963305 52 02	601664 19 83
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	47569 06 25	23686 97 54
कुल / Total	1010874 58 27	625351 17 37
अनुसूची 4 – उधारी / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधारी / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	2408 00 00	2291 00 00
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	84 83 74	2807 06 42
iii. अन्य संस्थाएँ तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	16369 10 10	11909 68 95
iv. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	23116 10 00	15149 30 00
कुल / Total	41978 03 84	32157 05 37
II. भारत के बाहर उधारी / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	8005 52 22	10604 71 35
ii. प्रतिभूति-रहित प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (SUB-ORDINATED DEBT)	-	-
कुल / Total	8005 52 22	10604 71 35
कुल / TOTAL	49983 56 06	42761 76 72

यथा दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	2067 24 18	1120 01 36
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	(2407 56 39)	(1863 75 77)
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2614 18 94	2064 50 01
IV. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	31658 09 22	15148 08 38
कुल / Total	33931 95 95	16468 83 98
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)	4400 38 35	4598 34 77
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	38711 23 94	17971 78 94
अन्य खाते में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल / Total	38711 23 94	17971 78 94
कुल / TOTAL	43111 62 29	22570 13 71
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंक में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	60 87 34	206 47 44
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
कुल / TOTAL	60 87 34	206 47 44
ii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	9801 71 26	8290 32 13
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	53580 78 30	13714 54 05
कुल / Total	63382 49 56	22004 86 18
कुल / TOTAL	63443 36 90	22211 33 62
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS	12168 78 22	6047 07 50
ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	40368 60 06	9768 34 59
iii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	19315 66 20	7674 57 03
कुल / Total	71853 04 48	23489 99 12
कुल / TOTAL	135296 41 38	45701 32 74

यथा दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश : सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS		
घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI	262969 26 19	176309 56 93
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	4437 46 29	2165 37 31
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	258531 79 90	174144 19 62
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	240809 05 26	160879 23 72
iii. शेयर SHARES	2 40 37	1 49 87
iv. डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	2436 36 41	1973 40 47
v. अनुषंगियाँ और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES	12261 12 12	7645 17 45
vi. अन्य - म्युचुअल फंड, सी पी, सी डी इत्यादि OTHERS - MUTUAL FUNDS, C P, CD ETC.	788 56 66	765 10 60
कुल / Total	2234 29 08	2879 77 51
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	258531 79 90	174144 19 62
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	206806 24 00	113428 55 58
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	51527 07 84	60567 19 15
कुल / Total	198 48 06	148 44 89
II. भारत के बाहर निवेश - सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	258531 79 90	174144 19 62
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	3165 54 05	2122 22 08
भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	6 94 55	21 47 67
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	3158 59 50	2100 74 41
ii. अनुषंगियाँ और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	269 59 50	399 24 90
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	166 30 73	166 30 73
कुल / Total	2722 69 27	1535 18 78
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	3158 59 50	2100 74 41
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	232 69 97	234 33 85
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	2925 89 53	1866 40 56
कुल / Total	-	-
कुल / TOTAL	3158 59 50	2100 74 41
	261690 39 40	176244 94 03

यथा दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 9 – अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क./A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	5230 29 73	15608 81 77
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर चुकाती योग्य ऋण CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	255421 14 19	158070 81 04
iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS	378397 54 69	258495 57 67
कुल / Total	639048 98 61	432175 20 48
ख./B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित) / (INCLUDING BOOK DEBTS)	511310 56 72	353361 05 11
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT.GUARANTEES	7890 38 79	10213 30 22
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	119848 03 10	68600 85 15
कुल / Total	639048 98 61	432175 20 48
ग./C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	300354 15 77	187718 83 79
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	50281 08 02	32316 80 09
iii. बैंक / BANKS	72	3262 61 01
iv. अन्य / OTHERS	268920 63 74	184565 52 82
कुल / Total	619555 88 25	407863 77 71
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अलावा देय) (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	164 14 59	12113 02 30
ii. मीयादी और समूहन ऋण TERM / SYNDICATED LOANS	16846 51 60	10776 35 89
iii. अन्य / OTHERS	2482 44 17	1422 04 58
कुल / Total	19493 10 36	24311 42 77
कुल / TOTAL	639048 98 61	432175 20 48

यथा दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / PREMISES		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	8240 50 23	8175 34 97
वर्ष के दौरान परिवर्धन # / ADDITIONS DURING THE YEAR #	1984 56 22	65 26 35
	10225 06 45	8240 61 32
वर्ष के दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	484 74 22	-
	10709 80 67	8240 61 32
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	44 07 72	11 09
	10665 72 95	8240 50 23
अद्यतन मूल्यहास # / DEPRECIATION TO DATE #	1304 07 41	1053 90 10
	9361 65 54	7186 60 13
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	4191 73 99	4015 28 24
वर्ष के दौरान परिवर्धन # ADDITIONS DURING THE YEAR #	2899 81 94	271 19 78
	7091 55 93	4286 48 02
वर्ष के दौरान कटौतियाँ DEDUCTIONS DURING THE YEAR	126 63 45	94 74 03
	6964 92 48	4191 73 99
अद्यतन मूल्यहास # / DEPRECIATION TO DATE #	5124 58 01	3104 23 93
	1840 34 47	1087 50 06
III. पट्टे पर दी गई आस्तियाँ / LEASED ASSETS		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	71 77 29	71 77 29
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	-
	71 77 29	71 77 29
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	-
	71 77 29	71 77 29
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	69 89 95	69 59 70
	1 87 34	2 17 59
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	(31 66)	(1 41)
	2 19 00	2 19 00
IV. प्रगति पर पूंजीगत कार्य : / CAPITAL WORK IN PROGRESS:		
प्रगति पर पूंजीगत कार्य : प्रारंभिक शेष / CAPITAL WORK IN PROGRESS- OP BAL	6 62 65	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन # / ADDITIONS DURING THE YEAR #	4 28 42	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	-
	2 34 23	-
कुल / Total	11206 53 24	8276 29 19

चालू वर्ष के दौरान वृद्धि और आज दिनांक तक मूल्यहास में पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक से अग्रेषित शेष राशि शामिल है।

Additions during the current year and Depreciation to Date includes balances carried forward from erstwhile Syndicate Bank

यथा दिनांक 31.03.2021 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	8449 97 27	5465 54 08
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	13670 13 45	13042 91 32
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / STATIONERY AND STAMPS	3 56 72	10 81 76
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	108 16 76	109 30 37
V. अन्य / OTHERS	30430 76 37	16477 53 85
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	10658 48 00	3800 73 00
कुल / Total	63321 08 57	38906 84 38
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	16571 38 52	9537 61 21
II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	44 00	36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	416862 86 83	300719 34 72
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क./a. भारत में / IN INDIA	45535 77 19	35174 28 89
ख./b. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA	142 63 96	231 88 49
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	45678 41 15	35406 17 38
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	23631 39 94	24890 32 44
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-	-
ख./ b. अन्य / OTHERS	4327 30 92	2944 15 50
	4327 30 92	2944 15 50
कुल / Total	507071 81 36	373497 97 25

यथा 31.03.2021 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि लेखा का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2021

	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2021 (₹'000)	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2020 (₹'000)
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / भुनाना INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS	50404 99 95	36075 88 06
II. निवेश से आय / INCOME ON INVESTMENTS	16859 20 05	11335 87 64
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	1851 52 53	1400 26 79
IV. अन्य / OTHERS	124 05 69	122 96 53
कुल / Total	69239 78 22	48934 99 02
अनुसूची 14 – अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	2040 17 37	1257 11 55
II. निवेशों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	3317 66 46	759 47 36
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) PROFIT / (LOSS) ON REVALUATION OF INVESTMENTS	(1 68 36)	(1 74 18)
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS	28 70 25	(1 34 11)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ – निवल PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS - NET	1881 83 41	1114 85 87
VI. भारत में / विदेश की अनुषंगियों / कम्पनियों और / या संयुक्त उद्यम द्वारा लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES AND / OR JOINT VENTURES ABROAD / IN INDIA	71 53 76	67 87 20
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME	7947 06 54	4616 91 77
कुल / Total	15285 29 43	7813 15 46

यथा 31.03.2021 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि लेखा का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2021

	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2021 (₹'000)	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2020 (₹'000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS	42096 95 99	33520 93 80
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS	1057 89 33	1169 87 91
III. अन्य (टियर I व टियर II बॉण्ड पर ब्याज सहित) OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	2022 77 05	1120 26 63
कुल / Total	45177 62 37	35811 08 34
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	12689 95 94	7134 18 46
II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING	1120 14 79	792 37 23
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	133 62 09	42 94 28
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	42 13 58	34 04 71
V. बैंक की संपत्ति में मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	820 16 90	432 16 02
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	82 32	1 04 04
लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	116 23 39	55 91 29
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	83 83 52	71 10 65
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC	109 87 25	59 25 08
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	542 26 14	320 54 96
XI. बीमा / INSURANCE	1069 44 63	550 15 19
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	2609 67 86	2083 51 55
कुल / Total	19338 18 41	11577 23 46

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

[1] (क) तैयार करने का आधार:

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर कार्यशील संस्थागत आधार पर लेखांकन के उपचय के आधार पर हैं। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें सांविधिक प्रावधानों व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम - 1949 द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधान, नियामक मानदंड / दिशानिर्देश भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित बाहरी देशों में प्रचलित प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली सूचित राशि के संबंध में वित्तीय विवरणियों की यथा तारीख को अनुमान तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमान से अलग हो सकते हैं। अन्यथा सूचित को छोड़कर लेखांकन अनुमान में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दिया जाएगा।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन:

2.1 प्रारंभिक तौर पर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडआई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दर पर पुनःवर्णित किया गया है। ऐसी मदों के पुनःवर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दर पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

[1] (a) Basis of Preparation:

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act - 1949, Accounting Standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 विदेशी शाखाओं के संबंध में लेनदेन एवं शेष को अभिन्न विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देन तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

भारतीय विदेशी विनिमय विक्रेता संघ ('फेडार्ड') द्वारा घोषित प्रत्येक तिमाही के अंत में आस्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण उपलब्ध विदेशी विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं की आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11- "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में 'फेडार्ड' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा।

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं:

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा की अवधि पर होनेवाली आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्द किए जाने पर होनेवाले लाभ / हानि यदि हैं तो, उसको समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडार्ड द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश :

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात् 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस), और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी)। इस प्रकार का वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय निर्धारित किया जाता है।

निवेशों को तुलन पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है अर्थात् (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बॉण्ड (ड) अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाएं तथा (च) अन्य।

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11- "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[3] Investments

3.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

- 3.2 निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने के लिए:-
- क) प्रतिभूतियों की खरीद के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते में प्रभावित किया जाता है।
- ख) अधिग्रहण / निपटान की तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

- 3.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो निम्नवत् है:

क) परिपक्वता के लिए धारित

परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी संस्थाओं में निवेश को रखाव-लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

प्रयोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों का रखाव लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

दिनांक 23.08.2006 के बाद वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में किए गए निवेश को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। संवितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद इसे भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) के दिशानिर्देशानुसार एएफएस व बाज़ार के लिए अंकित में अंतरित कर दिया जाएगा।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश त्रैमासिक आधार पर बाज़ार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि (तुलन पत्र तिथि) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार कोट नहीं की गई प्रतिभूति भी मूल्यांकित की जाती है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास का पूरा प्रावधान किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई है, को नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दैनिक बाज़ार मूल्य आधार पर अंकित किए जाने के कारण बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

- 3.2. In determining the acquisition cost of investment:-

- (a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.
- (b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

- 3.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and mark to market as per RBI guidelines

b) AVAILABLE FOR SALE

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात (पैरा 3.3 (ए) का (संदर्भ लें) वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी की इकाइयों को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार एवं व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य/ आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यहास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया है। बाज़ार के लिए अंकित किए जाने के बाद प्रत्येक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। यदि, एच टी एम श्रेणी के तहत निवेश को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।

(ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है।

(ग) ए एफ एस से एच एफ टी श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

3.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्र.कं / पु.कं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश प्रतिभूति रसीद के मामले में प्र.कं / पु.कं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली होने तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ का निर्वाह निम्नानुसार किया जाता है:

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य(एनबीवी) से कम मूल्य पर है तो, तत्संबंधी कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार मान्यता दी जाती है।

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

c) HELD FOR TRADING

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

3.4. Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

3.5 Non-performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है बल्कि प्र.कं / पु.कं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

3.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है, अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान किया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

3.7 निवेश की बिक्री पर लाभ:
“बिक्री के लिए उपलब्ध” तथा “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

“परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

3.8 रेपो / प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ):

आरबीआई के साथ एलएएफ सहित रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद/ पुनर्बिक्री हेतु करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को उधार लेने / उधार देने के रूप में मान्यता दी जाती है।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाता है और प्रतिवर्ती रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता। लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय / आय के रूप में की जाती है।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों का कारोबार करता है। बैंक द्वारा कारोबार की जा रही ब्याज दर व्युत्पन्नी क्रमशः रुपया ब्याज दर अदला-बदली, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार हैं। बैंक द्वारा कारोबार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां क्रमशः विकल्प और मुद्रा की अदला-बदली है।

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

3.6 Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation/ provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non-Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

3.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of “Held to Maturity” category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

3.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

[4] Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

ऐसी व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

(क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियों को बाजार के लिए अंकित आधार पर मान्यता दी जाती है और निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा जाता है।

(ख) बचाव-व्यवस्था के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएं निम्नानुसार हैं:

i. व्युत्पन्नी संविदाओं को बचाव-व्यवस्था के रूप में बाजार के लिए अंकित नहीं किया जाता है, जब तक कि आधारभूत आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।

ii. बचाव-व्यवस्था अदला-बदली के लिए आय / व्यय को उपचित आधार पर मान्यता दी जाती है।

[5] अग्रिम

- 5.1 अग्रिम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया जाता है।
- 5.2 अग्रिम को उधारकर्ता वार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया जाता है।
- 5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार घरेलू अग्रिम हेतु प्रावधान किया जाता है।
- 5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधान मेजबान देश के विनियम या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड, जो भी अधिक कड़े हैं, उसके अनुसार किया जाता है।
- 5.5 तुलन पत्र में वर्णित अग्रिम अनर्जक आस्तियाँ, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 5.6 अनर्जक अग्रिम में आंशिक वसूलियों को पहले प्रभारों और ब्याज के रूप में समायोजित किया जाता है, उसके बाद मूलधन के लिए जबकि अपवादस्वरूप समझौता निपटान/"ऋण विगत देय" अग्रिम से जुड़े गैर-निष्पादित अग्रिम में वसूली को सर्वप्रथम मूलधन के प्रति समायोजित किया जाता है।
- 5.7 प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण इत्यादि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है।
- 5.8 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

Such derivative contracts are valued as under:

(a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

(b) Derivative contracts undertaken for hedging are:

i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging swaps.

[5] ADVANCES

- 5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.
- 5.3 Provisions for domestic advances are made for performing / non-performing advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 5.4 Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- 5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 5.6 Partial recoveries in Non-performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of Non-performing advances involving compromise settlements / "Loan Past Due" advances where the recoveries are first adjusted towards principal.
- 5.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition etc are done as per RBI guidelines.
- 5.8 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

[6] अचल आस्तियां

- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भू-संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल आस्तियों का पूँजीकरण, इस्तेमाल हेतु शुरू की गई तिथि के आधार पर होता है।
- 6.2 भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खाते में जमा की जाती है। संबंधित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया गया है। समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

[7] मूल्यहास

- 7.1 आस्तियों के जीवन काल के आधार पर सभी आस्तियों के लिए, आस्तियों का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के तहत किया जाता है।
- 7.2 आस्तियों का जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार परिभाषित किया गया है।
- 7.3 विभिन्न वर्ग की आस्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई आस्तियों का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	आस्ति प्रकार	अनुमानित जीवन काल
i	पूर्ण स्वामित्व वाला भवन	60 वर्ष
ii	पट्टाधारित भूमि व भवन (25 वर्ष तक पट्टा के लिए)	पट्टा अवधि से कम या 60 वर्ष
iii	फर्नीचर एवं जुड़नार	10 वर्ष
iv	विद्युत एवं विद्युत उपकरण	5-10 वर्ष
v	कम्प्यूटर एवं सर्वर	3 वर्ष
vi	मोटर गाड़ी	5 वर्ष

दिनांक 01-04-2020 से मूल्यहास की दरों में परिवर्तन (जीवन काल के आधार पर) प्रभावी है।

- 7.4 सॉफ्टवेयर/अमूर्त आस्ति 5 वर्षों में परिशोधित की जाती है।
- 7.5 यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिन और उससे अधिक के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यहास प्रभावित किया जाएगा। यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यहास प्रभावित किया जाएगा।

[6] Fixed Assets

- 6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- 6.2 Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[7] Depreciation

- 7.1 Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on life span of the assets.
- 7.2 The life span of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013.
- 7.3 Estimated life span of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

SL No.	Type of asset	Estimated life span
i	Free hold Buildings	60 Years
ii	Lease hold land & Buildings (Up to 25 years lease)	Lower of lease period or 60 Years.
iii	Furniture & Fixtures	10 Years
iv	Electric & Electronic Equipment	5 - 10 Years
v	Computers and Servers	3 Years
vi	Motor Vehicles	5 years

The change in rates (based on life span) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

- 7.4 Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.
- 7.5 If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is be charged for the concerned financial year.

7.6 8 वर्ष और उससे अधिक उपयोगी जीवन अवधि वाली आस्ति के मामले में मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा। अन्य आस्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य मूल लागत मूल्य का ₹5/- होगा।

7.7 पट्टाधारित संपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम को पट्टा अवधि या प्रासंगिक आस्ति के जीवन काल, जो भी पहले हो, पर प्रभारित किया जाता है। पट्टाधारित भूमि की लागत और पट्टा धारित सुधारों को पट्टे की अवधि या प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन काल में, इनमें से जो भी कम हो, के लिए परिशोधित किया जाता है।

7.8 विदेशी कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

7.9 आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टे) के अनुसार परिचालन हेतु पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान पट्टा अवधि से अधिक को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

[8] आस्तियों का अपक्षयन

किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं, उसका मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को किया जाता है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है तो वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

[9] राजस्व का परिकलन

9.1 निम्नलिखित को छोड़कर, आय एवं व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है:

- क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिम तथा अनर्जक निवेश पर ब्याज को मान्यता दी जाती है।
- ख) अतिदेय बिल, विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर की जाती है।
- ग) लाभांश आय की गणना तब की जाती है जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- घ) मुकदमा दायर किए गए खाते के मामले में, संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा वसूली होने पर उसकी गणना आय के रूप में की जाती है।

[10] कर्मचारी हित

10.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

7.6 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets.

7.7 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant asset whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease or life span of relevant assets which ever is lower.

7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

7.9 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

[8] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for and charged off to Profit and Loss Account.

[9] Revenue Recognition

9.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- a) Interest on Non-performing advances and Non-performing investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.
- b) Interest on overdue bills, Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization.
- c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.
- d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[10] Employee Benefits

10.1 Defined Contribution Plans

Defined Contribution to Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

बैंक 01-08-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित अंशदान योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्य मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं। योजना के अनुसार, प्रावरित कर्मचारी अपने मूल वेतन के 10% के साथ महंगाई भत्ते को बैंक से मिल रहे अंशदान के साथ योजना में अंशदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक अंशदान को तत्संबंधी वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

10.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

क) उपदान : कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक की बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकिक आधार पर तथा योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यता को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

ख) पेंशन : कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और उसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

10.3 अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना जाता है तथा स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिकलन किया जाता है।

10.4 परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को आस्थगित न करते हुए तुरंत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

[11] करधान के लिए प्रावधान

क) आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22—"आय पर कर के लिए लेखांकन" के अनुसार

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-08-2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

10.2 Defined Benefit Plans

a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Banks obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Banks obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

10.3 The privilege leave is considered as a long-term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation

10.4 The cost of providing long-term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

[11] Provision for Taxation

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22—"Accounting for Taxes on Income" respectively after

विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित अधिकार क्षेत्रों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किए गए कर को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है।

- ख) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं, को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तिथि पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है।
- ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यथास्थिति अनुसार प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परिकलन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, व उनकी प्राप्तियों को यथोचित रूप से निश्चित या आभासी, जैसा भी मामला हो, माना जाता है।
- घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनावशेषित मूल्यहास और कर के नुकसान से आगे ले जाने पर तभी रखा जाता है, अगर इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में मुनाफे के प्रति प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियों को उचित निश्चितता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

[12] निवल लाभ

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

- I. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 “आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान” के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जब:-
- क) पूर्ववर्ती घटना के परिणामस्वरूप, वर्तमान में कोई बाध्यता हो।
- ख) उस बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों का बाह्य प्रवाह हो, और
- ग) बाध्यता राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।

कोई प्रावधान नहीं किया गया:

- क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप

taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

- b) Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.
- c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or Virtual certain as the case may be.
- d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

[12] Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- I. In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants Of India, the bank recognizes provision only when :
- a) It has a present obligation as a result of past event.
- b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- c) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

No provision is recognized:

- a) For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or

से बैंक के नियंत्रण में नहीं हो, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।

- ख) जहां यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य-प्रवाह बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक होगा या
- ग) जब बाध्यता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता।

ऐसी बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है तथा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियाँ जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है को छोड़कर बाध्यता के उस हिस्से को जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बाह्य प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान किया गया है।

II. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

12.2 निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात् है:

- (क) निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- (ख) कराधान के लिए प्रावधान
- (ग) अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान
- (घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- (ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- (च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदों के लिए प्रावधान

[13] प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

[14] नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है।

[15] खंड रिपोर्टिंग

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.

- b) Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- c) When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

II. Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

12.2 Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for depreciation on Investments
- (b) Provision for Taxation
- (c) Provision on Non-performing Advances
- (d) Provision on Standard Assets
- (e) Provision for Non-performing Investments.
- (f) Provision for other usual & necessary Items

[13] Earning Per Share

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS - 20 "Earnings Per Share", issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

[14] Cash Flow Statement

Cash flow Statement is reported by using indirect method.

[15] Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

अनुसूची 18

अनुसूची 18 - लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. निवेश:

यथा 31.03.2021 को "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की निवल मांग और मीयादी देयता का 19.45% था (पिछले वर्ष 16.20%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है।

2. अंतर-शाखा लेनदेन:

अंतर-शाखा/कार्यालय संव्यवहार के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग अंतर कार्यालय समाशोधन खाते के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा ही किया गया है।

3. परिसर:

परिसर में कुछ पूंजीकृत संपत्तियाँ शामिल हैं और इनके बही मूल्य ₹42.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38.60 करोड़) है, उनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के कारण इन्हें उपयोग किया जा रहा है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण :

4.1 पूंजी:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	बासेल III	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	सी ई टी 1 पूंजी अनुपात (%)	8.61	9.39
(ii)	टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.08	10.12
(iii)	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	3.10	3.53
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.18	13.65
(v)	बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	69.33	78.52
(vi)	जुटाई गई ईक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	2000.00	6571.00
(vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से,	2936.10	शून्य
	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई)	शून्य	शून्य

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. Investments:

The percentage of investments under "Held to Maturity" category - SLR as on 31.03.2021 was 19.45% of Net Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 16.20%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.

2. Inter-Branch Transactions:

The matching and setting off entries under Inter-Branch/office transactions are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

3. Premises:

Premises include certain properties capitalized and carrying book value of ₹42.67 Crore (Previous year ₹38.60 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

4. Disclosure as per RBI Requirements:

4.1 Capital:

(₹ in Crore)

	Particulars	Basel III	
		31.03.2021	31.03.2020
(i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	8.61	9.39
(ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	10.08	10.12
(iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	3.10	3.53
(iv)	Total Capital Ratio (%)	13.18	13.65
(v)	Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	69.33	78.52
(vi)	Amount of Equity Capital raised (including share premium)	2000.00	6571.00
(vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which,	2936.10	NIL
	Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL	NIL
	Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL

(viii)	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से,	शून्य	3000.00
	कर्ज पूंजी लिखत	शून्य	3000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : [बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

(viii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	NIL	3000.00
	Debt capital instrument:	NIL	3000.00
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
i. निवेश का सकल मूल्य	266134.80	178431.79
क. भारत में	262969.26	176309.57
ख. भारत से बाहर	3165.54	2122.22
ii. मूल्यहास, एनपीआई के लिए प्रावधान	4444.41	2186.85
क. भारत में	4437.46	2165.37
ख. भारत से बाहर	6.95	21.48
iii. निवेशों का निवल मूल्य	261690.39	176244.94
क. भारत में	258531.80	174144.20
ख. भारत से बाहर	3158.59	2100.74

(2) निवेशों पर मूल्यहास व एनपीआई के लिए किये गये प्रावधानों में उतार - चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
i. प्रारंभिक शेष	2186.85	2680.05
ii. ई_सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	732.54	0.00
iii. ए आर सी आई एल	1399.16	0.00
iv. जोड़ें : वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान	1527.81	1103.80
v. घटाये : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते डालना	1402.29	1597.31
vi. विनिमय में उतार-चढ़ाव	0.34	0.31
vii. इति शेष (i+ii+iii+iv-v+vi)	4444.41	2186.85

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i. Gross Value of Investments	266134.80	178431.79
a. In India	262969.26	176309.57
b. Outside India	3165.54	2122.22
ii. Provisions for Depreciation, NPI	4444.41	2186.85
a. In India	4437.46	2165.37
b. Outside India	6.95	21.48
iii. Net Value of Investments	261690.39	176244.94
a. In India	258531.80	174144.20
b. Outside India	3158.59	2100.74

(2) Movement of Provisions held towards depreciation and for NPI on Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i. Opening Balance	2186.85	2680.05
ii. Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	732.54	0.00
iii. ARCIL	1399.16	0.00
iv. Add: Provisions made during the year	1527.81	1103.80
v. Less: Write back of excess provisions during the year	1402.29	1597.31
vi. Exchange Fluctuation	0.34	0.31
vii. Closing balance (i+ii+iii+iv-v+vi)	4444.41	2186.85

4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन-

i) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य)

(₹ करोड़ में)

मर्दे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	बकाया यथा 31.03.2021
रेपो के तहत बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	32.00	5354.00	1304.69	85.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	40.00	40.00	0.11	शून्य
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.1 Repo Transactions-

i) Repo Transactions (Face Value)

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2021
Securities sold under repo				
i) Government Securities	32.00	5354.00	1304.69	85.00
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	40.00	40.00	0.11	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

ii) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य) – भारतीय रिज़र्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो

(₹ करोड़ में)

मर्दे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	बकाया यथा 31.03.2021
रेपो के तहत बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	2317.38	5827.87	3725.73	2317.38
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	222.25	427.04	329.98	222.25
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	297.55	48609.96	13159.93	48609.96
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) Repo Transactions (Face Value) - RBI REPO & REVERSE REPO

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2021
Securities sold under repo				
i) Government Securities	2317.38	5827.87	3725.73	2317.38
ii) Corporate Debt Securities	222.25	427.04	329.98	222.25
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	297.55	48609.96	13159.93	48609.96
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

4.2.2 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग:

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश का जारीकर्ता विन्यास:

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	"कम निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	4218.89	1440.66	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	6874.72	6420.77	395.48	0.00	0.00
(iii)	बैंक	1036.69	290.65	625.38	0.00	0.00
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	7081.20	2682.48	883.10	0.00	0.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	954.87	913.70	0.00	0.00	843.69
(vi)	अन्य	5156.94	3771.74	0.00	0.00	0.00
(vii)	घटाएं : मूल्यहास के लिए प्रावधान	4444.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	20878.90	15520.00	1903.96	0.00	843.69

उपरोक्त कॉलम 4,5,6 व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non-SLR Investments:

(₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	4218.89	1440.66	0.00	0.00	0.00
(ii)	FIs	6874.72	6420.77	395.48	0.00	0.00
(iii)	Banks	1036.69	290.65	625.38	0.00	0.00
(iv)	Private Corporate	7081.20	2682.48	883.10	0.00	0.00
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	954.87	913.70	0.00	0.00	843.69
(vi)	Others	5156.94	3771.74	0.00	0.00	0.00
(vii)	Less: Provision held towards depreciation	4444.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	20878.90	15520.00	1903.96	0.00	843.69

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	2417.27	2015.13
ई-सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	1279.94	0.00
1 अप्रैल 2020 के बाद वर्ष के दौरान जोड़	1081.67	728.85
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	595.20	330.57
एक्सचेंज अस्थिरता	1.25	3.86
इति शेष	4184.93	2417.27
धारित कुल प्रावधान	3067.65	2176.82

ii) Non-Performing Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance	2417.27	2015.13
Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	1279.94	0.00
Additions during the year since 1 st April 2020	1081.67	728.85
Reductions during the above period	595.20	330.57
Exchange Fluctuation	1.25	3.86
Closing balance	4184.93	2417.27
Total Provisions held	3067.65	2176.82

4.2.3 एचटीएम वर्ग को / से बिक्री और अंतरण:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री की जो एचटीएम वर्ग के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है। (पिछले वर्ष में, बिक्री एचटीएम वर्ग के 5% से अधिक नहीं हुई है)।

4.2.3 Sale and transfers to / from HTM Category:

During the Financial Year 2020-21, the Bank sold securities from HTM category are not in excess of 5% of the book value of HTM category. (In the previous year, the sale has not exceeded 5% of HTM category).

4.3 व्युत्पत्ती:

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
i. विनिमय करार का कल्पित मूलधन	8711.00	8966.76
ii. करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर होनेवाली क्षति	153.80	70.96
iii. विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	0.00	0.00
iv. विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेद्रण	0.00	0.00
v. विनिमय बही का उचित मूल्य	153.80	70.96

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i. The notional principal of swap agreements	8711.00	8966.76
ii. Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	153.80	70.96
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v. The fair value of the swap book	153.80	70.96

4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मर्दे	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार)	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च 2021 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	0.00
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	0.00
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाज़ार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार)	0.00

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives :

(₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (Instrument Wise)	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2021 (instrument- wise)	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण :

I गुणात्मक प्रकटीकरण

बचाव व्यवस्था / व्यापार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित है।

क) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में निश्चित ब्याज दर, शून्य कूपन और फ्लोटिंग ब्याज दरों जैसी विशेषताओं के साथ संपत्ति होती है और ब्याज दर जोखिम के अधीन होती है। बैंक ने टियर I और टियर II बॉन्ड भी जारी किए हैं और यह पूंजीगत लागत बिना किसी निकास विकल्प के तय दर पर है। पॉलिसी इस देयता पर ब्याज दर जोखिम का बचाव करने की अनुमति देती है।

बैंक को एफआरए और आईआरएस का उपयोग करने की अनुमति है और केवल सादा लेनदेन की अनुमति है। इन उपकरणों का उपयोग न केवल निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, बल्कि बाज़ार निर्माण के लिए भी किया जाता है।

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I Qualitative Disclosure

The Credit Risk Management Policy approved by the Board of Directors, on the use of Derivative Instruments to hedge / trade is in place.

A) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has issued Tier I and Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के तहत आईआरएस में व्युत्पन्न ट्रेड नहीं किए हैं।

वर्ष के दौरान खरीद-बिक्री स्वैप (स्वामित्व) किए गए थे। वर्ष के दौरान कोई एफआरए नहीं लिया गया।

बैंक की विदेशी मुद्रा देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से, आईआरएस और एफआरए जैसे व्युत्पन्नी ट्रेडों का उपयोग किया गया है। बैंक टू बैंक आधार पर ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप भी किए जाते हैं।

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि स्थापित हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में बकाया व्युत्पन्नी सौदों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निगरानी पखवाड़े के आधार पर की जाती है।

ग) लेखांकन नीति:

बचाव की स्थिति:

- ब्याज व्यय / आईआरएस पर आय के कारण उपचय को व्यय / आय के रूप में लेखांकित व मान्य किया जाएगा।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य की गणना के लिए बैंक ने प्रासंगिक आईएनबीएमके उपज+ स्प्रेड का उपयोग किया है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति:

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वैप को बाजार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को लेखांकित किया जाता है और व्यय / आय के रूप में और माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

During the year the bank has not undertaken derivative trades in IRS under the investment portfolio.

Buy-Sell Swaps (Proprietary) were undertaken during the year. No FRAs were undertaken during the year.

The Bank has been undertaking derivatives trades like IRS and FRAs, for the purpose of hedging the Bank's Foreign Currency liabilities. Options and swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis.

B) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS / Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset / liability on fortnightly basis.

C) Accounting Policy:

Hedge Positions:

- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as expenses / Income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivatives deals are monitored in relation to the fair value of the Swap and underlying asset / liability. The Bank has used the relevant INBMK yield + Spread as declared by FIMMDA for arriving at the fair value of the underlying assets / liability. If the Hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such dates are accounted as income / expenses under interest paid / received on IRS.

Trading Positions:

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as income / expenses.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	व्युत्पन्नी (कल्पित मूलधन राशि)				
	- बचाव व्यवस्था	171.94	3965.15	8711.00#	8966.76#
	- ट्रेडिंग	7062.10*	3002.86*	शून्य	शून्य
2	बाजार स्थितियों को अंकित				
	- आस्तियाँ (+)	6.82	180.78	शून्य	70.96
	- देयताएँ (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	ऋण जोखिम	शून्य	शून्य	73.11	75.67
		घरेलू		समुद्रपारीय	
		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव [100*पीवी01]				
	- व्युत्पन्नी बचाव व्यवस्था पर	शून्य	0.41	शून्य	शून्य
	- व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01				
	- व्युत्पन्नी बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	वायदा संविदा [100*पीवी01] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव: ₹4.06 लाख (पिछले वर्ष: ₹2.147 लाख)				

* एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में बकाया मुद्रा भविष्य

केवल हेजिंग उद्देश्य के लिए ओवरनाईट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) की बकाया राशि ₹1400 करोड़।

II Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

Sl No	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Derivatives (Notional principal amount)				
	- Hedging	171.94	3965.15	8711.00#	8966.76#
	- Trading	7062.10*	3002.86*	NIL	NIL
2	Marked to Market positions				
	- Assets (+)	6.82	180.78	NIL	70.96
	- Liabilities (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
3	Credit Exposure	NIL	NIL	73.11	75.67
		Domestic		Overseas	
		Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]				
	- on hedging derivatives	NIL	0.41	NIL	NIL
	- on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.				
	- on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	- on trading	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: ₹4.06 Lacs (Previous Year: ₹2.147 Lacs)				

*Currency Futures outstanding in NSE, BSE and MCX

#Outstanding amount of overnight index swap (OIS) ₹1400 Cr for hedging purpose only.

4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियां:

(₹ करोड़ में)

मर्दे		31.03.2021	31.03.2020
(i)	निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	3.82	4.22
(ii)	एनपीए का उतार- चढ़ाव (सकल)		
क.	प्रारंभिक शेष	37041.15	39224.12
	ई-सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	24085.85	--
ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	17885.00	15044.75
ग.	वर्ष के दौरान कमी / विनिमय में उतार-चढ़ाव	18724.00	17227.72
घ.	इति शेष	60288.00	37041.15
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
क.	प्रारंभिक शेष	18250.95	22955.11
	ई-सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	8504.05	--
ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	7017.00	1788.17
ग.	वर्ष के दौरान कमी / विनिमय में उतार-चढ़ाव	9330.00	6492.33
घ.	इति शेष	24442.00	18250.95
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
क.	प्रारंभिक शेष	18572.48	16047.77
	ई-सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	15280.03	--
ख.	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	10990.83	11965.94
ग.	अधिक प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / वापस करना	9393.59	9441.23
घ.	इति शेष	35449.75	18572.48

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2021	31.03.2020
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	3.82	4.22
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
a.	Opening balance	37041.15	39224.12
	Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	24085.85	--
b.	Additions during the year	17885.00	15044.75
c.	Reductions during the year / Exchange fluctuation	18724.00	17227.72
d.	Closing balance	60288.00	37041.15
(iii)	Movement of Net NPAs		
a.	Opening balance	18250.95	22955.11
	Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	8504.05	--
b.	Additions during the year	7017.00	1788.17
c.	Reductions during the year / Exchange fluctuation	9330.00	6492.33
d.	Closing balance	24442.00	18250.95
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
a.	Opening balance	18572.48	16047.77
	Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	15280.03	--
b.	Provisions made during the year	10990.83	11965.94
c.	Write off / Write back of excess provision	9393.59	9441.23
d.	Closing balance	35449.75	18572.48

4.4.2 पुनर्संचित खातों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2021 को पुनर्संचित खातों का प्रकटन												
क्र. सं.	विवरण		सीडीआर					एसएमई				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वि.व. के अप्रैल 1 को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	19	17	37	121964	13073	1276	318	136631
		राशि	311.20	0.00	1958.58	2890.49	5160.27	3832.74	693.86	644.51	266.42	5437.53
		प्रावधान राशि	10.89	0.00	2219.45	2890.49	5120.83	191.64	110.13	530.73	248.87	1081.37
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संचित	उधारकर्ताओं की संख्या	32	18	1	0	51.00	54144	6575	1110	43	61872.00
		राशि	21.34	62.99	43.61	0.06	128.00	3535.58	551.87	84.82	12.86	4185.13
		प्रावधान राशि	0.13	0.31	38.65	0.06	39.15	300.57	140.19	64.57	12.72	518.05
3	वि.व. के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	2411	-2380	-25	-6	0
		राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.68	-86.18	-1.34	-0.16	0.00
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	-4.24	-0.10	-0.04	0.00
4	वे पुनर्संचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अतः अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0.00	20890	0	0	0	20890
		राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.32	0.00	0.00	0.00	563.32
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00	28.17
5	वि.व. के दौरान पुनर्संचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-7	7	0.00	-16946	8533	7533	880	0.00
		राशि	0.00	0.00	-568.54	568.54	0.00	-858.14	362.66	385.19	110.29	0.00
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	-568.54	568.54	0.00	-187.02	-10.89	88.66	109.25	0.00
6	वि.व. के दौरान पुनर्संचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0.00	17913	1873	137	43	19966.00
		राशि	18.65	61.03	228.86	33.64	342.18	860.11	218.53	92.72	20.66	1192.02
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	184.46	33.64	218.10	22.67	23.87	56.51	20.46	123.51
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	33	18	13	24	88.00	122770	23928	9757	1192	157647.00
		राशि	313.89	1.96	1204.79	3425.45	4946.09	5174.43	1303.68	1020.46	368.75	7867.32
		प्रावधान राशि	11.02	0.31	1505.10	3425.45	4941.88	258.73	211.32	627.35	350.34	1447.74

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2021												
S.N	Details		CDR					SME				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
1	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	1	0	19	17	37	121964	13073	1276	318	136631
		AMOUNT	311.20	0.00	1958.58	2890.49	5160.27	3832.74	693.86	644.51	266.42	5437.53
		PROVISION AMOUNT	10.89	0.00	2219.45	2890.49	5120.83	191.64	110.13	530.73	248.87	1081.37
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO. OF BORROWERS	32	18	1	0	51.00	54144	6575	1110	43	61872.00
		AMOUNT	21.34	62.99	43.61	0.06	128.00	3535.58	551.87	84.82	12.86	4185.13
		PROVISION AMOUNT	0.13	0.31	38.65	0.06	39.15	300.57	140.19	64.57	12.72	518.05
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	2411	-2380	-25	-6	0
		AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.68	-86.18	-1.34	-0.16	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	-4.24	-0.10	-0.04	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0.00	20890	0	0	0	20890
		AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.32	0.00	0.00	0.00	563.32
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00	28.17
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	0	-7	7	0.00	-16946	8533	7533	880	0.00
		AMOUNT	0.00	0.00	-568.54	568.54	0.00	-858.14	362.66	385.19	110.29	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	-568.54	568.54	0.00	-187.02	-10.89	88.66	109.25	0.00
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0.00	17913	1873	137	43	19966.00
		AMOUNT	18.65	61.03	228.86	33.64	342.18	860.11	218.53	92.72	20.66	1192.02
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	184.46	33.64	218.10	22.67	23.87	56.51	20.46	123.51
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	33	18	13	24	88.00	122770	23928	9757	1192	157647.00
		AMOUNT	313.89	1.96	1204.79	3425.45	4946.09	5174.43	1303.68	1020.46	368.75	7867.32
		PROVISION AMOUNT	11.02	0.31	1505.10	3425.45	4941.88	258.73	211.32	627.35	350.34	1447.74

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2021 को पुनर्संचित खातों का प्रकटन

यथा 31.03.2021 को पुनर्संचित खातों का प्रकटन												
क्र. सं.	विवरण		अन्य					कुल				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वि.व. के अप्रैल 1 को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	191883	619	1255	329	194086	313848	13692	2550	664	330754
		राशि	6965.11	248.06	2917.80	1385.44	11516.41	11109.05	941.92	5520.89	4542.35	22114.21
		प्रावधान राशि	348.12	41.34	2564.73	1378.89	4333.08	550.65	151.47	5314.91	4518.25	10535.28
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संचित	उधारकर्ताओं की संख्या	19947	615	940	9	21511.00	74123.00	7208.00	2051.00	52.00	83434.00
		राशि	1987.85	179.47	1554.10	4.19	3725.61	5544.77	794.33	1682.53	17.11	8038.74
		प्रावधान राशि	113.78	53.93	306.69	0.90	475.30	414.48	194.43	409.91	13.68	1032.50
3	वि.व. के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	56	-51	-3	-2	0	2467.00	-2431.00	-28.00	-8.00	0.00
		राशि	220.58	-24.30	-195.45	-0.83	0.00	308.26	-110.48	-10.38	-0.99	186.41
		प्रावधान राशि	11.03	-1.21	-9.04	-0.78	0.00	15.41	-5.45	-9.14	-0.82	0.00
4	वे पुनर्संचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अतः अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	136734	0	0	0	136734	157624.00	0.00	0.00	0.00	157624.00
		राशि	3731.37	0.00	0.00	0.00	3731.37	4294.69	0.00	0.00	0.00	4294.69
		प्रावधान राशि	186.57	0.00	0.00	0.00	186.57	214.74	0.00	0.00	0.00	214.74
5	वि.व. के दौरान पुनर्संचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-209	-155	166	198	0	-17155.00	8378.00	7692.00	1085.00	0.00
		राशि	-156.34	16.61	-24.14	163.87	0.00	-1014.48	379.27	-207.49	842.70	0.00
		प्रावधान राशि	-24.96	-40.82	-97.80	163.58	0.00	-211.98	-51.71	-577.68	841.37	0.00
6	वि.व. के दौरान पुनर्संचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की संख्या	19619	199	162	91	20071	37532.00	2072.00	299.00	134.00	40037.00
		राशि	1278.83	129.24	1623.26	101.63	3132.96	2157.59	408.80	1944.84	155.93	4667.16
		प्रावधान राशि	60.31	7.67	245.83	98.31	412.12	82.98	31.54	486.80	152.41	753.73
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	55324	829	2196	443	58792	178127.00	24775.00	11966.00	1659.00	216527.00
		राशि	4007.00	290.60	2629.05	1451.04	8377.69	9495.32	1596.24	4854.30	5245.24	21191.10
		प्रावधान राशि	201.09	45.57	2518.75	1444.28	4209.69	470.84	257.20	4651.20	5220.07	10599.31

(₹ in Crore)

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2021

S.N	Details		OTHERS					TOTAL				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
1	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	191883	619	1255	329	194086	313848	13692	2550	664	330754
		AMOUNT	6965.11	248.06	2917.80	1385.44	11516.41	11109.05	941.92	5520.89	4542.35	22114.21
		PROVISION AMOUNT	348.12	41.34	2564.73	1378.89	4333.08	550.65	151.47	5314.91	4518.25	10535.28
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO. OF BORROWERS	19947	615	940	9	21511.00	74123.00	7208.00	2051.00	52.00	83434.00
		AMOUNT	1987.85	179.47	1554.10	4.19	3725.61	5544.77	794.33	1682.53	17.11	8038.74
		PROVISION AMOUNT	113.78	53.93	306.69	0.90	475.30	414.48	194.43	409.91	13.68	1032.50
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	56	-51	-3	-2	0	2467.00	-2431.00	-28.00	-8.00	0.00
		AMOUNT	220.58	-24.30	-195.45	-0.83	0.00	308.26	-110.48	-10.38	-0.99	186.41
		PROVISION AMOUNT	11.03	-1.21	-9.04	-0.78	0.00	15.41	-5.45	-9.14	-0.82	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO. OF BORROWERS	136734	0	0	0	136734	157624.00	0.00	0.00	0.00	157624.00
		AMOUNT	3731.37	0.00	0.00	0.00	3731.37	4294.69	0.00	0.00	0.00	4294.69
		PROVISION AMOUNT	186.57	0.00	0.00	0.00	186.57	214.74	0.00	0.00	0.00	214.74
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	-209	-155	166	198	0	-17155.00	8378.00	7692.00	1085.00	0.00
		AMOUNT	-156.34	16.61	-24.14	163.87	0.00	-1014.48	379.27	-207.49	842.70	0.00
		PROVISION AMOUNT	-24.96	-40.82	-97.80	163.58	0.00	-211.98	-51.71	-577.68	841.37	0.00
6	WRITE OFFS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	19619	199	162	91	20071	37532.00	2072.00	299.00	134.00	40037.00
		AMOUNT	1278.83	129.24	1623.26	101.63	3132.96	2157.59	408.80	1944.84	155.93	4667.16
		PROVISION AMOUNT	60.31	7.67	245.83	98.31	412.12	82.98	31.54	486.80	152.41	753.73
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	55324	829	2196	443	58792	178127.00	24775.00	11966.00	1659.00	216527.00
		AMOUNT	4007.00	290.60	2629.05	1451.04	8377.69	9495.32	1596.24	4854.30	5245.24	21191.10
		PROVISION AMOUNT	201.09	45.57	2518.75	1444.28	4209.69	470.84	257.20	4651.20	5220.07	10599.31

4.4.3 आस्ति पुनःसंरचना के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

अ. बिक्री का विवरण:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
i. खातों की संख्या	0.00	0.00
ii. एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	0.00	0.00
iii. समग्र प्रतिफल	0.00	0.00
iv. पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v. निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	0.00	0.00

ख. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य का विवरण:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
i. अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	2705.86	1924.10
ii. अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	2705.86	1924.10

प्रतिभूति रसीदों के प्रति बैंक के पास ₹1519.59 करोड़ का प्रावधान है। (पिछले वर्ष ₹955.42 करोड़)

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

A. Details of Sales

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i. No. of accounts	0.00	0.00
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	0.00	0.00
iii. Aggregate consideration	0.00	0.00
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v. Aggregate Gain over Net Book Value	0.00	0.00

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i. Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2705.86	1924.10
ii. Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	Nil	Nil
Total	2705.86	1924.10

Bank is holding provision of ₹1519.59 Crore on account of Security Receipts. (Previous year ₹955.42 Crore)

ग. सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश का विवरण (₹ करोड़ में)

मदें	गत 5 वर्षों के दौरान जारी किए गए एसआर	गत 5 वर्षों से पूर्व लेकिन 8 वर्षों के दौरान जारी किए गए एसआर	गत 8 वर्ष से पूर्व जारी किए गए एसआर
i. बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर की बुक वैल्यू अतर्निहित है	463.00	2220.91	21.95
(i) के खिलाफ आयोजित प्रावधान	70.01	1589.53	21.95
ii. अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर की बही मूल्य अतर्निहित है	--	--	--
(ii) के खिलाफ आयोजित प्रावधान	--	--	--
कुल (i)+(ii)	70.01	1589.53	21.95

C. Details of Investments in Security Receipts (₹ In Crore)

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i. Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	463.00	2220.91	21.95
Provision held against (i)	70.01	1589.53	21.95
ii. Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	--	--	--
Provision held against (ii)	--	--	--
Total (i) + (ii)	70.01	1589.53	21.95

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
1. क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख. समग्र प्रतिफल	शून्य	शून्य
2. क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1. a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
b. Aggregate consideration	Nil	Nil
2. a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
1. बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त समग्र प्रतिफल	शून्य	शून्य

4.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
मानक आस्तियों पर प्रावधान	3108.33	2201.90

4.4.6 आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण में विचलन:

आरबीआई के परिपत्र सं डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32 / 21.04.018 / 2018-19 दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार, बैंकों को परिसंपत्ति वर्गीकरण में भिन्नता का खुलासा करना आवश्यक है और वित्तीय विवरणों के लिए उनके खाते के नोटों में आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रावधान करना है जहाँ भी निम्न स्थितियों में से एक या दोनों पालन कर रहे हैं:

- (क) संदर्भित अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान आरबीआई द्वारा सूचित लाभ का 10 प्रतिशत से अधिक है और
- (ख) आरबीआई द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए का 15 प्रतिशत से अधिक है।

हमारे बैंक में भिन्नताएं ऊपर निर्दिष्ट सीमा सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2020 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान पर कोई खुलासा आवश्यक नहीं है।

B. Details of non-performing financial assets sold

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1. No. of accounts sold	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received	Nil	Nil

4.4.5 Provisions on Standard Asset:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Provisions towards Standard Assets	3108.33	2201.90

4.4.6 Divergence in the asset classification and provisioning:

In terms of the RBI circular no. DBR.BP.BC.No.32 / 21.04.018 / 2018-19 dated 1st April 2019, banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied

- (a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and
- (b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

In our Bank divergences are within threshold limit specified above, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2020.

4.4.7 31.03.2021 तक दबावग्रस्त आस्तियों के सतत पुनर्गठन हेतु योजना:

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू है	समग्र बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या - 04	439.59	227.55	212.04	105.89
एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या - 05	1490.42	774.21	716.21	704.59

4.4.7 Scheme for sustainable structuring of Stressed assets as on 31.03.2021:

(₹ in crore)

No of Accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard No of Accounts - 04	439.59	227.55	212.04	105.89
Classified as NPA No. of Accounts - 05	1490.42	774.21	716.21	704.59

4.4.8 मौजूदा ऋणों के लचीले पुनर्संरचना संबंधी प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये उधारकर्ताओं की संख्या	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पहले	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
पिछला वित्तीय वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्तमान वित्तीय वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.8 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans:

(₹ in crore)

Period	No. of Borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Current Financial Year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.4.9 सामरिक कर्ज पुनर्गठन योजना पर प्रकटन

(खाते, जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जहाँ एसडीआर का सहारा लिया गया है	रिपोर्टिंग तिथि पर अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन हुआ है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.9 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme

(accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.4.10 एसडीआर योजना से बाहर के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन

(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	यथा रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जिनमें कर्ज का इक्विटी / इक्विटी शेयर के गिरवी को लागू करने में परिवर्तन लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जिनमें कर्ज का इक्विटी / इक्विटी शेयर के गिरवी को लागू करने में परिवर्तन हुआ है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करके या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री कर स्वामित्व में बदलाव की परिकल्पना की गई है,	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.10 Disclosures on change in Ownership outside SDR Scheme

(accounts which are currently under the stand still period)

(₹ in crore)

No. of accounts where Banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.4.11 कार्यान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के तहत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.11 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation
(accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
Nil	Nil	Nil	Nil

4.4.12 एमएसएमई खातों का पुनर्गठन:

आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18 / 21.04.048 / 2018-19, दिनांक 1 जनवरी 2019 और डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.4.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020 तथा डीओआर.सं.बीपी.बीसी./4/21.4.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 के अनुसार, एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत या तो छूट देकर या वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत करने हेतु एमएसएमई पुनर्गठन खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि
1,53,327	4862.11

4.4.12 MSME Accounts Restructured :

In accordance with RBI circular no. DBR.No.BP. BC.18 / 21.04.048 / 2018-19 dated 1st January 2019, DOR.No.BP.BC.34 / 21.4.048 / 2019-20 dated 11th February 2020 and DOR.No.BP.BC / 4 / 21.04.048/2020-21 dated 6th August 2020, on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Service Tax (GST)" the details of MSME restructured accounts are as below:

(₹ in crore)

No. of accounts restructured	Amount
1,53,327	4862.11

4.4.13 स्ट्रेस्ड एसेट्स के रिजॉल्यूशन के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर प्रकटीकरण

"तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढाँचे पर आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई / 2018-19 / 2013 डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 45 / 21.04.048 / 2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव"।

(₹ करोड़ में)

	आरबीआई परिपत्र से प्रभावित निधि आधारित ऋण	आरबीआई परिपत्र से प्रभावित गैर निधि आधारित ऋण	आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित निवेश	समयसीमा के भीतर लागू की गई संकल्प योजना (आरपी) (एफबी+आईएनबी)	समयसीमा के भीतर लागू नहीं की गई संकल्प योजना (आरपी) (31.03.2021 को शेष राशि)	आरबीआई परिपत्र के अनुसार लागू नहीं किए गए आरपी पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान
खातों की संख्या	31	10	8	11	20	16
राशि	10571.74	3597.25	676.20	4469.04	10376.15	2249.36

4.4.13 Disclosure on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets

The impact of RBI vide circular no. RBI / 2018-19 / 2013 DBR.No.BP.BC.45 / 21.04.048 / 2018-19 dated 07.06.2019 on "Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets".

(₹ in crore)

	Fund Based Loans impacted by RBI circular	Non-Fund Based Loans impacted by RBI circular	Investments impacted by RBI circular	Resolution Plan (RP) implemented within timeline (FB+INV)	Resolution Plan (RP) not implemented within timeline (Balance as on 31.03.2021)	Additional Provision required on RP not implemented as per RBI circular
No. of Accounts	31	10	8	11	20	16
Amount	10571.74	3597.25	676.20	4469.04	10376.15	2249.36

4.5 कारोबार संबंधी अनुपात:

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
i. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	6.26	6.99
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	1.38	1.12
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.81	1.34
iv. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.23	(0.32)
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलाकर) [₹ करोड़ में]	18.14	17.63
vi. प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ में]	0.03	(0.04)

4.5 Business Ratios:

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i. Interest income as a percentage to Working Funds (%)	6.26	6.99
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.38	1.12
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.81	1.34
iv. Return on Assets (%)	0.23	(0.32)
v. Business (Deposits plus Advances) per employee [₹ in Crore]	18.14	17.63
vi. Profit per employee (₹ in Crore)	0.03	(0.04)

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप:

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	9808.41 (5811.96)	20992.98 (26077.84)	889.15 (44.72)	158.88 (0.00)	8350.57 (2630.87)	5282.66 (79.37)
2 से 7 दिनों तक	34542.58 (22275.52)	5115.76 (11169.71)	0.00 (0.00)	84.84 (4549.36)	12227.80 (2623.21)	16657.70 (4620.81)
8 से 14 दिनों तक	18361.24 (35118.38)	7095.27 (7723.57)	15.00 (407.16)	140.32 (11.42)	1387.00 (2083.59)	908.96 (1589.65)
15 से 30 दिनों तक	88189.34 (16599.00)	87038.72 (19825.07)	958.14 (1487.17)	0.00 (1565.72)	6149.06 (9201.30)	2196.68 (3409.60)
31 दिनों से 2 महीने तक	27287.79 (20163.25)	8997.71 (15823.85)	298.56 (3835.44)	3299.20 (1546.33)	5773.24 (7589.70)	5386.25 (4853.00)
2 महीने से 3 महीने तक	32485.68 (26877.57)	19748.70 (20727.08)	1122.34 (6663.79)	764.91 (521.59)	7875.48 (5074.17)	4533.72 (2810.12)
3 महीने से 6 महीने तक	78071.31 (45787.71)	33046.86 (33583.03)	3903.43 (9221.71)	2561.43 (2106.10)	10137.65 (2579.09)	4325.53 (1932.34)
6 महीने से 1 वर्ष तक	169792.87 (114492.45)	48942.27 (60282.36)	23935.25 (14915.86)	4994.48 (2540.59)	13134.11 (6201.65)	4882.89 (4160.97)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	370112.23 (291706.20)	168573.30 (85922.09)	21713.89 (13966.65)	21720.03 (10921.19)	9629.40 (2393.10)	403.11 (415.03)
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	62549.76 (25798.97)	98398.70 (56917.25)	25831.35 (8017.47)	9759.47 (8099.47)	3354.43 (5594.42)	3136.02 (2.65)
5 वर्षों से अधिक	119673.37 (20720.16)	141098.72 (94123.35)	183023.28 (117684.97)	6500.00 (10900.00)	5270.34 (3610.01)	251.12 (2241.67)
कुल	1010874.58 (625351.17)	639048.99 (432175.20)	261690.39 (176244.94)	49983.56 (42761.77)	83289.08 (49581.11)	47964.64 (26115.21)

(पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं)

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	9808.41 (5811.96)	20992.98 (26077.84)	889.15 (44.72)	158.88 (0.00)	8350.57 (2630.87)	5282.66 (79.37)
2 to 7 days	34542.58 (22275.52)	5115.76 (11169.71)	0.00 (0.00)	84.84 (4549.36)	12227.80 (2623.21)	16657.70 (4620.81)
8 to 14 days	18361.24 (35118.38)	7095.27 (7723.57)	15.00 (407.16)	140.32 (11.42)	1387.00 (2083.59)	908.96 (1589.65)
15 to 30 days	88189.34 (16599.00)	87038.72 (19825.07)	958.14 (1487.17)	0.00 (1565.72)	6149.06 (9201.30)	2196.68 (3409.60)
31 days to 2 months	27287.79 (20163.25)	8997.71 (15823.85)	298.56 (3835.44)	3299.20 (1546.33)	5773.24 (7589.70)	5386.25 (4853.00)
Over 2 months to 3 months	32485.68 (26877.57)	19748.70 (20727.08)	1122.34 (6663.79)	764.91 (521.59)	7875.48 (5074.17)	4533.72 (2810.12)
Over 3 months to 6 months	78071.31 (45787.71)	33046.86 (33583.03)	3903.43 (9221.71)	2561.43 (2106.10)	10137.65 (2579.09)	4325.53 (1932.34)
Over 6 months to 1 year	169792.87 (114492.45)	48942.27 (60282.36)	23935.25 (14915.86)	4994.48 (2540.59)	13134.11 (6201.65)	4882.89 (4160.97)
Over 1 year to 3 years	370112.23 (291706.20)	168573.30 (85922.09)	21713.89 (13966.65)	21720.03 (10921.19)	9629.40 (2393.10)	403.11 (415.03)
Over 3 years to 5 years	62549.76 (25798.97)	98398.70 (56917.25)	25831.35 (8017.47)	9759.47 (8099.47)	3354.43 (5594.42)	3136.02 (2.65)
Over 5 years	119673.37 (20720.16)	141098.72 (94123.35)	183023.28 (117684.97)	6500.00 (10900.00)	5270.34 (3610.01)	251.12 (2241.67)
Total	1010874.58 (625351.17)	639048.99 (432175.20)	261690.39 (176244.94)	49983.56 (42761.77)	83289.08 (49581.11)	47964.64 (26115.21)

(Figures in brackets relate to previous year)

4.7 ऋण जोखिम:

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2021	31.03.2020
क) प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	82112.74	49946.28
(i) आवासीय बंधक	65519.71	39563.95
- आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिए गए हैं।		
- जिनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है	35874.22	17170.16
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	16467.74	10268.60
- वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं।		
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	125.29	113.73
क. आवासीय	94.12	94.12
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	31.17	19.61
ख) अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	35965.30	23575.19
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	35965.30	23575.19
स्थायर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम (क+ख)	118078.04	73521.47

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

(₹ in Crore)

Category	31.03.2021	31.03.2020
a) Direct Exposure	82112.74	49946.28
(i) Residential Mortgages – lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	65519.71	39563.95
- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	35874.22	17170.16
(ii) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.	16467.74	10268.60
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	125.29	113.73
a. Residential	94.12	94.12
b. Commercial Real Estate	31.17	19.61
b) Indirect Exposure	35965.30	23575.19
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	35965.30	23575.19
Total Exposure to Real Estate Sector (a + b)	118078.04	73521.47

4.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2021	31.03.2020
i. ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत रूप से नैगम ऋण में निविष्ट नहीं की गई	1928.05	1851.55
ii. शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आई-पीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम	1.55	0.00
iii. किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	5.00	1.23
iv. अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनियों की संपाश्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनियों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती।	0.00	0.00
v. स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	531.73	418.22
vi. स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अशंदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तिया कापॉरेटों को स्वीकृत अग्रिम।	0.00	0.00
vii. प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इश्युओं के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण।	0.00	0.00
viii. शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनियों के आरंभिक इश्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें।	0.00	0.00
ix. मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	0.00	0.00
x. वेंचर पूंजी निधियों में सारे जोखिम (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	891.43	810.05
पूंजी बाजार की कुल ऋण जोखिम	3357.76	3081.05

4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2021	31.03.2020
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1928.05	1851.55
ii.	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	1.55	0.00
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	5.00	1.23
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
v.	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	531.73	418.22
vi.	Loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	0.00	0.00
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	0.00	0.00
ix.	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	891.43	810.05
Total Exposure to Capital Market		3357.76	3081.05

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश की ऋण जोखिम:

केवल ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2021 तक, यूएसए (कम जोखिम) व यू के (कम जोखिम) का शुद्ध निधि आधारित एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्तियों के 1% से अधिक था। (31.03.2021 तक कुल संपत्ति का 1% - ₹11536.75 करोड़)।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2021 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2021 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2020 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2020 को धारित प्रावधान
नगण्य	18443.02	0.00	11254.36	0.00
कम	59562.41	29.49	15444.69	10.25
सामान्य	3156.17	0.00	641.59	0.00
उच्च	0.07	0.00	151.33	0.00
बहुत ज्यादा	210.50	0.00	75.12	0.00
प्रतिबंधित	0.00	0.00	0.22	0.00
ऑफ- क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	81372.17	29.49	27567.31	10.25

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

Only in respect of the Country where a Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2021, the Net funded exposure of USA (Low Risk) and U.K. (Low Risk) has exceeded 1% of the total assets of the Bank (1% of the total assets as on 31.03.2021- ₹11536.75Crore).

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2021	Provision held as at 31.03.2021	Exposure (net) as at 31.03.2020	Provision held as at 31.03.2020
Insignificant	18443.02	0.00	11254.36	0.00
Low	59562.41	29.49	15444.69	10.25
Moderate	3156.17	0.00	641.59	0.00
High	0.07	0.00	151.33	0.00
Very High	210.50	0.00	75.12	0.00
Restricted	0.00	0.00	0.22	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	81372.17	29.49	27567.31	10.25

4.7.4 बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण:

बैंक ने एकल उधारकर्ता खातों और समूह उधारकर्ता खातों के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा को पार नहीं किया है।

4.7.5 गैर जमानती अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2021	31.03.2020
i) संपाश्निक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि	5775.63	4610.43
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	2637.11	3171.30

4.8 विविध:

4.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि:

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2021	31.03.2020
आयकर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	1149.64	480.15

4.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, हमारे बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

4.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for Single Borrower accounts and Group Borrower accounts.

4.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i) Out of Total Unsecured Advances, Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	5775.63	4610.43
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	2637.11	3171.30

4.8. Miscellaneous:

4.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Provision for Income Tax (including Deferred tax)	1149.64	480.15

4.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the financial year 2020-21, no penalties have been imposed on our Bank by Reserve Bank of India under Section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949 and Payment & Settlement Systems Act, 2007.

5. लेखांकन मानदंड:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

5.1 लेखांकन मानदंड 5 - निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

5.1.1 इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं।

5.2 लेखांकन मानदंड 15 - कर्मचारी हितलाभ:

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15 (संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढोत्तरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में ह्रास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- अस्वस्थता अवकाश के लिए लेखा-बही में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं।

5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

5.1 Accounting Standard 5 - Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

5.1.1 There are no material prior period items.

5.2 Accounting Standard 15 - Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation.

मूल बीमांकिक अनुमान:

मर्दे	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
रियायती दर	6.82%	6.56%	6.82%
पूँजी पर प्रत्याशित रिटर्न	6.82%	7.72%	--
वेतन में बढोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
पेंशन में बढोत्तरी	--	2.00%	--
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08) युएलटी	आईएएलएम (2006-08) युएलटी	आईएएलएम (2006-08) युएलटी

Principal Actuarial Assumptions

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Discount Rate	6.82%	6.56%	6.82%
Expected Return on Capital	6.82%	7.72%	--
Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
Pension Escalation	--	2.00%	--
Mortality	IALM (2006-08) ULT	IALM (2006-08) ULT	IALM (2006-08) ULT

बाध्यताएं तथा आस्तियों में 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क. परिभाषीकृत बाध्यता लाभ में परिवर्तन (डीबीओ)	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
1 वर्ष की शुरुआत में डीबीओ	1893.54	1950.68	14260.48	12817.69	1264.25	1135.17
(जोड़ें- अधिग्रहण का समायोजन)	1107.78	--	9153.78	--	660.59	--
2 सेवा लागत	221.35	102.35	2608.70	910.71	491.83	68.55
3 ब्याज लागत	176.03	127.11	1446.21	870.96	124.06	72.31
4 विगत सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
5 बीमाकिक हानियाँ / (लाभ)	473.52	93.92	(194.43)	1170.12	37.62	255.61
6 लाभ भुगतान	(840.48)	(380.52)	(2736.60)	(1509.00)	(211.40)	(267.39)
7 वर्ष के अंत में डीबीओ	3031.74	1893.54	24538.14	14260.48	2366.95	1264.25

(₹ करोड़ में)

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
1 वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1902.67	2089.99	14043.60	12896.40	--	--
(जोड़ें- अधिग्रहण का समायोजन)	50.12	--	8073.40	--	--	--
2 योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	133.18	167.20	1707.43	1031.71	--	--
3 वास्तविक कर्मचारी अंशदान	1493.22	120.00	3071.63	1004.15	--	--
4 बीमाकिक लाभ / (हानि)	121.81	(94.00)	(27.28)	620.34	--	--
5 लाभ भुगतान	(840.48)	(380.52)	(2736.60)	(1509.00)	--	--
6 वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2860.52	1902.67	24132.18	14043.60	--	--

Change in obligation and assets over the year ended 31 March

(₹ in Crore)

A Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)	Gratuity		Pension		Privilege Leave	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
1 DBO at beginning of the year	1893.54	1950.68	14260.48	12817.69	1264.25	1135.17
Add- Acquisition Adjustment	1107.78	--	9153.78	--	660.59	--
2 Service Cost	221.35	102.35	2608.70	910.71	491.83	68.55
3 Interest Cost	176.03	127.11	1446.21	870.96	124.06	72.31
4 Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
5 Actuarial Losses / (Gains)	473.52	93.92	(194.43)	1170.12	37.62	255.61
6 Benefit Payments	(840.48)	(380.52)	(2736.60)	(1509.00)	(211.40)	(267.39)
7 DBO at end of the year	3031.74	1893.54	24538.14	14260.48	2366.95	1264.25

(₹ in Crore)

B Changes in Fair Value of Assets	Gratuity		Pension		Privilege Leave	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
1 Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	1902.67	2089.99	14043.60	12896.40	--	--
Add- Acquisition Adjustment	50.12	--	8073.40	--	--	--
2 Expected Return on plan assets	133.18	167.20	1707.43	1031.71	--	--
3 Actual Employee contributions	1493.22	120.00	3071.63	1004.15	--	--
4 Actuarial Gain / (Loss)	121.81	(94.00)	(27.28)	620.34	--	--
5 Benefits payments	(840.48)	(380.52)	(2736.60)	(1509.00)	--	--
6 Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2860.52	1902.67	24132.18	14043.60	--	--

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता							
		उपदान		पेंशन		विशेषाधिकार छुट्टी	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
1	परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3031.74	1893.54	24538.14	14260.48	--	--
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2860.52	1902.67	24132.18	14043.60	--	--
3	निधीगत स्थिति (अधिशेष / घाटा)	(171.22)	9.13	(405.96)	(216.88)	--	--
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(171.22)	9.13	(405.96)	(216.88)	--	--

(₹ in Crore)

Net Asset / Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31 March							
		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
1	Present value of Defined Benefit Obligation	3031.74	1893.54	24538.14	14260.48	--	--
2	Fair Value of Plan Assets	2860.52	1902.67	24132.18	14043.60	--	--
3	Funded Status [Surplus / (Deficit)]	(171.22)	9.13	(405.96)	(216.88)	--	--
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(171.22)	9.13	(405.96)	(216.88)	--	--

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नियोजित व्यय का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		विशेषाधिकार छुट्टी	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	221.35	102.35	2608.70	910.71	491.83	68.55
2	ब्याज लागत	176.03	127.11	1446.21	870.96	124.06	72.31
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	(133.18)	(167.20)	(1707.43)	(1031.71)	--	--
4	विगत सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
5	बीमाकृत हानियाँ / (लाभ)	351.71	187.92	(167.15)	549.77	37.62	255.61
6	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोजित व्यय	615.91	250.18	2180.33	1299.73	653.51	396.47

कोई भुगतान न होने के बावजूद भी बैंक के यहां विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी छुट्टी के प्रति ₹41.17 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है।

Disclosure of Employer Expenses for the year ended 31 March

(₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	221.35	102.35	2608.70	910.71	491.83	68.55
2	Interest Cost	176.03	127.11	1446.21	870.96	124.06	72.31
3	Expected Return on Plan Assets	(133.18)	(167.20)	(1707.43)	(1031.71)	--	--
4	Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
5	Actuarial Losses / (Gains)	351.71	187.92	(167.15)	549.77	37.62	255.61
6	Total Employer Expense recognized in P&L	615.91	250.18	2180.33	1299.73	653.51	396.47

Bank is having provision of ₹41.17 Crore towards Sick Leave on prudential basis though there is no payout.

31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र में मान्यता-प्राप्त निवल अस्तियों / देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		विशेषाधिकार छुट्टी	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
1	अवधि के आरंभ पर निवल आस्ति / (देयता)	(9.13)	(139.31)	216.88	(78.70)	1264.25	1135.17
	जोड़ें - अधिग्रहण का समायोजन	1057.66	--	1080.38	--	660.59	--
2	नियोक्ता व्यय	615.91	250.18	2180.33	1299.73	653.51	396.47
3	नियोक्ता योगदान	(1493.22)	(120.00)	(3071.63)	(1004.15)	--	--
4	भुगतान किए गए लाभ	--	--	--	--	(211.40)	(267.39)
5	अधिग्रहण / व्यापार युग्म	--	--	--	--	--	--
6	अवधि के समापन पर निवल आस्ति / (देयता)	171.22	(9.13)	405.96	216.88	2366.95	1264.25

Reconciliation of Net Assets / Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31 March

(₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
1	Net Asset / (Liability) at the beginning of the period	(9.13)	(139.31)	216.88	(78.70)	1264.25	1135.17
	Add- Acquisition Adjustment	1057.66	--	1080.38	--	660.59	--
2	Employer Expenses	615.91	250.18	2180.33	1299.73	653.51	396.47
3	Employer Contributions	(1493.22)	(120.00)	(3071.63)	(1004.15)	--	--
4	Benefits Paid	--	--	--	--	(211.40)	(267.39)
5	Acquisitions / Business Combinations	--	--	--	--	--	--
6	Net Asset / (Liability) at the end of the period	171.22	(9.13)	405.96	216.88	2366.95	1264.25

नई पेंशन योजना का योगदान:

1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले अधिकारियों की सभी श्रेणियों के लिए बैंक की एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तहत किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने ₹367.61 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹184.14 करोड़) का योगदान दिया है।

भविष्य निधि:

वर्ष के लिए भविष्य निधि के लिए व्यय के रूप नियोक्ता का योगदान निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	2.94	0.82

New Pension Scheme Contribution:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers joining the Bank on or after August 1, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2020-21, the Bank has contributed ₹367.61crore (Previous Year ₹184.14 crore).

Provident Fund:

Employer's contribution to provident fund, recognized as expense for the year is as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Employer's contribution to Provident Fund	2.94	0.82

5.3 लेखांकन मानदंड- 17- खंड रिपोर्टिंग:

भाग क - कारोबार खंड:

(₹ करोड़ में)

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
(1)	खंड राजस्व		
क	राजकोष परिचालन	22312.94	13274.17
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	32739.09	22524.69
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	29473.05	20566.31
घ	गैर-आबंटित	0.00	382.97
	कुल	84525.08	56748.14
	घटायें : अंतर खंड राजस्व	0.00	0.00
	परिचालन से आय	84525.08	56748.14
(2)	खंड परिणाम		
क	राजकोष परिचालन	6482.45	4022.15
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	3705.52	829.04
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	(6480.75)	(6989.73)
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	3707.22	(2138.54)
	गैर-आबंटित आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिक व्यय सहित)	0.00	382.97
	कर से पहले कुल लाभ	3707.22	(1,755.57)
	आय कर	1149.64	480.15
	निवल लाभ	2557.58	(2,235.72)
(3)	खंड आस्तियां		
क	राजकोष परिचालन	351206.92	197678.30
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	358607.51	210806.46
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	384152.60	272200.68
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
इ	गैर-आबंटित आस्तियां	59708.00	43189.31
	कुल आस्तियां	1153675.03	723874.75
(4)	खंड देयताएं		
क	राजकोष परिचालन	342345.57	185490.74
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	345570.39	205793.65
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	372942.16	264120.35
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
इ	गैर-आबंटित आस्तियां	33931.98	29177.04
	कुल देयताएं	1094790.10	684581.78
(5)	नियोजित पूंजी		
क	राजकोष परिचालन	8861.35	12187.57
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	13037.13	5012.81
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	11210.43	8080.33
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
इ	गैर-आबंटित आस्तियां	25776.02	14012.26
	कुल नियोजित पूंजी	58884.93	39292.97

5.3 Accounting Standard-17 – Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2021	31.03.2020
(1)	Segment Revenue		
a	Treasury Operations	22312.94	13274.17
b	Retail Banking Operations	32739.09	22524.69
c	Wholesale Banking Operations	29473.05	20566.31
d	Unallocated	0.00	382.97
	Total	84525.08	56748.14
	Less: Inter Segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	84525.08	56748.14
(2)	Segment Results		
a	Treasury Operations	6482.45	4022.15
b	Retail Banking Operations	3705.52	829.04
c	Wholesale Banking Operations	(6480.75)	(6989.73)
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	3707.22	(2138.54)
	Unallocated Income/Expenses (including Provisions and contingencies)	0.00	382.97
	Total Profit Before tax	3707.22	(1,755.57)
	Income tax	1149.64	480.15
	Net Profit	2557.58	(2,235.72)
(3)	Segment Assets		
a	Treasury Operations	351206.92	197678.30
b	Retail Banking Operations	358607.51	210806.46
c	Wholesale Banking Operations	384152.60	272200.68
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Assets	59708.00	43189.31
	Total Assets	1153675.03	723874.75
(4)	Segment Liabilities		
a	Treasury Operations	342345.57	185490.74
b	Retail Banking Operations	345570.39	205793.65
c	Wholesale Banking Operations	372942.16	264120.35
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Liabilities	33931.98	29177.04
	Total Liabilities	1094790.10	684581.78
(5)	Capital Employed		
a	Treasury Operations	8861.35	12187.57
b	Retail Banking Operations	13037.13	5012.81
c	Wholesale Banking Operations	11210.43	8080.33
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	25776.02	14012.26
	Total Capital Employed	58884.93	39292.97

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
(1)	राजस्व		
क	देशी	83232.64	55411.17
ख	अंतर्राष्ट्रीय	1292.44	1336.97
	कुल	84525.08	56748.14
(2)	आस्तियाँ		
क	देशी	1067393.99	672359.21
ख	अंतर्राष्ट्रीय	86281.04	51515.54
	कुल	1153675.03	723874.75

इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीआर:बीपी:बीसी सं.8/21.04.018/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार तैयार किया गया है।

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2021	31.03.2020
(1)	Revenue		
a	Domestic	83232.64	55411.17
b	International	1292.44	1336.97
	Total	84525.08	56748.14
(2)	Assets		
a	Domestic	1067393.99	672359.21
b	International	86281.04	51515.54
	Total	1153675.03	723874.75

This has been prepared in terms of RBI Master Circular: DBR:BP.BC No.8 / 21.04.018 / 2015-16 dated 01.07.2015.

5.4 लेखांकन मानदंड- 18- संबंधित पार्टी प्रकटीकरण: संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध – प्रधान(मूल) – केनरा बैंक

5.4.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री एल वी प्रभाकर, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री मटम वेंकट राव, कार्यपालक निदेशक (28.02.2021 तक)
- श्री कृष्णन एस, कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से 03.09.2020 तक)
- श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
- सुश्री मणिमेखलै ए, कार्यपालक निदेशक
- श्री के सत्यनारायण राजु, कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से)

5.4.2 प्रधान (मूल)–

- केनरा बैंक

5.4.3 अनुषंगियां -

- केनबैंक फ़िनान्शियल सर्विसेस लि.

5.4 Accounting Standard-18 - Related Party Disclosures: Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent – Canara Bank

5.4.1 Key Management Personnel -

- Shri L V Prabhakar, Managing Director & Chief Executive Officer
- Shri Matam Venkata Rao, Executive Director (Till: 28.02.2021)
- Shri Krishnan S, Executive Director (From 01.04.2020 to 03.09.2020)
- Shri Debashish Mukherjee, Executive Director
- Ms. Manimekhalai A, Executive Director
- Shri K Satyanarayana Raju, Executive Director (From: 10.03.2021)

5.4.2 Parent-

- Canara Bank

5.4.3 Subsidiaries -

- Canbank Financial Services Ltd.

- ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.
- iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. था)
- vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.
- viii) केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि.
- ix) सिंडबैंक सर्विसेस लि.

5.4.4 संयुक्त उद्यम:

- i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (पूर्ववर्ती कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

5.4.5 सहबद्ध संस्थाएं—

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) कर्नाटक ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)
 - ख) केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक)
 - ग) आन्ध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
 - घ) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (एचईएफए):

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए), भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के वित्तपोषण के लिए एमएचआरडी, भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। एचईएफए, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) के तहत एक केंद्र सरकार की कंपनी के रूप में और आरबीआई के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए और अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी आदि जैसे संस्थान को एक मंच प्रदान करना है।

इसके आधार पर एमएचआरडी ने ₹2000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। एमएचआरडी ने ₹1000 करोड़ और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से ₹100 करोड़ का योगदान दिया है।

- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd
- viii) Canara Bank (Tanzania) Ltd.
- ix) SyndBank Services Ltd

5.4.4 Joint Ventures:

- i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

5.4.5 Associates –

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragati Krishna Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)
 - c) Andhra Pragathi Grameena Bank
 - d) Karnataka Vikas Grameena Bank

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA):

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of MHRD, Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt company and as Non-deposit taking NBFC with RBI.

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), Govt with an object to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT etc. of the country.

Based on this, the MHRD proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 Cr. MHRD has contributed ₹1,000 Cr. and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Cr.

इसके बाद, एमएचआरडी ने एचईएफए इक्विटी बेस के मौजूदा शासनादेश और वित्तपोषित संस्थानों की सीमा को बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को ₹10,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें सरकार ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक ₹500 करोड़ का योगदान देगा। 31.03.2021 तक, एमएचआरडी ने क्रमशः ₹4812.50 करोड़ की पूंजी और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है। यथा 31.03.2021 तक, कंपनी ने ₹11,308.07 करोड़ के संवितरण के साथ ₹31,413.80 करोड़ के मीयादी ऋण स्वीकृत किए हैं।

Subsequently, MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Cr. wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Cr. and Canara Bank will contribute ₹500 Cr. As on 31.03.2021, MHRD has infused Capital of ₹4,812.50 Cr. and Canara Bank has contributed ₹481.25 Cr, respectively. As at 31.03.2021, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹31,413.80 Cr. with a disbursement at ₹11,308.07 Cr.

5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

i) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(राशि ₹ में)

नाम	पदनाम	2020-21	2019-20
श्री एल वी प्रभाकर	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	32,64,338.43	5,21,716.00
श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक (28.02.2021तक)	27,72,411.94	28,53,332.00
श्री कृष्णन एस	कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से 03.09.2020 तक)	13,08,612.34	--
श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	29,72,568.02	28,11,214.00
सुश्री मणिमेखलै ए	कार्यपालक निदेशक	28,87,313.51	27,29,904.84
श्री के सत्यनारायण राजु	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से)	1,59,348.13	--
श्री आर ए शंकर नारायणन	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (15.04.2019 से 31.01.2020 तक)	--	33,97,944.98
कुल		1,33,64,592.37	1,23,14,111.82

लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

(i) Remuneration to Key Management Personnel is as under :

(Amount in ₹)

Name	Designation	2020-21	2019-20
Shri L V Prabhakar	Managing Director & Chief Executive Officer	32,64,338.43	5,21,716.00
Shri Matam Venkata Rao	Executive Director (Till 28.02.2021)	27,72,411.94	28,53,332.00
Shri Krishnan S	Executive Director (From 01.04.2020 to 03.09.2020)	13,08,612.34	--
Shri Debashish Mukherjee	Executive Director	29,72,568.02	28,11,214.00
Ms.Manimekhalai A	Executive Director	28,87,313.51	27,29,904.84
Shri K Satyanarayana Raju	Executive Director (From 10.03.2021)	1,59,348.13	--
Shri R A Sankara Narayanan	Managing Director & Chief Executive Officer (From 15.04.2019 to 31.01.2020)	--	33,97,944.98
Total		1,33,64,592.37	1,23,14,111.82

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

5.4.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नवत् है:

(करोड़ ₹ में)

मदें	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएँ व संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन (केएमपी)	केएमपी के संबंधी	कुल
उधार -					
यथा वर्षांत को बकाया	0.00 (0.00)	0.00 (10.00)	-	-	0.00 (10.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.00 (0.00)	97.56 (10.00)	-	-	97.56 (10.00)
जमा -					
यथा वर्षांत को बकाया	99.59 (38.63)	19.65 (24.97)	-	-	119.24 (63.59)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	99.93 (40.04)	1177.62 (1094.17)	-	-	1277.55 (1134.21)
जमा का नियोजन -					
यथा वर्षांत को बकाया	29.35 (36.33)	31.00 (शून्य)	-	-	60.35 (36.33)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	29.35 (36.33)	31.00 (15.13)	-	-	60.35 (51.46)
अग्रिम -					
यथा वर्षांत को बकाया	342.48 (285.43)	2270.44 (2770.48)	-	-	2612.92 (3055.91)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	342.48 (285.43)	3592.30 (3824.61)	-	-	3934.78 (4110.04)
अचल संपत्ति की खरीद / बिक्री (निवल) -					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
चालू खाता में शेष -					
यथा वर्षांत को बकाया	107.17 (93.74)	71.23 (76.81)	-	-	178.40 (170.54)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	107.17 (94.86)	481.12 (137.80)	-	-	588.29 (232.66)
अन्य प्राप्य -					
यथा वर्षांत को बकाया	4.65 (0.07)	शून्य (शून्य)	-	-	4.65 (0.07)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	4.65 (8.07)	शून्य (शून्य)	-	-	4.65 (8.07)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र - प्रतिभागिता किए गए					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)

5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings -					
Outstanding as at the year end	0.00 (0.00)	0.00 (10.00)	-	-	0.00 (10.00)
Maximum outstanding during the year	0.00 (0.00)	97.56 (10.00)			97.56 (10.00)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	99.59 (38.63)	19.65 (24.97)	-	-	119.24 (63.59)
Maximum outstanding during the year	99.93 (40.04)	1177.62 (1094.17)			1277.55 (1134.21)
Placement of Deposits-					
Outstanding as at the year end	29.35 (36.33)	31.00 (NIL)	-	-	60.35 (36.33)
Maximum outstanding during the year	29.35 (36.33)	31.00 (15.13)			60.35 (51.46)
Advances-					
Outstanding as at the year end	342.48 (285.43)	2270.44 (2770.48)	-	-	2612.92 (3055.91)
Maximum outstanding during the year	342.48 (285.43)	3592.30 (3824.61)			3934.78 (4110.04)
Purchase / Sale of Fixed Assets (Net) -					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	107.17 (93.74)	71.23 (76.81)	-	-	178.40 (170.54)
Maximum outstanding during the year	107.17 (94.86)	481.12 (137.80)			588.29 (232.66)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	4.65 (0.07)	NIL (NIL)	-	-	4.65 (0.07)
Maximum outstanding during the year	4.65 (8.07)	NIL (NIL)			4.65 (8.07)
Inter Bank Participation Certificate – Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)

अन्य देय – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	0.01 (0.02)	-	-	0.01 (0.02)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	0.01 (0.02)	-	-	0.01 (0.02)
प्रदत्त ब्याज	7.97 (1.66)	11.80 (13.61)	-	-	19.77 (15.27)
प्राप्त ब्याज	17.00 (31.80)	193.85 (215.48)	-	-	210.85 (247.28)
प्राप्त लाभांश	18.68 (22.30)	7.99 (शून्य)	-	-	26.67 (22.30)
प्रदत्त प्रीमियम	461.61 (269.77)	शून्य (शून्य)	-	-	461.61 (269.77)
सेवा उपलब्ध कराना	222.15 (117.90)	4.22 (4.03)	-	-	226.37 (121.93)
सेवाओं से प्राप्त	17.67 (0.05)	1.23 (शून्य)	-	-	18.90 (0.05)

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं)

Other payable					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	0.01 (0.02)	-	-	0.01 (0.02)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	0.01 (0.02)			0.01 (0.02)
Interest paid	7.97 (1.66)	11.80 (13.61)	-	-	19.77 (15.27)
Interest received	17.00 (31.80)	193.85 (215.48)	-	-	210.85 (247.28)
Dividend received	18.68 (22.30)	7.99 (NIL)	-	-	26.67 (22.30)
Premium Paid	461.61 (269.77)	NIL (NIL)	-	-	461.61 (269.77)
Rendering of Service	222.15 (117.90)	4.22 (4.03)	-	-	226.37 (121.93)
Receiving for Services	17.67 (0.05)	1.23 (NIL)	-	-	18.90 (0.05)

(Figures in brackets relate to previous year)

5.4.8 अंतः समूह जोखिम

(₹ करोड़ में)

मदें	वर्ष 2020-21 के लिए	वर्ष 2019-20 के लिए
अंतः समूह जोखिम के लिए कुल राशि	2684.43	3055.98
उच्चतम -20 अंतः समूह जोखिम की कुल राशि	2684.43	3055.98
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल जोखिम से अंतः समूह जोखिम का प्रतिशत	0.24%	0.38%
अंतः समूह जोखिम पर सीमा का उल्लंघन तथा उसपर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

5.5 लेखांकन मानक 19 – पट्टा और उसके लेखांकन

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के पास कोई गैर-परिचालन योग्य पट्टे नहीं हैं। इसलिए एएस-19 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।

5.6 लेखांकन मानक-20 – प्रति शेयर अर्जन:

मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना लेखांकन मानक 20, "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है:-

	मदें	2020-21	2019-20
क	वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के स्रोत पर निवल लाभ (₹ करोड़ में)	2557.58	(2235.72)
ख	इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	164.67	103.02
ग	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	151.23	84.35
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क / ग) (₹)	16.91	(26.50)
इ	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.7 लेखांकन मानक-22 –

आय पर करों का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डीटीए / डीटीएल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2021 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है। आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

5.4.8 Intra-Group Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	For the Year 2020-21	For the Year 2019-20
Total amount of intra-group exposures	2684.43	3055.98
Total amount of top-20 intra-group exposures	2684.43	3055.98
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.24%	0.38%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL

5.5 Accounting Standard-19 - Leases & its Accounting
Bank has no non - cancellable Operating Leases during Financial Year. Hence additional disclosure under AS-19 is not applicable.

5.6 Accounting Standard-20 - Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below :-

	Particulars	2020-21	2019-20
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	2557.58	(2235.72)
B	Number of Equity Shares (in Crore)	164.67	103.02
C	Weighted Average Number of Equity Shares (in Crore)	151.23	84.35
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A / C) (₹)	16.91	(26.50)
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

5.7 Accounting Standard-22 -

Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2021. Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ करोड़ में)

मदें	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	828.81	443.48	-	-
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	-	-	(104.11)	-
निवेश पर मूल्यहास	-	-	1793.29	1721.66
अग्रम के प्रति किए गए प्रावधान	13408.80	6409.99	-	-
विशेष आरक्षित निधियों पर	-	-	1934.66	1397.76
अग्रसारित हानि	-	-	-	-
अन्य	44.71	66.68	-	-
आस्थगित कर आस्ति / देयता	14282.32	6920.15	3623.84	3119.42

यथा 31 मार्च, 2021 को निवल आस्थगित कर आस्तियां: ₹10658.48 करोड़ (पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर आस्तियां ₹3800.73 करोड़)

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Provision for Leave Encashment	828.81	443.48	-	-
Depreciation on Fixed Assets	-	-	(104.11)	-
Depreciation on Investments	-	-	1793.29	1721.66
Provision made for Advances	13408.80	6409.99	-	-
On Special Reserve	-	-	1934.66	1397.76
Carry Forward Losses	-	-	-	-
Others	44.71	66.68	-	-
Deferred Tax Asset/ Liability	14282.32	6920.15	3623.84	3119.42

Net Deferred Tax Assets as on March 31, 2021: ₹10658.48 Crore (Previous year: Net Deferred Tax Assets ₹3800.73 Crore)

5.8 अंतर्राष्ट्रीय संचालन के युक्तिकरण के लिए रणनीतिक पहल के एक भाग के रूप में, जो भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप भी है, बैंक ने कुछ भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर निकलने का फैसला किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने जोहान्सबर्ग (साउथ अफ्रीका) में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। इसके अलावा, बैंक ने हांगकांग में अपने परिचालन को बंद करने की पहल की है।

5.8 As a part of strategic initiatives for rationalization of International Operations, which is also in consonance with the Government of India directives, the Bank has decided to exit from certain geographies. During the year 2020-21, the Bank has closed its operations in Johannesburg (South Africa). Further, Bank has initiated closure of its operations in Hong Kong.

5.9 लेखांकन मानक-27 – संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग:

निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) ₹73.22 करोड़ शामिल हैं (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

5.9 Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Investment includes ₹73.22 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Bank of India LLC (incorporated in Russia) wherein the bank owns 40% of the equity.

कमर्शियल इंडो बैंक एल.एल.सी. – परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

मर्दे	31/03/2021 को समाप्त चालू वर्ष	31/03/2021 को समाप्त चालू वर्ष	बैंक का शेयर @40%	31/03/2020 को समाप्त गत वर्ष	31/03/2020 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	30020.00	219.48	87.79	27,110.00	205.13	82.05
कुल देयताएं	93434.00	683.10	273.24	47,908.00	362.50	145.00
कुल आस्तियाँ	93434.00	683.10	273.24	47,908.00	362.50	145.00
कुल आय	3688.00	26.89	10.75	5,437.00	39.33	15.73
कुल व्यय	2799.00	20.41	8.16	2,385.00	17.25	6.90
लाभ	889.00	6.48	2.59	3,052.00	22.08	8.83

विनिमय के लिए विनिमय दर – आस्ति और देयताएं (1 यूएसडी = 73.11) – आय और व्यय (1 यूएसडी = 72.9050)

Commercial Indo Bank LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31/03/2021	Current year ended 31/03/2021	Bank's share @ 40%	Previous year ended 31/03/2020	Previous year ended 31/03/2020	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore
Aggregate Capital and Reserves	30020.00	219.48	87.79	27,110.00	205.13	82.05
Aggregate Liabilities	93434.00	683.10	273.24	47,908.00	362.50	145.00
Aggregate Assets	93434.00	683.10	273.24	47,908.00	362.50	145.00
Aggregate Income	3688.00	26.89	10.75	5,437.00	39.33	15.73
Aggregate Expenditure	2799.00	20.41	8.16	2,385.00	17.25	6.90
Profit	889.00	6.48	2.59	3,052.00	22.08	8.83

Exchange Rate taken for translation - Assets and Liability (1 USD = 73.11) - Income and expenditure (1 USD = 72.9050)

5.10 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की क्षति:

जब भी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह लगे कि आस्ति के वहन राशि की वसूली नहीं हो सकती है तब वर्ष के समापन पर क्षति हेतु आस्ति की समीक्षा की जाएगी। धारित व प्रयुक्त होने वाले आस्ति के वसूली की संगणना आस्ति की वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न संभावित फ्यूचर निवल छूट-प्राप्त नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा की जा सकती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षति माने तो उस क्षति को संगणित व प्रगणित उस राशि द्वारा किया जाएगा जो आस्ति की वसूली-योग्य राशि से अधिक आस्ति का वहन राशि है। यद्यपि, बैंक प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखा मानक 28 – आस्ति की क्षति लागू है उस वर्ष के दौरान किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है।

5.10 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

5.11 लेखांकन मानक 29- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ :

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2020 को प्रारंभ	ई-सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2021 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	48.80	27.24	2.76	--	78.80

5.11 Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2020	Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2021
Movement of Provision for Contingent Liabilities	48.80	27.24	2.76	--	78.80

6. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
निवेश मूल्यहास / एनपीआई के लिए प्रावधान	427.16	(278.80)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	14167.96	10654.96
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	0.42	378.61
कर के लिए प्रावधान – (आस्थगित कर सहित)	1149.65	480.15
उचित मूल्य में हास के लिए प्रावधान	(54.18)	75.13
परिसंपत्ति की वसूली के संदेह के लिए प्रावधान	75.00	51.44
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	19.24	0.00
एफआईटीएल व अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	1666.44	234.04
कुल	17451.69	11595.54

6.2 ए. अस्थाई प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	0.00	शून्य
ई-सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	102.21	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.00	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	शून्य
इति शेष	102.21	शून्य

6.2 बी. आरक्षित निधियों से आहरण में कमी:

आरबीआई परिपत्र डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.92 / 21.04.048 / 2015-16 दिनांक 18.04.2016 के संदर्भ में धोखाधड़ी वाले खातों के लिए कोई भी राशि आरक्षित निधि से आहरित नहीं की गई है।

6.3 शिकायतों और शिकाय निवारण पर उन्नत प्रकटीकरण:

बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढीकरण पर 27 जनवरी, 2021 के आरबीआई के परिपत्र सीईपीडी.सीओ.पीआरडी.परि. सं.01/13.01.013/2020-21 के अनुसार, बैंकों को नीचे दिए गए प्रारूप में खुलासा (प्रकट) करने का निर्देश दिया गया है।

6. Additional Disclosures

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Provision for Depreciation on Investment and NPI	427.16	(278.80)
Provision towards NPA	14167.96	10654.96
Provision towards Standard Asset	0.42	378.61
Provision for Tax (includes Deferred Tax)	1149.65	480.15
Provision for Diminution in Fair Value	(54.18)	75.13
Provision for Asset Doubt of Recovery	75.00	51.44
Provision for Country Risk Exposure	19.24	0.00
Provision for FITL and other contingencies	1666.44	234.04
TOTAL	17451.69	11595.54

6.2.A Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening Balance	0.00	NIL
Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	102.21	NIL
Addition during the year	0.00	NIL
Draw down during the year.	0.00	NIL
Closing Balance	102.21	NIL

6.2.B Draw down from Reserves:

Interms of RBI circular DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016, no amount has been debited to Other Reserves towards provision for fraud accounts.

6.3 Enhanced Disclosures on Complaints and Grievance Redress:

In terms of RBI circular CEPD.CO.PR.D.Cir. No.01/13.01.013/2020-21 dated January 27, 2021 on Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks, Banks has been instructed to disclose in the below mentioned format.

क. बैंकों को ग्राहकों और ओबीओ से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी:

क.सं.	मदें	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1742	1725
	ई-सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	0	1855
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	53110	101965
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	53127	103076
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या	0	1
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1725	2468
ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5.	ओबीओ द्वारा बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	4104	8033
5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	3812	8845
5.2	5 में से, सुलह/मध्यस्थता/बीओ द्वारा जारी की गई सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	288	440
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय जारी करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	4	0
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णित मामलों के अलावा)	0	0

A. Summary information on complaints received by the banks from customers and from the OBOs:

Sr. No.	Particulars	Previous Year	Current Year
Complaints received by the banks from its customers			
1.	Number of complaints pending at beginning of the year	1742	1725
	Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	0	1855
2.	Number of complaints received during the year	53110	101965
3.	Number of complaints disposed during the year	53127	103076
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	0	1
4.	Number of complaints pending at the end of the year	1725	2468
Maintainable complaints received by the bank from OBOs			
5.	Number of maintainable complaints received by the bank by OBOs	4104	8033
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	3812	8845
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by BOs	288	440
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	4	0
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (यानी जिनसे शिकायतें संबंधित हैं)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	क्र.सं. 5 में से 30 दिनों से अधिक समय के लिए लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वर्तमान वर्ष					
एटीएम डेबिट कार्ड	178	37785	(59.23)	692	42
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	0	20300	44.81	275	31
खाता खोलना/खातों के परिचालन में कठिनाई	0	17772	140.39	430	102
ऋण व अग्रिम	0	4844	25.65	140	10
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन	0	3984	30.84	115	19
अन्य	1547	17280	9.31	816	0
कुल	1725	101965	(25.46)	2468	204
पिछला वर्ष					
एटीएमडेबिट कार्ड	37	27646	(51.46)	178	0
इंटरनेट /मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	32	9373	(40.98)	0	0
खाता खोलना/खातों के परिचालन में कठिनाई	36	3433	(25.03)	0	0
ऋण व अग्रिम	4	504	(21.50)	0	0
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/ शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन	14	1154	(37.08)	0	0
अन्य	1619	11000	(16.71)	1547	1048
कुल	1742	53110	(42.95)	1725	1048

B. Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year					
ATM Debit Card	178	37785	(59.23)	692	42
Internet / Mobile / Electronic Banking	0	20300	44.81	275	31
Account Opening / Difficulty in operation of accounts	0	17772	140.39	430	102
Loans and Advances	0	4844	25.65	140	10
Facilities for customers visiting the branch / adherence to prescribed working hours by the branch	0	3984	30.84	115	19
Others	1547	17280	9.31	816	0
Total	1725	101965	(25.46)	2468	204
Previous Year					
ATM Debit Card	37	27646	(51.46)	178	0
Internet / Mobile / Electronic Banking	32	9373	(40.98)	0	0
Account Opening / Difficulty in operation of accounts	36	3433	(25.03)	0	0
Loans and Advances	4	504	(21.50)	0	0
Facilities for customers visiting the branch / adherence to prescribed working hours by the branch	14	1154	(37.08)	0	0
Others	1619	11000	(16.71)	1547	1048
Total	1742	53110	(42.95)	1725	1048

6.4 जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) का प्रकटीकरण:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) जारी नहीं किया है। 31.03.2021 को कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट)/ वचन पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) बकाया नहीं है।

वित्तीय प्रभाव:

बैंक ने अबतक अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों की ओर साख पत्र जारी नहीं किया है। अतः बैंक द्वारा एलओसी/वचन पत्र के जारीकरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

शाखाओं के संबंध में, समुद्रपारीय शाखाओं की आस्तियों व देयताओं का विलय घरेलू परिचालन के साथ कर दिया गया है तथा बैंक के लिए एक समेकित तुलन-पत्र बनाया गया है। समुद्रपारीय शाखाओं की कुल देयताएं बैंक के वार्षिक तुलन-पत्र की देयताओं का एक हिस्सा है।

अतः शाखाओं की ओर से जारी साख पत्र के कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं हैं। प्रतिनिधि कार्यालयों के संबंध में, कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया गया है तथा इसलिए मेजबान देशों के विनियामकों को जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

यथा 31 मार्च 2021 को, हमारे बैंक के लिए समुद्रपारीय विनियामकों के पक्ष में जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि इसे शाखाओं व प्रतिनिधि कार्यालयों की ओर से जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के संबंध में, हम अब तक बैंक द्वारा जारी साख पत्र के विवरणों का खुलासा करना प्रस्तावित करते हैं तथा यथा मार्च 2021 को तुलन-पत्र में खातों के नोट्स के अंतर्गत ऐसे साख पत्रों की ओर से “शून्य” वित्तीय प्रभाव है।

6.4.1 यथा 31.03.2021 को प्रावधान कवरेज अनुपात 79.68% है (पिछले वर्ष 75.86%)।

6.5 बैंक द्वारा बैंक एश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय (₹ करोड़ में)

क्रमांक	आय का प्रकार	31.03.2021	31.03.2020
1	जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	187.91	104.83
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	63.82	31.90
3	म्यूचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	30.43	24.43
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	--	24.07
5	पीएमजेबीवाई	18.20	10.06
6	पीएमएसबीवाई	3.06	2.37
7	अन्य (ई-सिंडिकेट नवीकरण)	0.98	--
	कुल	304.40	197.66

6.4 Disclosure of Letter of Comforts issued:

Bank has not issued any Letter of Comforts during the financial year 2020-21. There are no Letter of Comforts / Letter of Undertakings outstanding as on 31.03.2021.

Financial Impact:

Bank has so far not issued any LOC / undertaking on behalf of the subsidiaries or Joint Ventures (JVs). Hence, the financial impact on issue of LOC / undertaking by the Bank does not exist.

With regard to branches the assets and liabilities of overseas branches are merged with the domestic operation and a consolidated Balance Sheet is drawn for the Bank as a whole. The total liability of overseas branches forms part of the liabilities of the Bank's annual balance sheet.

Hence, there is no additional financial impact of LOCs issued on behalf of branches. In respect of representative Office, there are no commercial operations undertaken and hence no financial impacts of LOC issued to host country regulator.

As at 31st March 2021, there is no financial impact of LOCs issued favoring the overseas Regulators for our Bank since the same are issued on behalf of branches and Representative offices. In terms of RBI guidelines, we propose to disclose the details of LOCs issued by the Bank so far and “NIL” financial impact on account of such LOCs, under “Notes to Accounts” in the Balance Sheet as at March 2021.

6.4.1 Provision Coverage Ratio is 79.68% as on 31.03.2021 (Previous Year 75.86%).

6.5 Fees / Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2021	31.03.2020
1	For selling Life Insurance Policies	187.91	104.83
2	For selling Non-Life Insurance Policies	63.82	31.90
3	For selling Mutual Funds Products	30.43	24.43
4	Other (Health Insurance Policies)	--	24.07
5	PMJJBY	18.20	10.06
6	PMSBY	3.06	2.37
7	Others (e_Syndicate Renewal)	0.98	--
	TOTAL	304.40	197.66

6.6 जमराशि, अग्रिम, ऋण जोखिमों (एक्सपोजर) व अनर्जक आस्तियों का सकेन्द्रण

6.6.1 जमराशियों का सकेन्द्रण:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
बीस सर्वाधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	97223.95	94014.08
बैंक की कुल जमराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमराशियों का प्रतिशत	9.62%	15.04%

6.6.2 अग्रिमों का सकेन्द्रण:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	73073.65	49900.80
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	11.43%	11.55%

6.6.3 एक्सपोजर का सकेन्द्रण:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर	102662.00	78058.34
बैंक के कुल एक्सपोजर में से बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	9.11%	9.78%

6.6.4 एनपीए का संकेन्द्रण:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
उच्चतम चार एनपीए खातों के संबंध में कुल एक्सपोजर	7469.15	4437.99

6.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.6.1 Concentration of Deposits:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Deposits of twenty largest depositors	97223.95	94014.08
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	9.62%	15.04%

6.6.2 Concentration of Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Advances to twenty largest borrowers	73073.65	49900.80
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.43%	11.55%

6.6.3 Concentration of Exposures:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	102662.00	78058.34
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	9.11%	9.78%

6.6.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposure to top four NPA accounts	7469.15	4437.99

6.6.5 क्षेत्र-वार अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

क्र मांक	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत
क	प्राथमिकता क्षेत्र						
	1 कृषि व संबंध गतिविधियाँ	155184.69	9467.00	6.10%	97043.00	6002.14	6.19%
	2 प्राथमिकता क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	43932.01	14929.00	33.98%	36631.00	9011.28	24.60%
	3 सेवाएं	64402.17	2829.00	4.39%	42141.00	508.06	1.21%
	4 व्यक्तिगत ऋण	40293.74	-	-	27213.00	-	-
	उप कुल (क)	303812.61	27225.00	8.96%	203028.00	15521.48	7.64%
ख	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
	1 कृषि व संबंध गतिविधियाँ	873.54	-	-	128.00	-	-
	2 उद्योग	172842.79	21579.00	12.48%	112909.99	11311.00	10.02%
	3 सेवाएं	101563.89	10966.00	10.80%	57322.65	9380.00	16.36%
	4 व्यक्तिगत ऋण	96062.26	518.00	0.54%	77834.07	828.67	1.06%
	उप कुल (ख)	371342.48	33063.00	8.90%	248194.71	21519.67	8.67%
	कुल (क+ख)	675155.09	60288.00	8.93%	451222.71	37041.15	8.21%

6.6.5 Sector-wise Advances:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
A	Priority sector						
	1 Agriculture and allied activities	155184.69	9467.00	6.10%	97043.00	6002.14	6.19%
	2 Advances to industries sector eligible as priority sector lending	43932.01	14929.00	33.98%	36631.00	9011.28	24.60%
	3 Services	64402.17	2829.00	4.39%	42141.00	508.06	1.21%
	4 Personal loans	40293.74	-	-	27213.00	-	-
	Sub-Total (A)	303812.61	27225.00	8.96%	203028.00	15521.48	7.64%
B	Non Priority sector						
	1 Agriculture and allied activities	873.54	-	-	128.00	-	-
	2 Industries	172842.79	21579.00	12.48%	112909.99	11311.00	10.02%
	3 Services	101563.89	10966.00	10.80%	57322.65	9380.00	16.36%
	4 Personal loans	96062.26	518.00	0.54%	77834.07	828.67	1.06%
	Sub total (B)	371342.48	33063.00	8.90%	248194.71	21519.67	8.67%
	Total (A+B)	675155.09	60288.00	8.93%	451222.71	37041.15	8.21%

उद्यम के उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम, क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिम के 10% से अधिक हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप- क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत
1	आधारभूत धातु व धातु के उत्पाद	27353.85	1498.09	5.48%	22671.14	1402.17	6.18%
2	बुनियादी संरचना	72012.89	7887.82	10.95%	48222.35	5958.55	12.36%

Sub-sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Sub-sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Basic metal and metal products	27353.85	1498.09	5.48%	22671.14	1402.17	6.18%
2	Infrastructure	72012.89	7887.82	10.95%	48222.35	5958.55	12.36%

6.7 एनपीए का उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2021	31.03.2020
यथा 1 अप्रैल तक सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	37041.15	39224.12
ई_सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	24085.85	--
वर्ष के दौरान अतिरिक्त (नया एनपीए)	16639.00	15044.75
मौजूदा एनपीए में डेबिट	1246.00	--
उप-कुल (ए)	79012.00	54268.87
घटाएं:-		
(i) अप-ग्रडेशन	2407.00	1209.12
(ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	7185.00	8521.08
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन (राइट-ऑफ)	8176.23	5748.23
(iv) ऊपर (iii) के तहत दिए गए के अलावा अन्य अपलेखन (राइट-ऑफ)	955.93	1749.29
उप-कुल (बी)	18724.16	17227.72

6.7 Movement of NPAs:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Gross NPAs as on 1 st April (Opening Balance)	37041.15	39224.12
Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	24085.85	--
Additions (Fresh NPAs) during the year	16639.00	15044.75
Debits in existing NPAs	1246.00	--
Sub-total (A)	79012.00	54268.87
Less:-		
(i) Up-gradations	2407.00	1209.12
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	7185.00	8521.08
(iii) Technical / Prudential Write-offs	8176.23	5748.23
(iv) Write-offs other than those under (c) above	955.93	1749.29
Sub-total (B)	18724.16	17227.72

यथा 31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	60287.84	37041.15

6.8 तकनीकी बट्टे खाते में डालना तथा तत्पश्चात की गई वसूली का उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों के प्रारंभिक शेष	38199.35	32547.02
ई-सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	16405.10	--
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों*	8176.23	7653.06
उप कुल (क)	62780.68	40200.08
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों में से की गई वसूली, शाखाओं को भेजी गई राशि और विनिमय में उतार-चढ़ाव (ख)	3494.68	2000.73
यथा मार्च 31 को इति शेष (क-ख)	59286.00	38199.35

*विनिमय उतार-चढ़ाव सहित

6.9 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एनपीए व राजस्व:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
कुल आस्तियाँ	86281.04	51515.51
कुल एनपीए : सकल निवल	6150.38 724.72	4084.63 1131.59
कुल राजस्व	1292.44	1336.97

6.10 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)

प्रायोजित एस पी वी के नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

Gross NPAs as on 31 st March (closing balance) (A-B)	60287.84	37041.15

6.8 Movement of Technical Write-off and the recoveries made thereon:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1 st	38199.35	32547.02
Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	16405.10	--
Add: Technical / Prudential write-offs during the year*	8176.23	7653.06
Sub-total (A)	62780.68	40200.08
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts, amount sent to branches during the year and exchange fluctuation (B)	3494.68	2000.73
Closing balance as at March 31 (A-B)	59286.00	38199.35

* including exchange fluctuation

6.9 Overseas Assets NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Assets	86281.04	51515.51
Total NPAs : Gross Net	6150.38 724.72	4084.63 1131.59
Total Revenue	1292.44	1336.97

6.10 Off-balance Sheet S P Vs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the S P Vs Sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

6.11.1 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदे	नं./राशि
1.	प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर के अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश (एक्सपोजर) की कुल राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले निवेश (एक्सपोजर)	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाले निवेश (एक्सपोजर)	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों की राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले निवेश (एक्सपोजर)	
	निजी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर	
	ii) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाले निवेश (एक्सपोजर)	
	निजी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर	
	ii) प्रथम हानि	
	अन्य	

6.11.1 Disclosure relating to Securitisation:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	No./ Amount
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	Exposure to own securitizations	
	i) First loss	
	Others	
	Exposure to third party securitizations	
	ii) First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	Exposure to own securitizations	
	i) First loss	
	Others	
	Exposure to third party securitizations	
	ii) First loss	
	Others	

6.11.2 ऋण डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस): शून्य

6.12 जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता निधि को हस्तांतरण (डीईए निधि) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2021	31.03.2020
डीईए निधि को हस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	1886.53	1628.76
ई_सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	991.43	--
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को हस्तांतरित राशि	462.94	280.88
घटाएं: दावों के निपटान के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए दावे	32.12	23.11
डीईए निधि को हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष	3308.78	1886.53

6.13 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी संसूचना संख्या डीबीओडी.नं. बीपी..बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाले निकायों हेतु बैंक के एक्सपोजर के संदर्भ में वृद्धिशील प्रावधान व पूंजी प्रदान करें। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति ₹31.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹29.34 करोड़) का प्रावधान किया है। आगे, यथा 31.03.2021 को बैंक के पास अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर जोखिम हेतु ₹114.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹106.04 करोड़) की पूंजी है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

विदेशी मुद्रा जोखिम वाले उधारकर्ता संस्थाओं के संबंध में, बैंक अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीडी), ब्याज और मूल्यहास (ईबीआईडी) से पहले वार्षिक आय; वार्षिकीकृत अस्थिरता का उपयोग करके यूएसडी - आईएनआर विनिमय दर में परिवर्तन के मामले में अपेक्षित नुकसान की गणना कर रहा है। विनिमय दर परिवर्तन के कारण अपेक्षित नुकसान को ईबीआईडी के प्रतिशत यानी, अनुमानित हानि/ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर, बैंक द्वारा ऐसे निकायों को निर्दिष्ट दर पर कुल ऋण जोखिम (एक्सपोजर) पर वृद्धिशील पूंजी रख रहा है व वृद्धिशील प्रावधानीकरण (वर्तमान मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अतिरिक्त) किया जा रहा है। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बैंक, वृद्धिशील पूंजी धारण कर रहा है और निर्दिष्ट दरों पर ऐसी संस्थाओं को कुल ऋण जोखिम पर वृद्धिशील प्रावधान (मौजूदा मानक संपत्ति के प्रावधान के अतिरिक्त) बना रहा है।

6.11.2 Credit Default Swaps (CDS): NIL

6.12 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	1886.53	1628.76
Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	991.43	--
Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	462.94	280.88
Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	32.12	23.11
Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	3308.78	1886.53

6.13 Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 / 21.06.200 / 2013-14 dated January 15 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly, for the financial year 2020-21 bank is holding a provision of ₹31.32 Crore (previous year ₹29.34 Crore) towards unhedged foreign currency exposure. Further Bank is also holding a capital of ₹114.24 Crore (previous year ₹106.04 Crore) as on 31.03.2021 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

Policies to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure:

In respect of borrower entities having foreign currency exposure, Bank is computing Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE); Annual Earnings before interest and Depreciation (EBID); expected loss in case of movement in USD-INR exchange rate using annualized volatilities. Expected loss on account of exchange rate movements is expressed as a percentage of EBID i.e likely loss/EBID percentage. As a prudential measure Bank is holding incremental capital and made incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6.14. चलनिधि कवरेज अनुपात:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति				
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		255935.97		138448.32
	नकद बहिर्वाह				
2	खुदरा जमा व छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा, जिनमें से	558463.07	41864.31	339591.61	28482.63
(i)	स्थिर जमा	279640.04	13982.00	109530.67	5476.53
(ii)	कम स्थिर जमा	278823.03	27882.30	230060.94	23006.09
3	गैर जमानती थोक निधीयन, जिसमें से	305229.23	182353.15	169544.29	102423.21
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्ष)	318.25	69.72	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	304910.98	182283.43	169213.30	100514.27
(iii)	गैर-जमानती कर्ज	0.00	0.00	330.99	1908.94
4	प्रतिभूतिकृत थोक निधीयन	0.00	0.00	733.74	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	60138.66	13001.09	40847.03	5495.62
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजरों व अन्य संपार्श्विक आवाशकताओं से संबंधित बहिर्वाह	4089.32	4089.32	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि संबंधी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण व चलनिधि सुविधाएं	56049.33	8911.77	40847.03	5495.62
6	अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व	2511.93	2511.93	440.66	440.66
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	96972.99	3528.11	96954.93	3533.89
8	कुल नकद बहिर्वाह	1023315.88	243258.60	648112.26	140376.01
9	प्रतिभूतिकृत उधार (उदाहरण: रिवर्स रेपो)	15298.61	0.00	7597.99	0.00
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	53432.53	39745.41	39034.90	27796.59
11	अन्य नकद अंतर्वाह	5560.90	5392.63	850.04	732.88
12	कुल नकद अंतर्वाह	74292.04	45138.04	47482.93	28529.47
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		255935.97		138448.32
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		198120.55		111846.54
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		129.18%		123.78%

6.14 Liquidity Coverage Ratio :

(₹ in Crore)

Sl. No.		Current year		Previous Year	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
	High Quality Liquid Assets				
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		255935.97		138448.32
	Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	558463.07	41864.31	339591.61	28482.63
(i)	Stable deposits	279640.04	13982.00	109530.67	5476.53
(ii)	Less stable deposits	278823.03	27882.30	230060.94	23006.09
3	Unsecured wholesale funding of which:	305229.23	182353.15	169544.29	102423.21
(i)	Operational deposits (all counterparties)	318.25	69.72	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	304910.98	182283.43	169213.30	100514.27
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	330.99	1908.94
4	Secured wholesale funding	0.00	0.00	733.74	0.00
5	Additional requirements of which	60138.66	13001.09	40847.03	5495.62
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	4089.32	4089.32	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	56049.33	8911.77	40847.03	5495.62
6	Other contractual funding obligations	2511.93	2511.93	440.66	440.66
7	Other contingent funding obligations	96972.99	3528.11	96954.93	3533.89
8	Total Cash Outflows	1023315.88	243258.60	648112.26	140376.01
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	15298.61	0.00	7597.99	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	53432.53	39745.41	39034.90	27796.59
11	Other cash inflows	5560.90	5392.63	850.04	732.88
12	Total Cash Inflows	74292.04	45138.04	47482.93	28529.47
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	TOTAL HQLA		255935.97		138448.32
14	Total Net Cash Outflows		198120.55		111846.54
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		129.18%		123.78%

एलसीआर के पास गुणात्मक प्रकटन:

बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को ऋण प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में बैंक बहिर्वाहों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करेगा। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) ने यह सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों की अवधि तक चलने वाले एक महत्वपूर्ण चलनिधि तनाव से बचने के लिए बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है। एलसीआर को निम्न अनुसार परिभाषित किया गया है:

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाले चल आस्ति का स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों में होनेवाले कुल निवल नकद बहिर्वाह}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र, दिनांक 09 जून 2014 के द्वारा चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश जारी किए।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित एलएम नीति में उल्लिखितानुसार बैंक के पास व्यापक चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ) चलनिधि, ब्याज दर जोखिम के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करती है और आरबीआई/बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता / सीमाओं के पालन पर एक जांच रखती है। एलसीओ परिचालन की आवश्यकताओं को विधिवत रूप से लेते हुए बैंक की निधीयन रणनीति तैयार करता है और उसकी निगरानी करता है। पर्याप्त आकस्मिक निधि योजना भी मौजूद है, जिसकी आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है ताकि किसी भी दबावग्रस्त चलनिधि घटना के लिए निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

एलसीआर यह सुनिश्चित करने के बाद बैंकों के संभावित चलनिधि व्यवधानों के लिए अल्पकालिक लचीलापन को बढ़ावा देता है कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) है। एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक बैंक बिना भार वाले एचक्यूएलए का पर्याप्त स्तर बनाए रखता है जिसे आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट एक गंभीर चलनिधि तनाव परिदृश्य के तहत 30 कैलेंडर दिन के समय होरिजोन के लिए अपनी चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार, बैंकों को 1 जनवरी 2019 से न्यूनतम एल सी अर 100% बनाए रखना आवश्यक है। 31 दिसंबर, 2020 को वर्तमान एलसीआर अपेक्षा 90% थी (वर्तमान महामारी की स्थिति को दूर करने के उपाय के रूप में, आरबीआई ने न्यूनतम एलसीआर अपेक्षा को 100% से घटाकर 80% कर दिया था जिसे धीरे-धीरे दो चरणों में पुनर्स्थापित किया जाना है, अर्थात्, 1 अक्टूबर 2020 तक 90% और 1 अप्रैल 2021 तक 100%)

एचक्यूएलए में लेवल 1 आस्ति (0% हैयर-कट), लेवल 2ए आस्ति (15% हैयर-कट) और लेवल 2बी आस्ति (50% हैयर-कट) शामिल हैं।

Qualitative disclosure around LCR:

The core objective of bank remains to accept deposit from customers and provide loans to customers. In this process bank shall ensure adequate liquidity to honour the outflows. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. The LCR is defined as:

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

The Bank has comprehensive liquidity risk management structure as cited in the Board approved ALM Policy of the Bank. The Asset Liability Management Committee (ALCO) ensures efficient management of liquidity, interest rate risk and keeps a check on adherence to the risk tolerance/limits set by the RBI/Board. ALCO formulates and monitors the funding strategy of the bank duly taking the requirements of operations. Adequate Contingency Funding Plan is also in place, which is reviewed on periodic basis to ensure the availability of funds to meet any stressed liquidity event.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

As per the RBI guidelines, Banks are required to maintain a minimum LCR of 100% from 1st January 2019. The present LCR requirement, as on December 31, 2020 was 90% (As a measure to address the current pandemic situation, RBI had reduced the minimum LCR requirement from 100% to 80% which is to be gradually restored back in two phases, i.e., 90% by October 1, 2020 and 100% by April 1, 2021)

HQLA comprises of Level 1 assets (0% hair-cut), Level 2A assets (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut).

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 3% है-31 मार्च 2021 तक] और चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) [बैंक एनडीटीएल का 15%] के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक नकदी, अतिरिक्त सीआरआर, अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों को स्तर 1 की संपत्ति में सम्मिलित किया गया है।

स्तर 2ए आस्ति में सॉवरेन गारंटीकृत विपणन-योग्य प्रतिभूति, वित्तीय संस्थान के अलावा अन्य द्वारा जारी एए - और अधिक की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड या वाणिज्यिक पेपर शामिल हैं। स्तर 2बी आस्ति में एनएसई सीएनएक्स निफ्टी और / या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल सामान्य इक्विटी शेयर में निवेश शामिल है।

दबाव के तहत अनुमानित निवल नकद बहिर्वाह अगले 30 दिनों में बहिर्वाह के भारित राशि से अंतर्प्रवाह को घटाने पर प्रगणित होगा। खुदरा व छोटे कारोबार ग्राहकों से निधियन में थोक निधियन की तुलना में निम्न रन-ऑफ घटक शामिल है।

एलसीआर के प्रमुख चालक अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा अधिशेष एसएलआर निवेश का स्तर है। खुदरा जमा कुल निधीयन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अच्छी तरह से विविध हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की भारित स्तर 1 संपत्ति कुल एचक्यूएलए का लगभग 98% है, और शेष 2% में स्तर 2ए और स्तर 2बी संपत्ति शामिल है। अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां (स्तर 1 संपत्ति का हिस्सा) कुल एचक्यूएलए का लगभग 28% है।

बैंक प्रबंधन/आरबीआई को दैनिक/मासिक आधार पर एलसीआर स्थिति की रिपोर्ट करता है। इसके अलावा, बैंक विभिन्न नियामक वक्तव्यों के माध्यम से चलनिधि की स्थिति की निगरानी करता है, जैसे संरचनात्मक चलनिधि विवरण और स्टॉक अनुपात।

बैंक ने निरंतर आधार पर एलसीआर स्तरों को न्यूनतम नियामक स्तरों से काफी ऊपर बनाए रखा है।

तिमाही में, बैंक का एलसीआर (3 महीने का औसत) 126.50% (जून 20) से बढ़कर 125.29% (सितंबर 20) और 138.89% (दिसंबर 20) हो गया। मार्च 21 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर 129.18% था।

6.15 धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को धोखाधड़ी का पता लगाने की तारीख से शुरू होने वाले चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के मामलों के प्रावधान को संशोधित करने की अनुमति दी गई है और जहां प्रावधान दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों में किया गया है, आरबीआई परिपत्र डीबीआर बीपी.बीसी .92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार प्रासंगिक वर्ष के अंत तक अनुपलब्ध राशि को राजस्व रिजर्व (अन्य रिजर्व) को प्रभासित किया जाना है।

Level 1 assets comprising of cash, excess CRR, excess SLR securities, government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [currently 3% of the Bank's Net Demand & Time Liabilities (NDTL)-till 31st March 2021] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [15% of the Bank's NDTL].

Level 2A assets comprises of sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA- and more are issued other than by financial institutions. Level 2B assets include investments in common equity shares included in NSE CNX Nifty and / or S&P BSE Sensex indices.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

The prime drivers of the LCR are the level of surplus SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources which are well diversified.

For the FY 2020-21 the Weighted Level 1 assets of the Bank constitutes around 98% of the total HQLA, and the remaining 2% comprises of Level 2A and Level 2B assets. Excess SLR securities (part of level 1 assets) forms around 28% of the total HQLA.

Bank reports LCR position on daily / monthly basis to Management / RBI. In addition, bank monitors the liquidity position through various regulatory statements viz. Structural Liquidity Statement and Stock Ratios.

Bank has maintained LCR levels well above the minimum regulatory levels on an on-going basis.

Quarter on quarter, the LCR (3 months average) of the Bank moed from 126.50% (June'20) to 125.29% (September'20) and to 138.89% (December'20). For the quarter ended March'21 the LCR of the Bank stood at 129.18%.

6.15 Provision pertaining to Fraud Accounts :

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortize the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve (Other Reserves) vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92 / 21.04.048 / 2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2021 को समाप्त तिमाही तक (मामलों की संख्या)	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक (देयता)	31.03.2021 को समाप्त तिमाही तक (देयता)	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक "अन्य रिजर्व" में नामे डाले गए संशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि)
5278	23	22511.97	1493.59	22511.97	शून्य

(₹ in Crore)

Up to the year ended 31.03.2021 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2021 (No. of Cases)	Up to the year ended 31.03.2021 (Liability)	During the quarter ended 31.03.2021 (Liability)	Quantum of provision made during the year ended 31.03.2021 (Amount)	Quantum of amortized provision debited to "Other Reserves" as at the year ended 31.03.2021 (Amount)
5278	23	22511.97	1493.59	22511.97	Nil

धोखाधड़ी घोषित खातों के संबंध में 30.09.2020 को ₹557.61 करोड़ की राशि के लिए ₹469.97 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है, जिसमें से बैंक ने 31.12.2020 तक ₹234.98 करोड़ प्रदान किए हैं। 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान, ₹234.99 करोड़ लाभ और हानि खाते को डेबिट करके और अन्य रिजर्व में जमा करके पूरी तरह से परिशोधित किया गया है।

बैंक ने 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹854.97 करोड़ की धोखाधड़ी के संबंध में प्रावधान को स्थगित करने का विकल्प भी लिया है, जिसमें ₹579.97 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है, जिसमें से बैंक ने 31.12.2020 तक ₹144.99 करोड़ प्रदान किए हैं। 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान, ₹434.98 करोड़ के शेष प्रावधान को लाभ और हानि खाते को डेबिट करके और अन्य रिजर्व में जमा करके पूरी तरह से परिशोधित किया गया है।

6.16 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स

6.16.1 क्रेडिट कार्ड से संबंधित बकाया रिवार्ड पॉइंट्स और प्रावधान की स्थिति:

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
शेष राशि बकाया अंक	764940249	500807626
इन रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान (₹ करोड़ में)*	19.12	12.52

* क्रेडिट कार्ड के लिए प्रत्येक रिवार्ड पॉइंट का मूल्य ₹0.25 है।

With regard to fraud declared accounts as on 30.09.2020 amounting to ₹557.61 crore requiring an additional provision of ₹469.97 crores, out of which Bank has provided ₹234.98 crore up to 31.12.2020. During the quarter ended 31.03.2021, ₹234.99 crore is fully amortized by debiting Profit & Loss Account and crediting to Other Reserves.

Bank has also availed option for deferment of provision in respect of frauds reported for ₹854.97 crores during the quarter ended 31.12.2020, requiring an additional Provision of ₹579.97 Crores, out of which Bank has provided ₹144.99 crore up to 31.12.2020. During the quarter ended 31.03.2021, the remaining provision of ₹434.98 crore is fully amortized by debiting Profit & Loss Account and crediting to Other Reserves.

6.16 Reward Points of Credit Card & Debit Card

6.16.1 Position of outstanding reward points and provision regarding Credit Cards:

Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
Balance Reward Points outstanding	764940249	500807626
Provision held for these points (₹ in crore)*	19.12	12.52

* Value of each reward point is worth ₹0.25 for credit cards.

6.16.2 बकाया रिward पॉइंट की स्थिति और लॉयल्टी रिward पॉइंट्स-डेबिट कार्ड्स के लिए प्रावधान:

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
शेष लॉयल्टी रिward पॉइंट्स	26913398	15334368
रिward पॉइंट के लिए प्रावधान (₹ करोड़ में)*	0.67	0.38

*डेबिट कार्ड के लिए प्रत्येक रिward पॉइंट का मूल्य ₹0.25 है।

6.17 कोविड-19 महामारी भारत सहित कई देशों में फैली हुई है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आई है और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। भारत सरकार ने मार्च, 2020 से लॉक डाउन उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। इस तरह के लॉकडाउन को विभिन्न सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद स्थिति के आधार पर विभिन्न समय पर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों के लिए हटा दिया गया है। कोविड-19 महामारी की वर्तमान दूसरी लहर, जहां भारत में नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय/क्षेत्रीय लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया गया है।

स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए मुख्य चुनौतियां नकदी प्रवाह और विस्तारित पूंजी चक्रों को खत्म करने से उत्पन्न होंगी। चुनौतियों के बावजूद, प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह चालू तिमाही में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है। इन घटनाओं और शर्तों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों और वर्तमान में चल रही धारणाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.18 संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर “कोविड 19 विनियामक पैकेज” से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 27.03.2020, 17.04.2020, 23.05.2020 और भारतीय बैंकर्स संघ के ज़रिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 06-05-2020 को जारी स्पष्टीकरण के अनुपालन में, बैंक ने यथा दिनांक 29.02.2020 को मानक खातों के

6.16.2 Position of outstanding reward points and provision thereon regarding Loyalty Reward Points-Debit Cards:

Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
Balance of loyalty reward points	26913398	15334368
Provision held against reward points (₹ in crore)*	0.67	0.38

* Value of each reward point is worth ₹0.25 for debitcards

6.17 COVID - 19 Pandemic continues to spread across several countries including India resulting in a significant volatility in Global as well as Indian financial markets and a significant decline in global and local economic activities. The Govt. of India has announced a series of lockdown measures from March 2020 onwards. Such lockdowns have been lifted for activities in a phased manner by various governments at various points of time depending on the situation prevailing in their respective jurisdictions. The current second wave of Covid 19 pandemic, wherever the number of new cases has increased significantly in India, has resulted in re-imposition of localized/regional lockdown measures in various parts of the country.

The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an ongoing basis. The major identified challenges for the Bank would arise from eroding cash flows and extended capital cycles. Despite the challenges, the management believes that no adjustments are required in the financial results as it does not significantly impact the current quarter. Despite these events and conditions, there would not be any significant impact on Bank's results in future and going concern assumptions as at presently made.

6.18 In accordance with RBI guidelines relating to “COVID 19 Regulatory Package” on asset classification and provisioning, dated 27.03.2020, 17.04.2020, 23.05.2020 and clarification issued by RBI through Indian Bankers Association dated 06.05.2020,

रूप में वर्गीकृत खातों के उधारकर्ताओं के लिए दिनांक 01.03.2020 और 31.08.2020 के बीच के किरातों और / या ब्याज, अतिदेय होने पर भी, उक्त को पुनर्संरचना न मानते हुए, भुगतान पर स्थगन की अनुमति दी गई। आरबीआई की आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से खाते को जमा करने की अवधि से बैंक द्वारा दी गई स्थगन की अवधि को बैंक द्वारा निकाल दिया जाएगा।

"कोविड 19 नियामक पैकेज" पर आरबीआई के परिपत्र दिनांक 17.04.2020 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां अधिस्थगन / स्थगन को दिनांक 29.02.2020 विस्तारित किया गया है	51365.15
संबंधित राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया है	10383.75
उपरोक्त परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार 31.12.2020 तक किए गए संचयी प्रावधान	1038.37
उपरोक्त परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार स्लिपेजस (एनपीए और पुनर्गठन) के लिए समायोजित प्रावधान	1038.37
उपरोक्त परिपत्र के पैरा 5 के अनुसार 31.03.2021 को धारित अवशिष्ट प्रावधान	शून्य

हालांकि, बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में कोविड 19 प्रभावों के लिए ₹500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

6.19 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गजेंद्र शर्मा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एनआर के एक जनहित याचिका मामले में दिनांक 03.09.2020 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि जिन खातों को 31.08.2020 तक अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में घोषित नहीं किया गया था, अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। तदनुसार, बैंक ने 31.08.2020 के बाद किसी ऐसे खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जो आरबीआई आईआरएसी मानदंडों के अनुसार 31.08.2020 तक एनपीए

Bank has granted a moratorium on payment of installments and / or interest as applicable, falling due between 01.03.2020 and 31.08.2020 to eligible borrowers classified as standard, even if overdue, as on 29.02.2020 without considering the same as restructuring. The moratorium period, where granted, shall be excluded by the Bank from the number of days the account is past due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms.

The disclosures as required by RBI circular dated 17.04.2020 on "COVID 19 Regulatory Package" is given as below:

Particulars	Amount (₹ in Crore)
Respective amounts in SMA / overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended as on 29.02.2020	51365.15
Respective amounts where asset classification benefit was extended	10383.75
Cumulative provisions made till 31.12.2020 in terms of para 5 of above circular	1038.37
Provisions adjusted against slippages (NPA and Restructuring) in terms of para 5 of above circular	1038.37
Residual provisions held as on 31.03.2021 in terms of para 5 of above circular	NIL

However, the Bank as a prudential measure has provided an additional provision of ₹500 crore towards Covid 19 effects.

6.19 The Hon'ble Supreme Court of India, in a public interest litigation case of Gajendra Sharma vs. Union Bank of India & Anr vide an interim order dated 03.09.2020 has directed that the accounts which were not declared as Non-Performing Assets (NPA) till 31.08.2020 shall not be declared as NPA till further orders. Accordingly, the Bank did not classify any account which was not NPA as of 31.08.2020 as per RBI IRAC Norms, as NPA after 31.08.2020. As a matter of prudence, the

नहीं था। विवेक की दृष्टि से बैंक ने 31.12.2020 तक 863 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त आदेश दिनांक 23.03.2021 के आदेश के अनुसरण में निरस्त हो गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इस संबंध में जारी आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने इन उधारकर्ता खातों को 01.09.2020 से मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया है और उपरोक्त अतिरिक्त प्रावधानों को उलट दिया है और इन खातों का प्रावधान हेतु इसका उपयोग किया है।

- 6.20** “कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद अस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण” पर आरबीआई परिपत्र, दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं सहित सभी उधारकर्ताओं पर प्रभारित ‘ब्याज पर ब्याज’ को वापस / समायोजित करेगा, जिन्होंने अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्थात् 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का, भले ही अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से, लाभ उठाया गया हो या नहीं लिया गया हो। इन निर्देशों के अनुसरण में, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस की जाने वाली / समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए पद्धति को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा अन्य उद्योग प्रतिभागियों / निकायों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसे सभी उधार संस्थान द्वारा अपनाया जाएगा। तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिफंड/समायोजन के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली को सूचित किया है। तदनुसार, बैंक ने इसके प्रति ₹125 करोड़ की अनुमानित देनदारी बनाई है और इसे 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय से घटा दिया है।

Bank made an additional provision of ₹863 crore till 31.12.2020. The above order of the Hon’ble Supreme Court of India stood vacated pursuant to order on 23.03.2021.

In view of the above and in accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021 issued in these connection, the Bank has classified these borrower accounts as per extant IRAC norms wef 01.09.2020 and reversed the above additional provisions and utilized the same towards provision on these accounts.

- 6.20** In accordance with the instructions of RBI Circular dated 07.04.2021 on “Asset Classification and Income Recognition following the expiry of Covid 19 regulatory package”, the Bank shall refund / adjust ‘interest on interest’ charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during moratorium period i.e. 01.03.2020 to 31.08.2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to be refunded / adjusted for different facilities shall be finalized by the Indian Bank’s Association (IBA) in consultation with other industry participants / bodies, which shall be adopted by all the lending institution. Accordingly, IBA vide its letter dated 19.04.2021 has informed methodology finalized for refund / adjustment as per Supreme Court judgement. Accordingly, the Bank has created an estimated liability of ₹125 crore towards the same and has reduced the same from interest income for the year ended on 31.03.2021.

6.21 आरबीआई के दिनांक 06.08.2020 के परिपत्र के अनुसार कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान संरचना के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण: (खातों की संख्या को छोड़कर ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	(ए) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है	(बी) योजना के कार्यान्वयन से पहले (ए) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर	(सी) (बी) में से, ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(डी) अतिरिक्त मंजूर धनराशि, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है	(ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रावधानों में वृद्धि
वैयक्तिक ऋण	5228	636.58	शून्य	शून्य	63.66
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	5	405.15	शून्य	22.69	56.32
जिनमें से, एमएसएमई	0	0	शून्य	शून्य	0
अन्य	10162	164.86	शून्य	12.16	32.97
कुल	15395	1206.59	0	34.85	152.95

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।

6.21 Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID-19-related Stress as per RBI Circular dated 06.08.2020: (₹ in crore except no. of accounts)

Type of Borrower	(A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(B) Exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan	(C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	(E) Increase in provisions on account of the implementation of the Resolution Plan
Personal Loans	5228	636.58	Nil	Nil	63.66
Corporate Persons*	5	405.15	Nil	22.69	56.32
Of which, MSME	0	0	Nil	Nil	0
Others	10162	164.86	Nil	12.16	32.97
TOTAL	15395	1206.59	0	34.85	152.95

* As defined in Section 3 (7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

6.22 दिनांक 31.03.2021 को समाप्त तिमाही और 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने 24000 इकाइयां और 192000 इकाइयां प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के तहत ₹6000 करोड़ और ₹48000 करोड़ लघु और सीमांत किसान श्रेणी के तहत बेची हैं और क्रमशः ₹84.55 करोड़ और ₹790.52 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की।

6.22 During the quarter ended 31.03.2021 and financial year ended 31.03.2021, Bank has sold 24000 units and 192000 units under Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) to the tune of ₹6000 crore and ₹48000 Crore under Small and Marginal Farmers category and earned commission income of ₹84.55 crore and ₹790.52 Crore respectively.

6.22 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने योग्य संस्थागत खिलाड़ियों को ₹103.50 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य के 19,32,36,714 इक्विटी शेयर आबंटित किया है। (जिसमें शेयर प्रीमियम के लिए ₹93.50 प्रति इक्विटी शेयर शामिल है)

6.23 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ₹2936.10 करोड़ का बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-I बॉन्ड सीरीज III जारी किया है। (31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान जुटाए गए ₹120 करोड़ सहित)

6.25 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन में राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 दिनांक 04 मार्च 2020 जारी करते हुए केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के समामेलन की योजना को मंजूरी दी।

समामेलन को 01.04.2020 से केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक के समामेलन को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन पर एएस-14 में निर्धारित 'ब्याज की पूलिंग' पद्धति के तहत लेखांकन किया गया है। तदनुसार, समामेलन बैंक की शुद्ध संपत्ति और समामेलन बैंक के शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों की राशि के बीच ₹2240.69 करोड़ के अंतर को समामेलन रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है।

आरबीआई ने अपने पत्र संख्या: डीओआर.सीओ. बीपी.नं.1875/21.01.002/2020-21 दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से स्पष्ट किया कि बैंक पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए समामेलन रिजर्व को सामान्य इक्विटी टियर-I (सीईटी I) के रूप में मान सकता है। तदनुसार, बैंक ने सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से सीईटी I के तहत इस राशि पर विचार किया है।

6.26 सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक में समामेलन के अनुसरण में, 31.03.2020 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अपनाई गई लेखा नीतियों में परिवर्तन हुआ है।

6.27 लेखा मानक-10 "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" के अनुपालन में, वर्ष के दौरान ₹157.51 करोड़ का मूल्यहास, अचल संपत्तियों के पुनरीक्षित हिस्से पर लाभ और हानि खाते में नामे किया गया है। समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित कर दिया गया है।

6.23 During the FY 2020-21, the Bank has issued and allotted 19,32,36,714 equity shares of face value of ₹10 each to qualified institutional players at an issue price of ₹103.50 per equity shares (which includes ₹93.50 per equity share towards share premium).

6.24 During the FY 2020-21, Bank has issued Basel III Compliant Additional Tier-I Bond Series III of ₹2936.10 crore (including ₹120 crore raised during the quarter ended 31.03.2021) through private placement.

6.25 The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services has issued Gazette Notification No. CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020, approving the scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980).

The amalgamation is accounted under the 'pooling of interest' method as prescribed in AS-14 on Accounting for amalgamation to record amalgamation of Syndicate Bank with Canara Bank with effect from 01.04.2020. Accordingly, the difference of ₹2240.69 crores between the net assets of amalgamating bank and the amount of shares issued to shareholders of the amalgamating bank has been recognized as Amalgamation Reserve.

RBI vide its letter No:DOR.CO.BP.NO.1875/21.01.002 / 2020-21 dated 18.12.2020 clarified that Bank may reckon the Amalgamation Reserve as Common Equity Tier-I (CET I) for capital adequacy purposes. Accordingly, Bank has considered this amount under CET I for the purpose of calculation of CRAR.

6.26 Pursuant to the amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank, there is change in the accounting policies followed during the current year as compared to those followed in the preceding financial year ended on 31.03.2020.

6.27 In pursuant to Accounting Standard -10 "Property Plant & Equipment", depreciation of ₹157.51 crore during the year on the revalued portion of the fixed assets has been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

- 6.28 यह समामेलन 01.04.2020 से प्रभावी हो गया है। 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों में पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक के परिचालन शामिल हैं। इसलिए, चालू वर्ष के आंकड़े तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के साथ तुलनीय नहीं हैं।
7. जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से इकट्ठा / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

- 6.28 The amalgamation has come into effect from 01.04.2020. The figures for the year ended 31.03.2021 includes operations of erstwhile Syndicate Bank. Hence, the figures for current year are not comparable with immediately preceding financial year.
7. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

आर महेंद्रन
मंडल प्रबंधक

के शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

अरविंद कुमार
सहायक महा प्रबंधक

एस के मजूमदार
महा प्रबंधक

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक

के सत्यनारायण राजु
कार्यपालक निदेशक

ए. मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी शर्मा
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डी.के.छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E
(जगन्नाथ पी महापात्रो)
साझेदार
सदस्य सं. 217012

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W
(अंकित डी. दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं. 119972

कृते
एन के भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N
(एन.के.भार्गव)
साझेदार
सदस्य सं. 080624

कृते
राव एंड एम्मार
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S
(प्रवीण बी जे)
साझेदार
सदस्य सं. 215713

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

K SIVARAMAKRISHNAN
DIVISIONAL MANAGER

ARVIND KUMAR
ASST. GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

K SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL P SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For D.K.CHHAJER & CO
Chartered Accountants
FRN : 304138E

For S N K & CO
Chartered Accountants
FRN : 109176W

For N. K. BHARGAVA & CO
Chartered Accountants
FRN : 000429N

For RAO & EMMAR
Chartered Accountants
FRN : 003084S

(JAGANNATH P MOHAPATRO)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 217012

(ANKIT D.DANAWALA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 119972

(N.K.BHARGAVA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 080624

(PRAVEEN B J)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 215713

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

31.03.2021 की स्थिति में पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित)

31 मार्च 2021 की स्थिति में बासेल III - पिलर 3 प्रकटीकरण को बैंक की वेबसाइट में 'नियामक प्रकटीकरण खंड' के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं – https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=139

इस खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण शामिल हैं:

तालिका	विवरण
डीएफ – 1	अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र
डीएफ – 2	पूंजी पर्याप्तता
डीएफ – 3	ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण
डीएफ – 4	ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण
डीएफ – 5	ऋण जोखिम शमन – मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
डीएफ – 6	प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
डीएफ – 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
डीएफ – 8	परिचालनात्मक जोखिम
डीएफ – 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
डीएफ – 10	प्रतिपक्षी ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर हेतु सामान्य प्रकटीकरण
डीएफ – 11	पूंजी संरचना
डीएफ – 12	पूंजी की संरचना – युक्तिकरण आवश्यकताएं
डीएफ – 13	विनियामक पूंजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं
डीएफ – 14	विनियामक पूंजीगत लिखतों की संपूर्ण शर्तें व नियम
डीएफ – 16	इक्विटीज – बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटन
डीएफ – 17	लेखांकन आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की संक्षिप्त तुलना
डीएफ – 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

Pillar 3 Disclosures (Consolidated) as at 31.03.2021

Basel III – Pillar 3 disclosures as at 31ST March 2021 is made available on Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. For details, please visit our Website - https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=139

The section contains the following disclosures:

TABLES	PARTICULARS
DF – 1	SCOPE OF APPLICATION
DF – 2	CAPITAL ADEQUACY
DF – 3	CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES
DF – 4	CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH
DF – 5	CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACH
DF – 6	SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH
DF – 7	MARKET RISK IN TRADING BOOK
DF – 8	OPERATIONAL RISK
DF – 9	INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)
DF – 10	GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK
DF – 11	COMPOSITION OF CAPITAL
DF – 12	COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS
DF – 13	MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
DF – 14	FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
DF – 16	EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS
DF – 17	SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE
DF – 18	LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरणी
STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2021	31.03.2020
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद निवल लाभ / Net Profit after Tax	2,557.58	(2,235.72)
जोड़ें : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए प्रावधान सहित) Add: Provision for Tax (Incl Provision for Deferred Tax)	1,149.64	480.15
कर के पूर्व निवल लाभ / Net Profit Before Tax	3,707.22	(1,755.57)
समायोजन हेतु: / Adjustments for:		
मूल्यहास / Depreciation	820.17	432.08
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	(1.68)	(1.74)
उचित मूल्य और एनपीए में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Fair Value and NPAs	14,113.79	10,730.10
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित राशि / Amount Transferred to the Other Reserves	2,515.98	(1,169.55)
अरक्षित विदेशी मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard assets including unhedged foreign currency provision	0.42	384.84
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	2,019.04	1,116.44
आकस्मिक व्यय और अन्य व्यय के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others	1,761.13	278.27
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / (Profit) / loss on sale of Fixed Assets	(28.70)	1.34
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, आदि में निवेश से आय Income from Investment in subsidiaries, JVs, etc	(71.54)	(67.87)
निवेश मूल्यहास/(मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान Provision for investment depreciation / (appreciation)	426.70	(277.81)
उप कुल / Sub total	21,555.31	11,426.10
समायोजन हेतु: / Adjustments for:		
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(10,911.91)	(22,961.73)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(36,588.80)	(15,178.03)
उधार में (वृद्धि) / कमी / Increase / (Decrease) in Borrowings	(13,373.07)	(630.53)
जमा में (वृद्धि) / कमी / Increase / (Decrease) in Deposits	1,05,350.73	26,317.90
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in other Assets	(12,408.91)	(1,564.10)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	2,717.14	(2,758.16)
	34,785.18	(16,774.65)
घटाएँ: प्रदत्त निवल आयकर (प्रदत्त / प्रतिदेय) / Less: Net Income Tax (Paid) / Refund	(1,514.49)	(1,645.38)
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क) / Cash Generated from Operating Activities (A)	58,533.23	(5,458.74)
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
अनुषंगियों और/या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / Income from investment in subsidiaries and/or JVs	71.54	67.87
संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों, इत्यादि में निवेश / Investment in JVs, Subsidiaries, etc	-	(18.36)
अचल संपत्तियों के क्रय / विक्रय से शुद्ध अंतर्वाह / बहिर्वाह / Net inflow/ outflow from sale/ purchase of fixed assets	(737.38)	(326.56)
निवेश गतिविधियों से सृजित नकदी (ख) / Cash generated from Investing activities (B)	(665.84)	(277.05)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
पूंजी का नया निर्गम / Fresh issue of capital	193.24	276.99
शेयर जारी से प्राप्त प्रीमियम / Premium Received on Issue of share	1,797.99	6,294.01
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	(2,019.04)	(1,116.44)

ई-एसबी शेयरधारकों को भुगतान की गई राशि (अंश भाग के लिए) / Amount paid to e-SB shareholders (for fraction part)	(4.30)	-
अधीनस्थ ऋणों सहित बॉन्ड्स का नया निर्गम Fresh issue of bonds including sub-ordinated debts	2,936.00	3,000.00
अधीनस्थ ऋण सहित बांडों का मोचन / Redemption of bonds including sub-ordinated debts	(2,620.00)	(600.00)
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकदी (ग) / Cash generated from Financing activities (C)	283.89	7,854.56
नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	58,151.28	2,118.78
प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	1,20,256.75	66,152.69
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	1,78,408.03	68,271.46

नकद प्रवाह विवरणी का नोट्स: / Notes to Cash flow statement:

- नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है और जहां कहीं आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।
- The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method and figures has been re-grouped wherever necessary.
- नकद और नकद समकक्षों में नकदी, भारिबै में नकदी और अन्य बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि शामिल है।
- Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice
- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े पूर्व समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन केनरा बैंक वित्तीय स्थिति से संबंधित हैं, इसलिए यथा 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद की वित्तीय स्थिति के साथ तुलनीय नहीं है।
- Figures of the year ended 31.03.2020 are related to Standalone Canara Bank Financials of pre-amalgamation period, hence not comparable with post-amalgamation financials for the year ended 31.03.2021
- नकद प्रवाह में परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन समामेलन के कारण 01.04.2020 को प्रारंभिक तुलन पत्र पर विचार करने के बाद है।
- The changes in Assets & Liabilities in Cash Flow is after considering the opening Balance Sheet as on 01.04.2020 on account of amalgamation

विवरण / Particulars	₹ करोड़ में / ₹ in Cr.		
नकदी एवं नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31-मार्च-21	1-अप्रैल-20	31-मार्च-20
भारिबै में नकदी एवं शेष / Cash & Balance with RBI	43111.62	22570.14	22570.14
बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि / Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	135296.41	45701.32	45701.32
जोड़ें: भारिबै में नकदी एवं बैंक में शेष (ई-सिंडिकेट बैंक) Add: Addition of Cash & Bank Balance with RBI (e-Syndicate Bank)	-	15370.55	-
जोड़ें: बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि (ई-सिंडिकेट बैंक) Add: Balances with Banks and Money at Call and Short Notice (e-Syndicate Bank)	-	36614.74	-
कुल / Total	178408.03	120256.75	68271.46

आर महेंद्रन
मंडल प्रबंधक

के शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

अरविंद कुमार
सहायक महा प्रबंधक

एस के मजूमदार
महा प्रबंधक

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक

के सत्यनारायण राजु
कार्यपालक निदेशक

ए. मणिमखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी शर्मा
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डी.के.छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W

कृते
एन के भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N

कृते
राव एंड एम्मार
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S

(जगन्नाथ पी महापात्रो)
साझेदार
सदस्य सं. 217012

(अंकित डी. दानावाला)
साझेदार
सदस्य सं.119972

(एन.के.भार्गव)
साझेदार
सदस्य सं.080624

(प्रवीण बी जे)
साझेदार
सदस्य सं.215713

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

K SIVARAMAKRISHNAN
DIVISIONAL MANAGER

ARVIND KUMAR
ASST. GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

K SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL P SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For D.K.CHHAJER & CO
Chartered Accountants
FRN : 304138E

For S N K & CO
Chartered Accountants
FRN : 109176W

For N. K. BHARGAVA & CO
Chartered Accountants
FRN : 000429N

For RAO & EMMAR
Chartered Accountants
FRN : 003084S

(JAGANNATH P MOHAPATRO)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 217012

(ANKIT D.DANAWALA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.119972

(N.K.BHARGAVA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.080624

(PRAVEEN B J)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.215713

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021



Together We Can

केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरणी

2020-2021



CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2020-2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
केनरा बैंक के सदस्य,

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट विचार

1. हमने केनरा बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक समेकित तुलन पत्र, तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश के साथ समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी प्रदान की गई है जिसमें निम्न को शामिल किया गया है:

(क) बैंक के लेखा परीक्षित परिणाम जो कि हमारे साथ सभी चार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित हैं;

(ख) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 09 अनुषंगियों, 01 संयुक्त उद्यम और 01 सहयोगी संस्थान के लेखा परीक्षित परिणाम; तथा

(ग) 04 सहयोगी संस्थानों के गैर लेखा परीक्षित परिणाम।

बैंक के साथ उपरोक्त संस्थाओं को 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. हमारी राय, हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई सहायक कंपनियों / सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत आवश्यक उक्त सूचना प्रदान करने वाला समेकित वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") जो बैंक की समेकित स्थिति, यथा 31 मार्च, 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और उसके समेकित नकदी प्रवाह के मामलों में, जो भारत में सामान्य

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members of Canara Bank,

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Canara Bank ("the Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2021, the Consolidated Statement of Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to Consolidated Financial Statements including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information which includes:

(a) Audited Results of the Bank which have been reviewed by all the four Statutory Central Auditors including us;

(b) Audited Results of 09 Subsidiaries, 01 Joint Ventures and 01 Associates audited by other Auditors; and

(c) Un-audited results of 04 Associates.

The above entities together with the Bank are referred to as the 'Group'.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries, associates and Joint Venture, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries / associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India,

तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय के लिए आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों (लेखा परीक्षा) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखाकार की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किए गए हैं। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ में नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

- मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और इस पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए नीचे दिए गए मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

of their consolidated state of affairs of the Bank as at 31st March, 2021, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI, together with ethical requirements that are relevant to our Audit of the Consolidated Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले पर प्रतिक्रिया
1	अग्रिमों के संबंध में प्रावधानों की पर्याप्तता। आरबीआई द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के अग्रिमों पर अनर्जक परिसंपत्तियों और प्रावधान के निर्माण की पहचान में उधारकर्ताओं के प्रदर्शन, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण आदि से संबंधित प्रमुख निर्णय शामिल हैं। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा को आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रबंधन अनुमानों की संलिप्तता के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और शेष राशि की भौतिकता पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।	प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया हमने अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारी लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में डिजाइन का परीक्षण व आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और विशेष परीक्षण निम्नलिखित हैं: - अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए पहचान और प्रावधान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के संरचना का मूल्यांकन। - भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान और प्रावधान करने में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का परीक्षण किया। - आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए की पहचान और आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया। - अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए शाखाओं की लेखापरीक्षित रिपोर्ट पर विचार किया गया। - आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान की जाँच की। - हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान देखे गए अपवादों को विधिवत सुधारा गया है।

Sl. No.	Key Audit Matter	Response to Key Audit Matter
1	Adequacy of provisions in respect of Advances. Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI. The identification of non-performing assets and creation of provision on such advances involves key judgements relating to performance of borrowers, determination of security value, etc. Accordingly, our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to involvement of management judgement and considering the materiality of the balances.	Principal Audit Procedures We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows: - Evaluated the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. - Tested the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. - Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. - Considered branch audit reports for identification and provisioning for non-performing assets - Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. - Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

2	माइग्रेशन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की गई प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली (फ्लेक्स क्यूब - ओरेकल आधारित)। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में लेनदेन के कारण आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर संसाधित किया जाता है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया : हमने एक मूल्यांकन क्रियावित किया और मुख्य आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग प्रणाली जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, की पहचान की और सीबीएस, बीएसपीएल रिपोर्टिंग पैकेज और ट्रेजरी प्रणाली को प्राथमिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक होने की पहचान की। हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नलिखित है: • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • आवेदन, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जो परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • प्रमुख आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएस नियंत्रण के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • परीक्षण के आधार पर मुख्य स्वचालित और व्यावसायिक चक्र नियंत्रण और लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली जनित रिपोर्ट के लिए तर्क के परीक्षण किए गए। • बैंक ने तीसरे पक्ष के डोमेन विशेषज्ञ के माध्यम से सिस्टम की माइग्रेशन लेखा परीक्षा की है और हमने इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

2	Key Information technology (IT) systems including migration (Flex Cube - Oracle based) used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence considered as a key audit matter.	Principal Audit Procedures: We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS, BSPL Reporting Package and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows: • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis. • The bank has conducted migration audit of the system through a third party domain expert and we have relied on the report of such audit.

3	कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए संशोधित लेखा प्रक्रियाएँ: कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के कारण, विभिन्न राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन तथा यात्रा प्रतिबंध और हमारे ऑडिट की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में बढ़ते कोविड मामलों के चलते जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक ने दूर से ऑडिट करने की सुविधा अपनाई, बैंक की कुछ शाखाओं / अंचल कार्यालयों / कॉर्पोरेट कार्यालय के विभागों के परिसर में जाकर लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी। जैसा कि हम शाखाओं / अंचलों / प्रशासनिक / कॉर्पोरेट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत / भौतिक रूप से चर्चाओं और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऐसी संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मैटर के रूप में तैयार किया है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को लेखा परीक्षा को दूरस्थ रूप से करने के लिए संशोधित किया गया था।	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया : कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण विभिन्न राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे और हमारे ऑडिट की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में बढ़ते कोविड मामलों के चलते हम कुछ शाखाओं / अंचल कार्यालयों / प्रशासनिक / कॉर्पोरेट कार्यालयों के संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से दौरा करके लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर सके। जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से सीबीएस, बीएसपीएल और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे। इसके चलते, लेखा परीक्षा प्रक्रिया को ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो कि लेखा परीक्षा के संचालन के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग हेतु प्रयुक्त किये गये थे। तदनुसार, हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया: क. हम, वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों और कुछ वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों ने रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से कुछ शाखाओं / अंचल कार्यालयों / प्रशासनिक कार्यालयों और बैंक के अन्य कार्यालयों के संबंध में जहां भौतिक सत्यापन संभव नहीं था, आवश्यक रिकॉर्ड / दस्तावेजों / सीबीएस / बीएसपीएल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया।

3	Modified Audit Procedures carried out considering COVID-19 outbreak: Due to 2nd Wave of COVID-19 pandemic, lockdown and travel restrictions imposed by various State Governments / Local Authorities and also in light of increasing COVID cases in respective regions during the period of our audit and Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches / Circle Offices / Wings in the Corporate Office of the bank. As we could not gather audit evidence in person/physically / through discussions and personal interactions with the officials at the Branches / Circle / Administrative / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Principal Audit Procedures: Due to the outbreak of 2nd Wave of COVID-19 pandemic that caused lockdown and other travel restrictions imposed by the various State Governments / local administration and also in light of increasing COVID cases in respective regions during the period of our audit, we could not travel to the certain Branches / Circle offices / Administrative / Corporate Offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records / reports / documents / certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS, BSPL and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out based on such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: a. We, the Statutory Central Auditors and certain Statutory Branch Auditors conducted verification of necessary records / documents / CBS / BSPL and other Application software electronically through remote access / emails in respect of certain Branches / Circle Offices / Administrative Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible.

	ख. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया। ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करना और आवश्यक लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाना और फोन कॉल / सम्मेलन कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर संवाद और चर्चा करना। घ. नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन के माध्यम से / ईमेल के माध्यम से हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समाधान।		b. Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. c. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls / conference calls, emails and similar communication channels. d. Resolution of our audit observations telephonically / through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

विषय का महत्व:

- अनुसूची संख्या 19 के खंड 15(ए) के साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वर्तमान तिमाही और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों में बैंक के साथ समामेलित पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक के आंकड़े शामिल हैं, जबकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए संबंधित वर्ष के आंकड़े समामेलन पूर्व केनरा बैंक के हैं और इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती है।
- अनुसूची संख्या 19 के खंड 15(बी) के साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के कारोबार संचालन पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

- अन्य सूचनाओं के लिए बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत स्तंभ III के प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, जिसे हमने इस लेखा परीक्षक की

Emphasis of Matter:

- Attention is drawn to Clause 15(a) of Schedule No. 19 to the accompanying Consolidated financial statements, that the figures for the current quarter and year ended 31st March, 2021 includes figures of erstwhile Syndicate Bank amalgamated with the Bank whereas figures for the corresponding year ended 31st March, 2020 are of pre-amalgamated Canara Bank and hence the same are not comparable.
- Attention is drawn to Clause 15(b) of Schedule No. 19 to the accompanying Consolidated financial statements, which describes the uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic and the management's evaluation of its impact on the business operations of the Bank.

Our report is not modified in respect of this matter.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon:

- The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), Corporate Governance

तारीख से पहले प्राप्त किया था और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इसके बाद आश्वासन निष्कर्ष को किसी भी रूप में व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय विचार करें कि वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत तो नहीं हो रही है।

अगर, हमने इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए शासन प्रभार प्राप्त व्यक्तियों और प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

- आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। बैंक के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताएँ रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और

Report, which we obtained prior to the date of this Auditor's Report, and the Directors Report, which is expected to be made available to us after the date of our auditor's report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be material misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

- The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its Associates and Jointly controlled entities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the Bank, Companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Respective Acts and Regulations for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments

प्रस्तुति के लिए लेखांकन के प्रासंगिक रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं, जिसका उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, के लिए जिम्मेदार हैं; जैसा कि पूर्व में कहा गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित समूह और उसके सहयोगी कंपनियों के निदेशक मंडल शामिल हैं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता का आकलन करने और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार हैं, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, वर्तमान हितों से संबंधित मामले और लेखांकन के हितों के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

- हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद से की जा सकती है।

and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates and jointly controlled entities.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन कर, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित कर, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के वर्तमान हितों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है और संयुक्त रूप से नियंत्रित हो सकती है संस्थाओं को एक वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ एक चिंता का विषय बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and jointly controlled entities to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान की गई गलत विवरणियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के साथ अभिशासन प्रभार प्राप्त उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध स्कोप तथा समयबद्धता और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ ही आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी जो शासन प्रभार प्रदान करते हैं एक विवरण प्रदान करते हैं कि जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां लागू हो।

शासन प्रभारी को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा।

अन्य मामले

- हमने वित्तीय विवरणों की नौ (09) अनुषंगियों और एक (1) संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2021 को ₹24249.00 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाते हैं। उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹9615.20 करोड़ और निवल नकदी बहिर्वाह ₹175.74 करोड़ रहा जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एक (01) सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की गई है, ₹136.81 करोड़ का कर के बाद निवल लाभ भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other matters

- We did not audit the financial statements Nine (09) subsidiaries, and one (1) jointly controlled entity, whose financial statements reflect total assets of ₹24249.00 crores as at 31st March, 2021, total revenues of ₹9615.20 crores and net cash outflows amounting to ₹175.74 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include net profit after tax of ₹136.81 crores for the year ended 31st March, 2021, as considered in the consolidated financial statements, in respect of one (01) associate, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished

रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है और सहयोगी, और हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

11. हमने चार (04) सहयोगियों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹117.76 करोड़ के कर के बाद निवल लाभ को दर्शाते हैं जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षित नहीं किया गया है और प्रबंधन द्वारा हमें समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय से सुसज्जित किया गया है, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और अनुषंगियों से संबंधित है, केवल इस तरह के अनधिकृत वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए भौतिक नहीं हैं।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी, काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों और वित्तीय विवरणियों / वित्तीय रिपोर्ट पर निर्भर करती है।

12. समूह की एक अनुषंगी कंपनी केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा परीक्षकों ने बताया है कि लाइफ पॉलिसी के लिए देयताओं का सक्रिय मूल्यांकन कंपनी की नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है। 31 मार्च 2021 तक इन देनदारियों के बीमांकक मूल्यांकन सक्रिय पॉलिसी और ऐसी पॉलिसी जिसके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन देयता मौजूद है नियुक्ति बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। नियुक्त किए गए बीमांकक ने कंपनी को प्रमाणित किया है कि इस तरह के मूल्यांकन की धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईआरडीएआई के साथ सहमति में जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। इसके अलावा, संबंधित कंपोनेंट के

to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, jointly controlled entity and associate, and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, jointly controlled entities and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

11. We did not audit the financial statements four (04) associates whose financial statements reflect net profit after tax of ₹117.76 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, jointly controlled entities and associates, and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, jointly controlled entities and associates, is based solely on such unaudited financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

12. The auditors of Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd., a subsidiary of the Group have reported that the actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the Appointed Actuary). The actuarial valuation of these liabilities as at 31st March, 2021 for policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at that date has been duly certified by the Appointed Actuary. The Appointed Actuary has certified to the Company that the assumptions for such valuations are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. Further, for the concerned Component, the Auditor has reported

लिए, लेखा परीक्षक ने बताया है कि उन्होंने इस संबंध में नियुक्त किए गए बीमांकक के प्रमाणन पर भरोसा किया था और अब तक बीमांकन मूल्यांकन से संबंधित उनकी राय केवल नियुक्त बीमांकक के प्रमाणन पर आधारित है और इसे इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

13. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ और हानि विवरणी को बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म "ए" और "बी" के रूप में तैयार किया गया है;

14. उपरोक्त पैराग्राफ में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा आवश्यक और उसमें किए गए खुलासों की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजनों के लिए उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

(बी) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिस हद तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

that they had relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard and their opinion in so far as it relates to the actuarial valuation is based solely on the certificate of the Appointed Actuary and is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

13. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Profit and Loss have been drawn up in Form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act 1949;

14. Subject to the limitations of the Audit indicated in the above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject also to the limitations of disclosures therein, we report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

(b) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते मेसर्स डी के छज्जर एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304138E

कृते मेसर्स एस एन के एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109176W

For M/s. D. K. Chhajjer & Co.
Chartered Accountants
FRN: 304138E

For M/s. S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN: 109176W

(जगन्नाथ पी महापात्रो)
भागीदार
सदस्यता सं. 217012
UDIN: 21217012AAAAED1053

(अंकित डी दानावाला)
भागीदार
सदस्यता सं. 119972
UDIN: 21119972AAAAADR3951

(Jagannath P Mohapatro)
Partner
Membership Number: 217012
UDIN: 21217012AAAAED1053

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership Number: 119972
UDIN: 21119972AAAAADR3951

कृते मेसर्स एन के भार्गव एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000429N

कृते मेसर्स राव & एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003084S

For M/s. N. K. Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

For M/s. Rao & Emmar
Chartered Accountants
FRN: 003084S

(एन के भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं. 080624
UDIN: 21080624AAAAADA9843

(प्रवीण बी जे)
भागीदार
सदस्यता सं. 215713
UDIN: 21215713AAAAJO5077

(N. K. Bhargava)
Partner
Membership Number 080624
UDIN: 21080624AAAAADA9843

(Praveen B J)
Partner
Membership Number: 215713
UDIN: 21215713AAAAJO5077

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित विचार शामिल हैं।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2021 contains unmodified opinion.

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक व
मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

V RAMACHANDRA
CGM &
CHIEF FINANCIAL OFFICER

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CEO

कृते मेसर्स डी के छाजर एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304138E

(जगन्नाथ पी महापात्रो)
भागीदार
सदस्यता सं. 217012

कृते मेसर्स एन के भार्गव एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000429N

(एन के भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं. 080624

कृते मेसर्स एस एन के एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109176W

(अंकित डी दानावाला)
भागीदार
सदस्यता सं. 119972

कृते मेसर्स राव & एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003084S

(प्रवीण बी जे)
भागीदार
सदस्यता सं. 215713

For M/s. D. K. Chhajera & Co.
Chartered Accountants
FRN: 304138E

(Jagannath P Mohapatra)
Partner
Membership Number 217012

For M/s. N. K. Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

(N. K. Bhargava)
Partner
Membership Number 080624

For M/s. S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN: 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership Number 119972

For M/s. Rao & Emmar
Chartered Accountants
FRN: 003084S

(Praveen B J)
Partner
Membership Number 215713

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

सेवा में,

निदेशक मंडल

केनरा बैंक

प्रका : बेंगलूरु

विषय: सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

क) हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणियों में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की बनावट या परिचालन में कमियों यदि कोई हो, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात हो और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors

CANARA BANK

HO : Bengaluru

Sub: CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

a) We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2021 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

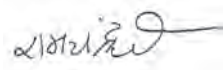
d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

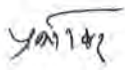
(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि कोई हो, जिनके बारे में हम जागरूक हो गए हैं, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



वी रामचंद्र

मुख्य महा प्रबंधक व मुख्य वित्त
अधिकारी

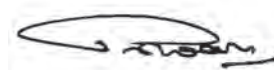


एल वी प्रभाकर

प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



V RAMACHANDRA
CGM & CHIEF FINANCIAL
OFFICER



L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2021

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	अनुसूची Schedule	यथा दिनांक 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	1646 73 82	1030 23 34
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	60762 84 96	40175 71 83
अल्पांश (मिनोरिटीएस) ब्याज / MINORITY INTEREST	2ए / 2A	793 37 68	730 10 30
जमा / DEPOSITS	3	1010985 02 18	625408 31 60
उधार / BORROWINGS	4	50012 80 28	42761 76 71
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	55338 81 03	31334 13 24
कुल / Total		1179539 59 95	741440 27 02
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	43115 94 36	22572 95 88
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	135750 43 48	46016 85 77
निवेश / INVESTMENTS	8	286191 25 30	192645 37 16
अग्रिम / ADVANCES	9	639286 54 46	432403 38 32
अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	11271 16 56	8323 35 02
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	63924 25 79	39478 34 87
कुल / Total		1179539 59 95	741440 27 02
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	507289 38 32	373712 87 89
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		53385 99 26	35939 89 40

*31.03.2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े पूर्व समामेलन अवधि के समेकित केनरा बैंक वित्तीय स्थिति से संबंधित हैं, इसलिए 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए पोस्ट समामेलन वित्तीय के साथ तुलनीय नहीं है.

आर. महेंद्रन
मंडल प्रबंधक

के. शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

अरविंद कुमार
सहायक महा प्रबंधक

एस.के. मजूमदार
महा प्रबंधक

वी. रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक

के. सत्यनारायण राजु
कार्यपालक निदेशक

ए. मणिमोहन
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर. केशवन
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी. शर्मा
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E

कृते एस.एन. के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N

कृते राव एंड एम्मार
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S

(जगन्नाथ प्रसाद महापात्रो)
साझेदार
सदस्यता सं. 217012

(अंकित डी. दानावाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 119972

(एन.के. भार्गव)
साझेदार
सदस्यता सं. 080624

(प्रवीण बी.जे.)
साझेदार
सदस्यता सं. 215713

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

यथा दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

	अनुसूची Schedule	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2021 (₹ '000)	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2020 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	70212 60 35	49758 75 43
अन्य आय / OTHER INCOME	14	23447 14 79	11799 40 41
कुल / Total		93659 75 14	61558 15 84
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	45182 49 71	35817 18 63
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	28284 89 69	16066 96 54
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		17490 37 27	11696 51 06
कुल / Total		90957 76 67	63580 66 23
सहयोगियों में आय का हिस्सा SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	254 58 12	101 49 70
अल्पांश ब्याज काटने से पहले के वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		2956 56 59	(1921 00 69)
कम: अल्पांश ब्याज (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		65 96 10	65 42 47
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		2890 60 49	(1986 43 16)
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		639 39 42	-
पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		1162 70 39	-
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE		755 47 87	-
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE			-
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE			-
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND			-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND			-
लाभांश कर / DIVIDEND TAX			-
राजस्व व अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित शेष BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		333 02 81	(1986 43 16)
कुल / Total		2890 60 49	(1986 43 16)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी नीतियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		19. 11	(23. 55)

Figures of the year ended 31.03.2020 are related to consolidated Canara Bank Financials of pre-amalgamation period, hence not comparable with post-amalgamation financials for the year ended 31.03.2021.

R MAHENDRAN DIVISIONAL MANAGER	K SIVARAMAKRISHNAN DIVISIONAL MANAGER	ARVIND KUMAR ASST. GENERAL MANAGER	S K MAJUMDAR GENERAL MANAGER	V RAMACHANDRA CHIEF GENERAL MANAGER
K SATYANARAYANA RAJU EXECUTIVE DIRECTOR	A. MANIMEKHALAI EXECUTIVE DIRECTOR	DEBASHISH MUKHERJEE EXECUTIVE DIRECTOR	L.V. PRABHAKAR MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	
SUCHINDRA MISRA DIRECTOR	R KESAVAN DIRECTOR	VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER DIRECTOR	BIMAL P SHARMA DIRECTOR	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **D.K. CHHAJER & CO**
Chartered Accountants
FRN : 304138E

For **S. N. K. & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 109176W

For **N. K. BHARGAVA & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 000429N

For **RAO & EMMAR**
Chartered Accountants
FRN : 003084S

(Jagannath P Mohapatro)
Partner, Membership No. 217012

(Ankit D. Danawala)
Partner, Membership No. 119972

(N.K. Bhargava)
Partner, Membership No. 080624

(Praveen B.J.)
Partner, Membership No. 215713

PLACE : Bengaluru
DATE : 18.05.2021

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 1 – पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000 00 00	3000 00 00
(₹10/- प्रति शेयर के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त: / Issued, Subscribed and Paid up:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹10/- प्रति शेयर के 1,14,17,09,678 इक्विटी शेयर पिछले वर्ष ₹10/- प्रति शेयर के 80,89,33,351 इक्विटी शेयर	1141 70 97	808 93 34
i) 1,14,17,09,678 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 80,89,33,351 Equity share of ₹10/- each held by Central Government		
ii) ₹10/- प्रति शेयर के 50,50,28,542 इक्विटी शेयर अन्य द्वारा धारित पिछले वर्ष ₹10/- प्रति शेयर के 22,13,00,000 इक्विटी शेयर	505 02 85	221 30 00
ii) 50,50,28,542 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 22,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.		
	1646 73 82	1030 23 34
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves	11758 18 96	8387 12 20
II. पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserves	4184 49 58	2488 67 07
III. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Capital Reserves on Consolidation	2 79 19	2 79 19
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	30156 36 38	18367 39 70
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve	72 07 36	132 91 54
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve	8284 23 70	6332 79 04
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	409 51 75	565 80 00
VIII. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधि Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	5536 46 92	4000 00 00
IX. राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / Revenue and Other Reserves	358 71 12	-101 76 91
कुल / Total	60762 84 96	40175 71 83
अनुसूची 2ए - अल्पांश ब्याज / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
मूल-अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तिथि पर अल्पांश ब्याज		
I. Minority Interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. अनुवर्ती वृद्धि / (कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	683 22 56	619 95 18
कुल / Total	793 37 68	730 10 30

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
ए. A. I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	539 48 32	317 57 55
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	48779 43 16	26103 76 01
कुल / Total	49318 91 48	26421 33 56
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	281536 45 34	169754 82 67
कुल / Total	281536 45 34	169754 82 67
III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	49641 58 35	23418 15 73
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	630488 07 01	405813 99 64
कुल / Total	680129 65 36	429232 15 37
कुल / TOTAL	1010985 02 18	625408 31 60
बी. B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	963305 5278	564834 42 79
ii. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA	47679 4940	60573 88 81
कुल / Total	1010985 02 18	625408 31 60
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	2408 00 00	2291 00 00
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS	84 83 56	2807 06 42
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	16369 10 10	11909 68 94
iv. प्रतिभूति - रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	23116 10 00	15149 30 00
कुल / Total	41978 03 66	32157 05 36
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	8034 76 62	10604 71 35
ii. प्रतिभूति - रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)		
कुल / Total	8034 76 62	10604 71 35
कुल / TOTAL	50012 80 28	42761 76 71

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	2067 24 19	1120 01 36
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	(2408 03 46)	(1862 84 79)
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2620 29 41	2068 25 23
IV. आस्थगित कर देयता / DEFERRED TAX LIABILITY		
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	53059 30 89	30008 71 44
कुल / Total	55338 81 03	31334 13 24
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	4404 70 42	4601 16 94
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / - IN CURRENT ACCOUNT	38711 23 94	17971 78 94
कुल / Total	38711 23 94	17971 78 94
कुल / TOTAL	43115 94 36	22572 95 88
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंक में शेष / BALANCE WITH BANKS		
ए. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	242 55 28	339 80 19
बी. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	12 24 80	13 76 13
कुल / Total	254 80 08	353 56 32
ii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
ए. बैंकों में / a. WITH BANKS	9801 71 26	8290 32 13
बी. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	53580 78 30	13714 54 05
कुल / Total	63382 49 56	22004 86 18
कुल / TOTAL	63637 29 64	22358 42 50
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	12244 95 62	6108 69 20
ii. जमा खातों में / ii. IN DEPOSIT ACCOUNTS	40325 47 13	9773 72 63
iii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	19542 71 09	7776 01 44
कुल / Total	72113 13 84	23658 43 27
कुल / TOTAL	135750 43 48	46016 85 77

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश : सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	287489 30 14	192779 33 75
घटाएं पर: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	4445 02 22	2172 93 25
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	283044 27 92	190606 40 50
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	246087 01 07	165050 26 64
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	2125 76 34	1411 95 22
iii. शेयर SHARES	4314 69 44	6257 63 63
iv. डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	17444 14 16	12498 59 37
v. सहभागियों में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES	3167 92 34	1625 01 01
vi. अन्य (म्यूचुअल फंड, वीसीएफ, सीडी, सीपी आदि) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	9904 74 57	3762 94 63
कुल / Total	283044 27 92	190606 40 50
II. भारत के बाहर निवेश- सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	3153 91 93	2060 44 32
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	6 94 55	21 47 66
भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	3146 97 38	2038 96 66
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	424 28 10	503 77 86
ii. अन्य OTHERS	2722 69 28	1535 18 80
कुल / Total	3146 97 38	2038 96 66
कुल / TOTAL	286191 25 30	192645 37 16

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
ए. A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	5599 18 76	15903 99 06
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	255191 36 76	157909 49 03
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	378495 98 94	258589 90 23
कुल / Total	639286 54 46	432403 38 32
बी. B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित) / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	511434 85 27	353493 33 47
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	7907 70 17	10218 24 46
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	119943 99 02	68691 80 39
कुल / Total	639286 54 46	432403 38 32
सी. C. i. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	300354 15 77	187718 83 79
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	50281 08 02	32316 80 09
iii. बैंक / BANKS	72	3262 61 01
iv. अन्य / OTHERS	268997 16 38	184641 99 07
कुल / Total	619632 40 89	407940 23 96
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / Due from Banks		
ii. अन्य से देय / Due from Others		
(ए) खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल (a) BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	164 14 59	12113 02 30
(बी) मीयादी / समूहन ऋण / (b) TERM / SYNDICATED LOANS	16846 51 60	10776 35 89
(सी) अन्य / (c) OTHERS	2643 47 38	1573 76 17
कुल / Total	19654 13 57	24463 14 36
कुल / TOTAL	639286 54 46	432403 38 32

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)		यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	8241 54 57		8176 39 32	
वर्ष के दौरान परिवर्धन* / ADDITIONS DURING THE YEAR*	1984 56 22		65 26 35	
	10226 10 79		8241 65 67	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR	484 74 22			
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	44 81 84		11 10	
	10666 03 17		8241 54 57	
अद्यतन मूल्यहास* / DEPRECIATION TO DATE*	1304 07 40	9361 95 77	1054 62 45	7186 92 12
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	4394 69 52		4185 94 82	
वर्ष के दौरान परिवर्धन* ADDITIONS DURING THE YEAR*	2941 74 86		313 06 91	
	7336 44 38		4499 01 73	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	146 64 48		104 32 21	
	7189 79 90		4394 69 52	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE*	5288 61 58	1901 18 32	3264 50 02	1130 19 50
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	81 75 72		80 30 66	
वर्ष के दौरान परिवर्धन* / ADDITIONS DURING THE YEAR*	54 58		3 02 21	
	82 30 30		83 32 87	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	1 93 45		1 57 15	
	80 36 85		81 75 72	
अद्यतन मूल्यहास* / DEPRECIATION TO DATE*	75 00 27		75 53 73	
	5 36 58		6 21 99	
घटाएं : पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	- 31 66	5 68 24	- 1 41	6 23 40
IV. प्रवर्तमान पूंजीगत / CAPITAL WORK IN PROGRESS				
प्रवर्तमान पूंजीगत : प्रारंभिक शेष CAPITAL WORK IN PROGRESS- OP BAL				
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR*	6 62 65			
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	4 28 42	2 34 23		
कुल / Total		11271 16 56		8323 35 02

*चालू वर्ष के दौरान वृद्धि / कमी और आज तक मूल्यहास में पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक से अंतरित शेष राशि शामिल है।

* Additions / Deduction during the current year and Depreciation to Date includes balances carried forward from erstwhile Syndicate Bank.

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	यथा 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	8449 97 27	5465 54 08
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	13720 62 14	13097 18 19
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प STATIONERY AND STAMPS	3 56 72	10 81 76
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	108 16 76	109 30 37
V. अन्य / OTHERS	30933 47 99	16943 23 27
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS	10708 44 91	3852 27 20
कुल / Total	63924 25 79	39478 34 87
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	16609 19 94	9556 79 02
II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	44 00	36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	416865 19 29	300719 60 22
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
ए. भारत में / a. IN INDIA	45540 32 19	35173 58 37
बी. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	168 10 97	274 57 15
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	45708 43 16	35448 15 52
VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	23631 39 94	24890 32 44
ए. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED		-
बी. अन्य / b. OTHERS	4474 71 99	3087 64 69
कुल / Total	507289 38 32	373702 87 89

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

	यथा दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2021 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2020 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		50422 40 82		36060 46 12
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS		17821 09 85		12165 31 51
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		1861 32 87		1409 17 54
IV. अन्य / OTHERS		107 76 81		123 80 26
कुल / Total		70212 60 35		49758 75 43
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1846 81 84		1234 12 35
II. निवेश के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	4066 17 32		716 11 67	
लाभ / PROFIT				
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	4066 17 32		716 11 67	
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	2543 76 12			
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS		2543 76 12	1 73 82	-1 73 82
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	28 70 25	28 70 25		
घटाएं : हानि / LESS : LOSS			1 34 11	-1 34 11
V. विनिमय लेन-देन से लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	1883 13 26		1116 23 23	
घटाएं: हानि / LESS : LOSS		1883 13 26		1116 23 23
VI. लाभांश के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		50 59 32		40 59 99
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		13027 96 68		8695 41 10
कुल / Total		23447 14 79		11799 40 41
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज				
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS		42105 45 20		33527 83 91
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS		1059 67 17		1171 11 31
III. अन्य / OTHERS		2017 37 34		1118 23 41
कुल / Total		45182 49 71		35817 18 63

यथा दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

	यथा दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2021 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2020 (₹ '000)
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	13099 47 82	7501 11 63
II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING	1165 44 64	824 16 92
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	179 75 50	80 76 98
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	80 20 30	86 02 09
V. बैंक की संपत्ति में मूल्यहास / DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	838 03 51	445 90 84
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 06 75	1 24 29
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)	116 99 93	56 62 64
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	85 42 54	73 16 51
IX. डाक, तार, दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	148 32 37	82 48 13
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	550 55 06	328 11 92
XI. बीमा / INSURANCE	1070 25 60	550 78 18
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	10949 35 67	6036 56 41
कुल / Total	28284 89 69	16066 96 54
अनुसूची 17 - सहयोगियों में आय / (हानि) की हिस्सेदारी SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES		
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD.	136 81 81	112 83 70
II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS		
ए. कर्नाटक ग्रामीण बैंक A. KARNATAKA GRAMIN BANK	4 81 33	6 51 37
बी. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	9 37 22	-17 85 37
सी. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक C. ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK	100 40 74	
डी. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक D. KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK	3 17 02	
कुल / Total	254 58 12	101 49 70

अनुसूची - 18

यथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

[1] (क) समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने का आधार

बैंक (मूल संस्था), इनके अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों (समूह) की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यता उल्लेखित को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणी के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

[2] समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह [नौ (9) अनुषंगियों, पाँच (5) सहबद्ध संस्थाओं तथा एक (1) संयुक्त उद्यम सहित] के समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी निम्नलिखित के आधार पर की गई:

(क) केनरा बैंक (मूल संस्था) के लेखापरीक्षित लेखा।

(ख) बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणी एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतर-समूह लेन देनों और नहीं उगाहे गये लाभ / हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (एएस) 21 (समेकित वित्तीय विवरणी) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

SCHEDULE - 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

[1] (a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Nine (9) Subsidiaries, Five (5) Associates and One (1) Joint Venture] have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

(ग) सहबद्ध संस्थाओं में की गई दीर्घावधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन (एएस) 23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों के लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरणी) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि विवरणी में अलग से दर्शाया गया है।

(घ) संयुक्त उद्यम के मामले में 'समनुपातिक समेकन पद्धति' में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (एएस) 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है।

2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पांश ब्याज से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पांश शेयरधारकों के हिस्से से है।

2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के ईक्विटी में प्रधान के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / पूंजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई।

[3] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से त्रैमासिक दरों पर उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

3.2 विदेशी शाखाओं के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक (मूल संस्था) द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

3.3 परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 11 - (विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव) के अनुरूप एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में 'फेडआई' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडआई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है।

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Unaudited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

(d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in Accounting Standard (AS) 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

[3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.

3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.

3.3 Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, रद्दकरण तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[4] निवेश

4.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस) और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है।

निवेशों को तुलन-पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ड) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

4.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

(क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

(ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है:

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[4] Investments

4.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others.

4.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

4.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है। मूल्य में किसी प्रकार के हास, अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, पूर्णतः प्रदान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन साल की अवधिक के बाद इसे भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) के दिशानिर्देशों के अनुसार एफएस में अंतरित किया जाएगा व बाजार के लिए चिह्नित कर दिया जाएगा।

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाजार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / उद्धरण, भारतीय व्युत्पत्ती संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भा. भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश का अनुसार किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यहास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि यदि कोई हो तो नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार आधार पर अंकित किए जाने पर बही मूल्य को कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को [उक्त पैरा 4.3 (क) का संदर्भ ले] वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि लगातार 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ग) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाजार उद्धरण,

(a) Held to Maturity (HTM)

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Associates are valued under equity method. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and mark to market as per RBI guidelines.

(b) Available for Sale (AFS)

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per RBI guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the RBI guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at Mark-to-Market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years [Refer para 4.3 (a) above] are valued at Net Asset Value (NAV) as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF

(c) Held for Trading (HFT)

Investments classified under this category are

भारतीय व्युत्पत्ती संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक प्रतिभूति के तहत निवल मूल्यहास को मान्यता दी गई तथा मूल्यवृद्धि, यदि कोई है तो, नकारा गया। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन “बाजार के लिए अंकित किए जाने” पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

4.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:

- (क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।
- (ख) एफएस / एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।
- (ग) एफएस से एचटीएम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है।

4.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी / आरसी) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय आस्तियों के मामले में एससी / आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है:

- (क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तद्संबंधी कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है।
- (ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन एससी / आरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

4.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की

valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after “marked to market”.

4.4 Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

- (a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.
- (b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.
- (c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

4.5 Non-performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt or the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

- (a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.
- (b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

4.6 Non-performing Investments Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is

जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

4.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ तथा ‘व्यापार के लिए धारित’ श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

‘परिपक्वता के लिए धारित’ श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

4.8 रेपो / प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एलएएफ के साथ एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों की पुनः खरीद / पुनर्बिक्री को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाता है और रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। यथास्थिति अनुसार, लागत और राजस्व का ब्याज व्यय / आय के रूप में गणना की जाती है।

[5] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक (मूल संस्था) ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक (मूल संस्था) द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक (मूल संस्था) द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यंकित किया जाता है:

(क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यह्रास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।

(ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं:

- बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक आधारभूत बचाव का लिए नामिल व्युत्पन्न संविदाएं आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।

made. Depreciation in respect of such Non-performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

4.7 Profit on Sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of ‘Available for Sale’ and ‘Held for Trading’ categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of ‘Held to Maturity’ category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

4.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo/ Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

[5] Derivative contracts

The Bank (Parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

- Derivative contracts dealt for trading are valued on mark-to-market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

(ii) प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचय आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया है।

[6] अग्रिम

- 6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 6.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 6.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- 6.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर जो भी अधिक कड़े हैं।
- 6.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 6.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का प्रभाव प्रथमतः प्रभार व ब्याज, के प्रति किया जाता है। तत्पश्चात मूलधन के प्रति किया जाता है, सिवाय अनर्जक अग्रिमों के, जिसमें समझौता निपटान / कालातीत ऋण शामिल है। जहाँ वसूलियों का समायोजन पहले मूल धन के प्रति किया जाता है।
- 6.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- 6.8 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

[7] अचल परिसंपत्तियां

- 7.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल परिसंपत्तियों का पूंजीयन उसके उपयोग की तिथि के आधार पर किया जाता है।
- 7.2 भूमि व परिसर को पुनर्मूल्यन लागत और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा की जाती है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया

(ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

[6] Advances

- 6.1 Advances are classified as Performing and Non-performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 6.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 6.4 Provisions for performing / Non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- 6.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 6.6 Partial recoveries in Non-performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of Non-performing advances involving compromise settlements / 'Loan Past Due' advances, where the recoveries are first adjusted towards principal.
- 6.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.
- 6.8 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

[7] Fixed Assets

- 7.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- 7.2 Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value

गया है। पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों से राजस्व आरक्षित निधियों में समतुल्य राशि हस्तांतरित की गई है।

[8] मूल्यहास

8.1 मूल संस्था

- 8.1.1 संपत्ति के जीवन काल के आधार पर सभी संपत्तियों के लिए मूल्यहास विधि सीधी रेखा पद्धति के आधार पर है।
- 8.1.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों की अवधि को परिभाषित किया गया है।
- 8.1.3 विभिन्न वर्ग की आस्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई आस्तियों का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है:

क्रम सं.	संपत्ति का प्रकार	अनुमानित जीवनकाल
i	पूर्व स्वामित्ववाली इमारतें	60 साल
ii	लीज होल्ड लैंड & इमारतें (25 साल तक की लीज)	पट्टे की अवधि से कम या 60
iii	फर्नीचर और फिक्स्चर	10 साल
iv	इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5 - 10 साल
v	कंप्यूटर और सर्वर	3 साल
vi	मोटर वाहन	5 साल

मूल्यहास की दशें परिवर्तन (जीवन काल पर आधारित) दिनांक 01-04-2020 से लागू किया है।

- 8.1.4 सॉफ्टवेयर / अमूर्त संपत्ति का 5 वर्षों में परिशोधन किया जाता है।
- 8.1.5 यदि अधिग्रहण के वर्ष में वस्तु को 180 दिनों और उससे अधिक के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यहास लगाया जाएगा। यदि अधिग्रहण के वर्ष में 180 दिनों से कम समय के लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यहास लगाया जाता है।
- 8.1.6 मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन 8 वर्ष और उससे अधिक है। मूल लागत मूल्य का ₹5/- अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य है।
- 8.1.7 पट्टेदारी संपत्तियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम को लीज अवधि या प्रासंगिक संपत्ति के जीवन काल, जो भी पहले हो, पर चार्ज किया जाता है। पट्टेदारी भूमि की लागत और पट्टेदारी

have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[8] Depreciation

8.1 Parent

- 8.1.1 Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on life span of the assets.
- 8.1.2 The life span of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013.
- 8.1.3 Estimated life span of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

Sl No	Type of asset	Estimated life span
i	Free hold Buildings	60 Years
ii	Lease hold land & Buildings (Up to 25 years lease)	Lower of lease period or 60 Years
iii	Furniture & Fixtures	10 Years
iv	Electric & Electronic Equipment	5 - 10 Years
v	Computers and Servers	3 Years
vi	Motor Vehicles	5 years

The change in rates (based on life span) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

- 8.1.4 Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.
- 8.1.5 If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is be charged for the concerned financial year.
- 8.1.6 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets.
- 8.1.7 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant asset whichever is earlier. Cost of leasehold land

सुधारों को पट्टे की अवधि या प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन काल में जो भी कम हो, परिशोधित किया जाता है।

8.1.8 विदेशी कार्यालयों में धारित अचल संपत्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है

8.1.9 ऑपरेटिंग लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित लीज भुगतान को आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टों) के अनुसार लीज अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है।

8.2 अनुषंगियां

(क) घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर किया गया।

(ख) सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यहास सीधी लाइन पद्धति आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोग्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल्यहासित किया गया है।

(ग) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

[9] आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारित किया जाता है कि किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं यदि ऐसा कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

[10] राजस्व का परिकलन

निम्नलिखितों को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दी गई है।

(ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराये पर ब्याज की गणना वसूली होने पर की गई है।

and leasehold improvements are amortised over the period of lease or life span of relevant assets which ever is lower.

8.1.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

8.1.9 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8.2 Subsidiaries

(a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.

(b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

(c) In respect of leased assets, depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

[9] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[10] Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

(a) Interest on Non-performing advances and Non-performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.

(b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

- (ग) लाभांश की गणना तब की जाएगी जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाएगा।
- (घ) जहां तक बैंक के विदेशी कार्यालयों का संबंध है, आय और व्यय को उस देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार गणना की जाती है जिसमें संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है।
- (ङ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

[11] जीवन बीमा कंपनी:

(क) प्रीमियम:

पॉलिसी धारकों से वसूली की तार्किक निश्चितता है तो, देय प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी गई है। इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को मान्यता दी गई है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दी गई है। प्रीमियम को जीएसटी / सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दी गई है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है।

(ख) संबद्ध कारोबार से आय:

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दी गई है।

(ग) पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा प्रीमियम के भुगतान का लेखांकन पुनः बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार किया जाता है।

(घ) प्रदत्त लाभ (दावे सहित):

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है। मृत्यु दावों तथा राइडर दावों का लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद किया जाता है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों का लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर किया जाता है।

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण (प्रभार का निवल) का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रद्द होने पर किया जाता है। परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत

- (c) Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- (d) As regards Bank's foreign offices, income and expenditure are recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- (e) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[11] Life Insurance Company:

(a) Premium:

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of GST / service tax. Top-up premium is considered as single premium.

(b) Income from Linked Business:

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

(c) Reinsurance Premium:

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

(d) Benefits Paid (Including Claims):

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for

इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर किया जाता है।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के अभ्यर्पण के मामले में, अर्थात् पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), वैसी पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

बीमित प्रस्तावक की मृत्यु के उपरांत यदि बीमा उत्पादों में आगामी प्रीमियम शेष में छूट का प्रावधान हो तो बीमित प्रस्तावक की मृत्यु पर लाभ भुगतान के अंतर्गत देनदारी के रूप में कुल आगामी प्रीमियम माफ कर दी जाएगी। जब आगामी मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है तब उक्त प्रीमियम को उक्त दायित्व को कम करते हुए वित्त पोषित किया जाता है और प्रीमियम आय समान रूप से मान्य होता है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली का लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में की जाती है।

(ड) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है। प्रथम वर्ष में भुगतान किए गए कमीशन वापस ले लिए जाने के कारण, उसकी वसूली यदि की गई हो तो, भविष्य में उसका लेखांकन उस वर्ष में की जाती है जिसमें उसका वसूली देय होती है।

(च) जीवन पॉलिसियों की देयताएं:

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के अस्तित्व, देयताएं तथा शोध क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा आईआरडीए द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम, तथा समय-समय पर संशोधित, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक (एपीएस 2 व एपीएस 7) बीमांकिक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बीमांकिक सिद्धांतों के अनुसार होता है।

when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock-in period i.e., 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called 'UL Discontinued Policy Fund' and is paid to the policyholder on the expiry of the lock-in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

In case of insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

(e) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

(f) Liability for Life Policies:

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

[12] कर्मचारी हितलाभ

(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं:** परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

बैंक में 01-08-2010 को या उसके बाद शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित योगदान योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्यों को मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। इस योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन के 10% के साथ महंगाई भत्ते को बैंक से मिल रहे योगदान के साथ योजना में योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

(i) **उपदान:** कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल संस्था) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक (मूल संस्था) के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल संस्था) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक (मूल संस्था) के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

(ग) अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गयी है।

[12] Employee Benefits

(a) **Defined Contribution Plans:** Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-08-2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

(b) Defined Benefit Plans

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

[13] कराधान के लिए प्रावधान

- (क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।
- (ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है।
- (ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यथास्थिति अनुसार प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परिकलन किया जाता है कि क्या उसकी वसूली को यथोचित रूप से निश्चित या आभासी रूप से निश्चित जैसा मामला है, माना जाता है।
- (घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनामेलित मूल्यहास और कर के नुकसान से आगे ले जाने पर रखा जाता है, अगर इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी अस्थगित कर संपत्ति की वसूली को भविष्य में मुनाफे के प्रति प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियां उचित निश्चितता के आधार पर रखी जाती हैं।

[14] प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

- (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 29 (आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक (मूल संस्था) द्वारा प्रावधानों को मान्यता, तभी दी जाती है, केवल जब:
 - (i) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई बाध्यता हो
 - (ii) उस बाध्यता को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो
 - (iii) जब बाध्यता राशि के उचित परिकलन किया जा सकता हो।

(ख) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया

- (i) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक (मूल संस्था) के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।

[13] Provision for Taxation

- (a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.
- (b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date
- (c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or Virtual certain as the case may be.
- (d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

[14] Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets

- (a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when:
 - (i) It has a present obligation as a result of past event.
 - (ii) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
 - (iii) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for

- (i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).

(ii) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा

(iii) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान किया गया है। सिवाय वहां जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता है।

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी गई है।

[15] निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है:

- (क) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- (ख) कराधान के लिए प्रावधान
- (ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- (घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- (ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- (च) अन्य सामान्य व अनावश्यक प्रावधान

[16] प्रति शेयर अर्जन

बैंक (मूल संस्था), लेखांकन मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

[17] नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है।

[18] खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

(ii) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or

(iii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

[15] Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for Depreciation on Investments.
- (b) Provision for Taxation.
- (c) Provision on Loan Losses.
- (d) Provision on Standard Assets.
- (e) Provision for Non-performing Investments.
- (f) Other usual & necessary items.

[16] Earnings Per Share

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.

[17] Cash Flow Statement

Cash Flow Statement is reported by using indirect method.

[18] Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

अनुसूची - 19

यथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

- समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (मूल कंपनी) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम शामिल है। अनुषंगियों / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणी को मूल कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि के समान अर्थात् यथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्नलिखित अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकन हेतु विचार किया गया है:

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमिति देश	लेखापरीक्षित/ गैर-लेखापरीक्षित	यथा 31.03.2021 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2020 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1.	केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
2.	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
3.	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	लेखापरीक्षित	70.00%	70.00%
4.	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
5.	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.	भारत	लेखापरीक्षित	69.14%	69.14%
6.	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पूर्व में जीआईएलटी सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि.)	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
7.	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
8.	केनरा बैंक (तंजानिया) लि.	तंजानिया	लेखापरीक्षित	100%	100%
9.	सिंडिकेट बैंक सर्विसेज लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100%	100%

SCHEDULE - 19

NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

- The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries / Associates/Joint venture are drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2021.

1.1 Subsidiaries

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiaries	Country of incorporation	Audited / Unaudited	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2021	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2020
1.	Canbank Financial Services Ltd.	India	Audited	100.00%	100.00%
2.	Canbank Venture Capital Fund Ltd.	India	Audited	100.00%	100.00%
3.	Canbank Factors Ltd.	India	Audited	70.00%	70.00%
4.	Canara Robeco Asset Management Company Ltd.	India	Audited	51.00%	51.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd.	India	Audited	69.14%	69.14%
6.	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.)	India	Audited	100.00%	100.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.	India	Audited	51.00%	51.00%
8.	Canara Bank (Tanzania) Ltd.	Tanzania	Audited	100%	100%
9.	Synd Bank Services Ltd.	India	Audited	100%	100%

1.2. सहयोगी संस्थाएं

- I. निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं में निवेश को उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकन के उद्देश्य हेतु विचारार्थ लिया गया है:

क्रमांक	सहयोगी संस्थाओं के नाम	लेखापरीक्षित / गैर-लेखापरीक्षित	निगमिति देश	यथा 31.03.2021 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2020 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि.	लेखापरीक्षित	भारत	30.00%	30.00%
2	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)	गैर-लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक)	गैर-लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
4	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	गैर-लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
5	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	गैर-लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates

- I. The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Financial Statements.

Sl. No.	Name of the Associate	Audited/ Unaudited	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2021	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2020
1	Canfin Homes Ltd.	Audited	India	30.00%	30.00%
2	Karnataka Gramina Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank)	Unaudited	India	35.00%	35.00%
3	Kerala Gramina Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)	Unaudited	India	35.00%	35.00%
4	Karnataka Vikas Grameena Bank	Unaudited	India	35.00%	35.00%
5	Andhra Pragathi Grameena Bank	Unaudited	India	35.00%	35.00%

1.3 संयुक्त उद्यम

- ए. रूस में निगमित कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मास्को (पूर्व में वाणिज्यिक बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को) संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है, समेकन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खाते के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।
- बी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-27 “संयुक्त उद्यम में हिस्सा की वित्तीय रिपोर्टिंग” की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत हैं:

1.3 Joint Venture

- a. In respect of Commercial Indo Bank LLC, Moscow, (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow) the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on audited accounts for the year ended 31st March, 2021. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.
- b. As required by Accounting Standard (AS)-27 - “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent’s share in the said Joint Venture is as under:

क. तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	107.22	110.97
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	(19.40)	(28.92)
जमा	150.50	58.26
उधार	29.24	-
अन्य देयताएं व प्रावधान	5.64	4.69
कुल	273.20	145.00
आस्तियाँ		
नकद व शेष	0.22	0.18
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	206.08	74.75
निवेश	41.92	43.27
अग्रिम	19.11	24.40
अचल आस्तियाँ	1.65	2.00
अन्य आस्तियाँ	4.22	0.40
कुल	273.20	145.00
आकस्मिक देयताएं	11.22	1.33

ख. लाभ और हानि खाता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
आय		
अर्जित ब्याज	8.92	9.21
अन्य आय	2.00	6.19
कुल	10.92	15.40
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.32	0.70
परिचालन व्यय	5.72	4.04
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.25	1.99
कुल	8.29	7.43
लाभ	2.63	8.67

2. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूँजी आरक्षित निधियाँ / (साख) की अलग विवरणी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2021	31.03.2020
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.25	0.25
निवल पूँजी आरक्षित निधियाँ	2.79	2.79

A. Balance Sheet

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Capital & Liabilities		
Capital	107.22	110.97
Reserve & Surplus	(19.40)	(28.92)
Deposits	150.50	58.26
Borrowings	29.24	-
Other Liabilities and Provisions	5.64	4.69
TOTAL	273.20	145.00
Assets		
Cash Balance	0.22	0.18
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	206.08	74.75
Investments	41.92	43.27
Advances	19.11	24.40
Fixed Assets	1.65	2.00
Other Assets	4.22	0.40
TOTAL	273.20	145.00
Contingent Liabilities	11.22	1.33

B. Profit & Loss Account

(₹ in Crore)

Particulars	2020-21	2019-20
Income		
Interest Earned	8.92	9.21
Other Income	2.00	6.19
TOTAL	10.92	15.40
Expenditure		
Interest Expended	2.32	0.70
Operating Expenses	5.72	4.04
Provision and Contingencies	0.25	1.99
TOTAL	8.29	7.43
PROFIT	2.63	8.67

2. The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2021	31.03.2020
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Limited	0.25	0.25
Net Capital Reserve	2.79	2.79

3. अंतरशाखा लेनदेन और लेखा शेष का पुष्टि

अंतर कार्यालय समाशोधन लेखा के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा स्वतः मूल बैंक के अंतर शाखा / कार्यालय संव्यवहार के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग किया जाता है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में विविध लेनदार, विविध देनदार, ऋण और अग्रिम आदि शेष पुष्टि के अधीन है।

4. स्थिर आस्तियाँ

परिसर में शामिल कुछ संपत्तियाँ हैं जिसको पूँजीकृत किया गया है और बही मूल्य ₹42.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38.60 करोड़) है क्योंकि उन्हें स्वामित्व विलेखों के हस्तांतरण के माध्यम से उपयोग में लाया गया है, और निष्पादन अभी लंबित है।

5. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन में केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल मालियत पूरी तरह से खत्म हो गई है वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए समय को तीन वर्षों के लिए, अर्थात् 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया है। समय का विस्तारण उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कोई भी कार्य नहीं करने की शर्त के अधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केनफिना कंपनी यथा मार्च 2019 को मुख्य व्यवसाय मानदंड (पीबीसी) को पूरा नहीं किया है। इसलिए, वित्तीय आस्तियों के निपटान और एनबीएफसी गतिविधियों के समापन के लिए समय सीमा के विस्तारण की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी की निवल संपत्ति सकारात्मक हो गई है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी सकारात्मक बनी हुई है। कंपनी ने एनबीएफसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए यथा 31.03.2021 को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य कारोबार मानदंड (पीबीसी) को भी पूरा किया है। कंपनी केनरा बैंक के बोर्ड के साथ-साथ कंपनी के बोर्ड से अनुमोदन के अधीन, आरबीआई दिशानिर्देशों के ढांचे के तहत कंपनी की गतिविधियों / अन्य गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करेगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केनफिना की वित्तीय स्थिति को कार्यशील संस्था के आधार पर समेकित किया गया है।

6. संबंध पार्टी का प्रकटन

6.1 संबंध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध - मूल कंपनी - केनरा बैंक

3. Inter-Branch transactions and confirmation of balances

The matching and setting of entries under Inter-Branch / office transactions of the Parent Bank are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

4. Fixed Assets

Premises include certain properties capitalized and carrying book value of ₹42.67 Crores (Previous year ₹38.60 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

5. Canbank Financial Services Limited (CANFINA)

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Further, Reserve Bank of India, has permitted CANFINA a further extension of three years i.e up to January 31, 2020 to dispose off the financial assets. The extension of time is subject to the condition that the company shall not undertake any NBFC type of activity during the period. The Reserve Bank of India has informed that the Company CANFINA is not meeting Principal Business Criteria (PBC) as on March 2019. Hence, the extension of time limit for disposal of financial assets and winding of NBFC activities is not required. Company's net worth has become positive in the financial year 2019-20 and continued positive for the FY-2020-21. Company has also met the Principal Business Criteria (PBC) as per RBI guidelines as on 31.03.2021 to commence NBFC Activities. The Company will approach the Reserve Bank of India to revive the Companies activities / other activities within frame work of RBI guidelines subject to approval from the Board of company as well as Board of the Canara Bank. Considering the above, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

6. Related Party Disclosures

6.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank. Parent - Canara Bank

6.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

- श्री एल वी प्रभाकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री मटम वेंकट राव, कार्यपालक निदेशक (28.02.2021 तक)
- श्री कृष्णन एस, कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से 03.09.2020 तक)
- श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
- सुश्री मणिमेखलै ए, कार्यपालक निदेशक
- श्री के सत्यनारायण राजु, कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से)

6.1.2 मूल कंपनी

- केनरा बैंक

6.1.3 अनुषंगियाँ

1	केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड
2	केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
3	केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
4	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
6	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (पूर्व गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
7	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
8	केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड
9	सिंड बैंक सर्विसेज लिमिटेड

6.1.4 संयुक्त उद्यम

कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को
(पूर्व में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

6.1.5 सहयोगी

1	केनफिन होम्स लिमिटेड
	बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)
3	केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक)
4	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
5	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

6.1.1 Key Management Personnel

- Shri L V Prabhakar, Managing Director & Chief Executive Officer
- Shri Matam Venkata Rao, Executive Director (Till: 28.02.2021)
- Shri Krishnan S, Executive Director (From 01.04.2020 to 03.09.2020)
- Shri Debashish Mukherjee, Executive Director
- Ms. Manimekhalai A, Executive Director
- Shri K Satyanarayana Raju, Executive Director (From: 10.03.2021)

6.1.2 Parent

- Canara Bank

6.1.3 Subsidiaries

1	Canbank Financial Services Ltd.
2	Canbank Venture Capital Fund Ltd.
3	Canbank Factors Ltd.
4	Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
5	Canbank Computer Services Ltd.
6	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corp. Ltd.)
7	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd
8	Canara Bank (Tanzania) Ltd.
9	Synd Bank Services Ltd.

6.1.4 Joint Ventures

Commercial Indo Bank LLC. Moscow
(formerly Commercial Bank of India LLC. Moscow)

6.1.5 Associates

1	Canfin Homes Ltd.
	Regional Rural Banks sponsored by the Bank
2	Karnataka Gramina Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank)
3	Kerala Gramina Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)
4	Karnataka Vikas Grameena Bank
5	Andhra Pragathi Grameena Bank

उच्चतर शिक्षा निधियन एजेंसी (एचईएफए)

उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के वित्त निर्माण के लिए एमएचआरडी, भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। एचईएफए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) के अंतर्गत केंद्र सरकार की कंपनी और आरबीआई के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.), भारत सरकार ने विश्व स्तरीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए और देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी आदि जैसे संस्थानों में अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष उद्देश्य के माध्यम से एक मंच प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

इसके आधार पर एमएचआरडी ने ₹2000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ उच्चतर शिक्षा निधियन एजेंसी (एच ई एफ ए) एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। एमएचआरडी ने रुपये ₹1,000 करोड़ का योगदान दिया है और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से ₹100 करोड़ का योगदान दिया है।

इसके बाद, मा.सं.वि.मं. ने एचईएफए इक्विटी बेस के मौजूदा अधिदेश और वित्तपोषित संस्थानों की सीमा को बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को ₹10,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें यथा 31.03.2021 तक सरकार ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक ₹500 करोड़ का योगदान देगा। यथा 31.03.2021 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) ने ₹4,812.50 करोड़ की पूंजी प्रदान की है और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है। यथा 31.03.2021 कंपनी ने ₹11,308.07 करोड़ के संवितरण के साथ ₹31,413.80 करोड़ तक का सावधि ऋण स्वीकृत किया है।

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर बैंक के समेकित वित्तीय विवरण में एचईएफए की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया गया है:

ए) समेकन के पीछे की मंशा अनुषंगी / सं.उ. के लाभ, आय और संपत्ति को ब्यारित / उद्यम कंपनी में उसके होल्डिंग / उद्यम के आधार पर विलय करना है। धारित / उद्यम कंपनी तकनीकी रूप से अपनी सहायक / उद्यम की आनुपातिक संपत्ति (लाभ सहित) का मालिक है, जब हम उद्यम कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के साथ समेकित करते हैं, तो यह उद्यम कंपनी की संपत्ति की गलत छवि को दर्शाता है, जैसा कि उद्यम कंपनी कभी भी धारा 8 कंपनी के लाभ पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। अतः समेकन का प्रश्न ही नहीं उठता।

HIGHER EDUCATION FUNDING AGENCY (HEFA)

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of MHRD, Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt company and as Non-deposit taking NBFC with RBI.

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), Govt with an object to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT etc of the country.

Based on this, the MHRD proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 Cr. MHRD has contributed ₹1,000 Cr. and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Cr.

Subsequently, MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Cr. wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Cr. and Canara Bank will contribute ₹500 Cr. As on 31.03.2021, MHRD has infused Capital of ₹4,812.50 Cr. and Canara Bank has contributed ₹481.25 Cr. respectively. As at 31.03.2021, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹31,413.80 Cr. with a disbursement at ₹11,308.07 Cr.

The financials of HEFA is not considered in the CFS of the Bank based on the following facts:

a) The intent behind consolidation is to merge the profits, income and wealth of the subsidiary / JV into the holding / Venture company by the virtue of its holding / Venture. The holding / Venture company technically owns the proportionate wealth (including the profit) of its subsidiary / Venture. When we consolidate the Venture company with a Section 8 company, it will however depict a wrong picture of the wealth of the venture company, as the venture company can never claim any right over the profits of a Section 8 Company. Therefore, the question of consolidation does not arise.

बी) एस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि यह नियंत्रण की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।

b) AS 21 (Consolidated Financial Statement) would not be applicable in the current case as this does not satisfy the definition of Control.

पूर्ण करने की शर्तें	केनरा बैंक की स्थिति	प्रयोज्यता
1. अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से स्वामित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक उद्यम की मतदान शक्ति के आधे से अधिक का स्वामित्व	सं.उ. सह शेयरधारक समझौते के पैरा 4.1 के अनुसार केनरा बैंक के पास केवल 9.09% हिस्सेदारी है जो कि मतदान शक्ति के आधे से काफी नीचे है।	पूर्ण नहीं करता
2. किसी कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के संयोजन या किसी अन्य उद्यम के मामले में संबंधित अभिशासी निकाय के संयोजन का नियंत्रण ताकि उसकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके	जेवी सह शेयरधारक समझौते के पैरा 9.1.1 के अनुसार, एचईएफए के निदेशक मंडल में 7 निदेशक, जिनमें से केनरा बैंक के केवल दो निदेशक, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक (एमडी) होगा, बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी प्रकार, उक्त समझौते के पैरा 8.2 के अनुसार, एमडी निदेशक मंडल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करेगा।	चूंकि, बैंक के पास बोर्ड के संयोजन में नियंत्रण हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए स्थिति पूर्ण नहीं है।

Conditions to satisfy	Canara Bank's position	Applicability
1. The ownership, directly or indirectly through subsidiary(ies), of more than one-half of the voting power of an enterprise	As per Para 4.1 of the JV-Cum-Share holder Agreement Canara Bank is holding only 9.09% which is much below the threshold of one-half of the voting power.	Not Satisfied
2. Control of the composition of the board of directors in the case of a company or of the composition of the corresponding governing body in case of any other enterprise so as to obtain economic benefits from its activities	As per Para 9.1.1 of the JV-cum-shareholder Agreement, Board of Directors of HEFA consists of 7 directors, out of which only two directors of Canara Bank, one of whom will be Managing Director (MD), will represent in the Board. Similarly, as per Para 8.2 of the said agreement, MD shall function under the control, supervision and directions of the Board of Directors.	Since, the Bank is not having controlling stake in composition of Board, the condition is not satisfied.

सी) एस 27 (संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग) एस 27 के पैरा 28 (बी) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के कारण लागू नहीं होगा जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

c) AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) would not be applicable due to the restriction provided under para 28 (b) of AS 27 which read as under:

सं.उ. की प्रकृति के कारण, भले ही आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हो, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के

Due to the nature of the JV, even if registered as NBFC with RBI, which is a not for profit company registered

तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी हो, एस 27 के पैरा 28 “(बी) के तहत लगाए गए प्रतिबंध के कारण सं.उ. पर समेकित वित्तीय विवरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिसे (बी) के रूप में पढ़ा जाएगा, जो एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के हित में है जो सख्त दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत संचालित होता है जो उद्यमकर्ता को धन हस्तांतरित करने की क्षमता को काफी कम कर देता है।

ऐसी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में इंटरेस्ट को लेखा मानक (एस) 13, निवेश के लिए लेखा के अनुसार एक निवेश के रूप में गणना किया जाना चाहिए”

सं.उ. के गठन का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 (सं.उ. सह शोयरधारक समझौते के पृष्ठ 2 के खंड सी) के प्रावधानों के तहत धारा 8 कंपनी को शामिल करना है। इसके अलावा, उपर्युक्त समझौते के पैरा 4.4 और पैरा 8.4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाभ इक्विटी का हिस्सा होगा और जो दर्शाता है कि यह एक दीर्घकालिक प्रतिबंध है जो बैंक को फंड ट्रांसफर करने की उसकी क्षमता को काफी कम कर देते हैं।

इसके अलावा, एस 27 के पैरा 12 और 13 में निम्नानुसार उल्लेख है: “पैरा 12 में, संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन में उसके हितों के संबंध में, उद्यमकर्ता को अपने अलग वित्तीय विवरणों में और इसके परिणामस्वरूप उसके समेकित वित्तीय विवरणों से पहचान की जानी चाहिए:

- (ए) संपत्ति जिसे यह नियंत्रित करता है और देनदारियां जिसे यह वहन करता है; तथा
- (बी) खर्च जिसे वह वहन करता है और उसका आय का हिस्सा जिसे वह संयुक्त उद्यम से अर्जित करता है।

चूंकि संपत्ति, देनदारियां, आय और व्यय पहले ही उद्यमकर्ता के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए जा चुके हैं, और इसके परिणामस्वरूप इसके समेकित वित्तीय विवरणों में, इन मदों के संबंध में कोई समायोजन या अन्य समेकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है जब उद्यमकर्ता समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।”

चूंकि बैंक अपनी जनशक्ति और अन्य संसाधनों के साथ उद्यम के प्रबंधन की लागत के लिए उद्यम से प्राप्त शुल्क को अपनी आय में गणना करता है और और निवेश के रूप में अभिदत्त शेयर पूंजी को मान्यता देता है, समेकन की अन्य प्रक्रिया / समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने लेखामानक 21 या लेखामानक 27 के तहत समेकित वित्तीय विवरण में सं.उ. नहीं माना है।

U/s 8 of Companies Act, 2013 the JV would not be considered for CFS due to the restriction provided under para 28 (b) of AS 27 which read as “(b) an interest in a jointly controlled entity which operates under severe long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the venturer.

Interest in such a jointly controlled entity should be accounted for as an investment in accordance with Accounting Standard (AS) 13, Accounting for Investments.”

The intent of forming of the JV is incorporating a Section 8 Company under the provisions of Companies Act, 2013 (Clause C of page 2 of the JV-cum-share holder Agreement). Further, in Para 4.4 and Para 8.4 of the captioned agreement, it is clearly mentioned that the profit shall form part of the equity and which demonstrates that there is long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the Bank.

Also, para 12 and 13 of AS 27 states as under: “12. In respect of its interests in jointly controlled operations, a venturer should recognise in its separate financial statements and consequently in its consolidated financial statements:

- (a) the assets that it controls and the liabilities that it incurs; and
- (b) the expenses that it incurs and its share of the income that it earns from the joint venture.

Because the assets, liabilities, income and expenses are already recognised in the separate financial statements of the venturer, and consequently in its consolidated financial statements, no adjustments or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer presents consolidated financial statements.”

Since the bank accounts in its income the fees received from the Venture towards the cost of managing the venture with its manpower and other resources and also recognizes the subscribed share capital as investment, the further procedure / adjustment of consolidation is not required.

In view of the above reasons the Bank has not considered the JV in CFS either under AS 21 or AS 27.

6.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए संव्यवहार निम्नानुसार है:

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	2020-21	2019-20
श्री एल वी प्रभाकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	32,64,338.43	5,21,716.00
श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक (28.02.2021 तक)	27,72,411.94	28,53,332.00
श्री कृष्णन एस	कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से 03.09.2020 तक)	13,08,612.34	-
श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	29,72,568.02	28,11,214.00
सुश्री मणिमेखलै ए	कार्यपालक निदेशक	28,87,313.51	27,29,904.84
श्री के सत्यनारायण राजु	कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से)	1,59,348.13	-
श्री आर ए शंकर नारायण	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (15.04.2019 से 31.01.2020 तक)	-	33,97,944.98
कुल		1,33,64,592.37	1,23,14,111.82

लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

6.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

(i) Remuneration to Key Management Personnel is as under:

Name	Designation	2020-21	2019-20
Shri L V Prabhakar	Managing Director & Chief Executive Officer	32,64,338.43	5,21,716.00
Shri Matam Venkata Rao	Executive Director (Till 28.02.2021)	27,72,411.94	28,53,332.00
Shri Krishnan S	Executive Director (From 01.04.2020 to 03.09.2020)	13,08,612.34	-
Shri Debashish Mukherjee	Executive Director	29,72,568.02	28,11,214.00
Ms. Manimekhalai A	Executive Director	28,87,313.51	27,29,904.84
Shri K Satyanarayana Raju	Executive Director (From 10.03.2021)	1,59,348.13	-
Shri R A Sankara Narayanan	Managing Director & Chief Executive Officer (From 15.04.2019 to 31.01.2020)	-	33,97,944.98
Total		1,33,64,592.37	1,23,14,111.82

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

6.1.7 अनुषंगी, सहयोगी व संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगी	सहयोगी व संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	केएमपी के संबंधी	कुल
उधारी -					
वर्ष के अंत तक बकाया	0.00 (0.00)	0.00 (10.00)	-	-	0.00 (10.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.00 (0.00)	97.56 (10.00)			97.56 (10.00)
जमा राशियाँ -					
वर्ष के अंत तक बकाया	99.59 (38.63)	19.65 (24.97)	-	-	119.24 (63.59)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	99.93 (40.04)	1177.62 (1094.17)			1277.55 (1134.21)
जमा राशियों का स्थानन -					
वर्ष के अंत तक बकाया	29.35 (36.33)	31.00 (NIL)	-	-	60.35 (36.33)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	29.35 (36.33)	31.00 (15.13)			60.35 (51.46)
अग्रिम -					
वर्ष के अंत तक बकाया	342.48 (285.43)	2270.44 (2770.48)	-	-	2612.92 (3055.91)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	342.48 (285.43)	3592.30 (3824.61)			3934.78 (4110.04)
अचल संपत्तियों की खरीद / बिक्री (निवल) -					
वर्ष के अंत तक बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
चालू खाते में शेष -					
वर्ष के अंत तक बकाया	107.17 (93.74)	71.23 (76.81)	-	-	178.40 (170.54)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	107.17 (94.86)	481.12 (137.80)			588.29 (232.66)
अन्य प्राप्तियाँ -					
वर्ष के अंत तक बकाया	4.65 (0.07)	शून्य (शून्य)	-	-	4.65 (0.07)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	4.65 (8.07)	शून्य (शून्य)			4.65 (8.07)
अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र - सहभागिता किया					
वर्ष के अंत तक बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
अन्य देय -					
वर्ष के अंत तक बकाया	शून्य (शून्य)	0.01 (0.02)	-	-	0.01 (0.02)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	0.01 (0.02)			0.01 (0.02)
प्रदत्त ब्याज	7.97 (1.66)	11.80 (13.61)	-	-	19.77 (15.27)
प्राप्त ब्याज	17.00 (31.80)	193.85 (215.48)	-	-	210.85 (247.28)
प्राप्त लाभांश	18.68 (22.30)	7.99 (शून्य)	-	-	26.67 (22.30)
प्रदत्त बीमा शुल्क	461.61 (269.77)	शून्य (शून्य)	-	-	461.61 (269.77)
प्रदान की गई सेवा	222.15 (117.90)	4.22 (4.03)	-	-	226.37 (121.93)
सेवा के लिए प्राप्त	17.67 (0.05)	1.23 (शून्य)	-	-	18.90 (0.05)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

6.1.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings -					
Outstanding as at the year end	0.00 (0.00)	0.00 (10.00)	-	-	0.00 (10.00)
Maximum outstanding during the year	0.00 (0.00)	97.56 (10.00)			97.56 (10.00)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	99.59 (38.63)	19.65 (24.97)	-	-	119.24 (63.59)
Maximum outstanding during the year	99.93 (40.04)	1177.62 (1094.17)			1277.55 (1134.21)
Placement of Deposits -					
Outstanding as at the year end	29.35 (36.33)	31.00 (NIL)	-	-	60.35 (36.33)
Maximum outstanding during the year	29.35 (36.33)	31.00 (15.13)			60.35 (51.46)
Advances-					
Outstanding as at the year end	342.48 (285.43)	2270.44 (2770.48)	-	-	2612.92 (3055.91)
Maximum outstanding during the year	342.48 (285.43)	3592.30 (3824.61)			3934.78 (4110.04)
Purchase / Sale of Fixed Assets (Net) -					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	107.17 (93.74)	71.23 (76.81)	-	-	178.40 (170.54)
Maximum outstanding during the year	107.17 (94.86)	481.12 (137.80)			588.29 (232.66)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	4.65 (0.07)	NIL (NIL)	-	-	4.65 (0.07)
Maximum outstanding during the year	4.65 (8.07)	NIL (NIL)			4.65 (8.07)
Inter Bank Participation Certificate - Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Other payable					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	0.01 (0.02)	-	-	0.01 (0.02)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	0.01 (0.02)			0.01 (0.02)
Interest paid	7.97 (1.66)	11.80 (13.61)	-	-	19.77 (15.27)
Interest received	17.00 (31.80)	193.85 (215.48)	-	-	210.85 (247.28)
Dividend received	18.68 (22.30)	7.99 (NIL)	-	-	26.67 (22.30)
Premium Paid	461.61 (269.77)	NIL (NIL)	-	-	461.61 (269.77)
Rendering of Service	222.15 (117.90)	4.22 (4.03)	-	-	226.37 (121.93)
Receiving for Services	17.67 (0.05)	1.23 (NIL)	-	-	18.90 (0.05)

(Figures in brackets relate to previous year)

7. प्रति शेयर आय:

7.1 प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय:

विवरण	2020-21	2019-20
मूल और मिश्रित ईपीएस (₹)	19.11	(23.55)

7. Earnings Per Share:

7.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2020-21	2019-20
Basic and Diluted EPS (₹)	19.11	(23.55)

7.2 ईपीएस की गणना:

	विवरण	2020-21	2019-20
क	इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	2890.60	(1986.43)
ख	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़)	151.23	84.35
ग	31 मार्च को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़)	164.67	103.02
घ	प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (ए/बी) (₹)	19.11	(23.55)
ड	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

7.2 Computation of EPS

	Designation	2020-21	2019-20
A	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	2890.60	(1986.43)
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	151.23	84.35
C	No. of Shares outstanding as on 31 st March (Crore)	164.67	103.02
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	19.11	(23.55)
E	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

8. आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ:

यथा दिनांक 31.03.2021 को गणना की गई निवल आस्थगित कर संपत्ति ₹10708.45 करोड़ (यथा 31.03.2020 को ₹3852.27 करोड़) थी। आस्थगित कर आस्तियाँ और आस्थगित कर देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:

विवरण	आस्थगित कर आस्तियाँ		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
				(₹ करोड़ में)
अर्जित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
छुट्टी का नकदीकरण / उपदान	829.64	444.14	0.00	0.00
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	0.66	0.43	-90.30	0.00
निवेश पर मूल्यहास	1.56	2.11	1793.29	1721.66
वायदा संविदा पर अप्राप्त लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम के लिए किया गया प्रावधान	13434.01	6454.87	0.00	0.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व पर डीटीएल	0.00	0.00	1934.66	1397.76
अन्य	66.42	70.29	-13.81	0.14
आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताएँ	14332.29	6971.84	3623.84	3119.56

8. Deferred Tax Assets and Liabilities

Net Deferred Tax Assets computed as on 31.03.2021 amounted to ₹10708.45 Crore (₹3852.27 Crore as on 31.03.2020). The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
				(₹ in Crore)
Interest accrued but not due on securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Leave Encashment / Gratuity	829.64	444.14	0.00	0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.66	0.43	-90.30	0.00
Depreciation on Investments	1.56	2.11	1793.29	1721.66
Unrealised gain on Forward Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00
Provision made for Advances	13434.01	6454.87	0.00	0.00
DTL on Special Reserve created u/s 36(1) (viii) of IT Act, 1961	0.00	0.00	1934.66	1397.76
Others	66.42	70.29	-13.81	0.14
Deferred Tax Asset / Liability	14332.29	6971.84	3623.84	3119.56

9. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
निवेश और एनपीआई पर मूल्यहास का प्रावधान	426.70	(211.63)
एनपीआई के लिए प्रावधान	14174.20	10658.51
मानक आस्ति के लिए प्रावधान	2.27	380.46
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	1179.56	509.00
उचित मूल्य में कमी का प्रावधान	-54.17	75.13
संदिग्ध आस्तियों की वसूली का प्रावधान	75.00	51.44
देश जोखिम एक्सपोजर के लिए प्रावधान	19.24	0.00
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं - निवल	1667.57	233.60
कुल	17490.37	11696.51

9. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Provision for Depreciation on Investment and NPI	426.70	(211.63)
Provision towards NPA	14174.20	10658.51
Provision towards Standard Asset	2.27	380.46
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	1179.56	509.00
Provision for Diminution in Fair Value	-54.17	75.13
Provision for Assets Doubtful of Recovery	75.00	51.44
Provision for Country Risk Exposure	19.24	0.00
Other Provision and Contingencies - Net	1667.57	233.60
TOTAL	17490.37	11696.51

10. पूंजी बाजार में एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i.	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसे पूर्णतया कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है।	1928.30	1851.80
ii.	शेयर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम या बेजमानती आधार पर अग्रिम।	1.55	0.00
iii.	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां पर शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।	5.00	1.23
iv.	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, यानी जहां, शेयर / परिवर्तनीय बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा, प्राथमिक सुरक्षा अग्रिम को पूरी तरह से प्रावारित नहीं करते हैं।	0.00	0.00
v.	स्टॉक ब्रोकर को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटी	531.73	418.22
vi.	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के योगदान को पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या गैर बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण।	0.00	0.00
vii.	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
viii.	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00
ix.	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	0.00	0.00
x.	वेंचर कैपिटल फंड में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	891.43	810.05
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	3358.01	3081.30

10 Exposure to Capital Market

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1928.30	1851.80
ii.	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	1.55	0.00
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	5.00	1.23
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
v.	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	531.73	418.22
vi.	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/ bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	0.00	0.00
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	0.00	0.00
ix.	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	891.43	810.05
	Total Exposure to Capital Market	3358.01	3081.30

11. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क-कारोबार क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020
(1)	राजस्व खंड		
ए	राजकोषीय परिचालन	22312.94	13274.17
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	32675.87	22524.69
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	29416.13	20566.31
डी	जीवन बीमा संचालन	9254.81	4643.15
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
एफ	अनाबंटित	0.00	549.83
	कुल	93659.75	61558.15
	घटाये : अंतर क्षेत्र राजस्व परिचालन से आय	0.00	0.00
	93659.75	61558.15	
(2)	खंड परिणाम		
ए	राजकोषीय परिचालन	6482.45	4022.15
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	3743.52	778.80
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	(6446.53)	(7035.60)
डी	जीवन बीमा परिचालन	102.11	171.31
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	3881.55	(2063.34)
एफ	अनाबंटित आय / व्यय (प्रावधानों और आकस्मिकताओं सहित)		549.83
	कर पूर्व कुल लाभ	3881.55	(1513.51)
	आय कर	1179.57	509.00
	निवल लाभ	2701.98	(2022.51)
	जोड़ें: सहयोगी संस्था में कमाई का हिस्सा	254.58	101.50
	घटाएँ: अल्पांश ब्याज	65.96	65.42
	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)	2890.60	(1986.43)
	आस्ति खंड		
ए	राजकोषीय परिचालन	351206.92	197678.30
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	358607.52	210806.46
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	384152.60	272200.68
डी	जीवन बीमा परिचालन	22584.45	15946.15
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
एफ	अनाबंटित आस्तियां	62988.11	44808.68
	कुल आस्ति	1179539.60	741440.27
	देयता खंड		
ए	राजकोषीय परिचालन	342345.57	185490.74
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	345570.39	205793.65
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	372942.16	264120.35
डी	जीवन बीमा परिचालन	21931.59	15341.54
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
एफ	गैर आबंटित आस्तियां	34340.30	29488.04
	कुल देयता	1117130.01	700234.32
(3)	प्रयुक्त पूंजी		
ए	राजकोषीय परिचालन	8861.35	12187.57
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	13037.13	5012.81
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	11210.43	8080.33
डी	जीवन बीमा परिचालन	652.86	604.61
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
एफ	अनाबंटित आस्तियां	28647.82	15320.63
	कुल	62409.59	41205.95

11. Consolidated Segment Reporting

Part A - Business Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2021	31.03.2020
(1)	Segment Revenue		
A	Treasury Operations	22312.94	13274.17
B	Retail Banking Operations	32675.87	22524.69
C	Wholesale Banking Operations	29416.13	20566.31
D	Life Insurance Operation	9254.81	4643.15
E	Other Banking Operation	0.00	0.00
F	Unallocated	0.00	549.83
	Total	93659.75	61558.15
	Less: Inter segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	93659.75	61558.15
(2)	Segment Results		
A	Treasury Operations	6482.45	4022.15
B	Retail Banking Operations	3743.52	778.80
C	Wholesale Banking Operations	(6446.53)	(7035.60)
D	Life Insurance Operation	102.11	171.31
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	3881.55	(2063.34)
F	Unallocated income/ expenses (including provisions and contingencies)		549.83
	Total profit before tax	3881.55	(1513.51)
	Income Tax	1179.57	509.00
	Net Profit	2701.98	(2022.51)
	Add: Share of earning in Associates	254.58	101.50
	Less: Minority Interest	65.96	65.42
	Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the Group	2890.60	(1986.43)
	Segment Assets		
A	Treasury Operations	351206.92	197678.30
B	Retail Banking Operations	358607.52	210806.46
C	Wholesale Banking Operations	384152.60	272200.68
D	Life Insurance Operation	22584.45	15946.15
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated Assets	62988.11	44808.68
	Total Assets	1179539.60	741440.27
	Segment Liabilities		
A	Treasury Operations	342345.57	185490.74
B	Retail Banking Operations	345570.39	205793.65
C	Wholesale Banking Operations	372942.16	264120.35
D	Life Insurance Operation	21931.59	15341.54
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated Liabilities	34340.30	29488.04
	Total Liabilities	1117130.01	700234.32
(3)	Capital Employed		
A	Treasury Operations	8861.35	12187.57
B	Retail Banking Operations	13037.13	5012.81
C	Wholesale Banking Operations	11210.43	8080.33
D	Life Insurance Operations	652.86	604.61
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated	28647.82	15320.63
	Total	62409.59	41205.95

भाग ख - भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्षांत	
		31.03.2021	31.03.2020
ए	राजस्व		
	घरेलू	92325.48	60187.89
	अंतर्राष्ट्रीय	1334.27	1370.26
	कुल	93659.75	61558.15
बी	आस्तियां		
	घरेलू	1092833.79	689650.55
	अंतर्राष्ट्रीय	86705.81	51789.72
	कुल	1179539.60	741440.27

12. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं के समग्र लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹60762.84 करोड़ है, जिनमें से ₹57238.19 करोड़ मूल कंपनी के हैं और शेष ₹3524.65 करोड़ अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के हैं (पिछले वर्ष ₹40175.72 करोड़ जिसमें से ₹38262.73 करोड़ मूल कंपनी के तथा शेष ₹1912.99 करोड़ अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के थे)।

13. मूल कंपनी और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरणी का सत्य एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए वैसे मदों की सूचना, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसे समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटित नहीं किया है।

14. लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह अपेक्षा करते हैं कि आस्ति की वहन राशि वसूली-योग्य नहीं है तो वर्ष के समापन पर आस्तियों के हानि की समीक्षा की जाती है। धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली-योग्यता को आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित फ्यूचर निवल भुनाये गये नकद प्रवाह की तुलना कर मापा जाना है। यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति के वसूली-योग्य राशि से अधिक हुए आस्ति के वहन राशि द्वारा मान्यता दी जानी है और तदनुसार मापा जाना है। यद्यपि, बैंक के प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 - “आस्तियों की हानि” लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों के भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है।

Part B - Geographical Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2021	31.03.2020
a	Revenue		
	Domestic	92325.48	60187.89
	International	1334.27	1370.26
	Total	93659.75	61558.15
b	Assets		
	Domestic	1092833.79	689650.55
	International	86705.81	51789.72
	Total	1179539.60	741440.27

12. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹60762.84 Crore of which ₹57238.19 Crore relate to the Parent and the balance ₹3524.65 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹40175.72 Crore of which ₹38262.73 Crore relate to the Parent and the balance ₹1912.99 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

13. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

14. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

15. (ए) भारत सरकार (भारत सरकार), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 दिनांक 4 मार्च 2020 के माध्यम से बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के समामेलन की योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

समामेलन, दिनांक 01.04.2020 से लागू हो गया है। दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों में पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक के परिचालन भी शामिल हैं। इसलिए, चालू वर्ष के आंकड़े ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के साथ तुलनीय नहीं हैं।

समामेलन को, दिनांक 01.04.2020 से केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक के समामेलन को दर्ज करने के लिए लेखांकन पर एएस-14 में निर्धारित 'ब्याज की पूलिंग' पद्धति के तहत हिसाब किया गया है। तदनुसार, समामेलन बैंक की निवल आस्ति और समामेलित बैंक के शेरधारकों को जारी किए गए शेरों की राशि के बीच ₹2240.69 करोड़ के अंतर को समामेलन रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संख्या: डीओआर.सीओ.बीपी.संख्या.1875/21.01.002/2020-21 दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि बैंक पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए समामेलन रिजर्व को सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) के रूप में मान सकता है। तदनुसार, बैंक ने सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से सीईटी 1 के तहत इस राशि पर विचार किया है।

सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक में समामेलन के अनुसरण में, दिनांक 31.03.2020 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपनाई गई लेखा नीतियों में परिवर्तन हुआ है।

(बी) कोविड-19 महामारी भारत सहित कई देशों में फैली हुई है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आई है और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। भारत सरकार ने मार्च, 2020 से लॉक डाउन उपायों के लिए कई घोषणा की। इस तरह के लॉकडाउन को विभिन्न सरकार द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद स्थिति के आधार पर विभिन्न समय पर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों के लिए हटा दिया गया है। कोविड-19 महामारी की वर्तमान दूसरी लहर, जहां भारत में नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय / क्षेत्रीय लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया गया है।

15. (a) The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services has issued Gazette Notification no. CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020, approving the scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980).

The amalgamation has come into effect from 01.04.2020. The figures for the year ended 31.03.2021 includes operations of erstwhile Syndicate Bank. Hence, the figures for current year are not comparable with immediately preceding financial year.

The amalgamation is accounted under the 'pooling of interest' method as prescribed in AS-14 on Accounting for amalgamation to record amalgamation of Syndicate Bank with Canara Bank with effect from 01.04.2020. Accordingly, the difference of ₹2240.69 crores between the net assets of amalgamating bank and the amount of shares issued to shareholders of the amalgamating bank has been recognized as Amalgamation Reserve.

RBI vide its letter No:DOR.CO.BP.NO.1875/21.01.002/2020-21 dated 18.12.2020 clarified that Bank may reckon the Amalgamation Reserve as Common Equity Tier - I (CET I) for capital adequacy purposes. Accordingly, Bank has considered this amount under CET I for the purpose of calculation of CRAR.

Pursuant to the amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank, there is change in the accounting policies followed during the current year as compared to those followed in the preceding financial year ended on 31.03.2020.

(b) The COVID-19 Pandemic continues to spread across several countries including India resulting in a significant volatility in Global as well as Indian financial markets and a significant decline in global and local economic activities. The Govt. of India has announced a series of lockdown measures from March 2020 onwards. Such lockdowns have been lifted for activities in a phased manner by various governments at various points of time depending on the situation prevailing in their respective jurisdictions. The current second wave of COVID-19 pandemic, wherever the number of new cases has increased significantly in India, has resulted in re-imposition of localized / regional lockdown measures in various parts of the country.

स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए पहचान किए गए मुख्य चुनौतियां नकदी प्रवाह में कमी और विस्तारित पूंजी चक्रों से उत्पन्न होंगी। चुनौतियों के बावजूद, प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह चालू तिमाही में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है। इन घटनाओं और शर्तों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों और वर्तमान में चल रही धारणाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on an on-going basis. The major identified challenges for the Bank would arise from eroding cash flows and extended capital cycles. Despite the challenges, the management believes that no adjustments are required in the financial results as it does not significantly impact the current quarter. Despite these events and conditions, there would not be any significant impact on Bank's results in future and going concern assumptions as at presently made.

16. आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों और देनदारियों की कुछ मदों की परिपक्वता प्रतिरूपः

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	9809.16 (5813.01)	21000.70 (26128.18)	1146.27 (261.15)	158.88 0.00	8430.81 (2780.04)	5335.32 (147.95)
2 से 7 दिन	34582.12 (22273.44)	5117.81 (11169.71)	1111.22 (436.32)	84.84 (4549.36)	12365.64 (2639.33)	16719.61 (4628.91)
8 से 14 दिन	18361.90 (35116.53)	7098.90 (7723.57)	169.84 (467.14)	140.32 (11.42)	1391.52 (2131.48)	916.53 (1591.91)
15 से 30 दिन	88194.97 (16600.46)	87046.97 (19839.81)	963.15 (1634.10)	0.00 (1565.72)	6172.02 (9263.87)	2230.04 (3432.98)
31 दिन से 2 माह	27314.82 (20167.01)	9005.09 (15837.09)	358.39 (3912.29)	3328.44 (1546.33)	5777.81 (7622.83)	5430.14 (4874.29)
2 माह से 3 माह	32496.04 (26877.30)	19765.63 (20746.67)	1241.16 (6837.14)	764.91 (521.59)	7917.40 (5106.73)	4575.70 (2860.14)
3 माह से 6 माह	78094.31 (45798.84)	33060.30 (33605.89)	4300.39 (9469.37)	2561.43 (2106.10)	10149.27 (2633.70)	4366.88 (1969.56)
6 माह से 1 वर्ष	169781.18 (114533.93)	48952.27 (60319.03)	24355.10 (15241.80)	4994.48 (2540.59)	13144.12 (6266.49)	4918.92 (4227.38)
1 वर्ष से 3 वर्ष	370127.16 (291713.63)	168612.94 (85950.50)	22424.44 (14972.78)	21720.03 (10921.19)	9669.92 (2451.37)	423.29 (463.36)
3 वर्ष से 5 वर्ष	62549.99 (25796.44)	98412.00 (56922.79)	27071.14 (8808.14)	9759.47 (8099.47)	3362.80 (5603.29)	3136.02 (9.00)
5 वर्ष से अधिक	119673.37 (20717.73)	141213.93 (94160.13)	203050.15 (130604.84)	6500.00 (10900.00)	5286.53 (3721.50)	338.91 (2438.94)
कुल	1010985.02 (625408.32)	639286.54 (432403.38)	286191.25 (192645.37)	50012.80 (42761.77)	83667.84 (50220.63)	48391.36 (26644.42)

(कोष्ठक में दिए गए अंक पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

16. Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	9809.16 (5813.01)	21000.70 (26128.18)	1146.27 (261.15)	158.88 0.00	8430.81 (2780.04)	5335.32 (147.95)
2 to 7 days	34582.12 (22273.44)	5117.81 (11169.71)	1111.22 (436.32)	84.84 (4549.36)	12365.64 (2639.33)	16719.61 (4628.91)
8 to 14 days	18361.90 (35116.53)	7098.90 (7723.57)	169.84 (467.14)	140.32 (11.42)	1391.52 (2131.48)	916.53 (1591.91)
15 to 30 days	88194.97 (16600.46)	87046.97 (19839.81)	963.15 (1634.10)	0.00 (1565.72)	6172.02 (9263.87)	2230.04 (3432.98)
31 days to 2 months	27314.82 (20167.01)	9005.09 (15837.09)	358.39 (3912.29)	3328.44 (1546.33)	5777.81 (7622.83)	5430.14 (4874.29)
Over 2 months to 3 months	32496.04 (26877.30)	19765.63 (20746.67)	1241.16 (6837.14)	764.91 (521.59)	7917.40 (5106.73)	4575.70 (2860.14)
Over 3 months to 6 months	78094.31 (45798.84)	33060.30 (33605.89)	4300.39 (9469.37)	2561.43 (2106.10)	10149.27 (2633.70)	4366.88 (1969.56)
Over 6 months to 1 year	169781.18 (114533.93)	48952.27 (60319.03)	24355.10 (15241.80)	4994.48 (2540.59)	13144.12 (6266.49)	4918.92 (4227.38)
Over 1 year to 3 years	370127.16 (291713.63)	168612.94 (85950.50)	22424.44 (14972.78)	21720.03 (10921.19)	9669.92 (2451.37)	423.29 (463.36)
Over 3 years to 5 years	62549.99 (25796.44)	98412.00 (56922.79)	27071.14 (8808.14)	9759.47 (8099.47)	3362.80 (5603.29)	3136.02 (9.00)
Over 5 years	119673.37 (20717.73)	141213.93 (94160.13)	203050.15 (130604.84)	6500.00 (10900.00)	5286.53 (3721.50)	338.91 (2438.94)
Total	1010985.02 (625408.32)	639286.54 (432403.38)	286191.25 (192645.37)	50012.80 (42761.77)	83667.84 (50220.63)	48391.36 (26644.42)

(Figures in brackets relate to previous year)

17. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

17. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

आर. महेंद्रन
मंडल प्रबंधक

के. शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

अरविंद कुमार
सहायक महा प्रबंधक

एस.के. मजूमदार
महा प्रबंधक

वी. रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक

के. सत्यनारायण राजु
कार्यपालक निदेशक

ए. मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर. केशवन
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी. शर्मा
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डी.के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E
(जगन्नाथ पी महापात्रो)
साझेदार
सदस्यता सं. 217012

कृते
एस.एन. के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W
(अंकित डी. दानावाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 119972

कृते
एन.के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N
(एन.के. भार्गव)
साझेदार
सदस्यता सं. 080624

कृते
राव एंड एम्मार
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S
(प्रवीण बी.जे.)
साझेदार
सदस्यता सं. 215713

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

R. MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

K. SIVARAMAKRISHNAN
DIVISIONAL MANAGER

ARVIND KUMAR
ASST. GENERAL MANAGER

S.K. MAJUMDAR
GENERAL MANAGER

V. RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

K. SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R. KESAVAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL P. SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For D.K. CHHAJER & CO
Chartered Accountants
FRN : 304138E

For S. N. K. & CO.
Chartered Accountants
FRN : 109176W

For N. K. BHARGAVA & CO.
Chartered Accountants
FRN : 000429N

For RAO & EMMAR
Chartered Accountants
FRN : 003084S

(Jagannath P Mohapatro)
Partner
Membership No. 217012

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

(N.K. Bhargava)
Partner
Membership No. 080624

(Praveen B.J.)
Partner
Membership No. 215713

PLACE : Bengaluru
DATE : 18.05.2021

**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021**

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

	31-मार्च-2021 31-Mar-2021	31-मार्च-2020 31-Mar-2020
I. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
करों के बाद निवल लाभ / Net profit after Taxes	2890.60	(1986.43)
जोड़े : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए समावेशी प्रावधान) / Add: Provision for Tax (Incl Provision for Deferred Tax)	1179.57	509.00
कर के पूर्व निवल लाभ / Net profit Before Taxes	4070.17	(1477.43)
समायोजन हेतु: / ADJUSTMENTS FOR:		
निवेश मूल्यहास के लिए प्रावधान / Provision for Investment Depreciation	426.69	(572.96)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non-Performing Assets	14174.20	10733.64
घटाएँ: अन्य आरक्षित निधियों से आहरित की गई राशि / Less: Amount Drawn from the Other Reserves	2515.99	(1169.55)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Asset	2.28	380.46
आकस्मिक व्यय और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for Contingencies and Others	1707.64	646.36
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	838.04	445.91
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on Revaluation of Investments	2543.76	(1.74)
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	2013.65	1116.44
निवेश की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on Sale of Investments	(4066.17)	(716.12)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on Sale of Fixed Assets	(28.70)	1.34
उप – कुल / Sub total	24197.55	9386.35
समायोजन हेतु: / ADJUSTMENTS FOR :		
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Deposits	105418.13	26285.30
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Borrowings	(13344.62)	(680.87)
निवेश में वृद्धि / (कमी) / (Increase)/ Decrease in Investments	(15545.46)	(22978.03)
अग्रिम में वृद्धि / (कमी) / (Increase)/ Decrease in Advances	(22484.38)	(4288.61)
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (Increase)/ Decrease in Other Assets	(12301.06)	(1562.88)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(5290.86)	(13113.41)
अल्पांश ब्याज में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Minority Interest	63.28	62.23
कराधान से पहले परिचालन गतिविधि से नकद प्रवाह Cash flow from operating activity before taxation	60712.57	(6889.92)
घटाएँ : प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid	(1594.90)	(1600.78)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	59117.67	(5289.14)
II. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों / सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investment in Subsidiaries / Associates / JVs	(222.35)	(271.43)
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Fixed Assets	(922.72)	(337.82)
अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Reserve	115.94	198.44
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	(1029.13)	(410.81)

(ए) (A)

(बी) (B)

III. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी / Share Capital	193.24	276.99
शेयर प्रीमियम / Share Premium	1797.99	6231.72
वर्ष के दौरान टियर I और टियर II बॉण्ड का ताज़ा निर्गम / Fresh Issue of Tier I and Tier II Bonds during the Year	2936.10	3000.00
वर्ष के दौरान टियर I और टियर II बॉण्ड का मोचन / Redemption of Tier I and Tier II Bonds during the Year	(2619.30)	(600.00)
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	(2013.65)	(1116.44)
ई-एसबी शेयर धारकों को भुगतान की गई राशि (अंश भाग के लिए) / Amount paid to e-SB shareholders (for fraction part)	(4.30)	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	290.08	7792.27
IV विदेशी मुद्रा उतार – चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION		
विदेशी मुद्रा उतार– चढ़ाव आरक्षित निधियां / Reserves of Foreign Currency Fluctuation	(87.33)	(33.73)
विदेशी मुद्रा उतार– चढ़ाव के कारण निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOWS ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION	(87.33)	(33.73)
नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी + डी) Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	58291.29	2058.58
प्रारंभिक नकद और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	120575.10	66531.24
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	178866.39	68589.82

नोट / Notes:

- नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है और जहां आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।
 - नकद और नकद समकक्षों में नकदी, भारिबै और अन्य बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि शामिल है।
 - 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के आंकड़े पूर्व समामेलन अवधि के स्टैंडअलोन केनरा बैंक की वित्तीय स्थिति से संबंधित हैं, इसलिए 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन के बाद वित्तीय स्थिति के साथ तुलनीय नहीं है।
 - नकद प्रवाह में परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन समामेलन के कारण यथा 01.04.2020 के प्रारंभिक तुलन पत्र पर विचार करने के बाद है।
- The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method and figures has been re-grouped wherever necessary.
 - Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice
 - Figures of the year ended 31.03.2020 are related to consolidated Canara Bank Financials of pre-amalgamation period, hence not comparable with post-amalgamation financials for the year ended 31.03.2021
 - The changes in Assets & Liabilities in Cash Flow is after considering the opening Balance Sheet as on 01.04.2020 on account of amalgamation

नकद व नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31-मार्च-21 31-Mar-21	1-अप्रैल-20 1-Apr-20	31-मार्च-20 31-Mar-20
आरबीआई में शेष व नकदी / Cash & Balance with RBI	43115.95	22572.96	22572.96
बैंक में शेष और मांग व अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	135750.44	46016.86	46016.86
जोड़ें: भारिबै में नकदी एवं शेष (ई-सिंडिकेट बैंक) Add: Addition of Cash & Bank Balance with RBI (e-Syndicate Bank)	-	15370.55	-
जोड़ें : बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि (ई सिंडिकेट बैंक) Add: Balances with Banks and Money at Call and Short Notice (e-Syndicate Bank)	-	36614.73	-
कुल / Total	178866.39	120575.10	68589.82

आर. महेंद्रन
मंडल प्रबंधक

के. शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

अरविंद कुमार
सहायक महा प्रबंधक

एस.के. मजूमदार
महा प्रबंधक

वी. रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक

के. सत्यनारायण राजु
कार्यपालक निदेशक

ए. मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर. केशवन
निदेशक

वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी. शर्मा
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डी.के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E

कृते
एस.एन. के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W

कृते
एन.के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N

कृते
राव एंड एम्मार
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S

(जगन्नाथ प्रसाद महापात्रो)
साझेदार
सदस्यता सं. 217012

(अंकित डी. दानावाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 119972

(एन.के. भार्गव)
साझेदार
सदस्यता सं. 080624

(प्रवीण बी.जे.)
साझेदार
सदस्यता सं. 215713

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2021

R. MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

K. SIVARAMAKRISHNAN
DIVISIONAL MANAGER

ARVIND KUMAR
ASST. GENERAL MANAGER

S.K. MAJUMDAR
GENERAL MANAGER

V. RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

K. SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R. KESAVAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL P. SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For D.K. CHHAJER & CO
Chartered Accountants
FRN : 304138E

For S. N. K. & CO.
Chartered Accountants
FRN : 109176W

For N. K. BHARGAVA & CO.
Chartered Accountants
FRN : 000429N

For RAO & EMMAR
Chartered Accountants
FRN : 003084S

(Jagannath P Mohapatro)
Partner
Membership No. 217012

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

(N.K. Bhargava)
Partner
Membership No. 080624

(Praveen B.J.)
Partner
Membership No. 215713

PLACE : Bengaluru
DATE : 18.05.2021

लाभांश वितरण नीति

पात्रता मापदंड

- बैंक के पास होना चाहिए
- दो पूर्ण वर्षों से पहले और लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखता है।

- निवल एनपीए 7% से कम।

यदि कोई बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानक को पूरा नहीं करता है, लेकिन उसके पास लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर है, जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखता है, तो यह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उसका नेट एनपीए अनुपात 5% से कम हो।

बशर्ते, बैंकों को 2.5% की पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें 9% की नियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के ऊपर कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल होती है। जब बैंकों का पूंजी स्तर इस सीमा के भीतर आता है तो बैंकों पर पूंजी वितरण बाधाएं लगाई जाएंगी नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात एक बैंक को कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात के विभिन्न स्तरों पर मिलना चाहिए।

प्रत्येक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानदंड

वर्तमान अवधि प्रतिधारित उपार्जन को शामिल करने के बाद सामान्य इक्विटी टियर 1 का अनुपात	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (कमाई का % के रूप में व्यक्त)
5.5% - 6.125%	100%
>6.125% - 6.75%	80%
>6.75% - 7.375%	60%
>7.375% - 8.0%	40%
>8.0%	0%

सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात में 5.5% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशियाँ शामिल हैं, लेकिन 7% टियर 1 और 9% कुल पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 को शामिल नहीं किया गया है।

Dividend Distribution Policy

Eligibility Criteria

- The Bank should have
- CRAR of at least 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.

- Net NPA less than 7%.

In case any Bank does not meet the above CRAR norms, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA ratio is less than 5%.

Provided, Banks are required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. The capital distribution constraints will be imposed on Banks when their capital levels fall within this range. The below table shows the minimum capital conservation ratios a Bank must meet at various levels of the Common Equity Tier 1 capital ratios.

Minimum capital conservation standards for individual bank

Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as % of earnings)
5.5% - 6.125%	100%
>6.125% - 6.75%	80%
>6.75% - 7.375%	60%
>7.375% - 8.0%	40%
>8.0%	0%

The Common Equity Tier 1 ratio includes amounts used to meet the minimum Common Equity Tier 1 capital requirement of 5.5%, but excludes any additional Common Equity Tier 1 needed to meet the 7% Tier 1 and 9% Total Capital requirements.

इसके अलावा, भारत में निगमित अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के लिए प्रतिचक्रिय पूंजी बफर (सीसीसीबी) के तहत पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसा कि संबंधित न्यायालयों में मेजबान पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंकों को विवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंध के अधीन किया जाएगा (इसमें लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और स्टाफ बोनस भुगतान शामिल हो सकते हैं) यदि वे प्रतिवर्गीय पूंजी बफर पर आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं जो पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की आवश्यकता का एक विस्तार है। कुल आर डब्ल्यू ए के 2.5% सीसीबी और 2.5% सीसीसीबी की समवर्ती आवश्यकता को मानते हुए, सीईटी 1 पूंजीधारिता के विभिन्न स्तरों पर, किसी बैंक के अपेक्षित संरक्षण अनुपात (विवेकपूर्ण वितरण पर प्रतिबंध निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है:

व्यक्तिगत बैंक न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, 2.5% प्रत्येक पूंजी संरक्षण बफर और सीसीसीबी की आवश्यकता मानते हुए	
सामान्य इक्विटी टायर 1 अनुपात सीमा	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (उपाजन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)
>5.5% - 6.75%	100%
>6.75% - 8.0%	80%
>8.0% - 9.25%	60%
>9.25% - 10.50%	40%
>10.50%	0%

सीईटी 1 अनुपात बैंड उस समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक सीसीबी और सीसीसीबी के 25% की वृद्धि में संरचित हैं।

इसके अलावा, लाभांश की घोषणा आरबीआई द्वारा अपने सर्कुलर डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 दिनांक 13 अप्रैल 2017 को "संशोधित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पीसीए)" पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों के वित्तीय आधार पर संशोधित पीसीए ढांचे के प्रावधान 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होंगे।

बैंकों के लिए संशोधित शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे ने संकेतक को पूंजी, संपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए ट्रैक करने के लिए दिया था। परिपत्र में उल्लिखित संकेतकों के आधार पर, जोखिम थ्रेसहोल्ड को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में और बैंक द्वारा उक्त जोखिम सीमा का उल्लंघन करने पर अनिवार्य कार्रवाई की जाएगी।

Provided further that, Banks incorporated in India having international presence are required to maintain adequate capital under Countercyclical Capital Buffer (CCCB) as prescribed by the host supervisors in respective jurisdictions. Banks will be subject to restrictions on discretionary distributions (may include dividend payments, share buybacks and staff bonus payments) if they do not meet the requirement on countercyclical capital buffer which is an extension of the requirement for capital conservation buffer (CCB). Assuming a concurrent requirement of CCB of 2.5% and CCCB of 2.5% of total RWAs, the required conservation ratio (restriction on discretionary distribution) of a bank, at various levels of CET1 capital held is illustrated in the following Table:

Individual bank minimum capital conservation ratios, assuming a requirement of 2.5% each of capital conservation buffer and CCCB	
Common Equity Tier 1 Ratio bands	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a percentage of earnings)
>5.5% - 6.75%	100%
>6.75% - 8.0%	80%
>8.0% - 9.25%	60%
>9.25% - 10.50%	40%
>10.50%	0%

The CET 1 ratio bands are structured in increments of 25% of the required CCB and CCCB prescribed by the Reserve Bank of India at that point in time.

Also, the declaration of dividend is further subject to the restrictions imposed by RBI vide its Circular DBS.CO.PPD. BC.No.8/11.01.005/2016-17 dated April 13th 2017 on "Revised Prompt Corrective Action Framework" (PCA). The provisions of the revised PCA framework will be effective from April 1, 2017 based on the financials of the banks for the year ended March 31, 2017.

The Revised Prompt Corrective Action (PCA) framework for Banks had given the indicators to be tracked for Capital, asset quality and profitability. Based on the indicators mentioned in the Circular, risk thresholds have been classified into three categories as given in the table below and the mandatory action that would be taken when a bank breaches the said risk threshold.

जोखिम सीमा के तहत वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न संकेतक:

क्षेत्र	संकेतक	जोखिम सीमा 1	जोखिम सीमा 2	जोखिम सीमा 3
पूंजी (सीआरएआर या सीईटी1 का अतिक्रमण पीसीए को उत्प्रेरित करेगा)	सीआरएआर (सीसीबी सहित)	<10.25% लेकिन >=7.75%	<7.75 लेकिन >=6.25%	-
	और /या सीईटी 1 पूंजी (सीसीबी सहित)	<6.75% लेकिन >=5.125%	<5.125% लेकिन >=3.625%	<3.625%
आस्ति गुणवत्ता	निवल एनपीए अनुपात	>=6.0% लेकिन <9.0%	>=9.0% लेकिन < 12.0%	>=12.0%
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिलाभ	लगातार दो वर्षों के लिए नकारात्मक आरओए	लगातार तीन वर्षों के लिए नकारात्मक आरओए	लगातार चार वर्षों के लिए नकारात्मक आरओए
लीवरेज	लीवरेज अनुपात	<=4.0% लेकिन > = 3.5%	< 3.5%	-

The various indicators for classifying under risk thresholds:

Area	Indicator	Risk Threshold1	Risk Threshold2	Risk Threshold3
Capital (Breach of either CRAR or CET1 would trigger PCA)	CRAR (including CCB)	<10.25% but >=7.75%	<7.75 but >=6.25%	-
	And/or CET1 capital (including CCB)	<6.75% but >=5.125%	<5.125% but >=3.625%	<3.625%
Asset quality	Net NPA Ratio	>=6.0% but <9.0%	>=9.0% but < 12.0%	>=12.0%
Profitability	Return on Assets	Negative ROA for two consecutive years	Negative ROA for three consecutive years	Negative ROA for four consecutive years
Leverage	Leverage Ratio	<=4.0% but > = 3.5%	< 3.5%	-

विभिन्न जोखिम सीमा के आधार पर, बैंकों के खिलाफ कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाई शुरू की जाएगी। दूसरों के बीच अनिवार्य क्रियाकलापों में जोखिम सीमा के बावजूद लाभांश वितरण पर प्रतिबंध शामिल है जिसके तहत एक बैंक वर्गीकृत है।

- बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 और 17 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
- बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित नियमों / दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें संपत्ति की क्षति और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाना, सांविधिक आरक्षित को लाभ का हस्तांतरण आदि शामिल हैं।
- प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए।
- लाभांश की घोषणा के लिए रिजर्व बैंक को बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

Based on the various risk thresholds, certain mandatory and discretionary actions would be initiated against Banks. The mandatory actions amongst others include the restriction on dividend distribution irrespective of the risk threshold under which a Bank is classified.

- The Bank should comply with the provisions of Sections 15 and 17 of the Banking Regulation Act, 1949
- The Bank should comply with the prevailing regulations/ guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.
- The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.
- The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

- लाभांश की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार / वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश या संचार के अधीन होगी।

इसके अलावा, आरबीआई ने अपने पत्र संख्या: डीओआर.बीपी.बीसी. सं.64/21.02.067/2019-20 दिनांक 17.04.2020 के माध्यम से सूचित किया कि सभी बैंक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे ताकि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए पूंजी का संरक्षण कर सकें और कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के वातावरण में नुकसान की भरपाई कर सकें। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बैंकों के वित्तीय परिणामों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रतिबंध का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

आरबीआई ने अपने पत्र संख्या: डीओआर.बीपी.बीसी. संख्या.29/21.02.067/2020-21 दिनांक 04.12.2020 के माध्यम से सूचित किया कि कोविड-19 के कारण चल रहे दबाव और बढ़ी हुई अनिश्चितता को देखते हुए, यह आवश्यक है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे की भरपाई करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों की बैलेंस शीट को और मजबूत करने के लिए, साथ ही वास्तविक अर्थव्यवस्था को ऋण प्रदान कर सहयोग करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे।

- देय लाभांश की मात्रा:
- लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा:

- The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI / Government of India/Ministry of Finance from time to time.

Further, RBI vide its letter No: DOR.BP.BC. NO.64/21.02.067/2019-20 dated 17.04.2020 informed that all Banks shall not make any further dividend payouts from the profits pertaining to the FY ended March 31, 2020 so that Banks conserve capital to retain their capacity to support the economy and absorb losses in an environment of heightened uncertainty caused by COVID -19. This restriction shall be reassessed by the Reserve Bank based on the financial results of Banks for the quarter ending September 30, 2020.

RBI also vide its letter No: DOR.BP.BC. NO.29/21.02.067/2020-21 dated 04.12.2020 informed that in view of the ongoing stress and heightened uncertainty on account of COVID-19, it is imperative that banks continue to conserve capital to support the economy and absorb losses. In order to further strengthen the banks' balance sheets, while at the same time support lending to the real economy, it has been decided that banks shall not make any dividend payment on equity shares from the profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020.

- Quantum of Dividend Payable:
- The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished herein below.

श्रेणी	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से लेकर 5% से कम तक	5% से लेकर 7% से कम तक
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
क	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
ख	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
ग	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
घ	चालू वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

[‘वर्ष के दौरान’ शुद्ध लाभ के लिए लाभांश भुगतान अनुपात की गणना ‘एक वर्ष में देय लाभांश’ (लाभांश कर को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।]

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than Zero but less than 3%	From 3 % to less than 5%	From 5% to less than 7 %
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the Current year	Up to 10		Up to 5	Nil

[Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax) to 'net profit during the year']

- यदि प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ में कोई अतिरिक्त असाधारण लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन में भुगतान के अनुपात की गणना ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर की जाएगी।
- वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणी, जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी पात्रता से मुक्त होना चाहिए, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी भी पात्रता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी इक्विटी का 20% (अर्थात प्रदत्त पूंजी) या कर पश्चात लाभ का 20%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम लाभांश देना आवश्यक है।
- लाभांश की मात्रा उपरोक्त बिंदु संख्या 6.1 में उल्लिखित अनुसार मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगी और सीमा (अधिकतम / न्यूनतम); यदि कोई हो; जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य नियामक द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- बैंक, मुनाफे के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में अंतिम लाभांश घोषित करते समय इसे समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल लाभांश इस नीति में निर्धारित सीमा (अधिकतम / न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अधीन होगा।
- In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.
- The financial statements pertaining to the financial year for which the Bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.
- As per the extant guidelines of Government of India, the Banks are required to pay a minimum dividend of 20% of their equity (i.e paid up capital) or 20% of their post-tax profits whichever is higher.
- The quantum of the dividend shall be subject to the fulfillment of the criteria as per eligibility and the limit (Maximum/Minimum); if any; as stipulated by Gol /RBI/Other regulator from time to time.
- Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy.

हरित पहल – शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संप्रेषण ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए

डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि: वे अपने डीमैट खाते में ईमेल आईडी को पंजीकृत करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि: वे अपनी सहमति इस पत्र के छिद्रित हिस्से को भरकर और हस्ताक्षर करके हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को नीचे दिए गए पते पर भेजें:

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद – 500032
ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

केनरा बैंक की हरित पहल

दिनांक :

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद – 500032
ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं / हम _____ केनरा बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में धारण करता हूँ / करते हैं, केनरा बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस के तहत हरित पहल (ग्रीन इनिशिएटिव) के रूप में, मेरे / हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से केनरा बैंक से सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ / करते हैं।

फोलियो संख्या: _____
ईमेल आईडी _____ ₹ _____
मोबाइल नंबर _____

मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरी / हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त संप्रेषण को केनरा बैंक द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, विधिक और पर्याप्त सुपुर्दगी के रूप में माना जाएगा। मैं / हम साथ ही यह वचन देता हूँ / देते हैं कि किसी तकनीकी / अन्य विफलताओं के कारण मेरी / हमारी ईमेल आईडी पर प्रेषित संप्रेषण ठीक से न प्राप्त होने के मामले में मैं / हम केनरा बैंक, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराउंगा / ठहराएंगे।

प्रथम / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an email ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Kfin Technologies Pvt. Ltd.

Unit : Canara Bank,

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad - 500 032

E-mail ID: einward.ris@kfintech.com

Toll Free No: 1800 309 4001

GREEN INITIATIVE OF CANARA BANK

Date :

Kfin Technologies Pvt. Ltd.

Unit : Canara Bank,

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad - 500 032

E-mail ID: einward.ris@kfintech.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Canara Bank in physical form, intend to receive all communication from Canara Bank through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Canara Bank.

Folio Number: _____

Email ID _____ @ _____

Mobile No. _____

I/We also undertake that the communication received through my/ our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Canara Bank. I/We further undertake that we would not hold Canara Bank, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder

कुशल और त्वरित सेवाओं के लिए शेयरधारकों से अपील

1. कृपया अपने भौतिक शेयरों को डीमैट (अभौतिक) करें
2. कृपया लाभांश राशि को आपके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक / सीधे क्रेडिट करने के लिए अपना अधिदेश पंजीकृत करें
3. ई-मेल के माध्यम से संचार प्राप्त करने के लिए कृपया अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करें

अभौतिकीकरण (डीमटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर प्रमाणपत्र के खोने का कोई खतरा नहीं
2. कोई शेयर हस्तांतरण शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी व्यय नहीं
3. आसान / परेशानी मुक्त अंतरण / हस्तांतरण
4. नामांकन (नॉमिनेशन) संभव
5. लाभांश का सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाना
6. एएसबीए / आईपीओ आवेदन संभव

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश पंजीकृत करने के लाभ

1. लाभांश भुगतान तिथि पर ही लाभांश का सीधे क्रेडिट
2. लाभांश वारंटों के देर से प्राप्त होने / प्राप्त न होने / पुनर्वैधीकरण की कोई समस्या नहीं

ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लाभ

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. एजीएम और ईजीएम नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट / अन्य संचार सहित सभी प्रकार के कॉर्पोरेट संचार की तत्काल प्राप्ति

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please Demat your Physical Shares
2. Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle-free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Other communication.



गणतन्त्र दिवस, 2021 के अवसर पर श्रीमती आशा, सामाजिक कार्यकर्ता और जीवा रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक को सम्मानित करते हुए श्री एल वी प्रभाकर, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

**Smt Asha, Social Worker & Founder of Jeeva Raksha Charitable Trust
being honoured by Shri L V Prabhakar, MD & CEO on the occasion of Republic Day, 2021**



गुंटूर में एक वृद्धाश्रम में सीएसआर गतिविधि में भाग लेते हुए श्री एल वी प्रभाकर, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Shri L V Prabhakar, MD & CEO taking part in a CSR activity at an Old Age Home in Guntur



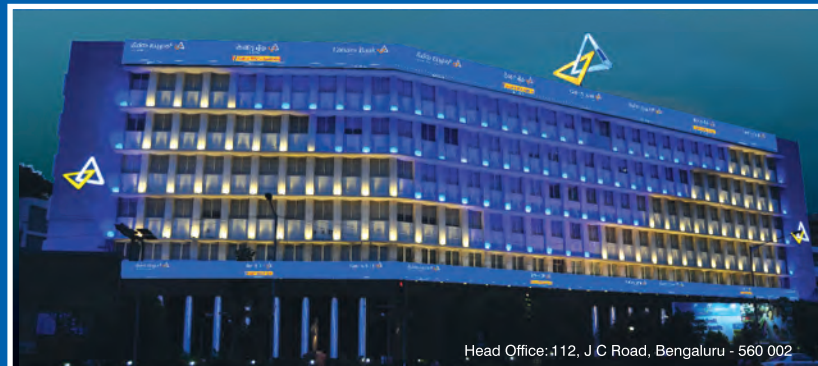
19 नवंबर, 2020 को बैंक के 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर लंबे समय से जुड़े रहे हमारे ग्राहकों को सम्मानित करते हुए Distinguished long standing customers being honoured on the occasion of 115th Founder's Day of the Bank on 19th November, 2020



सीएसआर के तहत जयदेवा कार्डियोलॉजी संस्थान को वित्तीय सहायता
Financial Assistance to
Jayadeva Institute of Cardiology under CSR



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2020 के अवसर पर बेंगलूरु ग्रामीण जिले के एसएसएलसी टॉपर्स को छात्रवृत्ति
Scholarship to SSLC toppers in Bengaluru Rural Dist., during International Women's Day, 2020



Head Office: 112, J C Road, Bengaluru - 560 002

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंडिकेट सिंडिकेट

Together We Can

@canarabank

YouTube CanaraBankOfficial

canarabank

canarabankinsta

canarabankofficial

LinkedIn canarabank

Call Canara ☎ 1800 425 0018

www.canarabank.com